राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

गुरुवार,

8 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल। श्री मदन दिलावर।

ग्राम चहैडिया (बारां) के जारी बन्दूक लाइसेंसों में अनियमितता

30. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम चहैडिया तहसील अंता (बारां) में कितने बन्दूकों के लाइसेंस किस-किस के नाम कब-कब से दिए हुए हैं? उक्त के विरुद्ध हाड़ौती क्षेत्र के किन-किन पुलिस थानों में किस-किस धारा में कितने-कितने मुकदमे कब-कब दर्ज हुए हैं?

(2) उक्त व्यक्तियों के रिकार्ड के अनुसार स्थायी पते क्या हैं तथा वर्तमान में कहां-कहां निवास कर रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि कुछ जिला कोटा के निवासियों ने ग्राम चहैडिया का निवासी बताकर बन्दूकों के लाइसेंस लिये हैं? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम व पते तथा उक्त के विरुद्ध कोटा जिले में किस-किस धारा में कितने-कितने मुकदमे कब-कब दर्ज हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कोटा के जिला कलक्टर ने जिला कलक्टर बारां को उक्त सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) तत्कालीन जिला कलक्टर बारां ने जिला कोटा के निवासियों को लाइसेंस क्यों दिये तथा जिला कोटा के व्यक्तियों को लाइसेंस देने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उक्त के नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) ग्राम चहैडिया तहसील अंता जिला बारां में अब तक 12 बोर के 7, रिवाल्वर 1, एवं टोपीदार बन्दूक का 1 कुल 9 अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण पुलिस थानोंवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट "अ" में अंकित शस्त्र अनुज्ञापत्र धारियों के स्थायी पते तथा वर्तमान निवास का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(5) जी, नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चहैडिया गांव के जो वर्तमान लाइसेंसधारी हैं उनके खिलाफ वर्तमान में किन-किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, क्या उक्त धाराओं के रहते हुए यह लाइसेंस निलम्बित करना उचित था या नहीं और अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : परिशिष्ट "अ" में मैंने जो सूची दी है, यह लाइसेंस 1977 में उनको दिये गए थे उनके खिलाफ उस वक्त किसी प्रकार का कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं था। इसके बाद 1985-87 में श्री गनीखां, हमीद खां, मिर्जा हासन बेग, मिर्जा महमूद बेग के खिलाफ 322/88 सी आईपीसी. 330 का मुकदमा दर्ज हुआ। 80/87 और 75/80 सी, इस प्रकार के मिर्जा हासन बेग के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद इनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।

श्री मदन दिलावर : यह मुकदमा कब दर्ज हुआ था और कब लाइसेंस निरस्त करने की आपने कार्यवाही फरमाई?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने बताया कि मुकदमा 85-87 में दर्ज किये गये थे।

श्री मदन दिलावर : किस-किस प्रकार के, थोड़ा डिटेल बताइये? किस-किस प्रकार के मुकदमे दर्ज किए गए थे, क्या डकैती का या एनडीपीएस. एक्ट का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज था?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मुकदमा एन. डी. पी. एस. एक्ट में भी दर्ज हुआ, वह 87 में दर्ज हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : इन मुकदमों में कितनों में फाइनल रिपोर्ट भेजी गई, कितनों में चालान किये गए?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह जानकारी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी नहीं है तो फिर क्या है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इन्होंने लाइसेंस कैंसिल का पूछा था...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी तो देनी चाहिए। मुकदमा किसी के ऊपर बनाते हो और 10 वर्ष तक फाइनल नहीं करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास तत्काल यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्न में यह नहीं पूछा गया था केवल लाइसेंस के सम्बन्ध में पूछा गया था इसलिए मेरे पास तत्काल यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री मदन दिलावर : क्या जिला कलक्टर कोटा ने इस लाइसेंस के सम्बन्ध में बारां के जिला कलक्टर को कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो उसको पढ़कर सुनाएं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने प्रश्न के भाग में इसको स्वीकार किया है कि कलक्टर कोटा ने जिला कलक्टर बारां को पत्र लिखा है, मैंने इसको स्वीकार किया है।

श्री मदन दिलावर : आप पढ़कर सुनाइये कि क्या लिखा है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे ध्यान में यह आया है कि आपके कार्यालय द्वारा श्री आजम बेग पुत्र श्री महमूद बेग निवासी सांगोद को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया है जबकि मुझे यह अवगत कराया गया है कि किसी आजम बेग सांगोद जिला कोटा के मूल निवासी हैं, साथ ही इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। आप कृपया अवगत कराने का कष्ट करावें कि क्या इस सम्बन्ध में पूर्व पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. की टिप्पणी प्राप्त की गई थी? कृपया अवगत करावें। यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है।

श्री मदन दिलावर : दूसरा पत्र भी लिखा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सही है और पत्र भी लिखा है, यह मेरे पास है।

श्री मदन दिलावर : पढ़कर सुनाएं।

श्री गुलाब चन्द काटारिया (बड़ी सादड़ी) : पहला कब लिखा गया और दूसरा कब लिखा गया? यह कौनसी तारीख है? पहले पत्र और दूसरे पत्र के बीच का डिफरेंस क्या है और इसका जवाब वहां के कलक्टर ने या सम्बन्धित व्यक्ति ने क्या दिया, यह भी पढ़िए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह चिट्ठियां 2 जुलाई, 2001 व 3 जुलाई, 2001 को कलक्टर के द्वारा लिखी गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और दूसरा ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तारीख बता दी है मैंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दूसरा 26.7.2001 को लिखा गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दूसरा पत्र 26 जुलाई को (व्यवधान) पहला पत्र 3 जुलाई, 2001 को और दूसरा पत्र 26 जुलाई, 2001 को लिखा है।

श्री मदन दिलावर : 26 जुलाई, 2001 को जिला कलक्टर महोदय ने क्या लिखा है वह पढ़कर सुनाइये ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले और दूसरे पत्र में, दूसरे पत्र में क्या लिखा है उसको आप पढ़ों तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने गम्भीरतम आरोप होने के बाद भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब दूसरा पत्र और लिखा। पहले पत्र का कोई जवाब नहीं है। दूसरा पत्र उन्होंने 26 तारीख को 23 दिन के बाद लिखा। दूसरा पत्र क्या लिखा, उसको आप पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो पहले पत्र में थे वही कंटेक्स्ट इसमें हैं।

श्री मदन दिलावर : पढ़कर सुना दीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं पढ़कर सुना रहा हूं, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा श्री हाफिज मोहम्मद आजम बेग पुत्र मिर्जा महमूद बेग निवासी चहैडिया... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : साहब, यह तो मुसलमानों के खिलाफ कार्यवाही है और कुछ नहीं है। साफ कह दीजिए कि आपकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए सवाल लगा रही है और क्या। (व्यवधान) और कोई लेना-देना नहीं है। इतने कितने हिन्दू हैं जिनके ऊपर एन.एस.ए. लगा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है, आपने जो 9 केस...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हिन्दू कितने हैं जिनके ऊपर एन.एस.ए. लगाया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो यह कहा नहीं, वह कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हिन्दू का भी लाइसेंस है इन 9 में से। यह लिस्ट पढ़ सकते हैं, उसमें हिन्दू का भी लाइसेंस है।

मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर आजम बेग... (व्यवधान) यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं या और क्या इन्होंने बी.जे.पी. के खिलाफ कांग्रेस का प्रचार किया है इसलिए इनके लाइसेंस केंसिल कराने की कार्यवाही की जा रही है? डा. आजम बेग प्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपराधी चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो उससे कोई लेना-देना नहीं है। अपराधी किस जाति और धर्म का है वह किस धर्म को मानता है इससे भी कोई लेना-देना नहीं है। उस गांव में जो सूची है? लोगों की, उसमें हिन्दू भी हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : तालिबान का समर्थन करेंगे। मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, जो गद्दार तालिबान का समर्थन करेंगे...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गम्भीरतम आरोप है। कलक्टर की चिट्ठी से है और कलक्टर ने...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते समर्थकों...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसे जो अपराधी तत्व हैं चाहे उनका धर्म व जात कुछ भी हो, अपराधी की एक ही जात है अपराधी, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर यह चीज मानी जाती तो राजस्थान की यह स्थिति नहीं होती।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपराधी को बचाना चाहते हैं। गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बीच में खड़े होकर अपराधियों को बचाने की कार्यवाही...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपने पत्र में गम्भीरतम आरोप लगाए हैं। अपराधी चाहे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी धर्म को मानता हो इससे कोई लेना देना नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप सुनेंगे तो सही

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़िए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गृह मंत्रीजी ज़वाब दे रहे हैं। जवाब आ रहा है। मोहम्मद माहिर आजाद जी ने अपराधियों को बचाने का ठेका ले रखा है। (व्यवधान) राजस्थान में जो अपराधी है, व्यक्ति जो दिये गये हैं और लाइसेंस दिये गये हैं, उन अपराधियों को बचाने का ठेका ले रखा है। आपने।

मोहम्मद माहिर आजाद : बारां जिला कलक्टर आर. एस. गठाला द्वारा...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयांन्तर्गत इस सचिवालय ने श्री मदन दिलावर, विधायक अटरू द्वारा प्रस्तुत सवाल...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपराधियों को बचा रहे हैं। इन + + + को रोकिये। अपराधी हैं अपराधी। अपराधियों को बचाने का माहिर आजाद ने ठेका ले रखा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : लोकायुक्त कार्यालय ने एक पत्र भेजा था। (व्यवधान) आरोप लगाया था उसको...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई तरीका नहीं है। गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ प्रकरण है। अपराधियों को बचाने के लिये अगर इस प्रकार के ओछे हथकण्डे अपराधियों को बचाने के लिये कोई जाति और धर्म के आधार पर करेगा, इससे ज्यादा इस सदन का कोई अपमान नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + अपराधियों को बचाने वालों + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और केवल अपराधियों को बचाने के लिये वकालत करने खड़ा हो जाना...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और उन्होंने यह कार्यवाही की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस सदन का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। सवाल टू द पाइंट है। उसके आधार को आप पढ़िये कि वास्तव में इस अपराधी के खिलाफ...(व्यवधान) गम्भीरतम आरोप हैं और कलक्टर ने इसमें 2 पत्र लिखे हैं। उसके बाद भी सिर्फ अपराधी को बचाने के लिये सदन में कोई + + + करके जाति बिरादरी में, धर्म में डालने का, यह + + + इस सदन में होगा तो सदन की इससे बड़ी अवमानना कोई नहीं होगी। देशद्रोही कोई भी हो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपराधियों को बचाने वाले को सदन से बाहर किया जाए। यह विभिन्न प्रकार के अपराधी, सब तरह के गुण्डा तत्व, असामाजिक...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपराधी को अपराध का दण्ड मिलना चाहिये उसके पीछे

+ + + शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई जाति और धर्म नहीं होता है और यह दुर्भाग्य है कि सदन का दुरुपयोग करना सीख लिया हमने। अपराधियों को बचाने के लिये इस सदन का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। अपराधी अगर वह कोई भी हो, इस लिस्ट में हिन्दू भी है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय कटारिया साहब, हमने देखा है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या मतलब जानकर हिन्दू और मुस्लिम से...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गुण्डों को बचाने वाले, अपराधियों को बचाने वाले, असामाजिक तत्वों को बचाने वाले, बदमाशों को बचाने वाले, गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, ये बीच में क्यों बोले, (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, गृह मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, गुण्डा तत्वों को बचाने वाले, अपराधियों को बचाने वाले + + + ये लोग कौन हैं, अपराधियों को बचाकर के क्या करना चाहते हैं ये...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कटारिया साहब, हमने देखा है, आपके विदेश मंत्री महमूद जफर को, अजहर मसूद को खुद छोड़कर आये...(व्यवधान) आप छोड़कर आये हो वहां पर, कंधार छोड़कर आये हो, कंधार हवाई जहाज पर, कंधार छोड़ करके आये हो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माहिर आजाद ने ठेका ले रखा है क्या अपराधियों को बचाने का? जो अपराधी हैं, वे अपराधी हैं। अपराधियों, असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों को, बचाने का ठेका माहिर आजाद ने ले रखा है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अजहर मसूद को कहां छोड़कर आये आप। क्या वे अपराधी नहीं थे।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है।

श्री जगत सिंह दायमा : अजहर मसूद को कहां छोड़कर आये आप। बताइये, कंधार में छोड़कर आये आप। (व्यवधान) आपका रिश्तेदार था क्या? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस प्रश्न से सम्बन्धित कोई बात पूछना चाहे तो प्रश्न से सम्बन्धित बात तो पूछी जा सकती है। केवल प्रश्न को टालने के लिये और विषय की गम्भीरता को समाप्त करने के लिये इधर उधर की बात करके अगर इस सदन का दुरुपयोग करना प्रारम्भ हो गया तो फिर राजस्थान की जनता के सामने क्या मैसेज देना चाहते हैं हम। हम अपराधियों को बचाने के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। जगत सिंहजी, विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : केवल भाषण देना जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

आप। सिर्फ + + + सरकार बसा रखी है वहां पर। महमूद अजहर को कहां छोड़कर आये आप। कहां थी आपकी सरकार। घुटने टेक रखे हैं। मारे जा रहे हैं बेचारे निर्दोष लोग और आपकी सरकार वहां बैठे तमाशा देख रही है। कहां गयी आपकी सरकार। कहां गया तालिबान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अपराधियों को बचाने के लिये तालियां बजा रहे हो, वाह रे...(व्यवधान) आप इतने अभिमान में चूर मत होओ। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बड़ी-बड़ी डींग हांकते थे। हम सत्ता में आ गये केन्द्र में तो हम यह कर देंगे...(व्यवधान) + + + सरकार बसा रखी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बजरंग दल के लोग और शिव सेना के लोगों ने इस प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ कर रख दिया। इस प्रदेश की कौमी एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। (व्यवधान) मलारनाडूंगर में आप ही के एक आदमी ने घटना कर दी और आप उसका तो जिक्र नहीं करते हो और आप इस...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप फांसी लगा दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों नहीं लगा दूं। (व्यवधान) और हमको गलत कह दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं चलेगा...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह अपराधियों को बचाने के लिये कैसे...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई सवाल नहीं है। राजस्थान के इस भाईचारे को, राजस्थान की कौमी एकता को आपको खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सदन क्या अपराधियों को बचाने के लिये है? यह जिन सवालों को पूछा जाए उनका जवाब आना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल का जवाब पूछना हो तो पूछिये। अगर उसमें कोई कमी हो तो पूछिये। हल्ला-गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : परसों आप उपदेश देना चाह रहे थे, आज पहले प्रश्न में भी यह हालत हो रही है। हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। परसों प्रेसीडेंट महोदय ने, महामहिम गवर्नर साहब ने, आपके द्वारा क्या दर्शन देने का, एक दिशा देने का, सोच हमारी प्रदेश की जनता को, दिया था, अब मूल प्रश्न का उत्तर आ जाए, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे थे। ये मंत्री कहां से बन गये। यह तीसरी शक्ति कहां से आ गयी, सत्ता में आने में बहुत टाइम लगेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय राजेन्द्र जी, हमारी बात सुनो...(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अब चले गये उधर, आप भी हमारे साथ थे। पिछला भूतकाल देखो आप। आप साथ थे मेरे। रामविलास पासवान और शरद यादव की रैली थी तब तीसरी शक्ति में थे आप। आज आपको ये दक्षिण पंथियों...(व्यवधान) आप आपको इन साम्प्रदायिक शक्तियों...(व्यवधान) कल तो हमारे साथ थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। यह सदन में परम्पराओं का निर्वाह क्यों नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलना चाहिये। हम आपकी पालना करने के लिये, आपकी आज्ञा मानने के लिये तैयार खड़े हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आसन आज मूक दर्शक क्यों बन रहा है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह इसलिये बन रहा है, आपने सवाल किया था कि अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन सर्व शक्तिमान है। आप अपनी शक्तियों को पहचानें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, गुण्डा तत्वों को बचाने की बात आये, अपराधी तत्वों को बचाने की बात आये, ये लोग खड़े हो जाते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अजहर मसूद कौन था ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अजहर मसूद कौन था, यह बता दो जिसको आप छोड़कर आये काबुल में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदन दिलावर, प्रश्न पूछें...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो संरक्षण चाहिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : डूब मरने वाली बात... (व्यवधान) सारा देश और सारे मुल्क को मरवा दिया। (व्यवधान) और आपकी + + + सरकार...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुझे तो संरक्षण चाहिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अजहर मसूद आपका भाई था।

श्री जगत सिंह दायमा : वह तमाशा देख रही है + + + सरकार। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मुझे संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह + + + सरकार असंसदीय शब्द है इसको कार्यवाही से निकाला जाए। इस सरकार को + + + सरकार कहा, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : + + + सरकार, क्या केन्द्र में बैठी, + + + सरकार, + + + सरकार। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हंस रहे हैं आप बैठे-बैठे। (व्यवधान) अटलबिहारी वाजपेयी बैठकर मुस्करा रहे हैं। बात करते हैं अपराधी की। अपराधियों को छोड़ने जा रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं अपराधियों से और बात कर रहे हैं इस तरह की...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन तो स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपस में नहीं, जगत सिंह जी दायमा, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : कटारियाजी ने अपराधियों को बचाने की बात कही है और अपराधियों की बात कही है, माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : मेरे को प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं। मेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें सरकार का उत्तर चाहिये, सरकार से। ये बाकी कहां से आ गये। हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। सदन गरिमापूर्ण चले, इस बात के लिये, अध्यक्ष महोदय, जवाब खुद मंत्री महोदय को देना है।

श्री जगत सिंह दायमा : सही बात करो, हम सहयोग देंगे। गलत बात करेंगे तो....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पक्षपात की बात मत करिये। पक्षपात बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री धर्मपाल यादव : मुसलमान के खिलाफ कोई भी बात हो तो...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे तो यह बात बता दो अजहर मसूद कौन था। अजहर मसूद कौन था...(व्यवधान) जिनको छोड़कर आये हेलीकाप्टर में।

श्री मदन दिलावर : इन बदमाशों की छुट्टी करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बजरंग दल के लोग, साम्प्रदायिकता फैलाने में दोषी नहीं हैं। क्या आपका इरादा बजरंग दल पर प्रतिबन्ध लगाने का है या नहीं। यह बताइये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रतिबन्ध लगाने की हिम्मत है क्या। बजरंग दल देशभक्त है, और गद्दारों और तालिबान का... (व्यवधान) प्रतिबन्ध लगाने की बात करते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अजहर मसूद को पकड़ कर टांगना चाहिए था...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मसूद अजहर बसपा का नेता था। मसूद अजहर बसपा का नेता था इसलिये दर्द हो रहा है इनको। गुण्डा तत्वों को बचाना चाहते हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो प्रश्न है उसकी सीमा थोड़ी है। एक पंचायत में दिये गये लाइसेंस के बारे में है। 9 लोगों को लाइसेंस दिये गये। उसमें हिन्दू, मुसलमान सब जाति बिरादरी के लोग हैं। प्रश्न यही था कि जिसके ऊपर इस प्रकार के मुकदमें 85 और 87 में दर्ज हुए उन मुकदमों के आधार पर उसका लाइसेंस केंसिल हुआ कि नहीं। (व्यवधान) कलक्टर ने 2 चिट्ठियां भी इस बारे में लिखीं बारां कलक्टर को। एक 3.7.2001 को लिखी और उसके बाद में 26.7.2001 में और लिखी। और उस पत्र में इस बात को स्पष्ट किया कि इस व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं और ये कई प्रकार के सन्देह के घेरे में फंसा हुआ है। और इसलिये आप यह बताइये कि आपने यह लाइसेंस जब जारी किया तब कलक्टर से उसके बारे में कोई जानकारी करके किया नहीं किया, प्रश्न इतना सा ही है। इसी सवाल के जवाब अगर आएंगे और उसमें कोई कमी खामी आये तो कोई भी माननीय सदस्य पूछ सकता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन केवल इस प्रश्न के अपराधी को बचाने के लिये हल्ला करके समय बरबाद करने का, सदन का उपयोग हो जाएगा तो वह लोकतंत्र के लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मैं इतनी प्रार्थना आपसे करता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कलक्टर कोटा ने कलक्टर बारां को दो पत्र लिखे थे।

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक 03 जुलाई को लिखा था और एक 26 जुलाई को लिखा था।

श्री मदन दिलावर : पढ़ दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिसमें दो बातों का उन्होंने उल्लेख किया कि यह व्यक्ति सांगोद का रहने वाला है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। कोई मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो, ऐसी बात कही हो, उस पत्र में नहीं लिखा, केवल यह उल्लेख किया कि संदिग्ध है, यह चिट्ठी कलक्टर, कोटा ने कलक्टर, बारां को लिखी 26 जुलाई को, 3 जुलाई को, उसके बाद—(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : लाइसेंस कब बना?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुन लें। उसके बाद डा. आजम बेग को— (व्यवधान)—

श्री मदन दिलावर : कब लाइसेंस बना, यह बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिसको 26.4.1999 को लाइसेंस जारी किया गया था। (व्यवधान) 1999, जिला कलक्टर, कोटा के पत्र क्रमांक के द्वारा संदिग्ध गतिविधियां होने से एवं सांगोद, जिला कलक्टर, कोटा का निवासी होने से जिला मजिस्ट्रेट बारां के आदेश दिनांक 7.8.2001 द्वारा अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., इंटेलीजेंस कोटा के पत्र के अनुक्रम में अनुज्ञाधारी की गतिविधियां

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

संदिग्ध पाई जाने के कारण उक्त अनुज्ञा-पत्र को दिनांक 28.2.2001 को निरस्त कर दिया गया।

श्री मदन दिलावर : आपने खण्ड-तीन में यह बताया है जी, नहीं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी, आपने इसमें बताया है, हम पूछना चाह रहे हैं कि...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भाजपा ने ही तो जारी किया था लाइसेंस।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ मुकदमों के बारे में पूछा है, उसकी जानकारी भी मेरे पास उपलब्ध हो गई है।

श्री जगत सिंह दायमा : हार मान ली, बैठ जाओ। हार मान ली, बैठ जाओ।

एक माननीय सदस्य : 77 बोला है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुकदमा नम्बर 322/87, इसमें बरी हुआ है। मुकदमा नम्बर 74/85, धारा 147, 149, 365, तफतीश करने पर एफ.आर. अदम वकुआ दी गई है। मुकदमा नम्बर 80/87, धारा 5, 15, 17, एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत, डिस्ट्रिक्ट सैशन जज कोर्ट से बरी हुआ है। मुकदमा संख्या 322/87, धारा 330 ताजिराते हिन्द में दर्ज हुआ था, वह बरी हुआ है। मुकदमा संख्या 311/2000, धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा संख्या 68/2000 धारा 143, 451, 323, ताजिराते हिन्द में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा संख्या 425/2000, धारा 447, 427 दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन है। धारा 41/109, थाना कवाई में गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा नम्बर 148/88, धारा 341, 323 दर्ज होकर 12.4.1995 को न्यायालय से बरी हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी में सजा थोड़े ही हुई है? किसी में दोषी थोड़े ही पाया गया है? यह बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इन मुकदमों में से किसी में इसको न्यायालय ने दण्डित किया है?

श्री मदन दिलावर : मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मोहम्मद माहिर आजाद : विचाराधीन आपके खिलाफ भी है, विचाराधीन मेरे खिलाफ भी है। विचाराधीन से क्या मतलब हुआ?

श्री मदन दिलावर : एन.डी.पी.एस. एक्ट में केस दर्ज है। डकैती के मुकदमे भी हैं और इंटेलीजैंसी की रिपोर्ट यह कहती है कि इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। इंटेलीजैंसी की रिपोर्ट पढ़कर बताएं, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यह सिम्मी का प्रमुख नेता है और प्रदेश कांग्रेस (आई) के एक प्रकोष्ठ का...(व्यवधान) प्रदेश का पदाधिकारी है

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा कलक्टर की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का उल्लेख कलक्टर की रिपोर्ट में नहीं है।

श्री मदन दिलावर : ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग, सिम्मी के नेता, यह कांग्रेस (आई) के बड़े... (व्यवधान) और इस व्यक्ति का आतंक पूरे सांगोद क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको जानकारी देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सांगोद में वंदे मातरम्, सांगोद विद्यालय में वंदे मातरम् नहीं हो, इसने लड़कों को...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : विचाराधीन तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के ऊपर माननीय आडवाणी साहब पर भी है, फिर भी गृह मंत्री बने हुए हैं। क्या है यह ?

श्री मदन दिलावर : वहां पर शांत वातावरण था उसमें साम्प्रदायिकता फैलाई। और लोग यह कहते हैं कि पारदर्शी सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्य करेगी, राष्ट्रविरोधियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी, यही आपकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के ...(व्यवधान) क्यों नहीं हुई कार्यवाही ? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और उनसे ऐसा बर्ताव करना...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बाबरी मस्जिद गिराने पर आरोप माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय आडवाणीजी के खिलाफ भी विचाराधीन है और उनको आपने गृह मंत्री बना रखा है।

श्री मदन दिलावर : आप तो बहुत राष्ट्र भक्त बताये जाते हैं लेकिन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के चक्कर में कैसे फंस गये ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुण्डों के समर्थक गुण्डे ही आतंकवादियों के समर्थक आतंकवादी। असामाजिक तत्वों के समर्थक असामाजिक तत्व...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि यह जो नौ लाइसेंस इस गांव में जारी हुए हैं, यह सारे लाइसेंस कांग्रेस राज के हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने वर्ष बता दिया 1977.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1977 की फ़रवरी है। तारीख पढ़ो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1977 बता दिया है।

डा. के. सी. चौधरी : 1977 में आपका राज था, कांग्रेस का राज था क्या ? सन् 1977 में आपके राज में जारी हुए हैं लाइसेंस।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1977 की फरवरी का महीना है। एक 1977 में जारी हुआ वह राज आपका फरवरी महीने में जारी हुआ, एक 1999 में जारी हुआ, वह राज आपका, 1985 में जारी हुआ, वह राज आपका नौ कोई...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपका राज था जब आप भी जारी कर देते, आपको किसने मना किया था।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप भी जारी कर देते।

श्री मदन दिलावर : आजम बेग कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है। राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल है। सिम्मी का बहुत बड़ा नेता है, फिर भी यह सरकार उसको पूरा संरक्षण दे रही है। मेरा आरोप है कि हमारी यह सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को सहायता करती है, संरक्षण देती है और उनकी सहायता करती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह जो कथन इनका है, यह सत्य नहीं है। पहला लाइसेंस याकूब खां को 28.2.1977 को स्वीकार हुआ। (व्यवधान) सुनिए-सुनिए, आप, आगे आइये। गनी खां को 28.2.1977 को स्वीकृत हुआ, मिर्जा को 28.2.1977 को स्वीकृत हुआ उसके बाद नन्दलाल भैरूलाल नागर को 1981 में सैंक्शन हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, वह भी आपके राज में ही हुआ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुनिए-सुनिए, उसके बाद सिराज मोहम्मद को 1986 में सैंक्शन हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह भी आपके राज में हुआ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके बाद 1972 में सैंक्शन हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह भी आपके राज में हुआ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके बाद 1977 में सैंक्शन हुआ और जिस डाक्टर के बारे में आप कह रहे हैं उसका 1999 में सैंक्शन हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें सब समय कांग्रेस सरकार थी।

श्री मदन दिलावर : 1999 में किसकी सरकार थी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्योंकि कांग्रेस सरकार हो तो वैलिड लाइसेंस नहीं देगी और आपकी सरकार हो तो तब क्या नहीं देगी?

श्री मदन दिलावर : मतलब आतंकवादियों को लाइसेंस देगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को लाइसेंस देगी।

श्री हीरासिंह चौहान : जिसका आचरण खराब है, संदिग्ध है जिसका केस रजिस्टर है पुलिस में, उसका लाइसेंस जारी नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों को लाइसेंस देगी?

श्री हीरासिंह चौहान : इतने पक्षपात से लाइसेंस जारी नहीं होता है।

श्री मदन दिलावर : गृह मंत्रीजी, आपको रिपोर्ट देनी चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस नहीं देना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही तारीख में चार-चार व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये

(श्री देवीसिंह भाटी)

गये। साधारण व्यक्ति यदि लाइसेंस लेना चाहे तो दो महीने तक उसको लाइसेंस नहीं मिलता, एक ही तिथि के अन्दर चार-चार व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि एक तरफ तो आम आदमी अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस लेने के लिये कार्यवाही करता है और उसको लाइसेंस नहीं मिलता है।

श्री हीरासिंह चौहान : पुलिस स्टेशन में सिंगल केस दर्ज होने के बाद भी लाइसेंस इश्यू नहीं होते बाकायदा जांच होती है। यह सरकार के दबाव के कारण दिये गये हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन जो इस प्रकार के तिकड़मी लोग हैं, वे एक ही दिन में चार-चार लाइसेंस ज़ारी करवा लेते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लाइसेंस नियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं, उसमें कोई किसी तरह की गलती नहीं की।

श्री देवीसिंह भाटी : सारे कांग्रेस के शासन में जारी हुए हैं।

श्री मदन दिलावर : सांगोद जिले में होने के बावजूद भी_(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आज़ाद : देवा गुर्जर बी.जे.पी. का पदाधिकारी है बूंदी में, एक साल एन.एस.ए. में बन्द रहा, उसको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया आपने? आपकी पार्टी का पदाधिकारी है, आज की तारीख में यह बताइये आप।

श्री मदन दिलावर : कोटा जिले का निवासी होने के बावजूद भी बारां जिले के कलक्टर ने उसको लाइसेंस किस आधार पर दिया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह असत्य है।

श्री मदन दिलावर : आपने ही कहा है कि_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। प्रश्नकर्ता और दूसरे माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अनर्थ हो गया, साहब।

श्री अध्यक्ष : करीबन आधे घंटे का समय होने आया है, दो मिनट बाकी हैं।

श्री मदन दिलावर : अनर्थ हो गया, राष्ट्र को खतरा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अनर्थ तो आप, हर बात को ही अनर्थ कहते हैं, प्रश्न के_(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और यह सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को ख़तरा पैदा करने वालों को संरक्षण दे रही है।

श्री अध्यक्ष : आप इंगित कर दीजिए कि अनर्थ क्या हो गया।

श्री मदन दिलावर : गम्भीर विषय है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं बताऊं श्रीमान्, आप बिराजिए एक मिनट, मेरा निवेदन है कि गम्भीर विषय है। आप बिराजिए, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे क्षेत्र में कम से कम दस लाइसेंस के लिए दे रखा है। एक को भी लाइसेंस जारी नहीं कर रहे हो और उनका करते रहते हो। जहां पर जरूरत नहीं हो वहां करते हो और जहां पर वास्तव में जरूरत है, जो बोर्डर एरिया में रहता है उसको आप जारी नहीं करते हो। वह भटक रहा है बराबर।

एक माननीय सदस्य : बोर्डर में तस्करी करवाते क्या?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह चहैडिया गांव का निवासी है, मेरे पास वोटर लिस्ट है।

कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त पद

31. **श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) :** क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां हैं? वर्तमान में मण्डी सचिवों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्ति करने या इन्हें स्थानान्तरण द्वारा भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) राज्य में 124 कृषि उपज मण्डी समितियां हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। शीघ्र।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि 16 महीने से मेरा सैक्रेटरी का पद रिक्त पड़ा है। बार-बार लिखने के बावजूद भी मेरे यहां सैक्रेटरी नहीं लगाया गया। हमारे सारे के सारे काम खराब हो रहे हैं। न कोई सड़कों के प्रस्ताव दे पा रहे हैं न कोई हम ठेपाणा के अन्दर नई मण्डी बनी है, उनकी दुकानें नीलाम कर सकते और हमारा पूरा का पूरा टैक्स चोरी हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तीन साल के बाद जो मोठ हुए थे, वह सावा से होकर दिल्ली जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिये भी कुछ भी नहीं। सात दिन में एक दिन, जिस सैक्रेटरी को चार्ज दे रखा है, वह आता है वरना आता ही नहीं है। हमारे सारे के सारे काम खराब हो रहे हैं। आप कब तक सैक्रेटरी लगा देंगे, यह बताने का कष्ट करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (कृषि राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कुछ पद रिक्त पड़े हैं किन्तु ऐसा नहीं है कि मण्डी खाली पड़ी हो, अतिरिक्त चार्ज दूसरे सचिवों को दिया हुआ है जहां तक पद रिक्त का प्रश्न है, एक भी पद ऐसा नहीं है जहां पर मण्डी सैक्रेटरी काम नहीं कर रहा हो किन्तु विभाग में रिटायरमेंट के बाद से जिस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई, जिस प्रकार उम्र घटाई गयी, 31.3.1994 से

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

काफी पद रिक्त हुए हैं, उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि नोहर से आने वाली माननीय सदस्या की पीड़ा है तो विधान सभा सत्र समाप्त होते ही एक सप्ताह में इनके यहां सैक्रेटरी पदस्थापित कर दिया जायेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : लगा क्यों नहीं देते इनके यहां ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कब कराओगे ?

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से हमारा सीधा सवाल है कि आप इन अधिकारियों से सैक्रेटरी से ही काम चलाओगे या चुनाव करवाने की कोई मंशा आपकी है ? आप यह स्पष्ट कर दें आपकी मंशा है क्या कि कृषि मण्डियों में चुनाव होने चाहिये ?

एक माननीय सदस्य : कोई मंशा नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह अलग प्रश्न है।

श्री सांवरलाल : अलग प्रश्न का ही तो जवाब चाहते हैं। राजस्थान की जनता देख रही है कि आप केवल इन अधिकारियों से ही चलाना चाहते हैं, आपकी नीति क्या है, यह तो बता दें ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप ऐसे ही चलाना चाहते हो, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपना चाहते हो, चुनाव कराने की मंशा है या नहीं ? लोकतंत्र की दुहाई देते हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : लोकतंत्र के अंदर चुनाव कराने से कोई सरकार इंकार नहीं करती। मंशा निश्चित रूप से है, प्रक्रियाधीन है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक कराओगे ?

श्री सांवरलाल : कब तक है, कुछ बताओ तो सही आप मंत्री महोदय। मना नहीं करें और अधिकारियों से काम चला रहे हैं, वह भी पूरे नहीं हैं। क्या मंशा है आपकी ?

मोहम्मद माहिर आजाद : देखा, धारीवाल जी ने करा दिये नगरपालिकाओं के, सीखो कुछ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कृषि मण्डियों के चुनाव 1974 में हुए थे, उसके बाद पिछले शायद मेरी समझ में 36 वर्ष होने आये, 28 वर्ष हो गये...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बीच में आपका शासन भी आया था।

श्री हीरासिंह चौहान : अभी तक चुनाव नहीं हुए, क्या कारण हैं चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं ? जब मण्डी संस्था अलग से संस्थाएं बना दी गयीं 1974 के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए, इसका कारण क्या हैं बताओ तो सही...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से हम यह जानकारी चाहते हैं कि चुनाव हमको ही कराने पड़ेंगे या आप...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बीच में आपका भी शासन आया था।

श्री सांवरलाल : हम कराएंगे कि आप कराओगे चुनाव, यह बता दो।

श्रीमती ममता शर्मा : आठ साल के शासनकाल में इन्होंने भी चुनाव नहीं कराये।...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप हमारी बात क्या कर रहे हो, हम तो आपसे पूछ रहे हैं।

श्री सांवरलाल : वापस आकर हमको ही कराने पड़ेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा : तीन बार इनका शासन आया, लेकिन इन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिये इनका कोई अधिकार बनता नहीं चुनाव के बारे में बोलने के लिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं मंत्रीजी से, कि मेरे यहां सैक्रेटरी कौनसी तारीख तक लगा देंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : विधान सभा समाप्त होने से एक सप्ताह में।

श्री सांवरलाल : विधान सभा समाप्त कैसे होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा समाप्त कैसे होगी ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : विधान सभा सत्र जब तक आप चलाएंगे, विधान सभा सत्र जब तक आप चला रहे हैं।

श्री सांवरलाल : सत्र नहीं कहा। आपने कहा विधान सभा समाप्त होने के बाद लगा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी से तो बोले कोई शब्द बोले तो।

श्री अमराराम (धोद) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कृषि मण्डियों के सचिवों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इधर भी थोड़ी कृपा करें।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे बार-बार लिखने के बावजूद मंत्रीजी यह कहते हैं कि मैंने सैक्रेटरी को भेज दी है और सैक्रेटरी साहब निकाल नहीं रहे, जबकि सैक्रेटरी साहब के पास कोई भी लिस्ट अभी तक नहीं गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह बात है। सैक्रेटरी आपकी सुनता नहीं, आपकी चलती नहीं, इसका जवाब दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इधर भी कृपा करें। जरा इधर भी थोड़ा ध्यान दें, कृपा करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्षजी, यह विधान सभा खतम होगी 2003 में, तब आप रहोगे नहीं मंत्री, कैसे लगाओगे ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, सत्र बोलो आप। जब विधान सभा खतम होगी तो आप ही नहीं रहोगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो कृषि उपज मण्डी के सचिवों के जो पद रिक्त

(श्री अमराराम)

हैं, मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की गयी है तो कहां तक वह प्रक्रिया चली गयी है और कब तक इन सचिवों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा? मंत्री महोदय यह स्पष्ट बताएं कि जो पद रिक्त हैं, वह कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, अलवर में भी सैक्रेटरी का पद रिक्त है। माननीय मंत्री महोदय, अलवर में भी सैक्रेटरी का पद रिक्त है अलवर कृषि उपज मण्डी में। अलवर में, खैरथल में लाखों-करोड़ों के घोटाले हो गये हैं, क्या उनकी भी जांच कराएंगे क्या?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्ताह नहीं चाहती, मैं केवल तारीख चाहती हूं उसी तारीख को हो जाना चाहिये। वह तिथि मुझे बता दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह हुई बात। अलवर में कृषि उपज मण्डी में सचिव का पद रिक्त है। खैरथल-अलवर में लाखों-करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। उनकी भी जांच करवाने के लिये बोले, साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : दिसम्बर, 2003 तक लगा दिया जायेगा। बैठ जाइये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : धोद से आने वाले माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे। मैंने निवेदन किया मण्डी सैक्रेटरी के बिना काम के कोई मण्डी नहीं चल रही है, लेकिन पद रिक्त हैं। पद रिक्त की प्रक्रिया मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक में 26.6.2000 को इस विभाग पर निर्णय हुआ है और छूट दी गयी है। इसकी मिनिट्स जारी हुई 11 जुलाई, 2000 को, उसके बाद वित्त विभाग को और कार्मिक विभाग को कृषि उपज मण्डियों के सैक्रेट्रियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये और छूट प्रदान करने के लिये निवेदन किया जा चुका है। वहां से परमिशन मिलते ही पब्लिक सर्विस कमीशन में यह मामला जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र प्रयास किये जायेंगे कि इनको भर दिया जाये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह कहते हैं कि चार्ज दिलवा रखा है जबकि चार्ज दिलवा रखा है सात दिन में एक दिन आता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से सात दिन में एक दिन इनको रोटी दे दी जाए तो इनका पेट भर जाएगा क्या? फिर छह दिन ये क्यों खाना चाहते हैं? इसका आप जवाब दें।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मण्डी किसानों से सम्बन्धित मण्डी है, इनके चुनाव नहीं होना सरासर किसानों के साथ अन्याय है। इसलिये कृपया कृषि मण्डी के लम्बे समय तक भाजपा सरकार ने चुनाव नहीं करवाये, अब अपनी कांग्रेस की सरकार है, जो लोग किसान वर्ग से आते हैं वह यह चाहते हैं कि चुनाव बराबर समय पर होने चाहिये, इसलिए कृपा कर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं वह बताएं कि कब तक इनके चुनाव की प्रक्रिया चालू करके कृषि मण्डी के चुनाव करवा दिये जायेंगे। गुजरात में समय पर चुनाव होते हैं और

(श्री रतनाराम चौधरी)

हमारी कृषि मण्डी गुजरात सीमा से लगी हुई है। किसानों की कृषि मण्डी होते हुए चुनाव नहीं होना और अधिकारियों के भरोसे कृषि मण्डियों को छोड़ देना यह सरासर गलत है। कृपया इनकी घोषणा करवायें कि यह चुनाव कब तक हो जायेंगे। धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछा है खैरथल और अलवर कृषि उपज मण्डी में भारी घोटाले हो रहे हैं टैक्स के, वहां सैक्रेटरी अलवर में कृषि उपज मण्डी का नहीं है। वह भी आप कह रहे हैं कि लगाएंगे, लेकिन कब तक लगाएंगे। पहले भी एक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, दोनों मण्डियों में लाखों-करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। टैक्स जमा नहीं हो रहा है। गुड़ और खांडसारी के लाखों ट्रक आये लेकिन कोई जमा नहीं, साहब, वहां।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अलवर कृषि उपज मण्डी में माननीय सदस्य ने कहा सैक्रेटरी नहीं है, वहां सैक्रेटरी हैं और मिस्टर ताराचन्द गुप्ता नाम के.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां से डेपुटेशन है, वह सैक्रेटरी नियुक्त नहीं है। वह हैड क्वार्टर से जाता है और बहुत गड़बड़ कर रहे हैं वह सैक्रेटरी महोदय।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक मिनट सुन लीजिये। घोटालों का प्रश्न है या माननीय सदस्य की शिकायत है तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जो तथ्य यह देंगे उनकी सक्षम उच्चाधिकारी से मैं शीघ्रातिशीघ्र जांच करवा दूंगा और दोषी व्यक्ति कोई पाया गया तो निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाह रहा हूं। मंत्री महोदय, आप का अपने विभाग पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्या? अगर कोई लिखित में आपको शिकायत नहीं दी तो आपको जानकारी नहीं होती क्या गड़बड़ घोटाला कहां हो रहा है?

श्री रतनाराम चौधरी : किसानों की पीड़ा है उनका उत्तर नहीं आया। कृपया उत्तर दिलवाइये।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य आपको लिखित में नहीं देगा तो आपके विभाग में क्या घोटाला हो रहा है इसकी जानकारी आपको रहती है क्या? क्या जिम्मेदारी है आपकी, आप बताइये मुझे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय प्रक्रिया के अनुरूप कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होती है और कोई माननीय सदस्य शिकायत भले न करे, समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी किये जाते हैं और उनके आधार पर टैक्स इवेजन को पकड़ा भी जाता है। उसके अलावा विभागीय स्तर पर डायरेक्टर और मिनिस्टर के स्तर पर रिव्यू भी होते हैं। इसलिये ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं आये तो हम उस तरफ सतर्क नहीं रहते। निश्चित रूप से हम सतर्क रहते हैं।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

शिकायतों की जांच भी करते हैं और जांच में सत्यता पाये जाने पर दोषी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा कर आवश्यक सजा भी दी जाती है।

श्री सांवरलाल : तो फिर इस मामले में बोलो न आप...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने बता दिया फिर आप, अपने आप जांच करायेंगे ?

श्री रतनाराम चौधरी : मंत्री महोदय, 20 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। भाजपा ने करवाया नहीं, आप करवाना चाहते नहीं।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने बताया था कि शिकायतों की जांच करायी जाती है, ब्यावर कृषि उपज मण्डी में शिकायतों की जांच हुई और आमदनी चौथाई हो चुकी है।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा का, किसानों की पीड़ा का उत्तर दिलवाइये।

डा. के.सी. चौधरी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ब्यावर मण्डी में जो जांच करी गयी और टैक्स इवेज़न बहुत भारी-भरकम हुआ है, आपके सामने हुआ, आपने अधिकारियों को भेजा वहां जांच के लिये। जांच के बाद में सरकार ने क्या कार्यवाही की कि ब्यावर कृषि उपज मण्डी की आमदनी वापस बढ़े ?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में भी कृषि उपज मण्डी की कई बार शिकायतें हुई, क्या मंत्री महोदय ने वहां पर कभी जांच करवायी है ? इसके बारे में बतायें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में ब्यौरा लेकर मैं उपस्थित नहीं हो पाया हूं क्योंकि यह इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं था। सम्बन्धित प्रश्न का रिलेवेंट जवाब मैंने आपको अर्पित कर दिया है।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, संकेत भी नहीं दिया कि कब तक चुनाव करायेंगे ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : चुनाव की तो बोलो, कब तक कराओगे ? चुनाव कराओगे या नहीं कराओगे ?

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का बहुत बड़ा जो मसला है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, चुनाव की बात पूछ रहे हैं, बताओ कि चुनाव कराना चाहते हो या नहीं चाहते हो ? लोकतंत्र में चुनाव कराने की इच्छा है या नहीं ? (व्यवधान) यह बताओ कब चुनाव कराओगे ? क्या आप नहीं कराना चाहते हो, हमारे लिए छोड़ रहे हो यह काम ?

श्री रतनाराम चौधरी : कृपा करके आप उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों का पैसा कृषि उपज मण्डियों में जाता है अगर आप इस गैर जिम्मेदारी से चलाओगे तो फिर किसानों को क्यों डुबोया मण्डियों के माध्यम से ?

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मण्डी सचिवों के 124 पद रिक्त होना बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी ऐसी मण्डियां हैं जिनमें एक सचिव के पास अधिकांश मण्डियों का चार्ज है? क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करने की मंशा रखते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी का अधिकारी उसी मण्डी में है उसको चार्ज देकर दैनिक कार्य को शीघ्र निपटाया जाय? ऐसी व्यवस्था करेंगे?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, 8 साल में भाजपा सरकार ने तो चुनाव नहीं कराया क्योंकि उनका तो प्रशासकों से प्रेम था इसलिए प्रशासक रखना चाहते हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो पिछले सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि नियमों में संशोधन कर हम शीघ्र चुनाव करायेंगे, तो क्या नियमों में संशोधन करते समय आप ऐसा प्रावधान रखेंगे कि भविष्य में मण्डियों में कभी प्रशासक नहीं लगे? और कब तक चुनाव कराने की मंशा रखते हैं? कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं फरमाया, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखती है और नियमों में आवश्यक संशोधन और कार्यवाही के सम्बन्ध में जैसाकि माननीय सदस्य स्वयं फरमाते हैं, प्रक्रियाधीन है। इस प्रश्न से क्योंकि सम्बन्ध नहीं था इसलिये सारी डिटेल लेकर मैं आज उपस्थित नहीं हुआ, अलग से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार लोकतंत्र में जब विश्वास रखती है तो चुनावों से अपने आपको टालने में मुंह मोड़ने में विश्वास नहीं रखती।

श्री जगत सिंह दायमा : आप प्रभारी मंत्री हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे मालूम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

32. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, सिवाना में विद्युत की समस्या के समाधान हेतु एवं वोल्टेज सुधार हेतु विद्युत वितरण निगम द्वारा कुल कितने 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित किये है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अधीन विद्युत समस्या के समाधान एवं वोल्टेज सुधार हेतु विद्युत वितरण निगम द्वारा क्षेत्र में कुल सात स्थानों पर 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन प्रस्तावित किये गये हैं जिनकी सूची निम्नप्रकार हैं :—

1. मेली, 2. गोलिया, 3. धीरा, 4. कुण्डल

5. भागवा, 6. मिठूड़ा, 7. भाटा

(2) ग्राम मेली में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है तथा अन्य 6 ग्रामों में 33 के.वी.

(ऊर्जा मंत्री)

सब स्टेशनों के प्रस्तावों की जांच कर, तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी की जावेगी।

श्री गोपाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मेली और भाटा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत है वह अधूरा पड़ा है। क्या सरकार इस सीजन में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

दूसरा, सरकार प्रस्तावित 33/11 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन की तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से जांच कब तक करा लेगी? क्या सरकार प्रस्तावित 33/11 के. वी. सब-स्टेशन को इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेली गांव में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके निर्माण के कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करके ग्रिड सब-स्टेशन को चालू कर दिया जायेगा।

इसके अलावा जिन अन्य 6 ग्रिड सब-स्टेशनों की तकनीकी जांच और फिर उनकी वित्तीय स्वीकृति का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में बहुत बड़ा विद्युत तंत्र है और ग्रिड सब-स्टेशनों की भी काफी मांग है। हमारी सरकार आने के बाद में गति को काफी तेज किया है और इन तीन वर्षों में 334 33/11 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन बना कर चालू किये गये हैं और मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्ता है कि माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र, सिवाना में कुल 12, 33 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन हैं जिनमें से 5 ग्रिड सब-स्टेशन पिछले तीन साल में चालू किये गये हैं और यह जो 6 ग्रिड सब-स्टेशन हैं, जिनके प्रस्ताव आये हैं, इनकी तकनींकी जांच भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जायेगी और यदि तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जायेंगे तो निश्चित रूप से उनकी स्वीकृति कर दी जायेगी और फिर निर्माण का कार्य भी शुरू किया जायेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह जो 33/11 के.वी. जी.एस.एस. का काम आप कराते हैं तो क्या विभाग कराता है या ठेकेदार से कराते हैं? और क्या ठेकेदार आपके वश में हैं? वश में हैं तो मुझे बताइये, मैं आपके पास कई बार गया हूं 33/11 के.वी. जी.एस.एस. हैं, (व्यवधान) आप कहोगे मेरे पास समय नहीं है, तीन साल हो गये स्वीकृत हुए और आपके अधिकारी बारबार यह कह देते हैं कि हम क्या करें हमने तो ठेका दे रखा है। तो इसको दुरूस्त करने की क्या व्यवस्था करोगे? क्या ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में रखने का प्रावधान है कोई?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सरकार को डुबाने का काम कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? और डुबा देंगे, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : सदन में भाषा पर नियण्त्रण रखें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है, किसानों का मामला है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह ठेकेदारों वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, टोडाभीम में माचड़ी में 33 के.वी. के सब-स्टेशन का काम कम्प्लीट कर दिया है, 150 लट्ठे भी लगा दिये, तार भी लगा दिये (व्यवधान) एक मिनट, किसानों की समस्या है, आप गम्भीरता से लें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिला दें।

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हमारे यहां सब-स्टेशन का 132 का भी शिलान्यास किया, उसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद है लेकिन माचड़ी के अन्दर जो एक सब-स्टेशन है, जिसके 150 लट्ठे लग गये, तार उस पर खिंच गये, सारा काम हो गया, सारा काम मंत्री महोदय ने करा दिया केवल ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि सारा खर्चा हो गया, माननीय मंत्रीजी, ट्रांसफार्मर कब तक लगवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो कहा उसे कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, किसानों के जो कनेक्शन हैं वह नहीं दिए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि किसानों के कनेक्शन तो दिए जाएं। जब बिजली चोरी की हम बात करते हैं तो, बिजली चोरी इसलिए हो रही है कि किसानों को कनेक्शन ही नहीं मिल रहे हैं। यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है। कनेक्शन नहीं मिलेंगे तो वह लोग चोरी करेंगे ही करेंगे। हमारे किसानों के लिये बिजली नहीं दी जाती है, कम से कम उनको हटाकर किसानों को बिजली दी जाए, कनेक्शन दिए जाएं। मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 33 के.वी.ए. सब स्टेशन की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद क्या कोई निश्चित समय है जिसके अनुसार 33 के.वी.ए. के सब स्टेशन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति होने के बाद कितने समय के बाद कम्प्लीट करके उनको चालू करने के क्या आपके विभाग में कोई नार्म्स हैं या वित्तीय स्वीकृति निकलने के सालों बाद तक भी सब स्टेशन नहीं चालू होते हैं? क्या मंत्रालय इसके लिये कोई निश्चित समय सीमा तीन महीने, चार महीने बांधने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कितने समय का और नहीं तो क्यों?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि टोड़ाभीम के माचड़ी सब स्टेशन का टांसफार्मर कब तक लगवा दिया जाएगा?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

यह पूछना चाहती हूं कि दईखेड़ा के सब स्टेशन को बने हुए कितने दिन हो गये या वह बना नहीं तो कब तक बन जाएगा?

डा. चन्द्रभान : सवाल सिवाना से सम्बन्धित है, मैडम।

श्री जगत सिंह दायमा : ये मैडम नहीं, मिस हैं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप मेरी बात तो सुन लें। जब वह स्टेशन नहीं बना था तब मैंने आपसे बार-बार कहा कि वह स्टेशन अधूरा पड़ा हुआ है फिर भी आपने नहीं सुना तो मैंने कहा कि स्टेशन पूरा हो गया आप उद्घाटन, आपके विभाग के कर्मियों ने मुझे जानकारी दी कि सब स्टेशन को कम्प्लीट हुए छह महीने हो गये हैं और आप अभी कह रहे हैं कि सब स्टेशन कम्प्लीट नहीं हुआ। आपके विभाग वाले जो गलत जानकारी देते हैं उसके लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे यह बतायें?

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि किसानों को बिजली रात के समय में ही क्यों दी जाती है? रात के समय दी जाती है। अगर दिन में दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि रात को कीड़े निकल जाते हैं और बहुत से किसान बीमार भी हो जाते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : कीड़े, गौरेया सब किसानों को खाते हैं।

श्री मदन दिलावर : रात में किसानों को कीड़े खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं और बिच्छू खा जाते हैं।

श्रीमती शांति पहाड़िया : कितनी बिजली निर्धारित की जाती है इसका कोई पता ही नहीं है क्योंकि किसी को तीन घंटे मिलती है, किसी को पांच घंटे मिलती है...(व्यवधान) और किसी को दो घंटे भी नहीं मिलती है। इस तरह से बिजली दी जाती है।

श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि सवाईमाधोपुर क्षेत्र में 33 के.वी.ए. के सब स्टेशन के लिये आपने कहा था उसके लिए अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी है।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि आप केवल जवाब ही देते हैं या कम्पनियों वाले आपकी सुनते भी हैं? आपके मंत्री बनने के बाद आपने किसानों की कमर तोड़ दी, आपने बिजली समय पर नहीं दी...(व्यवधान)

श्रीमती यास्मीन अबरार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि सवाईमाधोपुर क्षेत्र में आपने 33 के.वी.ए. के सब स्टेशन के लिये कहा था। आपने उसके लिए क्या कार्यवाही की, कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री सांवरलाल : आप न रेट घटा सकते हैं...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, चार साल पहले काम शुरू हुआ था।

डा. चन्द्रभान : एक साथ बोल रहे हैं मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब देने को तैयार बैठे हैं, जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं ये।

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जो बिजली में प्राथमिकता दी जाती है एस.सी और एस.टी को (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : फोटो छपाने के अलावा आज तक आपने किसानों का क्या भला किया ? शिलान्यास कर दिया, वह कर दिया।

श्री मोहन लाल मोदी : भाजपा ने अपने शासन में एक यूनिट बिजली नहीं बनायी। कमर तो इन्होंने तोड़ दी और आज ये किसानों के पक्ष की बात करते हैं। उसने क्या मुफ्त में दिया किसानों को ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये बिजली मंत्री ठीक हैं, मैं इनकी सिफारिश करता हूं ताकि सरकार को डुबायें। इस प्रकार डुबाने के लिये मैं इनकी सिफारिश करता हूं, ये ही बिजली मंत्री रहने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी यह कहना चाहूंगा कि ये ही बिजली मंत्री रहने चाहिए ताकि ये सरकार को डुबोयें। ये ही बिजली मंत्री सबसे बढ़िया हैं और दूसरा कोई बिजली का अच्छा काम नहीं कर पायेगा।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आप बैठिए। कल बिजली पर चर्चा है दिनभर। आज आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, यह प्रश्न सिवाना के बारे में पूछा है, एक तहसील का प्रश्न है, 33/11 के.वी.ए. का प्रश्न है इसलिये कल बिजली के सम्बन्ध में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इस मैटर्स को चर्चा में उठा सकते हैं यहां पर।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जोजावर, धेलड़ी और कोलर में 33 किलोवाट के जी.एस.एस. काफी कुछ पूरे हो गये। कोलर का तो बना हुआ तैयार पड़ा है। केवल उसमें बल्व लगाकर दो साल में उसको चालू बता रहे हैं। उस क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या है। उसको चालू नहीं कर रहे हैं। 33/11 किलोवाट के जी.एस.एस. का सवाल है। बने हुए तैयार हैं मगर उनको चालू नहीं करवा रहे हैं।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा के अन्दर 33 के.वी.ए. के जो ग्रिड बन गया और तार खिंच गये, दो साल हो गये, फिर मंत्रीजी उद्घाटन नहीं कर रहे हैं और उसका काम चालू नहीं करवाया।

श्रीमती शांति पहाड़िया : रात में बिजली देते हैं, दिन में बिजली देनी चाहिए। किसान दिन में बाहर काम करते हैं तो रात में बिजली नहीं देकर कृपया दिन में उनको बिजली दी जाए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है 33/11 के.वी.ए. के जी.एस.एस. के निर्माण का कार्य ठेके पर देने का, सामान्य तौर पर विद्युत वितरण निगम ही इन ग्रिड सब स्टेशंस का निर्माण कार्य करवाते हैं लेकिन चूंकि राज्य में मांग भी काफी है और विद्युत

(डा. चन्द्रभान)

वितरण निगमों ने काफी ज्यादा काम हाथ में ले रखा है इसलिये निगम के स्तर पर भी और ठेकेदारों के माध्यम से भी 33 के.वी.ए. के निर्माण के काम शुरू किये गये हैं और जहां कहीं निर्माण के कामों में देरी होती है उसमें उस ठेके को निरस्त करके दूसरे ठेकेदारों को दिया जाता है।

श्री जगत सिंह दायमा : उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में रखते हैं क्या, उनको ब्लैक लिस्टेड करेंगे क्या ?

डा. चन्द्रभान : हां, ब्लैक लिस्टेड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ग्रिड स्टेशंस का निर्माण का काम पहले एक साल तक नहीं होता था अब केवल छह महीने में पूरा कर दिया जाता है।

श्री मदन दिलावर : क्या मंत्री महोदय का बिजली निगमों पर नियन्त्रण है ?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम छह महीने में करवा देते हैं। क्या मंत्री महोदय ने समय सीमा...(व्यवधान) चालू होने में दो-दो साल लग रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन साल हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : आपके शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दो साल हो गये बने हुए अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 33 के.वी.ए. के सब स्टेशंस क्या राजनीतिक आधार पर स्वीकृत होते हैं या...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कोलायत का सब स्टेशन पूर्व स्वीकृत हुआ लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : तीन-तीन साल हो गये आपको करते-करते।

श्री अमराराम (धोद) : तकनीकी आधार पर स्वीकृत होते हैं या आवश्यकता के अनुसार बनाये जाते हैं ?

डा. चन्द्रभान : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, तकनीकी आधार पर स्वीकृति होती है। जहां बी.आर. सीमा से अधिक होता है...

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी ऐसी कोई गाइड लाइन जारी की हुई है क्या ?

डा. चन्द्रभान : जी हां। गाइड लाइन हैं। (व्यवधान) जहां पर बी.आर. ज्यादा होता है, आपकी सरकार ने बी.आर. में रिलेक्सेशन दिया था उसके कारण तंत्र को नुकसान पहुंचा। हमारी सरकार आने के बाद बी.आर...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : दौसा में 33 के.वी.ए. का ग्रिड दो साल से सैंक्शन पड़ा है, मंत्रीजी, आप उस कार्य को चालू नहीं करवा रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्रीजी, आपकी क्या स्थिति है, आप शिलान्यास कर देते हैं (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : लोग सामान खोल-खोल कर ले जा रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : कोलायत का काम इसी वित्तीय वर्ष में चालू करवा दिया जाएगा।

(डा. चन्द्रभान)

(व्यवधान) स्वीकृत साध्यता के आधार पर ही किये जाते हैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : राजनीतिक भेदभाव आप कर रहे हैं, लालसोट में 33 ग्रिड/दौसा के चार-चार उद्घाटन कर दिए, मेरे लालसोट रोड पर एक ग्रिड सैंक्शन है। जिसका कार्य आज तक आपने चालू नहीं करवाया।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह सिवाना का जो सवाल था..(व्यवधान) कल विधान सभा में बिजली के ऊपर चर्चा होगी, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा।

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कह रहा हूं कि दो साल में बिलकुल एक भी काम नहीं करा..(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लालसोट के अन्दर आपने चार-चार..(व्यवधान) आप भेदभाव करते हो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : 33, 11 के.वी.ए. के... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-दो साल हो गये हमारा सैंक्शन हुए लालसोट रोड के ऊपर...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या-48

(स्थगित)

राजस्थान लघु उद्योग निगम की फर्नीचर मैकिंग सेन्टर शाखा का बन्द प्रकरण

49. श्री हेमन्त कुमार (डीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान लघु उद्योग निगम की शाखा वर्ष 1972 से 1982 तक बाइस गोदाम में फर्नीचर मैकिंग सेन्टर के नाम से स्थापित की थी? यदि हां, तो उक्त सेन्टर में कितने कर्मचारी कार्यरत थे? सूची मय पिता के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त सेन्टर कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो उसे कब एवं किस कारण से बन्द किया गया एवं उस समय कौन-कौन कर्मी किस-किस पद पर कार्यरत थे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों द्वारा न्यायालय में वाद भी दायर किया है? यदि हां, तो क्यों तथा न्यायालय में उसमें क्या निर्णय दिया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सेन्टर में कार्यरत कर्मियों का (पी.एफ.) भविष्य निधि भी काटा गया था? यदि हां, तो किस-किस का कब से कब तक कितना-कितना? पी.एफ. राशि मय पी.एफ. खाता संख्या के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमन्त कुमार)

(5) क्या उक्त कर्मियों की उक्त राशि लौटाई जा चुकी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त सेन्टर के कर्मियों की पी.एफ. राशि लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इस केन्द्र का पुराना रिकार्ड निस्तारित (बीडआउट) किया जा चुका है, इसलिये विस्तृत सूची दिया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी उपदान (ग्रेच्यूटी) के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर केवल 32 कर्मचारियों के नाम उपलब्ध हुए है, जिनकी सूची (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) जी, हां। क्योंकि उक्त इकाई निरन्तर घाटे में चल रही थी, अतः राजकीय उपक्रम समिति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार की अनुमति से इसे दिनांक 1.7.1983 से बंद कर दिया गया था। कार्यरत कर्मचारी कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल कामगार थे। रिकार्ड की अनुपलब्धता के कारण इस समय कौन-कौन कर्मी किस-किस पद पर कार्यरत थे के बारे में जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

(3) यह सही है कि कर्मियों द्वारा न्यायालय में सेवा से पृथक करने के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसका फैसला निगम के पक्ष में हुआ।

(4) तत्कालीन फर्नीचर मैकिंग सेन्टर निगम की एक स्वतंत्र इकाई थी। जिसका पी.एफ. कोड नं. सं. आर. जे/715 अलग से था और वहां कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान नियमानुसार उनके वेतन से काट कर सीधे भविष्य निधि विभाग में जमा होता था। जिसकी विस्तृत सूचना निगम के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इकाई पूर्णतः बंद हो जाने के पश्चात् अत्याधिक अवधि व्यतीत हो जाने के कारण रिकार्ड को निस्तारित कर दिया गया है।

(5) फर्नीचर मैकिंग सेन्टर द्वारा भविष्य निधि की राशि क्षेत्रीय कन्ट्रीब्यूटरी भविष्य निधि विभाग में सीधे जमा होती थी और उन्हीं के द्वारा सीधे कर्मचारियों को भुगतान किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

डेरेवाल इण्डस्ट्रीज आमेर रोड जयपुर को आबंटित भूमि

50. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में लघु उद्योग इकाइयों का पंजीकरण किन-किन शर्तों पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आमेर रोड स्थित सीतारामपुरी, जयपुर नगर निगम के वार्ड सं. 52 में डेरेवाला इण्डस्ट्रीज स्थापित है? यदि हां, तो उक्त इण्डस्ट्रीज क्या उत्पादन करती है?

(3) क्या उक्त इण्डस्ट्री जिस भवन में अपना काम करती है कि वह भवन उसका अपना है? यदि हां, तो उक्त भवन उक्त लघु उद्योग इकाई ने किससे, कब और कितनी राशि में खरीद किया तथा इसकी सीमा लम्बाई चौड़ाई व मिलकियत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(4) क्या डेरेवाला इण्डस्ट्रीज किराये के भवन से स्थापित है? यदि हां, तो भवन मालिक कौन हैं? उक्त भवन लघु उद्योग इकाई ने कितने रुपये किराये, लीज या लाइसेंस पर ले रखा है? भवन मालिक का नाम, पिता का नाम-पता व जिस राशि पर किराये लीज या लाइसेंस पर ले रखा है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त लघु उद्योग इकाई को किसी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस क्षेत्र में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में लघु उद्योग इकाइयों का पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा स्थाई पंजीयन सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चैकलिस्ट निर्धारित की गई है, जिसकी पूर्ति होने पर लघु उद्योग इकाई का स्थायी पंजीयन किया जाता है। चैक लिस्ट की प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। आमेर रोड स्थित सीतारामपुरी, जयपुर नगर निगम के वार्ड सं. 52 में डेरेवाला इण्डस्ट्रीज स्थापित है तथा इकाई स्टील फर्नीचर का उत्पादन करती है।

(3) जी, नहीं। उक्त इण्डस्ट्रीज जिस भवन में अपना काम करती है, वह भवन उनका अपना नहीं, बल्कि किराये का है।

(4) जी, हां। डेरेवाला इण्डस्ट्रीज जिस किराये के भवन/स्थान में स्थापित है, उस भवन स्थान का मालिक श्री राधेश्याम माली पुत्र श्री पन्नालाल माली है। उक्त भवन इकाइ ने राशि रुपये 1100/-(रुपये एक हजार एक सौ मात्र) प्रति माह किराये पर ले रखा है तथा भवन मालिक का नाम श्री राधेश्याम माली पुत्र श्री पन्ना लाल माली, सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर है। किरायानामा दि. 8.8.1992 की छाया प्रति संलग्न है।

(5) जी, नहीं। मै. डेरेवाला इण्डस्ट्रीज को किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटित नहीं है।

(चैक लिस्ट प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला नागौर के नगरपालिका क्षेत्र में निर्मित दुकानें

51. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण करवाया जाकर जिन लोगों को आबंटित की जा रही है उन्हें शहरी क्षेत्रों में भूमि नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? उक्त भूमि किन नियमों के अन्तर्गत दी जा रही है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत जिला नागौर के किस-किस नगरपालिका क्षेत्र में कितनी-कितनी दुकानों का आबंटन कितने-कितने लोगों को किया जा चुका है?

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत दुकानों का आबंटन करने के बाद किस-किस नगरपालिका क्षेत्र में कितनी-कितनी दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व कितनी-

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

कितनी दुकानों का उपयोग आबंटनधारियों ने चालू कर दिया है ?

उत्तर

(1) जी, हां। मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्क हेतु भूमि निकायों द्वारा 10 वर्ष की लीज पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, दिशा-निर्देशानुसार आबंटित की जा रही है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नागौर जिले की नगरपालिका क्षेत्र में लोगों को आबंटित कियोस्क विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम न.पा	कियोस्क संख्या
1.	कुचरा	शून्य
2.	डीडवाना	37
3.	नावां	25
4.	मकराना	शून्य
5.	मूण्डवा	26
6.	नागौर	403
7.	कुचामनसिटी	40
8.	लाडनूं	117
9.	मेड़तासिटी	100
10.	परबतसर	35
		883

(3) उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न नगर पालिका क्षेत्र में आबंटित दुकानों के निर्माण कार्य व आबंटियों द्वारा दुकानों का उपयोग कर चालू करने का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम न. पा.	कुल आबंटन	निर्माण की स्थिति	आबंटियों द्वारा उपयोग की संख्या
1.	कुचरा	शून्य	—	—
2.	डीडवाना	37	निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।	
3.	नावां	25	2	2
4.	मकराना	शून्य	—	—
5.	नागौर	403	28	—
6.	मूण्डवा	26	आबंटियों द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने से कब्जा सुपुर्दगी नहीं की गई है।	
7.	कुचामन	40	कब्जा सुपुर्दगी जारी है।	
8.	लाडनूं	117	किसी भी आबंटी द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया।	
9.	मेड़ता सिटी	100	किसी भी आबंटी ने आबंटित भूखण्ड पर दुकानों का निर्माण कार्य चालू नहीं किया है।	
10.	परबतसर	35	गुमटियां पालिका को प्राप्त न होने से दुकानें नहीं सम्भलाई गई है।	

(आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्याधर नगर जयपुर में संचालित दुग्ध डेयरियों का सर्वे

52. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर नगर निगम सीमा में से दुग्ध डेयरियों को हटा रही है? यदि हां, तो कब से और उक्त डेयरियों को कहां-कहां बसाया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा सर्वे भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस तिथि से किस तिथि तक? उक्त सर्वे टीम में किस स्तर के कौन-कौन अधिकारी शामिल थे? क्या पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक संघों के प्रतिनिधि भी उक्त सर्वे के समय अध्ययन टीम के साथ मौके पर गये थे? यदि हां, तो कौन-कौन?

(3) उक्त सर्वे टीम द्वारा विद्याधर नगर क्षेत्र का दौरा किस-किस तिथि को किया गया एवं विद्याधर नगर क्षेत्र में किस-किस दुग्ध डेयरी का सर्वे किया गया और उक्त में कितने पशु पाये गये? डेयरी मालिक का नाम पशुओं की संख्या एवं मकान नं. सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त डेयरियों को जयपुर शहर से हटाने के लिए किस-किस जगह पर कितनी-कितनी भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है एवं वहां पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावेगी?

(5) क्या सभी दुग्ध डेयरियों को एक साथ ही हटा दिया जावेगा या अलग-अलग चरणों में हटाया जावेगा? सर्व प्रथम किस-किस क्षेत्र की डेयरियों को हटाया जायेगा?

(6) क्या यह सही है कि उक्त सर्वे टीम द्वारा ऐसी डेयरियों को भी शामिल किया गया है जिनके मौके पर सत्यापन ही नहीं किया गया और गलत ढंग से उच्चाधिकारियों के दबाव के कारण सर्वे सूची में नाम लिख दिया गया? यदि हां, तो क्यों एवं किस अधिकारी के दबाव के कारण? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। नगर निगम, जयपुर सीमा में से डेयरियों को 31 दिसम्बर, 2001 तक हटाया जाना प्रस्तावित है। उक्त डेयरियों को रमल्यावाला, तहसील आमेर, हरचन्दपुरा, तहसील बस्सी एवं सूरपुरा तहसील सांगानेर में बसाया जायेगा।

(2) जी, हां, जयपुर नगर निगम सीमा में स्वेच्छा से डेयरी स्थानान्तरण हेतु प्राप्त डेयरी संचालकों के आवेदन पत्रों में दर्ज ब्यौरों का मौके पर दिनांक 9.7.2001 से 10.8.2001 तक सत्यापन किया गया। उक्त टीम में पशुजन स्वास्थ्य अधिकारी, के नेतृत्व में निगम के श्री रामस्वरूप मीणा राजस्व निरीक्षक, श्री मोईनुद्दीन पशुजन निरीक्षक, शामिल थे। इस सर्वे के समय सत्यापन के समय पर मौके पर पशुपालन व दुग्ध उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों में संयोजक श्री रमेश कपूर, सचिव, श्री सुरेश कुमावत व तीनों संघों के अध्यक्ष व अन्य श्री मुरलीधर यादव, बंसीराम गुर्जर, तेज पाल सिंह, भगवान सहाय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

चौधरी, मदन लाल यादव, श्री रामचन्द्र यादव व श्री लक्ष्मीनारायण यादव शामिल थे।

(3) सर्वे टीम द्वारा विद्याधर नगर क्षेत्र का सर्वे जुलाई 2000 में किया गया। विवरण संलग्न है।

(4) वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण भूमि पर ही योजना तैयार की गई है। आवश्यकतानुसार अधिग्रहण हेतु भूमि चिन्हित की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा सड़क, पानी एवं बिजली के विकास कार्य करवाये जाने हैं।

(5) जी, नहीं। चरणबद्ध तरीके से इन्हें हटाने की कार्यवाही नगर निगम, जयपुर द्वारा की जा रही है।

(6) जी, नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगरपालिकाओं में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

53. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की नगरपालिकाओं में कार्यकारी अधिकारी तहसीलदार के ग्रेड एवं योग्यता के समान भी नहीं होते?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिकाओं में सक्षम अधिकारी नहीं होने से नगरपालिकाओं का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यकारी अधिकारियों को तहसीलदार स्तर का बना कर नगरपालिकाओं का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये उचित कदम उठायेंगी? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। नगरपालिकाओं में सक्षम अधिकारियों द्वारा ही कार्य किया जाता है, जो सुचारू रूप से नगरपालिकाओं के कार्य निष्पादित करते हैं।

(3) नगरपालिकाओं का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

बास बदनपुरा ईदगाह कच्ची बस्ती जयपुर में सीवरेज लाइन

54. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बास बदनपुरा ईदगाह कच्ची बस्ती जयपुर व उसके आस-पास का क्षेत्र भी हैरिटेज सिटी की विकासीय योजना में शामिल है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की भांति सीवरेज लाइन, सड़कों की नालियां, पार्कों आदि का विकासीय कार्य सम्पन्न क्यों नहीं किया जा रहा है?

(2) क्या जयपुर शहर सिटी के उत्तर भाग में आने वाली कालोनी बस्तियों को सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(श्री ललित भाटी)

(3) जयपुर सिटी के उत्तरी भाग में सीवर लाइन डाले जाने का कार्य किन-किन कालोनियों में चल रहा है? उक्त बस्तियों/कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शहर की ईदगाह कच्ची बस्ती जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से अनुमोदित एवं स्वीकृत है?

(5) क्या यह भी सही है कि ईदगाह कच्ची बस्ती, वन बिहार कालोनी, करीम कालोनी, बास बदनपुरा की सफाई हेतु नगर निगम, जयपुर ने दैनिक सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नहीं लगा रखे, जिस कारण यहां के निवासी नारकीय जीवन जी रहे हैं? क्या सफाई कर्मचारी लगा रखे है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों? क्या श्री सिराज मोहम्मद खान एडवोकेट के द्वारा बास बदनपुरा व ईदगाह बस्ती को सीवर लाइन से जोड़ने एवं नालियां, सड़कों के निर्माण हेतु दो माह का नोटिस दिनांक 5.10.2001 को दिया गया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। निम्न बस्तियों को सीवर लाइन से जोड़ा गया है :—

1. नागतलाई कच्ची बस्ती

2. गोवर्धनपुरी कच्ची बस्ती

3. सैयद कालोनी, जैरकोट वार्ड-51

4. रावलजी का बाग, वार्ड-55

5. मोहल्ला कसाईयान जैरकोट वार्ड सं.-55

(3) जी, नहीं। वर्तमान में जयपुर सिटी के उत्तरी भाग में सीवर लाइन नहीं डाली जा रही है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। स्थाई स्टाफ कर्मचारियों की कमी के कारण दैनिक सफाई हेतु सफाई कर्मचारी नहीं लगा रखे है, फिर भी समय-समय पर एवं त्यौहारों एवं अन्य समारोहों पर सभी वर्णित बस्तियों में सफाई करवाई जाती है एवं एकत्रित हुए कचरे को ठेकेदार के माध्यम से उठवा दिया जाता है। अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में बास बदनपुरा एवं ईदगाह कच्ची बस्ती में सीवर लाइन डालने का कार्य एडी.बी. प्रोजेक्ट में करवाया जाना प्रस्तावित है। ईदगाह कच्ची बस्ती में सड़क निर्माण हेतु कार्य आदेश रुपया 4,45,887/- का दिया जा चुका है। नालियों के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

अध्यक्ष नगर विकास न्यास, अलवर के भवन का किराया

55. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश के अनुसार वर्तमान नगर विकास

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

न्यास अध्यक्ष, अलवर द्वारा उपयोग में लाये जा रहे भवन का किराया नियमानुसार अध्यक्ष से वसूल किया जावेगा ?

(2) यदि हां, तो नियमानुसार किराये की कितनी राशि प्रति माह निर्धारित हुई है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि सरकार के आदेशानुसार वर्तमान न्यास अध्यक्ष द्वारा उपयोग में लाये जा रहे भवन का किराया नियमानुसार अध्यक्ष से वसूल किया जावेगा।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसके निर्धारण कराने के निर्देश दिये गये हैं। अभी निर्धारण नहीं हुआ है।

नगरपालिका बाड़ी क्षेत्र में सफाई कर्मियों की कमी

56. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के शहर में वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 में किन सड़कों की मरम्मत नगरपालिका व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय करके की गई और कितनी किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण करवाया गया ?

(2) क्या नगरपालिका बाड़ी शहर द्वारा सड़कों के रख-रखाव व नई सड़कों हेतु कोई भी राशि गत दो वर्षों में व्यय नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़ी की विषम परिस्थितियों को देखते हुए विशेष राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त नगरपालिका की विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत सड़क नाले, कच्ची बस्ती उन्मूलन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई तथा उक्त में से कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका में सफाई कर्मियों की कमी है ? क्या पूर्व में 25 अस्थाई कर्मचारी सुविधा के आधार पर नियुक्त किए थे ? क्या वर्तमान में सफाई कर्मियों को हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक नगरपालिका, बाड़ी द्वारा सड़कों की मरम्मत पर 74,491/- रुपये की राशि व्यय की गई। विवरण संलग्न है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस अवधि में कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(2) जी, नहीं। नगरपालिका, बाड़ी द्वारा नई सड़कों के निर्माण पर 45,53,126/- रुपये गत दो वर्षों में व्यय किये गये।

(3) नगरपालिका, बाड़ी को विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत सड़कें नाले, कच्ची बस्ती, उन्मूलन हेतु गत दो वर्षों में कुल 24,30,000/-रुपये आबंटित हुए। उक्त प्राप्त राशि में से कार्यों पर 4,71,434/- रुपये की राशि ही व्यय की गयी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी, हां। पूर्व में संविदा के आधार पर एक माह के लिये 25 अस्थाई रूप से रखे गये सफाई कर्मचारियों को पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हटा दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नेमीसागर योजना जयपुर का नियमन

57. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जयपुर शहर में बसी हुई कालोनियों के नियमन हेतु शिविर लगाये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है? यदि हां, तो निकट भविष्य में नियमन शिविर लगाये जाने वाली कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत उनकी सदस्यता सूची में नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही निर्धारित शुल्क लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की नेमीसागर योजना के सदस्यों के नाम प्रतिस्थापन पश्चात् अद्यतन सूची मय पते एवं भू-खण्ड संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर शहर में बसी हुई गृह निर्माण सहकारी समिति की कालोनियों के नियमन शिविर लगाये जाने की प्रक्रिया जारी है। निकट भविष्य में शिविर लगाये जाने वाली कालोनियों के नियमन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी, हां। तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति योजना नेमीसागर के सदस्यों की समिति द्वारा वर्ष 1999 में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत सूची के अनुसार नियमानुसार जेडीए में शुल्क जमा कराकर नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की गई है। समिति द्वारा अपनी सूची में भू-खण्डधारी का नाम पिता का नाम व भू-खण्ड संख्या अंकित किया गया है उनके पते अंकित किये हुये नहीं है। अन्य समिति द्वारा भी पते सूची में नहीं दिये जाते हैं। इसलिये पते उपलब्ध तभी हो सकते है, जब उक्त योजना का नियमन शिविर लगाया जावे तथा शिविर में लीज डीड/पट्टा जारी करने पर जोन द्वारा नाम/पते फार्म पर भरवाये जाते हैं। उक्त योजना का भी नियमन शिविर जेडीए द्वारा नहीं लगाया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में निम्नांकित भूखण्ड संख्या के प्रति नियमानुसार शुल्क जमा कर नाम हस्तान्तरण किये है। भूखण्ड संख्या–4, 6, 15, 59, 60, 64, 65, 90, 112, 116, 145, 146, 152, 169, 179, 180, 191, 192, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 210, 221, 286, 299, 302, 303, 328, 329, 331, 332, 356, 357, 358, 376, 377, 378, 405, 414, 422, 448, 464, 511, 519, 541,

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

542 कुल 49 भूखण्ड। उक्त नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही वर्ष 1999 में सूची प्रस्तुत के बाद आज तक की गई है समिति द्वारा प्रस्तुत तथा प्रतिस्थापन की छाया प्रति की सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आवासन बोर्ड के निर्मित मकानों पर प्रतिबन्ध

58. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा सहित राज्य में हाउसिंग बोर्ड के मकान आबंटित करने पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कब-कब से? प्रतिबन्ध के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्माणाधीन मकानों के आबंटित नहीं होने से एक तरफ उपभोक्ताओं पर ब्याज की मार व दूसरी तरफ विभाग पर समय से आबंटन नहीं होने पर आर्थिक नुकसान होने के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या सरकार राज्य में आवासन मण्डल के मकानों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार के आदेशानुसार कोटा शहर को छोड़कर राजस्थान में अन्य किसी शहर में मकानों के आबंटन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोटा शहर में मकानों के आबंटन हेतु राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक प.7(3)नविवि/3/2000, दिनांक 7.9.2000 एवं दिनांक 12.9.2000 के द्वारा आबंटन पर प्रतिबंध लगा रखा है। राज्य सरकार के उक्त आदेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) आवासन मण्डल का कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है तथा मकान खाली पड़े हैं इसलिये उनका कोई उपभोक्ता उपयोग में नहीं ले रहा है।

(3) यह प्रकरण राज्य सरकार में विचाराधीन है।

(आदेशों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

हवामहल बाजार/चौड़ा रास्ता जयपुर का बरामदा प्रकरण

59. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में आपरेशन पिंक के दौरान किन-किन बाजारों को हैरिटेज सिटी के रूप में विकसित किये जाने की योजना प्रस्तावित थी तथा किन-किन बाजारों एवं बरामदों को विकसित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से जैसे हवामहल बाजार/चौड़ा रास्ता जहां दुकानों के आगे बरामदे व इकढालिया नहीं हैं व असमानता रखे हुए हैं तथा जिन्हें आपरेशन पिंक के दौरान तोड़ दिये गये हैं, उन्हें भी विकसित

(श्री जगमाल सिंह यादव)

करने का क्या सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या योजना प्रस्तावित है? तथा इसके कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में आपरेशन पिंक के दौरान हैरिटेज सिटी के रूप में चांदपोल बाजार, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, बापू बाजार, रामगंज बाजार तथा घाटगेट बाजार को विकसित किये जाने की योजना प्रस्तावित थी। वर्णित सभी बाजारों एवं बरामदों को विकसित किया जा चुका है।

(2) आपरेशन पिंक के दौरान हवामहल बाजार/चौड़ा रास्ता में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है।

जयपुर की प्रस्तावित लोहा मण्डी हेतु अवाप्त भूमि

60. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोहा मण्डी हेतु भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और किस-किस काश्तकार की किस-किस खसरा नम्बर की? विवरण रकबा व प्रस्तावित नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवाप्त भूमि में कितने भूखण्ड आबंटित किए जाने प्रस्तावित हैं? उक्त आबंटन कब एवं किस दर व किस प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लोहा मण्डी में आने जाने हेतु कौन-कौन से सड़क मार्ग होंगे और उनको मुख्य सड़क से कहां से जोड़ा जावेगा? क्या आपणा गांव होटल के सामने से भी मार्ग होगा? यदि हां, तो कितने फुट चौड़ा। क्या उक्त निर्माण कार्य में कोई बाधा आ रही है? उक्त समस्या का समाधान कब तक करके सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, लोहा मण्डी हेतु ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर में भूमि अवाप्ति की जा रही है। खातेदार से कुल 31.12 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जा रही है।

कृषकवार खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। नक्शे की प्रति भी संलग्न है।

(2) लोहा मण्डी योजना में व्यावसायिक 399 भू-खण्ड एवं आवासीय 121 भू-खण्ड, इस प्रकार कुल 520 भू-खण्ड योजना में प्रस्तावित है। उक्त भूमि में से स्टील मर्चेन्ट एसोसिएशन जयपुर के सदस्यों को व्यावसायिक भू-खण्ड तथा जिन काश्तकारों से भूमि अवाप्त की गई है तथा जिन्होंने समझौते के रूप में 15 प्रतिशत विकसित भूमि के बदले अवाप्तधीन भूमि का समर्पण प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिया है।

उन्हें आवासीय भूखण्ड आबंटित किये जाने प्रस्तावित है, आबंटन की प्रक्रिया चल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रही है। अभी तक 100 लोहा व्यापारियों स्टील मर्चेन्ट एसोसिएशन के माध्यम से व्यावसायिक भू-खण्ड आबंटित किये जा चुके हैं तथा 61 लौहा व्यापारियों को व्यावसायिक भू-खण्ड आबंटन करने हेतु स्टील मर्चेन्ट एसोसिएशन के माध्यम से और प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये है। जिन्हें भू-खण्ड आबंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार जिन काश्तकारों ने 15 प्रतिशत विकसित भू-खण्ड के बदले अवाप्तधीन भूमि कर दी है उन्हें भी शीघ्र नियमानुसार आवासीय भू-खण्ड आबंटन करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जावेगी।

यह सभी आबंटन स्टील मर्चेन्ट एसोसिएशन के लोहा व्यवसाय करने वाले सदस्यों को उनके एसोसिएशन के मार्फत किये गये सर्वप्रथम व्यावसायिक भू-खण्ड हेतु 895/- रुपये वर्ग गज की दर से सितम्बर 2000 में स्टील मर्चेन्ट एसोसिएशन के सदस्यों को भू-खण्ड आबंटन करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव की पालना में एसोसिएशन के 94 सदस्य आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा इन 94 सदस्यों ने इसी दर पर भू-खण्ड आबंटन कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7.3.2001 को इस योजना में आबंटन दर संशोधित कर 1195/- रुपये वर्ग गज की दर तय कर दी है। वह इस दर पर अब 6 सदस्यों को व्यावसायिक भू-खण्ड आबंटन कर दिया गया है। तथा 61 सदस्यों की प्रार्थना पत्र आबंटन हेतु और प्राप्त हुये हैं जिनको आबंटन की प्रक्रिया जारी है।

(3) लोहा मण्डी योजना को निम्न सड़कों द्वारा मुख्य मार्गों से जोड़ा जावेगा :

1- लोहा मण्डी को मुख्य सीकर रोड (एन.एच.11) से एक 30 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क से वाया ग्राम माचेड़ा होते हुये जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

2- लोहा मण्डी योजना को जोन सी-1 बाइपास से 24 मीटर प्रस्तावित सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

3- होटल अपना गांव के सामने 80 फीट चौड़ा मार्ग होगा व इसके निर्माण व कार्य में कोई बाधा नहीं है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। नक्शे की प्रति भी संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कुचामनसिटी में इकरारनामे पर आधारित कब्जों का नियमन

61. श्री हरिश चन्द कुमावत (नावां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के आदेश क्रमांक प.5 (3) न. वि. वि/3/99 दिनांक 10.7.1999 के अनुसार नियमन का आधार विक्रय पत्र या इकरारनामा पर आधारित कब्जा माना गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नवीन व्यवस्था के अनुसार कृषि भूमि को अकृषि भूमि में उपयोग के लिये लेने हेतु उक्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि सर्वप्रथम प्राधिकारी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर उक्त भूमि को

(श्री हरिश चन्द कुमावत)

सिवाय चक घोषित करते हुये उसका इन्द्राज सम्बन्धित स्थानीय निकाय के नाम से करेगा तत्पश्चात् स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दरों के अनुसार नियमन राशि वसूल कर उसका पट्टा जारी किया जावेगा तथा उक्त पट्टा स्टाम्प ड्यूटी के साथ पंजीयन कराया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी के अतिरिक्त तहसील कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं को यह कहा जा रहा है कि जिन भूमियों का बेचान व कब्जा इकरारनामे पर हुआ है, व बेचान व कब्जा विधिवत रूप से मान्य नहीं है तथा स्थानीय निकाय द्वारा इकरारनामे के अनुसार जो पट्टे पंजीयन कराये हैं उक्त पर रजिस्टरी के अभाव में दण्डनीय राशि वसूल की जावेगी ? क्या उक्त कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग जयपुर से जारी आदेशों के विपरीत नहीं होगी ? यदि हां, तो उसका निराकरण क्या है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है। इकरारनामे के आधार पर 90 बी की कार्यवाही की जा रही है। अतः राजस्व विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग से जारी आदेश के विरुद्ध कार्यवाही नहीं है।

डेगाना (नागौर) की टंगस्टन परियोजना की भूमि पर अतिक्रमण

62. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना (नागौर) की टंगस्टन परियोजना बंद कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत जो भूमि थी उस पर आज कल अतिक्रमण हो रहा है ? यदि हां, तो इसको रोकने हेतु सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस खनन पट्टे का प्रथम नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक 15.10.1998 को अस्वीकृत किया जाकर क्षेत्र का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 30.11.1998 को ले लिया गया है।

(2) जी, नहीं। विभाग द्वारा क्षेत्र की निगरानी हेतु चौकीदार नियुक्त कर रखा है।

ग्राम श्यामपुरा (जयपुर) में अनधिकृत क्रेशर द्वारा खनन

63. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में एक स्टोन क्रेशर मैसर्स कल्याण स्टोन गत 5 वर्षों से बिना किसी लीज अथवा अनुमति से चल रहा

(श्री फतेह सिंह)

था ? यदि हां, तो इसने उक्त दौरान कितना पत्थर उपयोग कर रोडी बनाई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्रेशर वाले के विरुद्ध खनिज अभियंता (सतर्कता) जयपुर ने अवैध खनन का पंचनामा बनाकर नोटिस दिया था ? यदि हां, तो क्या क्रेशर वाले से अवैध खनन किये माल की कीमत वसूल कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्रेशर वाले के विरुद्ध चल रही जांच में खनिज अभियंता (सतर्कता) की इससे मिलीभगत की शिकायत उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत क्या थी और उक्त पर क्या जांच व कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील बस्सी में खनिज चेजा पत्थर की कितनी लीजें स्वीकृत हैं ? गत पांच वर्षों में इनसे कितना उत्पादन निर्गमन हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अधिक अधिशुल्क वसूली का ठेका क्षेत्रवार दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त ठेकेदार उस सम्पूर्ण क्षेत्र से निकलने वाले जायज-नाजायज खनिज पर अधिशुल्क वसूल कर सकता है या उस क्षेत्र में विभाग कर सकता है या उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा दी गई लीज क्षेत्र से निकलने वाले खनिज से ही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त क्रेशर वाले ने जांच के दौरान विभाग को अधिक अधिशुल्क वसूली ठेकेदार की रसीदें पेश की है ? यदि हां, तो वे किन लीज क्षेत्रों से निकलने वाले कितने खनिज के लिये काटी गई है ? उक्त लीज क्षेत्रों का गत पांच वर्षों में क्या उत्पादन-निर्गमन हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि कार्यालय सहायक, अतिरिक्त निदेशक (ज्योलोजी) कार्यालय, जयपुर अपने सेवाकाल के दौरान गत 20-30 वर्षों से लगातार जयपुर शहर में ही पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो विभागीय नीति इस बारे में क्या है ? सेवाकाल के दौरान उक्त के विरुद्ध कब क्या शिकायतें प्राप्त हुई व उक्त पर कब क्या जांच व कार्यवाही की गई और अधिकारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्टों में इनके बारे में क्या कहा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर में एक स्टोन क्रेशर मैसर्स कल्याण स्टोन क्रेशिंग कम्पनी, श्यामपुरा के नाम से जिला उद्योग अधिकारी ग्रामीण, जयपुर के यहां रजिस्टर्ड है एवं उसी नाम से क्रेशर ग्राम में स्थित है। इस नाम से दिनांक 12.5.1995 के बाद से कोई खनन पट्टा प्रभावशील नहीं है। पिछले 5 वर्षों में पत्थर के उपयोग व उससे बनने वाली रोडी की मात्रा के अधिकृत क्रेशर आंकड़े खनिज विभाग में उपलब्ध नहीं है। फिर भी जो सूचना उपलब्ध हो सकी, वह प्रदर्श "अ" में दी जा रही है।

(2) जी, हां। दोषी क्रेशर मालिक को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। क्रेशर मालिक के विरुद्ध खनि अभियन्ता (सतर्कता),

(खनिज मंत्री)

खनि अभियंता, जयपुर एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच जारी है। कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही मांग कायम करने की कार्यवाही कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। खनिज अभियंता, सतर्कता के विरुद्ध शिकायत शासन को प्राप्त हुई है कि खनिज अभियंता, सतर्कता, जयपुर क्रेशर मालिक के विरुद्ध बनाये गये केस को रफा दफा करने में लगे हैं, जिसकी जांच हेतु अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर को लिखा गया था। अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर ने जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 29.10.2001 को भिजवा दी है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता का आरोप सही नहीं है। मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(4) तहसील बस्सी में खनिज चेजा पत्थर के 34 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। उक्त खनन पट्टों का गत पांच वर्षों में उत्पादन 82,629 टन व निर्गमन 84,623 टन हुआ।

(5) जी हां। अधिशुल्क वसूली के क्षेत्रवार ठेके कुछ क्षेत्रों में दिये गये हैं। ठेकेदार क्षेत्रवार दिये गये ठेके में स्थित खनन पट्टों में से निकले खनिज की स्थिर भाटक के अलावा अधिक अधिशुल्क वसूल कर सकता है।

(6) उक्त क्रेशर मालिक ने जांच के दौरान विभाग को जो विवरण दिया है, उसमें अधिक अधिशुल्क वसूली ठेकेदार की रसीदें भी हैं। रसीदों में किसी पट्टाधारी का नाम नहीं है। अतः किसी भी खनन पट्टाधारी के लीज क्षेत्र का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(7) यह सही है कि वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) कार्यालय में पदस्थापित कार्यालय सहायक पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से जयपुर शहर में पदस्थापित है किन्तु इस अवधि में उनका पदस्थापन जयपुर स्थित विभिन्न कार्यालयों में रहा है। इस सम्बन्ध में कोई विभागीय नीति निर्धारित नहीं है। उनके विरुद्ध पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त शिकायतों एवं कार्यवाही का विवरण प्रदर्श "ब" में दिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा भरे गये गोपनीय प्रतिवेदनों के सम्बन्धित सूचना/उत्तर विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अनुसार दिया जाना अपेक्षित नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम राजगढ़ (अजमेर) में मैसर्स कल्याणमल टांक द्वारा अनधिकृत खनन

64. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अजमेर में निकट ग्राम राजगढ़ तहसील नसीराबाद में एम.एल.नं. 17/70 मै. कल्याणमल टांक के नाम से स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि 22.2.1992 तक ही थी तथा उसके बाद लगभग 10 वर्ष पश्चात् भी इसका नवीनीकरण हुए बिना पट्टाधारी द्वारा निरन्तर खनन कार्य जारी है ?

(2) क्या डिले कंटीन्यूएशन के प्रावधान के अन्तर्गत विभाग विलम्ब से नवीनीकरण आवेदन स्वीकार कर सकता है? क्या वर्ष 1992-93 में भी यह प्रावधान था? यदि नहीं, तो कब से लागू हुआ? प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) क्या एस्बेस्टोस खनिज से जन स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है? क्या उक्त खनिज की नई लीज स्वीकृत नहीं की जाती है तथा धारित लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाता है?

(4) एम.एल.नं. 17/70 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान अथवा विभाग की जानकारी के अनुसार कितने पिटों अथवा खड्डों में प्रतिबन्धित खनिज एस्बेस्टोस उपलब्ध है तथा कितनी मात्रा में? प्रतिबन्धित खनिज की यह लीज क्या नवीनीकरण योग्य है अथवा पट्टाधारी द्वारा प्रतिबन्धित खनिज एस्बेस्टोस का अध्यर्पण कराने मात्र से उक्त लीज से उक्त खनिज की उपलब्धता समाप्त हो जायेगा?

(5) क्या एम.एल.नं.17/70 के पट्टाधारी द्वारा बिना नवीनीकरण वाली उक्त लीज में खनिज अधिनियमों का गम्भीर उल्लंघन किया गया जैसे कि खनन पट्टे से विभागीय स्वीकृति के बिना बहुमूल्य खनिज पन्ना का अवैध खनन, बिना विभागीय अनुमति के खनन पट्टों को किराये पर देना? यदि हां, तो सरकार ने पट्टाधारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

(6) क्या एम.एल.नं. 17/70 में स्थित खसरा नं. 4444 में खनिज पन्ने के अवैध खनन से एक पिट सुरंगों के कारण गम्भीर असुरक्षित हो गया है? खनिज पन्ने के अतिरिक्त इसमें और क्या खनिज उपलब्ध हैं? क्या उक्त पिट पर विभाग ने खान सुरक्षा अधिनियम की धारा 22 के कारण अथवा अन्य किसी कारण से खनन कार्य पर रोक लगाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या उक्त लीज से खनिज पन्ने की अवैध खनन से हुई हानि की वसूली की कार्यवाही पट्टाधारी से की जा रही है? सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है जिससे खनिज पन्ने के असुरक्षित पिटों से भविष्य में अनियमित अवैध खनन न हो सके?

(8) क्या उक्त एम.एल.नं.17/70 का निरस्त होना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस स्तर पर लम्बित है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि लीज कंटीन्यूएशन के प्रावधान के अन्तर्गत आवेदन पत्र लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी नियमानुसार स्वीकार किये जाते हैं। वर्ष 1992-93 में यह प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 27.9.1994 से लागू हुआ। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट "ए" संलग्न है।

(3) जी हां। एस्बेस्टोस खनिज के न तो नई लीज स्वीकृत की जाती है एवं न ही इस खनिज की लीज का नवीनीकरण किया जाता है।

(4) ख.प.17/70 में भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर के द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं विभाग की जानकारी अनुसार मुख्य पिट 21 है। प्रतिबन्धित खनिज की यह लीज एस्बेस्टोस खनिज हेतु नवीनीकरण योग्य नहीं है। पट्टाधारी द्वारा प्रतिबन्धित खनिज

(राज्य मंत्री, खनिज)

एस्बेस्टोस का अध्यपर्ण यदि किया जाता है तो भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा।

(5) पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे की बढ़ी हुई अवधि में कार्य करने से अधिनियम एवं नियमों का कोई उल्लघंन नहीं होता है। जहां तक खनिज पन्ना का खनन एवं पट्टाधारी द्वारा बिना अनुमति के खनन पट्टा किराये देने बाबत एक शिकायत दिनांक 8.10.2001 को प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है। शिकायत सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) यह सही है कि एम.एल.17/70 में स्थित खसरा नं. 4444 में खनन कार्य से एक पिट असुरक्षित हो गया है, जिससे खनिज एस्बेस्टोम, फैल्सपार, क्वार्टज, मायका निकलता है परन्तु खनिज एमरेल्ड की उपलब्धता की पुष्टि अभी नहीं हुई है। खनन पिट असुरक्षित होने की जानकारी विभाग को मिलने पर खनन कार्य तुरन्त बन्द करवाया गया एवं महानिदेशालय, खान सुरक्षा, भारत सरकार द्वारा भी खान अधिनियम 1952 की धारा 22(3) के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई।

(7) क्षेत्र में खनिज पन्ना के सम्भावित खनन की जांच कराई जा रही है। पन्ना निर्गमन की पुष्टि होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी जिस पिट में खनिज पन्ना निकलने की सम्भावना है उस पिट को बन्द करवाया गया है एवं समय-समय पर क्षेत्र की लगातार चौकसी की जा रही है।

(8) उक्त एम.एल.17/70 के नवीनीकरण आवेदन पत्र पर निर्णय नहीं हुआ है और प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(प्रावधान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गौरीर (झुंझुनूं) की नदी में अनधिकृत बजरी का दोहन

65. श्री रेवतराम पंवार (नोखा) एवं **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गौरीर, तहसील खेतड़ी में पूर्व निर्मित बांध के भराव की मुख्य कातली नदी की राजस्व सीमा में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन 400-500 ट्रक बजरी का दोहन किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त ग्राम बसई सिहोड, बेसरडा, टीबा, जमालपुर, इलाखर व मोडी में भी अनधिकृति बजरी का दोहन किया जा रहा है?

(2) उक्त अनधिकृत किये जा रहे बजरी के दोहन से प्रति वर्ष कितनी खनिज रायल्टी का घाटा हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कातली नदी की राजस्व सीमा में पूर्व में बजरी के दोहन हेतु सरकार द्वारा ठेका दिया गया था? यदि हां, तो वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक अधिकृत पट्टेदारों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(श्री रेवतराम पंवार)

(4) वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक कातली नदी की बजरी का दोहन से अधिकृत पट्टेदारों से सरकार को कितनी खनिज रायल्टी का राजस्व प्राप्त हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कातली नदी की सीमा में हो रहे बजरी के दोहन पर प्रतिबन्ध लगा कर इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्षेत्र गौरीर ढोसी, ठाठवारी, दूदवा, नागलियां, किशनुपरा आदि की राजस्व सीमा में खनिज बजरी की रायल्टी वसूली का ठेका रुपया 13,00,000/- वार्षिक पर अवधि 27.4.2001 से 31.3.2003 तक के लिये स्वीकृत है। ग्राम बसई, सियोर, बेसरदा, टीबा, जमालपुर, इलासर, मोड़ी, में भी खनिज बजरी का अनाधिकृत दोहन नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त ग्रामों का अधिशुल्क संग्रहण वसूली का ठेका रुपया 7,12,833/- वार्षिक पर अवधि 6.4.2000 से 5.4.2002 तक के लिये स्वीकृत है।

(2) उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा अधिशुल्क संग्रहण वसूली के ठेके प्रभाव में होने से विभाग को किसी भी प्रकार की रायल्टी का राजस्व घाटा नहीं हो रहा है।

(3) जी, हां। वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक के अधिकृत ठेकेदारों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(4) वर्ष 92-93 से 2001-2002 तक कातली नदी के बजरी के दोहन से अधिकृत ठेकेदारों से सरकार को रुपया 3, 51, 73, 062/- का राजस्व प्राप्त हुआ है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दिया गया है।

(5) जी नहीं, प्राप्त हो रही राजस्व आय को देखते हुए कातली नदी की सीमा में हो रहे बजरी के दोहन पर प्रतिबन्ध लगाने या संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील तिजारा (अलवर) में अवैध क्रेशर मशीनें

66. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में तहसील तिजारा के निकट हरियाणा-राजस्थान सीमा पर कितनी वैध/अवैध क्रेशर संचालित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वैध क्रेशर संचालित किये जाने से पूर्व सरकार से माइनिंग लीज, वन विभाग से रिजर्व फोरेस्ट एरिया, पर्यावरण विभाग से पर्यावरण सम्बन्धी तथा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उद्योग हेतु भूमि रूपान्तरित किये जाने का केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों/नियमों/उपनियमों में प्रावधान किया हुआ है ? क्या उक्त के उल्लंघन किये जाने पर कोई दण्डात्मक व्यवस्था कर रखी है ? विवरण सदन की मेज रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) वर्तमान में तहसील तिजारा, जिला अलवर में किन-किन व्यक्तियों को किस-किस नाम से वैध क्रेशर आबंटित कर रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा जिला अलवर में हरियाणा-राजस्थान सीमा पर राज्य के बाहरी हरियाणा प्रदेश के व्यक्तियों ने खनिज, वन विभाग एवं पुलिस की मिलीभगत से अवैध क्रेशर संचालित कर रखे हैं तथा वे अवैध खनन एवं पत्थर की पिसाई के कार्यों में लिप्त हैं? यदि हां, तो चिन्हित व्यक्तियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ने अवैध संचालित क्रेशरों के विरुद्ध पांच रुपये प्रति टन दर से तीन साल की एक करोड़ से भी अधिक रायल्टी राजस्व निकाल कर उन्हें नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? की गई कार्यवाही एवं नोटिस की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार तहसील तिजारा (हरियाणा-राजस्थान सीमा) में संचालित अवैध क्रेशरों को बन्द करने व बकाया राजस्व वसूली करने एवं अवैध धन्धे में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में तहसील-तिजारा के निकट हरियाणा-राजस्थान सीमा पर 10 क्रेशर्स संचालित हैं, जो उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर दर्शाई गई है।

(2) खनिज रियायती नियमों के अन्तर्गत स्टोन क्रेशर संचालन से पूर्व खान विभाग से खनन पट्टा आबंटन कराया जाना आवश्यक नहीं है। उद्योग हेतु भूमि रूपान्तरण/आबंटन के सम्बन्ध में (1) राजस्थान भू-राजस्व (उद्योग हेतु भूमि आबंटन) नियम 1959, (2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 1961 तथा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 1992 प्रचलित है। इन नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रश्न में वर्णित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही उद्योग हेतु भूमि रूपान्तरित की जाती है इनकी अनापत्ति के अभाव में रूपान्तरण आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। अर्थात् उल्लघंन का कोई प्रश्न ही उत्पन नहीं होता है और न ही उल्लघंन पर दण्डात्मक प्रावधान इन नियमों में है।

(3) वर्तमान में तहसील-तिजारा जिला-अलवर में स्थापित दस स्टोन क्रेशर्स की सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(4) जी, नहीं। सभी क्रेशर्स जिला उद्योग केन्द्र भिवाड़ी द्वारा पंजीकृत किये गये हैं। जहां तक अवैध खनन का प्रश्न है, थाना भिवाड़ी में 9, थाना टपूकड़ा में 3 व थाना तिजारा में 4 इस प्रकार कुल 16 प्राथमिकियां (एफ.आई.आर.) अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज की गई है, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ब" में दी गई है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(5) खान विभाग द्वारा तहसील तिजारा में हरियाणा-राजस्थान सीमा पर संचालित स्टोन क्रेशर यूनिटों को खनिज उपयोगिता का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने एवं रायल्टी भुगतान सत्यापित नहीं होने के कारण खनिज पत्थर की रुपये 5/-प्रति टन की दर से 10 गुणा रायल्टी 50/-रुपये प्रति टन की दर से वर्ष 99-2000 में खनिज विवरण परिशिष्ट "स" संलग्न है। नोटिसों की प्रतियां भी संलग्न है।

(6) वर्तमान में तहसील-तिजारा में हरियाणा-राजस्थान सीमा पर कोई अवैध क्रेशर स्थापित नहीं है। राज्य सरकार बकाया राजस्व वसूली करने का विचार रखती है एवं नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम राजपुरा (बून्दी) में प्राप्त खनिज आवेदन-पत्रों का निस्तारण

67. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम राजपुरा (बून्दी) की सीमा में खनिज लीज प्राप्त करने के लिए वर्ष 1995 से सितम्बर, 2001 तक की अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई खानों के मध्य गैप एरिया होते हुए भी इस हजार मीटर से अधिक क्षेत्र बताकर भी खनिज लीज का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है? आवेदित क्षेत्र के माप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कम एरिया को भी अधिक एरिया प्रदर्शित करके विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट बाबत जांच करवाई जावेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम-राजपुरा तहसील एवं जिला-बूंदी की सीमा में खनिज लीज प्राप्त करने के लिये वर्ष-1995 से सितम्बर, 2001 तक की अवधि में "312" प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनकी प्राप्ति तिथि, लीज नम्बर व आवेदकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। इस सम्बन्ध में जांच आवेदन पत्र के निस्तारण के पूर्व की जाती है।

(3) यदि कोई मामला अधिक एरिया प्रदर्शित करने सम्बन्धी पाया गया तो उसकी जांच करा ली जाएगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की प्रस्तावित पुलिस चौकी

68. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कहां-कहां पर नवीन पुलिस चौकी बनाये जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(2) क्या पुलिस थाना सायरा के अन्तर्गत ग्राम चित्रावास में चौकी की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो पुलिस चौकी कब तक स्थापित कर दी जायेगी। क्या उक्त सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

(3) क्या यह सही है कि थाना गोगुन्दा के अन्तर्गत काफी पुरानी कार्यरत चौकी सूरजगढ़ को हटा दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से? यदि नहीं, तो चौकी पर कार्यरत स्टाफ को कहां एवं क्यों लगाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या थाना गोगुन्दा के अन्तर्गत ग्राम नाल में कोई पृथक से चौकी कायम करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्रियान्वित कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पुलिस थाना सायरा के ग्राम चित्रावास में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 7.11.2000 द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुए, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। सूरजगढ़ स्थाई पुलिस चौकी है, लेकिन लूट, नकबजनी, पशु चौरी व चौरी के अपराधी मौजा नाल में रहते हैं, जो सायरा, गोगुन्दा तथा नाई पुलिस थानों के इलाकों में वारदातें करते हैं, इस कारण दि. 12.5.2001 को सूरजगढ़ चौकी के जाप्ता को अस्थाई तौर पर मौजा नाल में अपराधो की रोकथाम हेतु लगाया गया था, को अब पुनः इस जाप्ता को चौकी सूरजगढ़ पर लगा दिया गया है। वर्तमान में चौकी सूरजगढ़ पूर्ववत कार्यरत है।

(4) जी, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

थाना नगर-फोर्ट (टौंक) में दर्ज प्रकरण संख्या-85/2001

69. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5.10.2001 को थाना नगर फोर्ट, जिला टौंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-85/2001 ग्राम पंचायत सचिव बिलासपुर, पंचायत समिति उनियारा के द्वारा दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध और कौन सी धाराओं में। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि थाना अधिकारी नगर-फोर्ट टौंक द्वारा अभी तक उक्त सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त रिपोर्ट ग्राम पंचायत बिलासपुर की सरपंच के पति के विरुद्ध दर्ज कराई है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलेता, टौंक में पुस्तकालय अधिकारी है? यदि हां, तो कब

(श्री दिग्विजय सिंह)

से? अब उक्त मुलजिमों को कब तक गिरफ्तार किया जायेगा?

उत्तर

(1) अभियोग नं. 85/2001 अन्तर्गत धारा 332,353 भा.दं.सं. थाना नगर-फोर्ट पर श्रीमती लल्ली देवी सरपंच बिलासपुर व श्री बीरबल पुत्र श्री मोरपाल के विरुद्ध दर्ज हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) थानाधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है। अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान, मुस्तगीस का मेडिकल व घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। अनुसंधान जारी है।

(3) जी, हां। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सरपंच बिलासपुर के पति श्री बीरबल के विरुद्ध भी दर्ज कराई गई है।

(4) श्री बीरबल वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा में दि. 29.11.1999 से पुस्तकालय प्रभारी के पद पर पदस्थापित है। मामला अनुसंधानाधीन है।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जयपुर शहर में ठगी/अपहरण की वारदातों पर रोक

70. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में मार्च, 2000 से सितम्बर, 2001 में विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अपहरण व ठगी की कितनी वारदातें हुई? थानेवार दर्ज प्रकरणों की सूची मय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के एवं पकड़े गए अभियुक्तों की थानेवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बनीपार्क/सोडाला/मुरलीपुरा/मोतीडूंगरी/रामगंज/सदर/माणक चौक आदि में ऐसी वारदातों की पुनरावृति हुई है? यदि हां, तो पुलिस द्वारा ऐसी वारदातों को रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर के विभिन्न थानों में बालकों के साथ हुई ठगी/अपहरण आदि की वारदातों के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों में पुलिस द्वारा अभियुक्तों की पहचान हेतु कम्प्यूटर पर छाया चित्र बनवाये गये? यदि हां, तो किन-किन थानों में दर्ज प्रकरणों में उक्त कार्यवाही की गई और शेष प्रकरणों मे उक्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ठगी/अपहरण के सम्बन्ध में गत माह कुछ अपराधी शहर पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में गिरफ्तार किये गये? यदि हां, तो पकड़े गए अपराधियों के फोटोग्राफ क्या जयपुर शहर के विभिन्न थानों में भेजे गए? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पुलिस उक्त प्रकार के प्रकरणों की रोकथाम हेतु कोई विशेष टास्क फोर्स गठित कर तत्पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मार्च, 2000 से सितम्बर, 2001 तक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अपहरण की गयी एक व ठगी की एक कुल दो वारदातें हुई है, जिनका विवरण निम्नप्रकार है :

(अ) दिनांक 13.9.2001 का श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवासी रामनगर सोडाला ने थाना शिप्रापथ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दर्ज कराया कि उसकी बच्ची सुनीता उम्र 14 वर्ष जो केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 5 में पढ़ने गई थी, को कोई बहला फुसला कर ले गया है, इस पर मु.नं.210/2001 अन्तर्गत धारा 363, 366 ता.हि. कायम कर मुल्जिम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी वैशाली नगर को गिरफ्तार कर सुनीता को अदालत के आदेश से उसके पिता को सुपुर्द कर मुल्जिम के खिलाफ चालान दिनांक 11.10.2001 को अदालत में पेश किया गया।

(ब) दिनांक 13.9.2001 को श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल उम्र 50 वर्ष निवासी बजरंग कालोनी ने थाना सोडाला में एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 13.9.2001 को अज्ञात मुल्जिम उम्र 30-32 वर्ष ने उसके बच्चे मनीश को बाधाओं को दूर करने का झांसा देकर ज़ेवरात एक सोने की चैन-दो तोला, एक झुमका-डेड तोला, एक कड़ा-दो तोला, एक मंगलसूत्र-दो तोला घर से मंगवाये और नमक लाने की कही, जिस पर बच्चा नमक लाने चला गया अज्ञात व्यक्ति जेवरात लेकर फरार हो गया जिस पर अपराध संख्या-248/2001 अन्तर्गत धारा 420 भादस कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रयास के बावजूद भी अभी तक मुल्जिम का पता नहीं लगा है। अनुसंधान एवं तलाश मुल्जिम जारी है।

(2) पुनरावृति नहीं हुई है। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए विद्यालयों के आस-पास सादा वस्त्रों में जाप्ता तैनात किया जाता है तथा असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाती है।

(3) ऐसी वारदातों के लिए सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों में पुलिस द्वारा अभियुक्तों की पहचान हेतु कम्प्यूटर छाया चित्र नहीं बनवाये जाते हैं क्योंकि यह एमओबी प्रकरण नहीं है।

(4) जयपुर शहर में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। दक्षिण में अभियोग सं210/2001 थाना सोडाला में अभियुक्त जितेन्द्र सिंह जो लड़कियों को बहला फुसला कर ले गया को गिरफ्तार किया गया, जिसके फोटोग्राफ एमओबी प्रकरण नहीं होने के कारण नहीं लिये गये ना ही विभिन्न थानों पर भेजे गये।

(5) ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर अपराध गोष्ठी ली जाकर समस्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये जाते है व ऐसे सम्भावित क्षेत्र विद्यालयों में पुलिस बल द्वारा सादा वस्त्रों में असामाजिक तत्वों एवं ऐसे अपराधियों पर निगरानी की जा रही है।

पुलिस थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में मादक पदार्थों की तस्करी

71. **श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में कोई प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब गत पांच वर्षों में दर्ज उक्त प्रकरणों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की वारदातें बढ़ रही है?

(3) क्या सरकार उक्त मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु कोई कारगर उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या और कब तक?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना-प्रतापगढ़ में सितम्बर-1996 से 30 सितम्बर-2001 तक विगत पांच वर्षों में मादक पदार्थों के व्यापार के सम्बन्ध में कुल-51 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। जिनमें से 46 प्रकरणों में चालान, 1 प्रकरण में एफ.आर. तथा 4 प्रकरण अनुसंधानधीन हैं। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 92 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती होती है, तथा इस जिले से बाहर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई है। जिला चित्तौड़गढ़ में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1998 में 48, वर्ष 1999 में 43, वर्ष 2000 में 112 एवं वर्ष 2001 में माह सितम्बर तक 93 अभियोग पंजीबद्ध हुए है। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम में भी वर्ष 1998 में 106, वर्ष 1999 में 226 एवं वर्ष 2000 में 236, वर्ष 2001 सितम्बर तक 12 प्रकरण दर्ज हुए हैं। गत तीन वर्षों की मादक पदार्थों के दर्ज प्रकरणों की सूची अप-टू-डेट तालिका परिशिष्ट "स" में संलग्न है। पुलिस द्वारा तस्करों के विरुद्ध अधिक कारगर कार्यवाही के कारण प्रकरणों में वृद्धि हुई है।

(3) तस्करी की रोकथाम हेतु राजस्थान पुलिस की राज्य स्तर, रैंज स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित अपराध गोठियों में पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित किया जाकर उचित दिशा निर्देश दिये गये हैं जिनमें अनुरूप सघन अभियान के रूप में पुलिस अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिक से अधिक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो से भी कार्यवाही हेतु निरन्तर समन्वय रखा जा रहा है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा सम्भाग के थानों में दर्ज प्रकरण

72. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में कोटा सम्भाग के किस-किस जिले में किस-किस थानान्तर्गत साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं? उक्त घटना के संदर्भ में दर्ज प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त साम्प्रदायिक सद्‌भाव बिगाड़ने वाली घटनाएं जैसे पूजा स्थल को क्षति पहुंचाना, पूजा स्थल पर आपत्तिजनक सामग्री फैंकना, मूर्तियों को तोड़ना, गौ-माता की हत्या करना, जुलूस पर हमला करना या माताओं व बहनों से छेड़खानी की घटनाओं के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में वर्ष 1998 से अक्टूबर 2001 तक 2 साम्प्रदायिक घटनाएं घटित हुई है। दिनांक 14.9.2000 को कस्बा झालरापाटन जिला झालावाड़ में गुर्जर समाज व मुस्लिम समाज के बच्चों के मध्य क्रिकेट के मैदान में हुए झगड़े के सम्बन्ध में तीन अभियोग पंजीबद्ध किये गये। दूसरी घटना दिनांक 8.10.2001 को ग्राम बालाखेड़ा थाना अन्ता जिला बारां में बजरंगदल व विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा जलाभिषेक कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलूस मस्जिद के सामने से निकालने को लेकर हुये पथराव आदि पर तीन अभियोग पंजीबद्ध किये गये है। दर्ज अभियोगों का अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पूजा स्थल को क्षति पहुंचाने, पूजा स्थल पर आपत्तिजनक सामग्री फेंकने, मूर्तियां तोड़ना गो हत्या करना जुलूस पर हमला करना व महिलाओं से छेड़खानी के सम्बन्ध में कोटा सम्भाग में कुल 18 साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं घटित हुई जिनके सम्बन्ध में कुल 18 अभियोग पंजीबद्ध किये गये। दर्ज अभियोगों का घटनावार, अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

थाना आमेर (जयपुर) में दर्ज प्रकरण संख्या-347/2001

73. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के थाना आमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-347/2001 में हत्या की घटना में मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि नहीं तो कौन-कौन से अपराधी अब तक किस कारण से नहीं पकड़े गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 11.10.2001 को गृह मंत्री द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि फार्म के मालिक श्री ताराचन्द अजमेरा ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोग देने सहित अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने हेतु

(डा. किरोड़ी लाल)

आश्वस्त किया था? क्या अब खुद श्री अजमेरा प्रकरण को दबाने लगे हैं जो संदेह एवं षड़यन्त्र में लिप्त बताये जाते हैं? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या के प्रकरण मे समाज कल्याण विभाग एक लाख रुपये की नकद राशि का सहयोग देता है? यदि हां, तो क्या उक्त मृतक के परिवार को राशि दे दी गई है?

उत्तर

(1) यह सही है कि थाना आमेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 347/2001 में मुलजिम श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री भूरा राम जाति बलाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है।

(2) यह सही है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 11.10.2001 को माननीय गृह मंत्री द्वारा आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे। जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) अनुसंधान से यह तथ्य सत्य नहीं पाये गये।

(4) जी, हां। मृतक के परिवार को सहायता प्रदान नहीं की गई। क्योंकि यह प्रकरण एट्रोसिटी का नहीं है। प्रकरण में मुस्तगीस (मृतक) मीणा जाति का है तथा अभियुक्त बलाई जाति (एस.सी.) का है।

(निर्देशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला पुलिस बासंवाड़ा हेतु आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति

74. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस हेतु शस्त्रों व विशिष्ट उपकरणों की खरीद के लिए कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है?

(2) जिला पुलिस बांसवाड़ा के लिए कौन से शस्त्र व उपकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है?

(3) उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कब तक की जावेगी?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में शस्त्रों व विशिष्ट उपकरणों की खरीद के कुल 7,10,61,307/- रुपये के प्रस्ताव है।

(2) पुलिस अधीक्षक जिला बांसवाड़ा द्वारा निम्न शस्त्र एवं उपकरणों की मांग की गई है :—

1. 37/38 एम.एम.टीयरगैस गन-4
2. वैरी लाइंट पिस्टल-3

व

1. कैमरा स्टील-2 नग
2. विडियों कैमरा-2नग
3. टेप रिकार्डर-2नग
4. फोटों स्टेट मशीन-1नग

(गृह मंत्री)

5. इलैक्ट्रोनिक टाइन-2नग वगैराह।

(3) गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को हथियार/गोला बारूद की सलाना डिमाण्ड भेजी हुई है। सम्बन्धित आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों/डिपों से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

पदस्थापन की प्रतीक्षा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों पर व्यय

75. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में कितने अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 1.4.1999 से 30 सितम्बर, 2001 के मध्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में कार्यरत रहे? प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा कब से कब तक रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में कितना वेतन उक्त कर्मचारी/अधिकारियों को बिना काम के देना पड़ा?

(3) क्या लम्बे समय तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखना एवं दूसरी तरफ राज्य में पदों का रिक्त रहना सरकार उचित मानती है? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायी कौन है एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्तमान में वन विभाग में कोई अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं है। दिनांक 1.4.1999 से 30.9.2001 के दौरान विभिन्न अवधि में आदेशों की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों/कर्मचारियों सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतीक्षा अवधि के लिए 23.63 लाख रुपये राशि का भुगतान किया गया।

(3) भारत सरकार अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति से लौटाने पदों की कटौती होने, तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से अधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला जैसलमेर में विलायती बबूल के रोपण पर रोक

76. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)** : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में विभाग द्वारा कई क्षेत्रों में विलायती बबूल का रोपण किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि विलायती बबूल के फैलाव से कृषि भूमि को हानि हुई है?

(3) क्या यह सही है कि कई क्षेत्रों में विलायती बबूल को समाप्त करने का अभियान चला रखा है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(4) क्या सरकार नये क्षेत्र में विलायती बबूल के स्थान पर अन्य किस्म के पेड़ रोपण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग के द्वारा जैसलमेर जिले में विलायती बबूल के पौधों का रोपण नहीं किया जा रहा है।

(2) विलायती बबूल के फैलाव से कृषि भूमि को हानि होने की कोई जानकारी विभाग को नहीं है। काश्तकार स्वयं की जुताई के समय अपने खेतों से विलायती बबूल को हटाते रहते हैं जिस पर विभाग के द्वारा कोई रोक टोक नहीं की जाती है।

(3) विभाग के द्वारा अभ्यारण्य एवं घास के बीडों से विलायती बबूल के उन्मूलन की कार्यवाही की गई है ताकि इन क्षेत्रों में घास का उत्पादन प्रभावित न हो।

(4) विभाग के द्वारा जैसलमेर जिले में स्थानीय उपयोग के पौधे जैसे रोहेड़ा, खेजड़ी, बैर लगाये जाते हैं तथा चलायमान टीबों के स्थरीकरण हेतु इजरायली बबूल के पौधे रोपित किये जाते हैं तथा फोग, सोनामुखी आदि के बीजों की बुवाई की जाती है।

ग्राम रूपाहेड़ी, (जयपुर) में खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण

77. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 376 गैर मुमकिन पहाड़ सिवाय चक ग्राम रूपाहेड़ी, तहसील चाकसू जिला जयपुर में खनन कार्य हेतु अनापत्ति पत्र मण्डल वन अधिकारी जयपुर (पूर्व) ने अपने पत्र दिनांक 16.1.1990 द्वारा जारी की थी ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनापत्ति पत्र जारी करने के बाद विभाग द्वारा इसी गैर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया ? यदि हां, तो किस की अनुमति व आदेश से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनापत्ति प्रमाण जारी किये गये गैर वन क्षेत्र में उक्त प्रकार वृक्षारोपण करना कानूनी/व्यवहारिक दृष्टि से उचित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अनापत्ति धारक व्यक्ति ने विभाग के अधिकारियों को पत्र वर्ष 1990 व 1994 में तथा वकील के जरिये नोटिस वर्ष 1994 में देकर चेताया था कि उक्त क्षेत्र वर्ष 1974 से खनन क्षेत्र रहा है तथा अनापत्ति दी हुई है अतः वृक्षारोपण नहीं करें ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः उक्त क्षेत्र के लिए अनापत्ति जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील चाकसू के ग्राम रूपाहेड़ी का खसरा नं. 376 वन क्षेत्र नहीं होने सम्बन्धी पत्र दिनांक 16.1.1990 उप-वन संरक्षक, जयपुर (पूर्व) के द्वारा खनिज अभियन्ता जयपुर को लिखा गया था।

(2) श्री विष्णु कुमार कट्टा के द्वारा खनन लीज आबंटन हेतु दिनांक 5.4.1991 को खान विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर विचारोपरान्त राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.4.1993 के द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया तथा उन्हें कोई खनन लीज स्वीकृत नहीं हुई। तदोपरान्त ग्राम पंचायत रूपाहेड़ी कला तथा ग्रामवासियों के द्वारा 22.6.1993 को आवेदन प्रस्तुत कर मन्दिर के पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से उक्त पहाड़ी पर वृक्षारोपण कराने हेतु अनुरोध किया। उक्त अनुरोध पर विचार कर विभाग के द्वारा वर्ष 1994 में उक्त पहाड़ी पर वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया।

(3) वृक्षारोपण स्थानीय लोगों के आग्रह तथा मन्दिर के आसपास के पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से किया गया है जो सार्थक सिद्ध हुआ है। उक्त क्षेत्र में वर्ष 1990 में वन क्षेत्र न होने सम्बन्धी दी गई एन.ओ.सी. के सम्बन्ध में भी खान विभाग द्वारा कोई लीज स्वीकृत नहीं की गई। अतः कोई खनन कार्य न तो स्वीकृत हुआ तथा न ही वृक्षारोपण के समय हो रहा था, ऐसे में वृक्षारोपण करने की कार्यवाही अनुचित नहीं होने से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(4) प्रार्थी श्री विष्णु कुमार कट्टा के द्वारा इस क्षेत्र के लिये खनन लीज आबंटन हेतु दिनांक 5.4.1991 को प्रस्तुत आवेदन को विचारोपरान्त राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.4.1993 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अतः क्षेत्र के लिये कोई लीज स्वीकृत न होने से नोटिस पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं थी।

(5) खनिज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस क्षेत्र के लिये कोई खनिज लीज वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। उक्त वर्णित गैर मुमकिन पहाड़ पर 10 हैक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया हुआ है उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में खान आबंटन के लिये यदि खनिज विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

पंचायत समिति फागी की पंचायतों में नर्सरी पेड़ों की कटाई

78. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा नर्सरी तैयारी करके पंचायत को सौंपी जाती है? यदि हां, तो पंचायत को सौंपते समय क्या-क्या औपचारिकताएं की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले में नर्सरी पंचायत को सौंपने के बाद नर्सरी के पेड़ों को काटे जाने का मामला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रकाश में आया है? यदि हां, तो कहां का? क्या उक्त में किसी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारी द्वारा पंचायत पंचाला, सावा का बांस पंचायत समिति फागी की नर्सरी को दो वर्ष तक देखा ही नहीं गया? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर के आदेश के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त पेड़ों की कटाई से वन विभाग/पंचायत को कितनी हानि हुई तथा उक्त की भरपाई के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा पंचायत भूमि पर कराये गये वृक्षारोपण को पांच वर्ष बाद ग्राम पंचायत के संरपच को वृक्षों की गिनती कर सम्भलाये जाने तथा रसीदें प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है।

(2) जी, हां। जयपुर जिले में पंचायत समिति फागी की पंचायत पंचाला के गांव सावा के वास में वर्ष 1991 में कराये गये वृक्षारोपण में वृक्षों को काटे जाने का मामला प्रकाश में आया है। मौके की जांच कर, कटान के सम्बन्ध में समय पर उच्च अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के लिये क्षेत्रीय वन अधिकारी व प्रभारी वनरक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

(3) वृक्षारोपण सवा का वास, ग्राम पंचायत को दिनांक 6.2.1997 को सम्भलाया गया था। तत्पश्चात् वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत का था। वृक्षों के अवैध कटान के लिये दोषी संरपच के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर को भेजा गया है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा कटान पर नजर न रखे जाने तथा उच्च अधिकारियों को सूचित न किये जाने से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जिला कलक्टर जयपुर से दिनांक 13.6.2001 को जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 15.6.2001 को मौका मुआयना कर प्रकरण की जांच की गई। वृक्षों की सुरक्षा नहीं करने के लिये संरपच ग्राम पंचायत पंचाला को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया जिनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर को लिखा गया। अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई है।

(5) ग्राम वन सावा का बांस वृक्षारोपण में काटे गये 11015 वृक्षों के वृक्षारोपण पर वन विभाग द्वारा 1,84,408.55/- रुपये का व्यय किया गया। वृक्षारोपण पंचायत भूमि पर था तथा सुरक्षा का दायित्व सरपंच ग्राम पंचायत का था तथा वृक्षों को काटे जाने में उनका दोष रहा है। अतः नुकसान की भरपाई का निर्धारण पंचायत विभाग द्वारा किया जाना है।

राजस्थान राज्य सड़क निर्माण निगम में अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति

79. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कुछ ऐसे अभियंता हैं जो कि एक संस्थान से वापस आने के बाद नियमानुसार न्यूनतम एक वर्ष अपने पैतृक विभाग में कार्य करे बिना पुनः प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य सड़क निर्माण निगम में भेज दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में ही चार वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही वित्त विभाग की सहमति से एक कर्मचारी चार वर्ष की अवधि के बाद एक वर्ष और प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है ? यदि हां, तो राजस्थान राज्य सड़क निर्माण निगम में बिना वित्त विभाग की अनुमति से अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष के बाद भी क्यों जारी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति जारी रखे जाने हेतु चार वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति नहीं ली गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सड़क निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति हेतु अभियंताओं के पद सृजित करने अथवा प्रतिनियुक्ति का पद समाप्त करने से पूर्व निगम के संचालन मण्डल पूर्व स्वीकृति आवश्यक है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सामान्यतः प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित संस्थान से पत्र प्राप्त होने पर पत्र में उल्लेखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण में ऐसे कार्यरत अभियंताओं की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) चार वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी, नहीं। पद सृजित करने अथवा पद समाप्त करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति में निहित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

किशनगढ़ बाईपास (अजमेर) नेशनल हाइवे संख्या-8 पर जबरन टोल टैक्स वसूली

80. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में किशनगढ़ बाई पास पर नेशनल हाइवे रूट नम्बर-8 पर पुल निर्माण का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो किस कम्पनी द्वारा ?

(श्री रमेश खींची)

(2) उक्त पुल निर्माण के बदले में टोल टैक्स की वसूली कब तक की जानी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समय सीमा समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी भी टोल टैक्स की वसूली जारी है ? यदि हां, तो अब उक्त टोल टैक्स की वसूली कब तक खतम करवा दी जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल निर्माण की टोल टैक्स की वसूली नेशनल हाइवे नम्बर-8 पर एम.एस.के. प्रोजेक्ट (1) लि. कन्सेसनर द्वारा की जाती है ?

(5) उक्त वसूली में किन-किन विभागों/विशिष्ट व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों को छूट का प्रावधान है ?

(6) क्या यह सही है कि श्री हरीश भिण्डे नामक व्यक्ति उक्त टोल टैक्स पर कार्यरत है ? क्या उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में गुण्डागर्दी करने/ज़बरदस्ती रसीद से अधिक पैसा वसूली करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा और कब-कब ?

(7) क्या यह भी सही है कि दिनांक 11 जून, 2001 को एक विधायकों के अध्ययन दल की कार की टोल टैक्स रसीद संख्या 06/6237 एवं बुक नम्बर 005 दिनांक 11 जून, 2001 के द्वारा वसूला गया ?

(8) क्या उक्त व्यक्ति ने विधायकों के अध्ययन दल के साथ अभद्र व्यवहार किया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी श्री भिण्डे के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित आथोरिटी को अवगत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(9) अब उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर को कब तक निदेशित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली से सम्बन्धित है जो भारत सरकार का उपक्रम है एवं इस पर राज्य सरकार का नियन्त्रण नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

(6) उपरोक्तानुसार।

(7) उपरोक्तानुसार।

(8) उपरोक्तानुसार।

(9) उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर प्रस्तावित बाईपास

81. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर चालू वर्ष में कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य किये गये और क्या-क्या किये जाने हैं जिन पर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी व्यय की जानी है ?

(2) उक्त मार्ग पर अगले वित्तीय वर्ष में क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के प्रस्तावित है ?

(3) क्या उक्त मार्ग पर कुछ शहरों व गांवों में बाई पास भी बनाये जाने प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी लम्बाई के तथा कितनी-कितनी राशि के और किस-किस वर्ष बनाये जाने है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-65 पर चालू वर्ष में किये गये कार्यो पर अक्टूबर तक व्यय की गई राशि तथा सम्भावित व्यय राशि का वितरण कार्यवार परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त मार्ग पर अगले वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कोई नया कार्य अभी विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। उक्त मार्ग पर जोधपुर बाई पास बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लम्बाई 43.60 किलोमीटर है। जिसका तखनीमा भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा चुका है। राशि के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-8 पर आमेर के पास के मोड़ की समाप्ति

82. श्री अशोक (खण्डार) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं.8 पर नारद का बाग/आसन वाले बाबा के पास पहाड़ी मोड़ पर मुख्य आमेर रोड पर कुण्डा के व्यस्त बाजार/बस्ती में भारी वाहनों से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुख्य सड़क को पचास मीटर दूरी पर सीधा ही बाई पास में मिलाने के जयपुर विकास प्राधिकरण व स्थानीय जनता के प्रस्ताव/प्रार्थना-पत्र भी विभाग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त सड़क पर आये दिन हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार उक्त 50 मीटर सड़क को कब तक सीधे बाई पास में मिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1999 में 2, वर्ष 2000 में 8 एवं वर्ष 2001 में माह अक्टूबर तक 6 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुये है।

(3) वर्तमान में सड़क को बाई पास में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की सड़कों पर पेच वर्क

83. **श्री भाणजी भाई** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितनी सड़कों पर पेच वर्क कार्य किया तथा कितना कार्य बाकी है ?

(2) वर्ष 2001 में उक्त क्षेत्र में उक्त कार्य हेतु कितनी राशि आबंटित हुई ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 16 सड़कों पर पेच रिपेयर का कार्य किया गया एवं 26 सड़कों पर पेच रिपेयर किया जाना बाकी है।

(2) वर्ष 2001 में उक्त कार्य हेतु राशि का आबंटन राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। पेच रिपेयर का कार्य माह दिसम्बर मे चालू कराया जाना प्रस्तावित है।

जिला मुख्यालय जैसलमेर के राजकीय भवनों की मरम्मत

84. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर जो राजकीय भवन बने हुए हैं उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवनों की लागत पर ही मरम्मत की राशि प्रतिशत आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत होती है ?

(3) क्या यह सही है कि कई दानदाता तथा संस्थाएं राजकीय भवन निर्माण करवाती है जिन्हें विभाग में चार्ज में नहीं लिया जाता है ?

(4) जैसलमेर नगर जिला मुख्यालय पर कितने राजकीय भवन विभाग के चार्ज में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिला मुख्यालय भवनों हेतु गत तीन वर्षो में कितनी राशि स्वीकृत की गई है।

(6) क्या सरकार जिला मुख्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु प्राथमिकता के आधार पर राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सामान्यतया। परन्तु कई मामलों में सम्बन्धित विभाग अपने स्तर पर संधारण करता है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। परन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार कई भवनों को संधारण के लिये लिया भी जाता है।

(4) जैसलमेर नगर जिला पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के चार्ज में भवनों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) जैसलमेर जिला मुख्यालय पर भवनों हेतु गत तीन वर्षों में भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि निम्नानुसार है :

वर्ष 1998-1999	14.54 लाख
वर्ष 1999-2000	12.43 लाख
वर्ष 2000-2001	13.90 लाख

(6) जी, नहीं। क्योंकि संधारण के अन्तर्गत सभी भवनों की प्राथमिकता समान है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

मुण्डावर से अलवर (वाया पेहल) की अपूर्ण सड़क

85. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुण्डावर से अलवर सीधी सड़क वाया पेहल होकर जाती है? क्या उक्त सड़क अब तक अपूर्ण है? क्या उक्त सड़क पर एक किलोमीटर रेणागिरी से आगे मेवात योजना में बी.टी. सड़क स्वीकृत है तथा 4 किलोमीटर ग्रेवल सड़क विधायक कोटे से बनी है व पेहल से ततारपुर चौराहे तक की दूरी 5 किलोमीटर है? क्या उसमें से 2 किलोमीटर बी.टी. हो चुकी है? क्या उक्त रास्ते में एक पुलियां का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना में मंजूर किया है?

(2) क्या सरकार उक्त 7 किलोमीटर सड़क को बी.टी सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त सड़क अभी अपूर्ण है। उक्त सड़क पर एक किलोमीटर रेणागिरी से आगे मेवात योजना में बी.टी. सड़क स्वीकृत है। विधायक कोटे से बनने वाली ग्रेवल सड़क 4 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं पेहल के ततारपुर चौराहे तक की दूरी 7 किलोमीटर है, जिसमें 5 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम. है तथा 2 किलोमीटर में बी.टी. हो चुकी है। उक्त रास्ते पर बडली पुलिया का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत किया गया है।

(2) उपरोक्त सड़क जो कि एक मिसिंग लिंक है को बी.टी. से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

चौमूं रेनवाल सड़क से गदड़ी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

86. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में चौमूं रेनवाल सड़क से बनाई गई बागावास मोड़ से गदड़ी वाया जूनसिया इटावा-बधाल सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब से?

(2) बागावास मोड़ से गदड़ी तक की सड़क का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? उक्त सड़क के निर्माण के पश्चात् मरम्मत कब-कब कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिये राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी और कब?

(5) अब तक उक्त सड़क मरम्मत कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे? उक्त में कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और अब कब तक उक्त सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर जिले में चौमूं रेनवाल सड़क से बनाई गई बागावास मोड से गदडी (वाया जूनलिया इटावा-बधाल) सड़क चार वर्षों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

(2) निर्माण कार्य वर्ष 1984 से पूर्व कराया गया था। इस सड़क के नवीनीकरण का कार्य कि.मी. 1 से 2 वर्ष 1996 में, कि.मी. 3 का 87 में, कि.मी. 4 का 96 में, कि.मी. 5 एवं 6 का 87 में, एवं 7 एवं 8 कि.मी का 93 में, 9 से 12 कि.मी. का 92 में, कि.मी. 13 वर्ष 93 में, 14 से 16 कि.मी. तक का वर्ष 84 में करवाया गया था एवं पेच रिपेयर कार्य अलग अलग कि.मी. में भी करवाया गया।

(3) जी, हां। सड़क अपग्रेडेशन प्रोग्राम वर्ष 2001-2002 में इस सड़क के कि.मी. 5 से 13 के कार्य प्रस्तावित है। कार्य इस वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जायेगा।

(4) इस सड़क के नवीनीकरण हेतु 20.00 लाख रुपये की राशि वर्ष 2001-2002 के लिए प्रस्तावित है।

(5) राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के अनुसार मरम्मत कार्य कराये जा रहे हैं। 8 कि.मी. में नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2001-2002, 2002-2003 में कराया जाना प्रस्तावित है।

रामपुरा डाबड़ी से रामथल (जयपुर) क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण

87. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की रामपुरा डाबड़ी (सीकर रोड) से रायथल वाया जालसू सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त सड़क का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? उक्त सड़क के निर्माण के पश्चात् मरम्मत कब-कब कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिये राशि की स्वीकृति

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी और कब?

(5) उक्त सड़क का मरम्मत कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने के क्या कारण रहे व अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। कि.मी. 13/0 से 22/0 में सड़क लगभग 2 वर्ष में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

(2) उक्त सड़क का निर्माण कि.मी. 0/0 से 4/200 तक वर्ष 1982 से पूर्व एवं कि.मी. 4/200 से 22/0 तक वर्ष 1989-90 में करवाया गया। उक्त सड़क पर वर्ष 1997-98 एवं 2000-2001 में मरम्मत कार्य करवाये गये।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त सड़क पर वर्ष 2001-2002 में कि.मी. 8/0 से 22/0 तक नवीनीकरण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त सड़क पर नवीनीकरण के कार्य हेतु राशि 50.75 लाख वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत है।

(5) राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त सड़क पर नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में कराया जाना प्रस्तावित है।

परसराम नगर ढेहर का बालाजी (जयपुर) में सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण

88. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्कीम नम्बर 5 परसराम नगर ढेहर का बालाजी सीकर रोड, जयपुर की मुख्य सड़क के पास सार्वजनिक पार्क (सवाई चक भूमि) हेतु आरक्षित भूमि पर सरकार ने कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सीकर रोड ढहर का बालाजी राष्ट्रीय मार्ग संख्या-11 के नाम से पदस्थापित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त भूमि किस किस्म की थी? उक्त सम्बन्धी समस्त रिकार्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दुकान संख्या-1 से 14 तक के दरवाजे उक्त भूमि की तरफ बने हुये हैं और अब तक करीब 30 वर्ष से दुकानदार उक्त तरफ से आते-जाते थे? क्या अब उक्त कार्यालय अपनी चार दीवारी बनाकर उक्त दुकानदारों के आवागमन में रुकावट पैदा कर रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त दुकानदारों को उनकी बरबादी से बचाने हेतु उन्हें दुकानों के सामने जनहित में रास्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त दुकानदारों को अपने सामने रास्ता देने हेतु अब सरकार का क्या विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त दुकानदारों को कब तक रास्ता दे दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त भूमि भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के नाम से राजस्व रिकार्ड में सड़क किस्म में दर्ज है। (जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है)

(2) सभी दुकानों के मुख्य दरवाजे पश्चिम की ओर है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि इनके मुख्य दरवाजे पहले से ही पश्चिम की तरफ है।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) उपरोक्तानुसार।

(जमाबंदी की प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

89. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में बजट मद 3054/205 व उचन्त मद व विविध अग्रिम में आबंटन से अधिक व्यय हुआ था? क्या अधिक व्यय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने हेतु दिनांक 11 मई, 2000 को कोई निर्देश जारी किये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्देशों के बाद भी आबंटन से 30 लाख रुपये अधिक तक की सीमा तय की गई? क्या उक्त सीमा से अधिक व्यय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय किया गया? क्या उक्त में कई कर्मियों को छोड़ दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। अधिक व्यय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में अपूर्ण ग्रेवल सड़कें

90. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत के तहत कितनी ग्रेवल सड़कें स्वीकृत हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से किन-किन पर ग्रेवल नहीं किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों की निविदाएं आमंत्रित की गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त स्वीकृत सड़कों में से सीरीयारी से गुडाबरजालिया तथा बोरीमादा से मायला गुडा सड़कों हेतु निविदाएं आमंत्रित होने पर भी झीकरा क्यों नहीं डाला गया? उक्त के लिए दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत के तहत (सम्वत् 2057) कुल 47 ग्रेवल सड़के स्वीकृत हुई है। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से केवल एक ग्रेवल सड़क नीपल से बोरड़ी पर ग्रेवल कार्य नहीं करवाया जा सका।

(3) जी हां।

निविदाएं दिनांक 28.4.2001, 1.5.01, 16.5.01, 28.5.01, एवं 12.6.01 को आमंत्रित की गयी।

(4) उक्त दोनों सड़कों पर ग्रेवल (झिंकरा) सड़क स्थल पर ही उपलब्ध हो जाने से उसी का उपयोग सड़क पर किया गया। अतः परिवहन कार्य नहीं करवाया गया था। अतः इसके लिये कोई भी दोषी नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर शहर द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्ति

91. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर शहर, जयपुर द्वारा शीघ्रलिपिक द्वितीय के पदों पर नियुक्ति हेतु उनके अधीन कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद सीधी भर्ती का पद है? यदि हां, तो उक्त भर्ती किस नियम के तहत की जा रही है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब उक्त नियम विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नियमानुसार पद विज्ञापित कर सीधी भर्ती की जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर शहर, जयपुर के न्याय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में से शीघ्रलिपिक ग्रेड II के पद पर शीघ्र अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इस सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) यह सही है कि शीघ्रलिपिक ग्रेड II का पद सीधी भर्ती का पद है परन्तु सीधी भर्ती में लगने वाले समय, व्यय तथा तात्कालिक आवश्यकताओं तथा कम रिक्तियों की संख्या (मात्र 4 पद) को देखते हुए राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 के नियम 23(3) के तहत शीघ्रलिपिक ग्रेड II के पदों पर शीघ्र अस्थाई नियुक्तियों हेतु जयपुर न्याय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में से अस्थाई नियुक्ति की जा रही है इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 के नियम 23 (2) में प्रावधान है कि सम्बन्धित न्याय क्षेत्र में पहले से कार्यरत अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को सीधी भर्ती की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी। अतः उक्त नियमों के अंतर्गत शीघ्रलिपिकों की अस्थाई नियुक्ति की जा रही है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(विधि मंत्री)

(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर शहर, जयपुर द्वारा शीघ्रलिपिक ग्रेड II की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 के नियम 23 (2) तथा 23 (3) के नियम विरुद्ध नहीं की जा रही है। इन पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति नियमानुसार उक्त नियुक्ति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी की जावेगी।

(परिशिष्टों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सैशन न्यायालयों में शीघ्रलिपिक द्वितीय के रिक्त पद

92. श्री राइया मीणा (आसपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न सैशन न्यायालयों में शीघ्रलिपिक-द्वितीय के कितने पद किस-किस जिला न्यायालय में रिक्त हैं? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग ने शीघ्रलिपिक के नए पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव भेजा था? यदि हां, तो कितने पद व कहां-कहां के लिए? उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग द्वारा कितने पद कहां-कहां के लिए स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न सैशन न्यायालयों में शीघ्रलिपिक ग्रेड-II के जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जिला एवं सैशन न्यायालयों भरतपुर, प्रतापगढ़ एवं कोटा के न्याया क्षेत्र में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.), डीग, प्रतापगढ़ एवं कोटा-2 के न्यायालय हेतु एक-एक पद शीघ्रलिपिक ग्रेड द्वितीय के सृजन बाबत समय-समय पर राज्य सरकार के वित्त विभाग की बी.एफ.सी. मीटिंग में प्रस्तावित किये गये जो कि स्वीकृति हेतु लम्बित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-93

(स्थगित)

जिला नागौर के विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व

94. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला नागौर के विद्युत उपभोक्ताओं से प्रति माह कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 के दौरान जब विद्युत मण्डल कार्यरत था तब कितना राजस्व प्राप्त होता था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत दरें बढ़ाने से अब राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला नागौर के विद्युत उपभोक्ताओं से प्रति माह औसतन 13.00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

(2) जिला नागौर में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 के दौरान जब विद्युत मण्डल

(ऊर्जा मंत्री)

कार्यरत था तब क्रमशः 9461.09 लाख रुपये व 10741.48 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

(3) विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत दरें बढ़ाने से जिला नागौर के अंतर्गत नागौर वृत के राजस्व में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001 तक प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

कस्बा इटावा (कोटा) में स्वीकृत अपूर्ण ग्रिड सब स्टेशन

95. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के कस्बा इटावा में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब और कितनी राशि से तथा उक्त के निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी?

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से मदवार अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व कितना-कितना कार्य हुआ? मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अब उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन दोषी है?

(4) क्या सरकार अब उक्त कार्य को समय पर पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। इस परियोजना को वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में सम्मिलित करने हेतु स्वीकृत किया गया था, जिसकी निर्माण अवधि दो वर्ष की थी (वर्ष 2000-2001) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार इसकी अनुमानित लागत 653.60 लाख रुपये है।

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन तथा सम्बन्धित 24 किलोमीटर 132 के.वी. लाइन के निर्माण कार्य पर 30 सितम्बर, 2001 तक क्रमशः 180 लाख रुपये तथा 225 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अब तक लाइन का 95 प्रतिशत तथा जी.एस.एस. का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त जी.एस.एस. का निर्माण कार्य वार्षिक योजना अनुसार दिसम्बर, 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ग्राम नांगल सिरस (जयपुर) के विद्युत कनेक्शन खातों की दुरुस्ती

96. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया जयपुर के खाता संख्या 2206/193 का विद्युत कृषि कनेक्शन ग्राम राजावास एवं खाता संख्या 2207/132 नांगल सिरस, तहसील आमेर, जिला जयपुर के हल्का पटवारी रिकार्ड अनुसार किस खसरा नम्बर में स्थित है? क्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उक्त ग्राम जयपुर शहर के क्षेत्र में आता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों के उक्त कृषि कनेक्शन कौन से ग्राम के अधीन है? उक्त अभियन्ता के अधीन इनके अतिरिक्त ऐसे कितने कनेक्शन हैं जिनके सही पते अंकित नहीं है और इनके लिये कौन-कौन दोषी/उत्तरदायी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त खातों की दुरुस्ती कराकर उन्हें शहरी क्षेत्र से हटाकर ग्रामीण क्षेत्र में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), वी.के.आई.ए. जयपुर के अधीन खाता संख्या-2206/193 श्री हनुमान, भैरु, काना, गंगाराम पुत्र मोहरु देवन्दा का कनेक्शन ग्राम नांगल सिरस के खसरा नं. 471 में स्थित है, किन्तु बिलिंग ग्राम राजावास में की जा रही है। खाता संख्या-2207/132 श्री भूरा, सुरज्ञान पुत्र बक्सा जाट का कनेक्शन ग्राम नींदड़ के खसरा नं82 में स्थित है और बिल ग्राम नांगल सिरस के पते पर जारी किया जा रहा है खाता संख्या-2206/193 कनेक्शन जयपुर शहर क्षेत्र के बाहर है। खाता संख्या-2207/132 का कनेक्शन जयपुर शहर क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसकी मूल पत्रावली सहायक अभियन्ता, विद्याधर नगर के पास है एवं उसके क्षेत्राधिकार में आता है, परन्तु वर्तमान में इसकी बिलिंग ग्राम नांगल सिरस के नाम से सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), वी.के.आई.ए., जयपुर के अन्तर्गत ग्रामीण सप्लाई के अन्तर्गत हो रही है।

(2) उपरोक्त दोनों कनेक्शनों में खाता संख्या-2206/193 ग्राम नांगल सिरस का है तथा दूसरा खाता संख्या-2207/132 ग्राम नींदड के अधीन है तथा सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), वी.के.आई.ए., जयपुर के अधीन गलत पते पर बिल जारी होने के अतिरिक्त कोई मामला प्रकाश में नहीं आता है। कम्प्यूटर में जानकारी डालते समय गलत जानकारी दर्ज होने के कारण पते में गलती होना सम्भव है, अतः प्रथम दृष्टया कोई दोषी प्रतीत नहीं होता है।

(3) पते में हुई गलती को अग्रिम बिल जारी होने पर ठीक कर दिया जावेगा। उक्त कनेक्शनों में से खाता संख्या-2207/132 ग्राम नींदड़ का है वह क्षेत्र सहायक अभियन्ता विद्याधर नगर के अन्तर्गत आता है, अतः अब इसकी सही बिलिंग करवाने हेतु सहायक अभियन्ता विद्याधर नगर को रिकार्ड प्रेषित किया जा रहा है। खाता संख्या-2206/193 श्री हनुमान, भैरु, काना, गंगाराम पुत्र मोहरु का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र का है, परन्तु शहरी फीडर से जुड़े होने के कारण 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती है तथा शहरी क्षेत्र के लिये लागू टैरिफ के अनुसार बिल दिया जा रहा है। उक्त कनेक्शन को ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था से जोड़ने के लिये जांच की जा रही है। तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से साध्य होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम नींदड (जयपुर) के कृषि कनेक्शनों का गलत इन्द्राज

97. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) मुरलीपुरा (जयपुर) के वर्तमान खाता संख्या 2408-128 एवं 2408-142 के कृषि विद्युत कनेक्शन ग्राम नींदड (जयपुर) के किस-किस खसरा नम्बर में स्थित है? क्या उक्त सम्बन्ध में उपभोक्ता ने कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो पटवारी रिकार्ड के अनुसार उपभोक्ताओं के कनेक्शन किस स्थान पर है? आवेदन पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि कनेक्शन ग्राम नींदड के राजस्व क्षेत्र में नहीं आता है? उक्त कृषि कनेक्शनों को गलत इन्द्राज करने वाले दोषी विद्युत कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कृषि कनेक्शनों को दुरुस्त करने के लिये उपभोक्ताओं के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन विद्युत कर्मी उत्तरदायी हैं? अब सरकार ऐसे विद्युत कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त उपभोक्ताओं के बिल समय पर प्राप्त नहीं हुये और कनेक्शन काट दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपभोक्ता श्री लक्ष्मीनारायण, भोरीलाल पुत्र श्री चन्दालाल खाता सं. 2408/128 एवं श्री बंशीधर, लल्लू पुत्र श्री जयराम खाता सं. 2408/142 कृषि विद्युत कनेक्शन ग्राम नींदड़ के खसरा नं. में नहीं है बल्कि पटवारी रिकार्ड के अनुसर कृषि कनेक्शन ग्राम बैनाडा मय दौलतपुरा में स्थित है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यह जानकारी हुई है कि उपभोक्ताओं ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है।

(2) जी हां। उप खण्ड (ग्रामीण) जयपुर का विभाजन होने के पश्चात् फीडरवार उपभोक्ताओं के बंटवारे के समय कम्प्यूटर में जानकारी ग्राम नींदड़ के बिलिंग में दर्ज करवा दी गई। उपभोक्ताओं द्वारा दुरुस्तीकरण हेतु पूर्व में कोई प्रार्थना-पत्र दर्ज नहीं करवाया गया है, जिसकी वजह से दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। इसमें कोई कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता है।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त उपभोक्ताओं ने दुरुस्तीकरण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दर्ज नहीं करवाया है। इसलिये पता दुरुस्त नहीं हो पाया, अब संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

(4) उक्त उपभोक्ताओं द्वारा समय-समय पर बिल की राशि जमा कराई जा रही है। जिससे प्रतीत होता है कि बिल समय पर प्रेषित किए जा रहे हैं। वर्तमान में कनेक्शन चालू है।

जिला झुंझुनूं में विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुधार

98. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ आर्डर में प्रसारण तथा वितरण निगमों को अपने स्तरों में सुधार लाने हेतु तथा उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने व अपनी कार्यशैली में सुधार लाने हेतु कुछ दिशा-निर्देश दिये थे? यदि हां, तो क्या दिशा-निर्देश दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर वितरण निगम ने उक्त निर्देशों की पालना हेतु जिला झुंझुनूं में क्या-क्या प्रयास किये?

(3) जिला झुंझुनूं में सितम्बर, 2001 के अन्त तक डिस्ट्रीब्यूशन लोसेज में कितनी कमी लाई गयी और ट्रांसमिशन लोसेज में कितनी कमी लाई गयी तथा बिजली चोरी के मामलों में कितनी कमी लाई गयी एवं उपभोक्ता को दी जाने वाली अच्छी सेवा में क्या सुधार किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आर्डर में प्रसारण एवं वितरण निगमों को अपने स्तरों, कार्यशैली में सुधार व उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने हेतु कुछ दिशा-निर्देश दिये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा झुंझुनूं वृत में उक्त दिशा-निर्देशों की पालना में किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'ब' में दर्शा दिया गया है।

(3) झुंझुनूं वृत में टी.एण्ड डी. लोसेज अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2000 तक 39.99 प्रतिशत एवं अक्टूबर, 2000 से मार्च, 2001 तक 51.16 प्रतिशत रहे। इस तरह वर्ष 2000-2001 में टी. एण्ड डी. लोसेज 46.16 प्रतिशत रहे। वर्ष 2001-2002 में माह अप्रैल से सितम्बर तक टी.एण्ड डी. लोसेज 36.72 प्रतिशत रहे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितम्बर तक टी.एण्ड डी. लोसेज में 3.27 प्रतिशत की कमी हुई। झुंझुनूं वृत में माह सितम्बर 2001 तक 2074 मामले विद्युत चोरी के पकड़े गये जिनके विरुद्ध 86.87 लाख रुपये की जुर्माना राशि का निर्धारण किया गया। उपभोक्ता सेवा में गुणात्मक सुधार किया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

खारची सब डिविजन के लम्बित कृषि कनेक्शन

99. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम के खारची सब डिविजन में कृषि विद्युत कनेक्शन की कितनी पत्रावलियां कब से लम्बित हैं? उक्त लम्बित पत्रावलियों में से कितनों के मांग पत्र जारी किये गये हैं तथा कितनों के मांग पत्र की राशि कब से जमा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जमा राशि की पत्रावलियों की प्राथमिकता सूची बनाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें?

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) उक्त प्राथमिकता सूची में से कितनों को कनेक्शन जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सूची में से कितने कनेक्शन अभी तक नहीं हुये? क्या सरकार इन्हें कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम के खारची सब डिविजन में कृषि विद्युत कनेक्शन की 1252 पत्रावलियां 1987 से अक्टूबर, 2001 तक जमा है। उक्त जमा पत्रावलियों में से वर्ष 2000-2001 में 217 के मांग पत्र जारी किये गये हैं। जिनमें से 50 पत्रावलियां की मांग राशि जमा हुई। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। योग्यता सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त में से 15 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। नामवार विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(4) उक्त सूची में से 4 कनेक्शन आपसी विवाद, 3 कनेक्शन आवेदन द्वारा कनेक्शन न लेने के कारण जारी नहीं किये जा सके हैं। शेष रहे 28 आवेदकों को प्राथमिकता अनुसार सामान की उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

100. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम ढिगावड़ा, धमरेड, पाटन, तहसील राजगढ़ जिला अलवर के लिये 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में उक्त ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कहां से कर रखी है? क्या उक्त स्कीम सफल है?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र ढिगावड़ा, धमरेड, पाटन, अनुसूचित जाति/जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है? क्या सरकार उक्त इलाकों में उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला अलवर की तहसील राजगढ़ के ग्राम धमरेड में 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 5.10.2001 को जारी की जा चुकी है व ढिगावड़ा में सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया जारी है। ग्राम पाटन में 33 के.वी. सब स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया है।

(2) वर्तमान में धमरेड को 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन राजगढ़ में स्थित 33 के.वी. सब स्टेशन से ढिगावड़ा को 33 के. वी. राजगढ़ से तथा पाटन क्षेत्र को ३३ के. वी.

(ऊर्जा मंत्री)

सब-स्टेशन माचाड़ी से विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा यह व्यवस्था सामान्यतया सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(3) जी, हां। ढिगावड़ा व धमरेड में 33 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण व पाटन में 33 के.वी. सब स्टेशन की जगह एक 11 के.वी. का 8 किलोमीटर लम्बा फीडर खींचना प्रस्तावित है। साधनों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि कि अनुरूप इन कार्यों को पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी (धौलपुर) में विद्युतीकरण

101. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के अन्तर्गत कितने खराब मीटर है? उक्त क्षेत्र में कितने घरेलू व कृषि उपभोक्ता कनेक्शन लम्बित है?

(2) क्या यह सही है कि लम्बे समय से गांव नादनपुर, कंचनपुर, घडीसुखा, मतसूरा के ट्रांसफार्मर जले हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें बदलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितनी एल.टी. लाइन डाली गई व कितने ट्रांसफार्मर लगाये एवं कितने घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन दिये गये?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्र में गजपुरा से बाबू महाराज तक की लाइन के तार चोरी हुये? क्या उक्त की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है?

(5) क्या यह सही है कि बाड़ी शहर के वार्ड नं. 20 में विद्युत लाइनें रिहायशी मकानों के ऊपर से गुजर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में वर्तमान में 2269 उपभोक्ताओं के मीटर खराब है। उक्त क्षेत्र में घरेलू व कृषि कनेक्शन हेतु क्रमशः 3400 व 20 आवेदन पत्र लम्बित है।

(2) ग्राम कंचनपुर, मतसूरा व गढी-सूखा, के ट्रांसफार्मर जल गये थे। ग्राम नादनपुर में कोई कनेक्शन न होने से ट्रांसफार्मर लगाया ही नहीं गया था। ग्राम कंचनपुर में बकाया राशि जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है परन्तु मतसूरा व गढी-सूखा में जले हुये ट्रांसफार्मरों से जुड़े उपभोक्ताओं में बकाया राशि होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये है। बकाया राशि जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदल दिये जायेंगे।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में क्रमशः 10 व 8 ग्राम विद्युतीकृत किये गये हैं तथा 5.7 किलोमीटर एल.टी.लाइन खींची गई है। उक्त गांवों में 8 ट्रांसफार्मर लगाकर 169 घरेलू व 1 कृषि कनेक्शन दिया गया है। उक्त क्षेत्र में लाइनों के तार चोरी होने की सम्भावना होने के

(ऊर्जा मंत्री)

कारण कनेक्शन हेतु आवेदन न होने की दशा में एल.टी. लाइन नहीं खींची गई है।

(4) उक्त क्षेत्र के गजपुरा में बाबू महाराज तक की लाइन के तार चोरी नहीं हुये। आंधी-तूफान के कारण लाइन गिर गई थी, जिसको पुनः खड़ा किया जा चुका है। तार चोरी न होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। इसमें कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) जी हां। पहले से स्थापित लाइन के नीचें मकान बनाने के कारण लाइन मकानों के ऊपर आ गई है। मकान मालिकों द्वारा आवेदन करने व तखमीना की राशि जमा कराने पर व तकनीकी रूप से साध्य होने पर लाइन हटाने की कार्यवाही की जावेगी। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम कलन्दरी (सिरोही) में विद्युतीकरण

102. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सिरोही में कलन्दरी गांव को बिजली से जोड़ने के लिये लाइन खींचने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये वन विभाग ने कितनी राशि की मांग की है ? क्या उक्त राशि अदा कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) बिजली की लाइन कलन्दरी तक खींचने के लिये जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने कितनी राशि का प्रस्ताव तैयार किया है ? क्या माड़ा योजना में इसे स्वीकृत कराने के लिये जोधपुर विद्युत निगम ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया है ? यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा ?

(3) पाड़ीव व जोगापुरा में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत पाली वृत के अधीन जिला सिरोही में कलन्दरी गांव को बिजली से जोड़ने के लिये लाइन खींचने हेतु वन विभाग ने भूमि उपलब्ध कराने हेतु रुपये 1,48,225/- की मांग की है तथा उक्त कार्य की निगम द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसमें माननीय विधायक महोदय के कोटे से 50 प्रतिशत राशि जमा कराई जानी है तथा शेष राशि निगम द्वारा वहन की जायेगी।

(2) बिजली की लाइन खींचने हेतु विद्युत वितरण निगम द्वारा 12,28,101/- रुपये का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। जी, हां। पाली वृत द्वारा माडा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 25.10.2001 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिरोही को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(3) पाड़ीव व जोगापुरा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन हो चुकी है। टेण्डर भी जारी कर दिये गये हैं। सामान की व्यवस्था कर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।

राज्य के विद्युतविहीन ग्राम

103. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में कितने गांव तथा कितने परिवार बिना बिजली के हैं? राज्य में नये बिजली कनेक्शन लेने के लिये ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कितनी प्रतिभूति राशि की आवश्यकता है तथा अन्य चार्जेज क्या हैं?

(2) चार माह से कटे हुये घरेलू कनेक्शन वापस चालू कराने हेतु उपभोक्ता से कितनी राशि ली जाती है?

उत्तर

(1) राज्य में मार्च, 2001 तक जनगणना 1991 के अनुसार कुल 37889 आबाद एवं 1921 गैर आबाद सहित कुल 39810 ग्रामों में से 37054 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है व 2756 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है। राज्य में कुल आबाद घरों की संख्या 7168834 हैं जिनमें से विद्युतीकरण से लाभान्वित परिवारों का विवरण दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है तथापि इनमें से 93.08 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध विद्युत तंत्र के अनुसार मांग होने पर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

राज्य में नये बिजली कनेक्शन लेने के लिये प्रतिभूति राशि एवं अन्य मदों के लिये वसूल की जाने वाली राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) कटे हुये घरेलू कनेक्शन वापस चालू कराने हेतु राशि निम्नानुसार ली जाती है :—

1.	सिंगल फेज	100 रुपये
2.	थ्री फेज	300 रुपये

यदि उपभोक्ता में निगम की कोई बकाया राशि है तो बकाया राशि एवं कनेक्शन जिस तारीख से काटा है उससे पुनः कनेक्शन की तारीख तक के दिनों का 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अन्य पिछड़ी जातियों हेतु महाविद्यालयों में आरक्षण

104. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा सम्बन्धी विशेष अध्यापन सुविधा के लिये कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किस तिथि से किया है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों से उक्त पाठ्यक्रमों में किस-किस महाविद्यालयों ने कितनी-कितनी सीटों का आरक्षण दिया? महाविद्यालय वार आरक्षित सीटों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी विशेष अध्यापन सुविधा के लिये एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ी जातियों को 21 प्रतिशत आरक्षण वर्ष 1999 से दिया गया है। विश्वविद्यालय आर्डिनेंस की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभियांत्रिकी, गैर अभियांत्रिकी, प्रबन्ध एवं

(समाज कल्याण मंत्री)

फार्मेसी के पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत दिया गया है। यह आदेश दिनांक 6.5.1999 को जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र के सामान्य शिक्षा विभाग में संचालित महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) गत दो वर्षों में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दिये गये आरक्षण की सचूना महाविद्यालयवार परिशिष्ट क्रमशः "स" एवं "द" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू सहकारी होलसेल भण्डार लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की अमानत राशि का भुगतान

105. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड चूरू द्वारा आम जनता/कर्मचारियों/अधिकारियों से बतौर अमानत राशि जमा की गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी? क्या उक्त राशि में से किसी भी व्यक्ति को वापस भुगतान किया गया है? यदि हां, तो किसको और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जमाकर्ताओं द्वारा राशि प्राप्त करने के लिये न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार बीकानेर में वाद दायर किया गया है? यदि हां, तो उसके निर्णय जमाकर्ताओं की राशि भुगतान करने के पक्ष में होने के बाद क्या चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कितने लोगों को और नहीं, तो क्यों?

(3) अब तक अमानत राशि को प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना पत्र सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार चूरू में प्राप्त हुये हैं? क्या उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय हुआ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल लिमिटेड चूरू के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आवेदकों को अमानत की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड चूरू के पूर्व कर्मचारी श्री धनश्याम शर्मा द्वारा इस भण्डार के नाम से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अमानत राशि प्राप्त की गई थी। अमानतदारों से प्राप्त राशि रुपये 23,82,620/- में से केवल 1,35,000/- रुपये भण्डार की पुस्तकों में जमा की गई है, इसके अलावा भण्डार को रुपये 22,47,620/- की अमानत जमा करने के क्लेम और प्राप्त हुये हैं। उक्त राशि में से किसी भी व्यक्ति को वापस भुगतान नहीं किया गया है। उक्त राशि के दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी कर्मचारी श्री घनश्याम शर्मा के विरुद्ध निर्णित

(सहकारिता मंत्री)

डिक्री की वसूली नहीं होने एवं भण्डार के पास तरल साधनों का अभाव के कारण उक्त राशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(2) जी हां। न्यायालय द्वारा श्री घनश्याम शर्मा को गबन एवं दुरुपयोग के लिये दोषी ठहराया गया है। इस निर्णय के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई भुगतान नहीं किया गया है। डिक्री की वसूली नहीं होने एवं भण्डार के पास तरल साधनों के अभाव के कारण भुगतान नहीं हो पाया है।

(3) अब तक भण्डार को अमानत राशि प्राप्त करने के लिये कुल 36 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये है। इन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में भी न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। निर्णय अनुसार इन प्रार्थना पत्रों में वर्णित राशि श्री घनश्याम शर्मा, पूर्व कर्मचारी से वसूल होनी है।

(4) जी हां। उक्त राशि का भुगतान श्री घनश्याम शर्मा से वसूली के पश्चात् किया जा सकेगा। वसूली की कार्यवाही जारी है।

विधायक अटरू (बारां) द्वारा चाही गई सूचना

106. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कलक्टर कोटा पुलिस अधीक्षक (शहर) व सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा को सूचना के अधिकार के तहत विधायक अटरू (बारां) द्वारा जानकारी चाहने हेतु कब-कब पत्र मिले? उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त को पत्र लिख कर दस्तावेजों की प्रतियों की कुल राशि या फीस कितनी होगी के सम्बन्ध में पूछा गया था? यदि हां, तो अब तक उक्त जानकारी क्यों नहीं दी गई?

(3) क्या यह भी सही है कि अब तक भी विधायक अटरू को उक्त के द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर कोटा को दिनांक 21.7.2001 व 23.7.2001 को लिखे, पुलिस अधीक्षक (शहर) को दिनांक 23.7.2001 व 10.10.2001 को लिखे एवं सचिव, नगर विकास न्यास को दिनांक 4.6.2001 को पत्र लिखे गये जिनकी प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन नहीं करने व फीस जमा नहीं होने के कारण प्रतिलिपि जारी नहीं की गई। इस सम्बन्ध में उन्हें सूचित किया जा चुका है। दिनांक 23.7.2001 के पत्र के सम्बन्ध में मुद्दा अत्यन्त सम्वेदनशील और कानून व्यवस्था से जुड़ा था। पत्राचारों को गोपनीय रखा जाना आवश्यक था। अतः प्रतिलिपि जारी नहीं की गई। टेण्डर आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में उन्हें सूचित किया गया था कि 3 आवेदन-पत्र राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। विधायक महोदय के दिनांक 3.10.2001 के सम्बन्ध में उन्हें उत्तर दिनांक 1.11.2001 को भिजवाया जा चुका है। प्रति संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने व निर्धारित फीस जमा कराने के तत्काल बाद उपलब्ध करा दी जावेगी। सम्बन्धित प्रकरण से सम्बन्धित चाहे गये दस्तावेजों कानून व्यवस्था की दृष्टि से अति गोपनीय मानते हुये उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 की धारा 5 में इस प्रकार का प्रावधान है। जो विधायक महोदय की जानकारी में है।

(पत्रों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अकाल राहत कार्य

107. श्री अमीन खान (शिव) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में संवत् 2056 व 57 में कितनी-कितनी नालियों की खुदाई की गई और कितना व्यय हुआ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त जिलों में सम्वत् 2056 व 57 में कितने विद्यालय भवन बनाए गए और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त जिलों में अन्य पक्के कितने भवन बनाए गए? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिलों में सम्वत् 2056 व 57 में कितने पशु शिविर खोले गए और प्रत्येक में कितने पशु रखे गए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में निम्नानुसार नाड़ियों की खुदाई और व्यय हुआ :—

जिला जैसलमेर

सम्वत्	संख्या नाड़ी खुदाई	व्यय राशि (लाखों में)
2056	619	708.88
2057	300	143.31
जिला बाड़मेर		
2056	897	1369.34
2057	589	734.31

पंचायत समितिवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) सम्वत् 2056 एवं 2057 में जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर में बनाये गये विद्यालय भवन एवं उन पर व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :—

जिला जैसलमेर

सम्वत्	बनाये गये विद्यालय भवन	व्यय राशि (लाखों में)
2056	212	205.00
2057	140	241.26
जिला बाड़मेर		
2056	522	804.87
2057	425	553.58

(अकाल राहत मंत्री)

पंचायत समितिवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) पंचायत समितिवार उक्त जिलों में बनवाये गये पक्के भवनों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(4) जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर में सम्वत् 2056 व 2057 में खोले गये पशु शिविर तथा प्रत्येक पशु शिविर में रखे गए पशुओं की संख्या का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-4 में संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत खेलनीया (टौंक) में स्वीकृत कार्यों का भुगतान

108. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेलनीया पंचायत समिति उनियारा (टौंक) में कार्य स्वीकृत हुये थे? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत हुये? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों का भुगतान पूरा किया जा चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो कितनी राशि शेष है? कार्य व राशि जो भुगतान होना शेष है की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के संरपच द्वारा राशि का दुरुपयोग करने व गबन करने की शिकायत जिला कलक्टर टोंक को की गई थी? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या सरकार उक्त समस्त कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत अकाल राहत कार्य तथा भुगतान की गई राशि एवं बकाया राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी हां। अनियमितता की जांच कराई जा रही है।

(4) जिन कार्यों की अनियमितता सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई उन सभी प्रकरणों में जांच कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

109. श्री रमेशचन्द्र पण्ड्या (बासंवाडा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 2000-2001 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में किन-किन विभागों में अकाल राहत के कार्य हुये? उक्त अवधि में अकाल राहत के तहत व्यय कुल राशि एवं श्रमिकों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2000-2001 के अकाल राहत कार्यो के अन्तर्गत पंचायत समिति गढ़ी में कराये गये राहत कार्यो का विभागवार एवं व्यय की गई राशि तथा श्रृजित मानव दिवस का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर की इकाइयों द्वारा प्रदूषण

110. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में जल एवं प्रदूषण निवारण के नियम/उप नियम बने हुये हैं तथा इनके उल्लंघन किये जाने पर दण्ड का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या औद्योगिक इकाइयों को अपना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण रहित संयंत्र लगाना एवं विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है? जयपुर शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की ऐसी कितनी इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किये हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित इकाइयों का जिन्होंने ऐसे संयंत्र नहीं लगा रखे हैं, तथा प्रदूषित जल प्रवाहित कर रही हैं, का अपने स्तर पर सर्वे/जांच कराई है? यदि हां, तो चिन्हित औद्योगिक इकाइयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की कुछ इकाइयों से प्रदूषित जल विभाग की मिलीभगत से नियमित रूप से प्रवाहित होकर विधाधर नगर सैक्टर-08 के पास स्थित पापड वाले हनुमान मन्दिर के मार्ग में स्थित पुलिया के नीचे अमानीशाह (स्वर्ण जयन्ती पार्क) के नाले में बह रहा है एवं एकत्रित हो रहा है तथा आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर कई मौसमी बीमारियां पैदा कर रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित के विरुद्ध कोई दण्डात्मक/प्रभावी एवं स्थायी कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण निवारण हेतु निम्न अधिनियम प्रभावी हैं :—

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.

सम्बन्धित धाराओं की फोटो प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। औद्योगिक इकाइयों को चलाने से पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाना आवश्यक है जो जल एवं वायु प्रदूषण तत्वों को मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नियंत्रित कर सके। इसके साथ ही ऐसी औद्योगिक इकाइयों को चलाने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है। जयपुर

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 88 इकाइयों को सम्मति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी इकाइयों का सर्वे करवाया है जिन्होंने जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र नहीं लगा रखें है। जिसकी सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से निस्त्रावित उपचारित एवं अर्द्ध उपचारित द्रवीय एवं ठोस उच्छिष्ठ भी प्राकृतिक ढलान के कारण अमानीशाह नाले में पहुंच जाता है।

द्रवीय उच्छिष्ठ अमानीशाह नाले में बहता हुआ पापड़ वाले हनुमान जी के मन्दिर के मार्ग में स्थित पुलिया के नीचे से गुजरता है। ऐसे उद्योगों की सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। जिन इकाइयों द्वारा सम्मति पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है।

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र विधाधर नगर के सैक्टर 8 के आसपास के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रदूषित जल/वायु के कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की सूचना आसपास के राजकीय चिकित्सालय/जिला कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

पीने के पानी के स्त्रोतों का पूर्व में लिये गए नमूने संतोषप्रद पाए गए थे तथा अभी हाल ही में विधाधर नगर क्षेत्र से लिये गए पीने के पानी के नमूने की जांच के दौरान वह भी संतोषप्रद पाया गया।

जिन उल्टी दस्तों के मरीजों का इलाज किया गया उनसे यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त बीमारी फैक्ट्रियां के द्वारा सीवरेज पानी से फैली गई।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम भीडासरी (नागौर) आंगनबाड़ी केन्द्र में अनियमितता की जांच

111. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या महिला व बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने/चलाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अनियमितता करने व केन्द्र नहीं खोलने आदि की शिकायत होने पर उनको हटाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई परिपत्र/निर्देश जारी किये है? यदि हां, तो उनकी प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम भीडासरी ग्राम पंचायत सारड़ी पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के लिये ग्राम सभा में दिनांक 14 जुलाई, 2001 को प्रस्ताव पास करके विभाग को भेजा फिर भी कोई कार्यवाही नहीं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त प्रस्ताव की प्रति व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें॥

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जनसंख्या के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव (जनसंख्या के आधार पर क्रमशः 1000 से अधिक पर-1, 1501 से 2000 तक-2, 2501-3500 तक-3, 3501 से 4500 तक पर-4) निदेशालय को भिजवाये जाते हैं। निदेशालय द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। विभागीय निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न हैं।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अनियमितता/शिकायत होने पर, उसकी जांच के उपरान्त विभागीय निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाती है। विभागीय निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) यह सही है कि ग्राम भीडासरी ग्राम पंचायत सारडी पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के लिये ग्राम सभा में दिनांक 14.7.2001 को प्रस्ताव भिजवाये गये थे। परियोजना कार्यालय लाडनूं में यह प्रस्ताव 29.8.01 को प्राप्त हुआ। निर्देशों के अनुरूप श्रीमती हेमलता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चेतावनी दी गई, एवं पुनः अनियमितता पाये जाने पर श्रीमती हेमलता को दिनांक 25.10.01 को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है। कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परियोजना निदेशक, झुंझुनूं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच

112. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं? उक्त केन्द्रों में सितम्बर, 2001 के अन्त तक कितना-कितना पोषाहार वितरण हेतु दिया गया? पंचायत समितिवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 की अवधि में झुंझुनूं में पदस्थापित परियोजना निदेशक द्वारा केन्द्रों का कब-कब निरीक्षण किया गया तथा क्या अनियमिततायें/खामियां निरीक्षण के समय उनके ध्यान में आई तथा उनके निराकरण के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त अवधि में उक्त परियोजना निदेशक ने किन-किन पंचायत समितियों की बैठकों में कब-कब भाग लिया ?

(4) परियोजना निदेशक के आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण तथा पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध में क्या दिशा निर्देश हैं ? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झुंझुंनू में 1209 आंगनबाड़ी केन्द्र अनुमोदित है, पंचायत समितिवार सूचीयां ध्वज "अ" पर उपलब्ध है। परियोजनावार माह 4/2001 से 9/2001 तक केन्द्रों पर पोषाहार वितरण की सूची ध्वज "ब" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में जिन-जिन केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है। उनके भ्रमण कार्यक्रम की प्रतियां माह 4/2000 से 9/2001 तक संलग्न है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निरीक्षण के दौरान जिन-जिन केन्द्रों पर कमियां पाई गई, इस बाबत सम्बन्धित केन्द्र पर संधारित होने वाले रेकार्ड में भी कमियों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश/मार्ग दर्शन अंकित किया गया। इस कार्यालय में प्रति माह आयोजित होने वाली मासिक बैठक में भी सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

(3) पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिकृत है। परियोजना निदेशक को जिला परिषद् एवं जिला कलक्टर की बैठकों में भाग लेने हेतु विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

(4) परियोजना निदेशक को कुल 13 भ्रमण प्रति माह करने के विभागीय निर्देश है। प्रति माह 50 केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु आदेश है। प्रति परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने के विभागीय आदेश (परियोजना निदेशक हेतु) नहीं है।

(परिशिष्टों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर में पदस्थापित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

113. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में कितने परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पंद पंचायत समितिवार रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे पर्यवेक्षक भी बाड़मेर जिले में पदस्थापित हैं जो जयपुर में व अन्य स्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये और प्रतिनियुक्ति पर बाहर लगे हुये पर्यवेक्षकों को वापस उक्त जिले में भेजने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये सरकार दोषी सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर अन्तर्गत परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले में दो पुरुष पर्यवेक्षक निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

1- श्री आशुतोष दाधीच, को बिलकारी पत्रिका के प्रकाश में सहयोग हेतु 31.12.2001 से लगा रखा है।

2- श्री कनू शर्मा को (आईडब्ल्यूईपी) स्वयं जिला योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु दो माह के लिये आदेश दिनांक 102792 1.10.01 द्वारा लगाया गया है।

3- जी हां। रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। सम्बन्धित पूर्ण होने के उपरान्त इन्हें कार्ययुक्त करने की कार्यवाही कर ली जावेगी।

(4) प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कार्य की आवश्यकता को देखते हुये डेपुटेशन पर लगाया गया है। जिसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

114. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और कितने बन्द हैं तथा बन्द होने का क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त केन्द्रों पर प्रति माह पोषाहार दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में सरकार और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अधीन परियोजना बस्सी के 142 केन्द्र एवं परियोजना चाकसू के 28 केन्द्र कुल 170 केन्द्र चल रहे हैं। इनमें से सभी केन्द्र चालू हैं, कोई केन्द्र बन्द नहीं है।

(2) वर्तमान में 169 केन्द्रों पर पोषाहार दिया जा रहा है। परियोजना बस्सी के एक केन्द्र हरदयानपुरा पर सर्वे का कार्य चालू है। सर्वे का कार्य पूरा होने के पश्चात् पोषाहार देना चालू कर दिया जावेगा। उक्त केन्द्रों पर निम्न पोषाहार दिया जा रहा है :—

1. राजस्थान मिक्स

2. पंजीरी

3. बेबी मिक्स पोषाहार

(3) जी नहीं। क्योंकि अतिरिक्त नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

खराब बसों के यात्रियों हेतु अन्य व्यवस्था

115. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रुट परमिट से चलने वाली बस के रास्ते में आकस्मिक खराबी आने पर सरकार द्वारा उसमें सवार यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने की क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें1

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थिति में बस मालिक द्वारा पूर्व में जिला परिवहन अधिकारी को टेलीग्राम करके अन्य वाहन का बन्दोबस्त किया जाता था? यदि हां, तो अब उक्त व्यवस्थान की मान्यता बन्द क्यों कर दी गई है और अन्य क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रुट परमिट से चलने वाली बसों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें व निजी बस मालिकों की बसें होती है। जहां तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का प्रश्न है बस के खराब हो जाने पर सवारियों को दूसरी बस में बैठाकर गन्तव्य तक पहुंचाया जाता है।

(2) रुट पर यात्री बस में आकस्मिक यांत्रिक खराबी आने पर तथा खराब वाहन के 7 दिवस से अधिक ऑफ रोड नहीं रहने की स्थिति में वाहन स्वामी द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5-33 के अन्तर्गत उक्त वाहन का अन्य वाहन से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। बस मालिक को निर्धारित माडल की बस के अस्थाई प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु जवाबी तार द्वारा सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाता है तथा तार की प्रमाणित प्रति प्रतिस्थापित बस के साथ धारण करनी होती है।

पथ परिवहन निगम बुकिंग स्टेशनों पर पेयजल एवं सफाई व्यवस्था

116. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा निगम के राज्य में बुकिंग स्टेशनों पर पेयजल व सफाई की क्या व्यवस्था कर रखी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों आवश्यक व्यवस्था के लिये निगम द्वारा बुकिंग स्टेशनों पर कितने-कितने कर्मचारी लगा रखे हैं पाली जिले के बुकिंग स्टेशनों पर कहां-कहां पेयजल व सफाई की व्यवस्था हेतु अस्थाई या दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है? प्रत्येक जिले के बुकिंग स्टेशनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रायपुर, बर, पिपलिया कलां चण्डावल नगर बुकिंग स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था शौचालय की सफाई में निगम अब तक क्यों उदासीनता कर रहा है? अब कब तक उक्त व्यवस्था में सुधार कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा निगम के (स्वामित्व वाले) बस स्टेण्डों पर पेयजल की व्यवस्था विभिन्न संचालित प्याउ, वाटरकूलर, हैण्ड पम्प तथा पानी की टंकियों के नलों द्वारा की हुई है। ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त सीज़नल व्यवस्था की आवश्यकतानुसार कराई जाती है। निगम के बस स्टेण्डों पर सफाई व्यवस्था का कार्य निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा तथा आवश्यकतानुसार ठेका व्यवस्था के अन्तर्गत आगार स्तर पर कराया जाता है।

(2) निगम के बुकिंग स्टेण्डों पर पेयजल व्यवस्था के लिये 19 निगम कर्मी एवं 69 दानदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्ति कार्यरत है। इस प्रकार कुल 88 कर्मी कार्यरत है तथा सफाई व्यवस्था के लिये निगम के कुल 22 कर्मी व ठेकेदार के 85 कर्मी कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 107 कर्मी सफाई कार्य के लिये लगाये हुये है। पाली जिले में आगार अन्तर्गत किसी भी बुकिंग स्टेण्ड पर पेयजल व सफाई व्यवस्था हेतु किसी निगम कर्मी का अस्थाई/दैनिक वेतन का भुगतान/मजदूरी बकाया नहीं है। निगम में बुकिंग स्टेशनों की व्यवस्था जिलेवार न की जाकर आगारवार की जाती है।

(3) रायपुर, बर बुकिंग स्टेशनों पर ब्यावर आगार द्वारा सफाई के लिये अनुबन्ध ठेका लगाये हुये हैं जो कि नियमित रूप से बस स्टेण्ड शौचालय व पेशाब घरों की सफाई करते हैं। पिपलिया कला, चण्डावल नगर बुकिंग स्टेण्ड ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ है। पंचायत राज्य व्यवस्था के नियंत्रणाधीन होने के कारण इस बाबत व्यवस्था में सुधार कराया जाना उसी स्तर पर अपेक्षित है।

जयपुर से केकड़ी वाया मालपुरा पथ परिवहन निगम की द्रुतगामी बस सेवा

117. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर से केकड़ी वाया मालपुरा पथ परिवहन निगम की गाड़ियां चलती हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी गाड़ी कब-कब जयपुर से केकड़ी रवाना होती है?

(2) क्या केकड़ी जयपुर या जयपुर केकड़ी नान स्टाप गाड़ी सेवा चालू है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से केकड़ी वाया मालपुरा जाने वाली बसों की समय सारिणी सहित सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर से केकड़ी व केकड़ी से जयपुर नान स्टाप वाहन को पर्याप्त सीधा यात्रीभार उपलब्ध नहीं होता है। यात्रियों की सुविधार्थ इस मार्ग पर पर्याप्त संख्या में द्रुतगामी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

तहसील गोगुन्दा (उदयपुर) का जन जाति उपयोजना क्षेत्र में विलय

118. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर की आदिवासी बाहुल्य तहसील गोगुन्दा को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जनजाति के लिये आरक्षित है ? यदि हां, तो इससे जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार तहसील गोगुन्दा को जनजाति उपयोजना में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील गोगुन्दा को अनुसूचित (जनजाति उपयोजना) क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। गोगुन्दा तहसील को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रस्ताव 1995 में भारत सरकार को भिजवाये गये थे, प्रकरण अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) तहसील गोगुन्दा को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रस्ताव विभागीय पत्र सं. एफ 5 (3)(1) माडा/लघु खण्ड/टीएडी/94-95 दिनांक 23.1.95 द्वारा भारत सरकार को भिजवाये गये है, भारत सरकार द्वारा चाही अतिरिक्त सूचनाएं भी भिजवा दी गई है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु स्वीकृत राशि

119. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को विभिन्न मदवार कितनी राशि आबंटित की गई ?

(2) उक्त वर्षों में मदवार कितनी राशि व्यय की गई तथा विभिन्न मदों में कितने-कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को निम्नानुसार राशि आबंटित की गई :—

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	मद	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001
1.	राज्य आयोजना	700.00	37.09
2.	विशेष केंद्रीय सहायता	2915.24	2915.24
3.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	26.11	13.00
4.	संविधान की धारा 275(1)	800.29	1700.00
	योग	4441.64	4665.33

(क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 मं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण निम्नप्रकार है :—

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	मद	वर्ष	
		1999-2000	2000-2001
1.	राज्य आयोजना	743.20	38.04
2.	विशेष केन्द्रीय सहायता	3329.37	3260.55
3.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	3.52	0.57
4.	संविधान की धारा 275(1)	300.00	1493.36
	योग	4376.09	4792.52

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 में 58064 एवं वर्ष 2000-01 में 65546 जनजाति परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु व्यय राशि

120. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य में सड़कों के निर्माण पर कितनी राशि स्वीकृत की है? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि स्वीकृत होने के बाद भी समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने से बोर्ड की तकनीकी शाखा पर जो सलाना संस्थागत खर्च है का उपयोग नहीं हो रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितने किलोमीटर सड़क बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से 2001-2002 (सितम्बर, 2001) तक सड़कों के निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :—

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)		
		मण्डी कोष	मण्डी विकास कोष	आर.आई.डी.एफ.
1.	1997-98	2745.93	—	—
2.	1998-99	6605.69	7885.05	—
3.	1999-2000	7284.85	—	8680.22
4.	2000-2001	505.76	—	—
5.	2001-2002	187.00	—	—
	Total	17329.23	7885.05	8680.22

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) उक्त राशि स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत कार्यों को यथासमय ही शुरू कराया गया है तथा निर्माण खण्ड के वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक सालाना संस्थागत खर्च का उपयोग हुआ है। वर्ष 2001-2002 में माह सितम्बर, 2001 तक कार्य स्वीकृत कम होने के कारण संस्थागत व्यय अधिक हुआ है। वर्ष 2001-2002 में 65.70 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई तथा लगभग 335 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है।

मनादर से रोवाड़ा (सिरोही) की स्वीकृत सड़क

121. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला सिरोही की मनादर से रोवाड़ा सड़क निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? क्या इसके लिये निविदा आमंत्रित कर दी गई है?

उत्तर

सम्पर्क सड़क मनादर से रोवाड़ा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.7.2001 को 8.00 किलोमीटर लम्बाई में 108.76 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई तथा विभाग द्वारा इसकी वित्तीय स्वीकृति 65.26 लाख रुपये की दिनांक 25.7.2001 को जारी कर दी गई थी। माननीय विधायक महोदय श्री संयम लोढ़ा द्वारा इस सड़क का निर्माण मनादर से रोवाड़ा घाटे को पार करते हुये कराये जाने की वांछना दिनांक 16.8.2001 को की गई। इस सड़क की लम्बाई बढ़कर 13.5 किलोमीटर एवं लागत बढ़कर 176.63 लाख रुपये होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर संशोधित तखमीने तैयार कराये जा रहे हैं। तद्नुसार मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय की अपूर्ण सड़कें

122. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत दस वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भिनाय के ग्रामों में कृषि उपज मण्डियों द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब कौन-कौन सी सड़क का?

(2) क्या उक्त सड़कें पूर्ण हो गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब सरकार कब तक उक्त सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जीं, हां। वर्षवार एवं सड़कवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं? उक्त सड़कों में से मात्र एक सम्पर्क सड़क बावड़ी से शेरगढ़ की 5 किलोमीटर लम्बाई एवं 7.50 लाख रुपये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23.8.1994 को जारी की गई थी, किन्तु 7.20 लाख व्यय किये जाकर 2.30 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण किया जा सका है। पूर्व अनुमान तखमीने की खामी के कारण सड़क निर्माण अधूरा रहा।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) उक्त सड़क को कृषि उपज मण्डी समिति के प्रस्ताव एवं राशि की उपलब्धता पर पूर्ण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

जिला गंगानगर व हनुमानगढ़ की कृषि उपज मण्डियों में कपास व नरमे की आमद

123. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष सितम्बर व अक्टूबर, 2000 में इस वर्ष के मुकाबले जिला गंगानगर व हनुमानगढ़ की कृषि उपज मण्डियों में कपास व नरमे की फसल कितनी-कितनी आई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-27 देखें)

कृषि उपज मण्डियों में रिक्त पद

124. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि मण्डियों में अधिकारियों की कमी है?

(2) क्या सरकार उक्त कमी पूर्ति के लिये नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। चयन सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 मार्च को जब वित्त मंत्रीजी बजट पेश कर रहे थे तो मैंने कर प्रस्तावों की कापी आपके सदन पटल पर रखी थी और कहा था कि स्वार्थवश बजट लीक किया गया है और गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री ने प्रेस कान्फ्रेंस में यह माना था कि यह प्रेस नोट है जो लीक हो गया है और फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि यह बजट लीक नहीं है। अब जबकि इन्होंने इस बजट लीक प्रकरण में तीन व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है तो यह सिद्ध हो गया कि यह बजट लीक हुआ है....

श्री नंदलाल बंशीवाल : राज्यपाल महोदय को भी लिखित में हमने सूचना दी थी....

धरना

कथित बजट लीक प्रकरण में श्री यशवन्त सिंह (रामू) एवं श्री नंदलाल बंशीवाल द्वारा धरना

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरा आपसे अनुरोध है कि वित्त मंत्री इस्तीफा दें नहीं तो मैं अनिश्चितकाल के लिये धरने पर बैठता हूं।

(माननीय सदस्य श्री यशवन्त सिंह (रामू) व श्री नंदलाल बंशीवाल द्वारा सदन की वैल में धरना)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मानिक चन्द सुराना एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बाजरे, मूंगफली एवं मक्का की समर्थन मूल्य पर कथित खरीद न किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिश चन्द कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन सिटी में समर्थन मूल्य पर बाजरा क्रय करने हेतु केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं करने के सम्बन्ध में।

राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद की स्थिति पर आज सदन में विचार किया जाएगा

श्री देवीसिंह भाटी : आपने तो अनर्थ कर दिया, मैं तो इसके लिये आमरण अनशन पर बैठने वाला था इसीलिये स्थगित किया है कि बाजरे की खरीद शुरू हो गयी लेकिन जो अन्य विषय थे वह मैंने इसमें उठाये हैं। अनर्थ ना करो, आसन सूं म्हारो थोड़ो निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : समर्थन मूल्य पर खरीद करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री देवीसिंह भाटी : हां, हां।

श्री अध्यक्ष : राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद की स्थिति पर आज सदन में विचार किया जाएगा, अतः उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री केसाराम चौधरी एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विद्युत वितरण निगमों द्वारा मनमानी कार्यवाही करने से विद्युत उपभोक्ताओं में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर कल दिनांक 9 नवंम्बर, 2001 को सदन में विचार किया जाएगा, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 6 सदस्यों की ओर से शाही रेलगाड़ी में फेम ट्यूर की आड़ में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा 67 यात्रियों को मुफ्त रेल यात्रा कराने से हुई हानि के सम्बन्ध में।

(6) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 9 सदस्यों की ओर से राज्य में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का अनुदान बंद कर देने की कथित घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से उद्योगों हेतु ऋण लेने के उपरांत भी सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम को अनुदान का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से रबी 2000-2001 की फसल का आबियाना माफ करने एवं किसानों द्वारा लिये गये ऋण की वसूली को एक वर्ष के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिश चन्द कुमावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति कुचामन सिटी के ग्राम उगरपुरा के रास्ते का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से बड़ी सादड़ी उप खण्ड मुख्यालय में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारंची के बंद पड़े आयुर्वेद औषधालयों को चालू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से पुष्कर के कपालेश्वर मंदिर की खातेदारी भूमि का म्यूटेशन नहीं करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से समाज कल्याण छात्रावासों की समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय यशवन्त सिंह (रामू) को और माननीय नंदलाल बंशीवाल को यह अनुरोध करता हूं। कि यह बजट लीक प्रकरण के ऊपर चूंकि राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला पैंडिंग है, यहां पर धरना नहीं दे और अपना स्थान गृहण करें और इसको यहां पर विवाद का विषय नहीं बनाएं। मेरा यह व्यक्तिगत अनुरोध है। यह चूंकि मेरे लोकतांत्रिक कांग्रेस समूह दल के मैम्बर भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बजट लीक प्रकरण पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसी घटना है....

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, बैठो, आप बैठो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिसने न केवल विधान सभा की गरिमा को कम किया है बल्कि बजट की सैंक्टिटी को कम किया है। मेरा आग्रह इतना ही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप इस पर समय नियत कर दें, सरकार जवाब दे दे, हम इनसे निवेदन करेंगे कि यह उठ जाएं। आप समय तो निश्चित करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य धरने पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे कोई समय निश्चित नहीं होता है। बिराजिये। श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सर्वोच्च सदन में माननीय दो सदस्य धरने पर बैठे हैं उसका कुछ तो मायने है। कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप समय निश्चित कर दें। आपसे आग्रह इतना ही है कि आप समय निश्चित कर दें, सरकार जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : किस चीज का समय निश्चित करूं? काहे का समय निश्चित करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसी सदन के अन्दर वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि बजट लीक नहीं हुआ और आज बजट के प्रकरण के अन्दर तीन-तीन गिरफ्तारियां हो गयीं और जब इस तरह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से ट्रेप में आ गयी है। पहले सरकार ने मना किया कि किसी प्रकार का लीक नहीं हुआ लेकिन अब तीन-तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने बजट को लीक किया है और इस पर विशेष तौर से सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार पूरी तरह से ट्रेप में है। सरकार ने जानबूझकर...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय मानिक चन्द सुराना।

डा. किरोड़ी लाल : X X X

नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

वर्ष-2000-2001 की रबी की फसल का आबियाना माफ करने एवं ऋण वसूली स्थगित करने विषयक

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निम्न विषय पर सदन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गत वर्ष फरवरी, 2001 में ही काश्तकारों को नहर से पानी दिया जाना बन्द कर दिया गया था और उससे पूर्व नवम्बर, 2000 से पानी की कमी को ध्यान में रखते हुये साढ़े तीन रोज की बारी काश्तकारों के लिये बना दी गयी थी। साढ़े तीन रोज की बारी बनाने का उद्देश्य यह था कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चकों की आबादी व पशुओं के लिये पीने का पानी निरन्तर उपलब्ध होता रहे एवं जितने से क्षेत्र में काश्त सम्भव हो वहां काश्त भी हो जावे।

कंवरसेन लिफ्ट कैनाल के क्षेत्र में (जो इ.गा.न.प. का ही भाग है) 22-23 जुलाई, 2000 के मध्य हुई भयंकर बारिश के फलस्वरूप आयी बाढ़ में अनेक चक आबादियां जलमग्न हो गयीं और अनेकों गांव भी जलमग्न हो गये और बाढ़ के पानी के फलस्वरूप लिफ्ट कैनाल में बने खाले (वाटरकोर्स) जिनके माध्यम से किसानों के

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खेतों में पानी पहुंचता है वे भी क्षत-विक्षत होकर नष्ट हो गये।

जून, 2001 में मेरे निवेदन पर अधीक्षण अभियंता (लिफ्ट कैनाल), अधिशासी अभियंता (लिफ्ट कैनाल), एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री भाटी ने लिफ्ट कैनाल क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र का दौरा कर इस बात की तसल्ली की कि काश्तकारों के खेतों में किसी भी प्रकार की कोई उपज नहीं हुई है। किसानों द्वारा हजारों प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता (लिफ्ट कैनाल) को प्रस्तुत किये गये जिसके द्वारा किसानों ने मामला माफ करने की प्रार्थना की।

ऐसी स्थिति खाजूवाला क्षेत्र की (जो मुख्य अभियंता (नार्थ) के क्षेत्राधिकार में है) व ऐसी ही स्थिति पूगल क्षेत्र की थी, जो उस वक्त सिंचित क्षेत्र विकास के नियंत्रण में था।

रबी की 2000-2001 की फसल क्षेत्र में 20 प्रतिशत से नीचे थी और साधारणतया 80 प्रतिशत खराबा होने व मुख्य अभियंता, इ.गा.न.प. एवं इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड द्वारा मामला माफ करने की सिफारिश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मामला माफ न करके वसूली के आदेश जारी कर दिये हैं, जिसके फलस्वरूप इ.गा.न.प. के सिंचित क्षेत्र के किसानों में अत्यधिक रोष, असंतोष और उनके साथ अन्याय किये जाने की भावना व्याप्त हो गयी है।

राज्य सरकार द्वारा इ.गा.न.प. क्षेत्र में 20 प्रतिशत से नीचे की औसत फसल होने के कारण उनके द्वारा की जा रही वसूली किसानों के साथ सरासर अन्याय है और इर्रिगेशन व ड्रेनेज एक्ट की भावना का पूरा मखौल है।

रबी 2000-2001 की फसल के दौरान काश्तकारों द्वारा विभिन्न बैंकों व सहकारी बैंकों से जो फसल हेतु एक साला ऋण लिया गया है उस ऋण की वसूली भी बैंकों द्वारा की जा रही है, जबकि फसल बरबाद हो चुकी है। उक्त ऋण की वसूली से भी किसानों में अत्यधिक बेचैनी व असंतोष की भावना है। "रोडा एक्ट" के तहत कलक्टर को भी उक्त वसूली रोकने का कोई अधिकार वैधानिक नहीं है, जबकि उक्त वसूली किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये तत्काल रोकी जाना आवश्यक है। उक्त वसूली के लिये किसानों को एक साल का समय दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में की गयी रबी की फसल के नतीजे अच्छे होने पर उक्त वसूली अप्रैल-मई, 2002 की फसल समाप्ति के समय चुकायी जा सकती है, इसलिये इ.गा.न.प. क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार को चाहिये कि वह इ.गा.न.प. क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुये उनसे वार्ता कर उक्त वसूली को एक साल के लिये रुकवाने हेतु बैंकों को आवश्यक निर्देश प्रदान कराने की व्यवस्था करें। ऐसा न किये जाने की स्थिति में हजारों किसानों की कृषि भूमियां नीलाम हो जावेगी और किसान अपने उत्पादन के साधन से महरूम हो जावेंगे।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह रबी 2000-2001 की फसल का आबियाना (सिंचाई शुल्क) माफ करने की घोषणा करें और उस अवधि में बैंकों के माध्यम से किसानों द्वारा फसल बीज के लिये लिये गये ऋण की वसूली को एक साल के लिये भारत सरकार के माध्यम से स्थगित कराने का भागीरथ प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश चन्द कुमावत।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 2001-2002 का आबियाना इ.गा.न. क्षेत्र का राज्य सरकार ने माफ किया और इसलिये सन् 2000-2001 जिसमें कोई फसल नहीं हुई, वह आबियाना भी तत्काल माफ किये जाने की घोषणा होनी चाहिये। माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी बैठे हैं। कोई फसल हुई है तो आप बतायें न कि हां, फसल हुई है।

श्री देवीसिंह भाटी :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से थोड़ा प्रोटक्शन और थोड़ी मदद चाहते हैं उस किसान के लिये। यह इस दफा स्पष्ट है नरम कपास की फसल, बहुत अच्छी किया सरकार ने प्रयास करके आबियाना माफ कर दिया। हम उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि पिछले वर्ष हमें पंजाब से अपना हिस्सा या हमें पानी नहीं मिला। वह नहरें बिलकुल सूखी रहीं, पीने को पानी नहीं मिला और कुछ भी फसल नहीं हुई लेकिन फिर भी आबियाना वसूली की जा रही है। इसके लिये हम आपसे चाहेंगे कि कृपया आप मंत्री महोदय को कहें कि वह इस प्रकार से आश्वस्त करके, इसके ऊपर कुछ निर्णय लेंगे।

कृपया मंत्री महोदय, कुछ तो जागो कब तक सोये रहोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश चन्द कुमावत।

पंचायत समिति कुचामन सिटी के ग्राम उगरपुरा के एक रास्ते का अतिक्रमण हटाने विषयक

श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण कर अवरोध पैदा करने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, ग्राम उगरपुरा (श्रवणपुरा) (आसनपुरा) पं.स. कुचामन सिटी में खसरा नं. 1046/572 कटाण के रास्ते को खुलवाने के आदेश कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा आदेश क्रमांक विविध/ 2001/2142 दिनांक 18.9.01 तथा इससे पूर्व इसी कार्यालय का पत्रांक एफ 1/बी/2017/ 2001/663-14 दिनांक 18.9.01 द्वारा भी कटाण के रास्ते का अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुला करवाने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में रास्ते पर अतिक्रमण करने की प्रक्रियां चालू करने के साथ-साथ ही श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार, कुचामन सिटी को बार-बार निवेदन किया जाता रहा है। इससे पूर्व भी अतिक्रमणकारियों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्तों में अवरोध पैदा किया गया था जो

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

तहसील द्वारा हटवाया गया था। फिर भी बार-बार अतिक्रमण कर व अधिकारियों से सांठ गांठ कर अतिक्रमणकारी द्वारा बार-बार अपराध किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में भी रास्ते का अतिक्रमण हटाने के लिये प्रस्ताव पारित कर लिखा गया है।

ग्राम पंचायत हिराणी में खसरा नं. 369 गैर मुमकिन श्मशान जिसकी भूमि 1.01 हैक्टेयर है, इस श्मशान भूमि में खसरा नं. 368 व 384 में उत्तर दिशा की ओर रिकार्ड में रास्ता दर्शाया गया हुआ है। ये श्मशान राजपूत, माली, मेघवाल, जांगीड़, जाट सभी लोगों का सार्वजनिक श्मशान है। परंतु इसके रास्ते को बंद कर दिया जाता है जिससे शवयात्रा के दौरान व्यवधान उत्पन्न होता है व कई बार लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। इस रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में हिराणी पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 28.5.2001 में प्रस्ताव संख्या-2 के द्वारा भी निर्णय लिया गया है। इस रास्ते को श्री नरसीराम चौधरी द्वारा पहले भी बंद कर दिया था जिसे सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा खुलवाया गया था। तहसीलदार, नावां ने भी रास्ता खुलवाने के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक भू/वि/01/1831 दिनांक 28.5.01 द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिया गया जिसमें श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी परबतसर के आदेश का भी संदर्भ अंकित है।

इस प्रकार सार्वजनिक रास्तों की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण कर जघन्य अपराध किया जा रहा है। अतिरिक्त तहसीलदार, कुचामन सिटी को ऐसे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के मजिस्ट्रेट के अधिकार भी हैं। परंतु रास्तों का अतिक्रमण खुलवाये जाने की बजाय टालमटोल कर अतिक्रमणकारियों को उत्साहित किया जा रहा है जो एक बड़ा जुर्म है। इससे इन क्षेत्रों में अशांति फैल सकती है। झगड़ा फ़साद हो सकता है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार का ध्यान रास्तों के अतिक्रमण शीघ्र हटाने के लिये दिलवा रहा हूं। कृपया अतिरिक्त तहसीलदार, कुचामन सिटी व अन्य अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये सख्त निर्देश दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बड़ी सादड़ी उप खण्ड मुख्यालय में महाविद्यालय खोलने विषयक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने बाबत।

महोदय, राजस्थान के अधिकांश उप खण्ड केन्द्रों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन की व्यवस्था हो, लेकिन विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ उप खण्ड मुख्यालय कालेज शिक्षा से आज भी वंचित है। राजस्थान के कई महाविद्यालय उप खण्ड क्षेत्र केन्द्र से नीचे तहसील केन्द्रों तक भी स्थापित है। सरकार द्वारा बजट घोषणा में भी अंकित है कि आने वाले वर्षों में उक्त क्षेत्र को संलग्न करने के बाद भी इस क्षेत्र की जनता के प्रति न्याय नहीं हो रहा है। बड़ी सादड़ी क्षेत्र की विशेष आवश्यकता है लेकिन राज्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सरकार द्वारा इसे टाला जा रहा है इससे राज्य सरकार की भेदभाव की नीति उजागर होती है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

विधान सभा क्षेत्र खारची के बंद पड़े आयुर्वेद औषधालयों को चालू करने विषयक

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : आयुर्वेद के रिक्त पदों को भरने व बंद पड़े औषधालयों को चालू करने हेतु नियम 295 रा.वि.स. के प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके माध्यम से मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सरकार का ध्यान खारची विधान सभा के बंद पड़े आयुर्वेद औषधालयों एवं रिक्त पदों को भरने के लिये निवेदन करता हूं कि गत सत्र के दौरान भी मंत्रीजी द्वारा बंद पड़े औषधालयों एवं रिक्त पदों को शीघ्र भरने को कहा था। मुख्य मंत्रीजी को भी ग्रामवासियों ने सिनला औषधालय बंद पड़ा होने की रिपोर्ट अकाल राहत के तहत जाड़ण पंचायत के दौरे के समय पेश की थी उसके बावजूद भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

कुछ औषधालयों में केवल परिचायक ही लगे हुये हैं तथा रिक्त पदों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	औषधालय का नाम	आयुर्वेद चिकि.	नर्स/ कम्पा-उन्डर	परि-चारक
1.	सिनला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2.	घेनड़ी	रिक्त	रिक्त	×
3.	निपल	रिक्त	रिक्त	×
4.	कराड़ी	रिक्त	×	×
5.	गजनीपुरा	रिक्त	×	रिक्त
6.	केसली	×	रिक्त	×
7.	जोजावर	×	रिक्त	×
8.	जाडण	×	रिक्त	×
9.	देवली	×	×	रिक्त
10.	सिवास	×	×	रिक्त

अतः श्रीमान् के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त बन्द पड़े आयुर्वेद औषधालयों को शीघ्र चालू करवाने एवं रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आयुर्वेद मंत्रीजी को निर्देश दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

पुष्कर के कपालेश्वर मन्दिर की खातेदारी भूमि का म्यूटेशन नहीं करने विषयक

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले में धार्मिक नगरी पुष्कर में कपालेश्वर महादेव मन्दिर खसरा नम्बर 389 रकबा 11 बिस्वा में 800 वर्ष पुराना स्थित है। जिसकी स्थापना सम्वत् 1140 के लगभग बतायी जाती है। इसी मंदिर के ठीक सामने

(श्री हीरासिंह चौहान)

खसरा नं. 391 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि तथा सामने की प्याऊ खसरा नं. 429 एक बिस्वा 10 बिस्वा भूमि इस मंदिर की आई हुई है तो इस मंदिर की कदीमी कब्जे की आराजी रही है जो आज दिन तक है। लेकिन इस भूमि को हड़पने के लिये केवल शपथ पत्र के आधार से अजमेर में गत वर्षों में हुये सेटलमेंट में श्री किशन गोपाल पुत्र गंगाविशन जाति ब्राह्मण ने अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवा दी जिस पर कपालेश्वर महादेव मंदिर की ओर से भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर को अपील करने पर उन्होंने पत्रावली संख्या 7 सन् 1988 में दिनांक 12 मई, 1989 को निर्णय देकर श्री किशन गोपाल का पर्चा लगान व खातेदारी खारिज कर दी। इस पर श्री किशन गोपाल ने भू-प्रबन्धक आयुक्त, राजस्थान, जयपुर में अपील संख्या 188 सन् 1991 खिलाफ कपालेश्वर महादेव मंदिर पुष्कर के महन्त रामरतन गिरी व संतोष गिरी बड़ी बस्ती, पुष्कर के विरुद्ध की गयी। इस अपील का निर्णय श्री पी. डी. पालीवाल (आई.ए.एस.) भू-प्रबन्धक आयुक्त, जयपुर ने इसी अपील संख्या 188 सन् 1991 में अपना निर्णय दिनांक 3.10.94 को भू-प्रबन्धक अधिकारी, अजमेर के निर्णय से सहमत होते हुये उक्त खसरा नं. 391 व 429 की भूमि को कपालेश्वर महादेव मंदिर के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मानी गयी लेकिन रेवेन्यू अधिकारीगण द्वारा आज दिन तक उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि उक्त मंदिर के नाम रेकार्ड में अमल दरामद नहीं है। जबकि इस मंदिर के वर्तमान पुजारी व महन्त श्री सेवानन्द गिरीजी पुष्कर द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को इस विषय में लगातार निवेदन किया जाता रहा है।

अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि पवित्र तीर्थस्थली पुष्कर के धार्मिक मंदिर कपालेश्वर महादेव के महन्त व पुजारी के नाम उक्त खसरा नम्बर 391 व 429 की भूमि का भू-प्रबन्धक, आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 3 दिसम्बर, 1994 की पालना सुनिश्चित की जाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की समस्याएं

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान निम्न तथ्यों पर आकर्षित करना चाहता हूं :—

1. यह कि समाज कल्याण छात्रावासों में छात्रों के चयन होने पर बिस्तर की बैडशीट दी जाती है जो तीन वर्षों में एक दी जा रही है। जो बैडशीट दी जाती है वह खादी भंडार से घटिया किस्म की दी जाती है। जो कि एक वर्ष के भीतर ही फट जाती है। जिसके कारण समाज कल्याण छात्रावास के विद्यार्थियों को एक वर्ष के पश्चात् बिना बैडशीट के ही सोना पड़ता है। उनके कपड़े धोने के लिये साबुन व बालों में लगाने का तेल पूरा नहीं मिलता है।

2. अधिकांश छात्रावास किराये के मकानों में व अन्य संस्थाओं के भवनों में चल रहे हैं

(श्री अमराराम चौधरी)

जिसमें विद्यार्थियों के रहने की सुविधाएं नहीं है। जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को उचित वातावरण नहीं मिलता जिससे उनकी पढ़ाई पर बहुत वितरीत प्रभाव भी पड़ता है।

मेरा श्रीमान् के माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन है कि शीघ्र ही अच्छी किस्म के बैडशीट 3 वर्ष के बजाय 2 वर्ष में एक बार दिलाये जावें तथा साबुन व तेल पर्याप्त मात्रा में व अच्छी किस्म का दिया जाये।

मेरा यह भी निवेदन है कि जहां समाज कल्याण छात्रावासों के लिये भूमि उपलब्ध है, उस भूमि में शीघ्र ही समाज कल्याण छात्रावास बनाने की वित्तीय स्वीकृति तुरन्त दिलाने का निर्देश प्रदान करावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दो मिनट चाहूंगा। सदन के दो माननीय सदस्य धरना दिये हुये बैठे हैं। उनकी मांग यह है कि बजट लीकेज के सम्बन्ध में चर्चा की जाये और दोषियों को दण्ड दिया जाये। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला कई जगह अभी विचाराधीन चल रहा है, ऐसी स्थिति में तत्काल इस मामले पर चर्चा हो इसकी बजाय यह अच्छा हो कि सब आपस में बैठकर इस मामले पर किस तरह से कार्यवाही की जा सकती है, उस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) व श्री नन्दलाल, माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

जयपुर में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न हुई समस्याएं विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा कि गुलाबी नगर, जयपुर राजस्थान की राजधानी सहित सम्पूर्ण राजस्थान में माननीय गृह मंत्री, राजस्थान के अनुसार तीन हजार पांच सौ बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं तथा अधिकतर जयपुर शहर में बस्तियां बना कर रह रहे हैं। यह अवैध रूप से रह रहे लोग जयपुर सहित सम्पूर्ण राजस्थान में दंगा-फसाद कराने की योजना बनाते रहते हैं।

5 अगस्त, 2001 को विधायकपुरी इलाके में गोपाल बाड़ी के नजदीक बसे बांग्लादेशियों द्वारा ट्रेवल एजेन्सियों के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में कार्यवाही करने पहुंची पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया तथा बाद में पहुंचे पुलिस अधिकारियों के सामने ऐसा आतंक मचाया कि पुलिस के डेढ़ सौ जवानों की फौज को भी पीछे हटना पड़ा तथा बांग्लादेशियों ने ही बस्ती के एक झौपडें में आग लगा दी तथा पुलिस पर जबरदस्त हमला किया जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेनीप्रसाद माधव, सिपाही दिलीप व सम्पतराम सहित अनेक जवानों पर ताबड़तोड़ हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। बांग्लादेशियों के बेखौफ हमले से पूरा राजस्थान दहशत में है और उसी समय सारे मीडिया को बुलाकर राजस्थान के गृह मंत्री

(श्री मदन दिलावर)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत द्वारा बांग्लादेशियों को शीघ्र निष्कासन व वापस बांग्लादेश में धकेलने की बात कह डाली तथा यहां तक कहा कि कल तक प्रशासन से तालमेल बिठाकर तथा तुरन्त कुछ क्षणों बाद ही इनकी रवानगी शुरू कर दी जाएगी तथा उन्होंने यह भी कहा कि इनको यहां से वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

परन्तु दूसरे ही दिन राजस्थान सरकार के कमजोर व लाचार गृह मंत्री उनको तत्काल हटाने से मुकर्र गए तथा उन्होंने दिनांक 8 अगस्त, 2001 को कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को हटाने या यहां से निकालने का मामला फिलहाल टाल दिया है। यह कायरतापूर्ण निर्णय गृह मंत्रीजी द्वारा किस दबाव में लिया गया? परन्तु यह भी सच है कि यह निर्णय घुसपैठियों, आतंकवादियों, राष्ट्रद्रोहियों के दबाव में लिया गया है क्योंकि सरकार के गृह मंत्रीजी यह कहें कि हमने सभी बांग्लादेशियों की पहचान कर सूचीबद्ध कर, चिन्हित कर लिया है और जोर-शोर से इलैक्ट्रोनिक मीडिया व प्रिंटिंग मीडिया के सामने जोरदार तरीके से डींगे हांकते हुये कहे कि कल तक यहां से धकेल दिया जाएगा परन्तु दूसरे ही दिन पलटा खा गये।

जिन विदेशी आतंकवादियों ने जयपुर शहर के बड़े भू-भाग पर कब्जा कर हमारी पुलिस व सरकार को चेतावनी दे रखी है उनको देश से बाहर निकालना तो दूर सरकार उन बस्तियों से भी नहीं हटा पा रही। इससे ज्यादा कायर, वोटों की लालची, हमारी मातृभूमि को केवल साधारण धरती का टुकड़ा समझने वाली यह सरकार खाली नहीं करवा पाई इससे ज्यादा सरकार का निकम्मापन और क्या हो सकता है?

श्रीमान्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां करने वाले खुले आम घूम रहे हैं, वहां उनको रहने के लिये सरकार बिजली और पानी की व्यवस्था कर रही है, राशन कार्ड से राशन उपलब्ध करवा रही है। आखिर इन देशद्रोहियों को, देश के साथ अन्याय करने वाले लोगों के साथ किस आधार पर यह सरकार मदद कर रही है जो इस प्रकार की बात कहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सरकार के गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, वे तुरंत इस पर अपनी बात कहें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : आतंकवादियों को कब तक निकाल दिया जाएगा, इन बांग्लादेशियों को कब तक निकाल दिया जाएगा? क्या यह सही नहीं है कि....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, आप अपनी पर्ची पर बोलें।

श्री मदन दिलावर : आतंकवादियों से राष्ट्रवादियों को खतरा हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो गया है, यह राजस्थान की सुरक्षा का सवाल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने का संकेत)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पर्ची पर बोलना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : X X X

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : X X X

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : X X X

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : X X X

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया न गृह मंत्रीजी ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया न उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : X X X

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह यादव।

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल। विराजो-विराजो।

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने का संकेत)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, नियम से आप वाकिफ हो, नियमों की बात करो।

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया।

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री ज्ञानदेव आहूजा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया, कह दिया इन्होंने, यह बात इन्होंने कह दी।

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे कि नहीं, डाक्टर किरोड़ी लालजी बोलें। आर्डर-आर्डर।

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री हीरासिंह चौहान : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी आप विराजिए प्लीज।

X X X अध्यक्षपीठ द्वारा संकेत किये जाने पर अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज।

श्री नंदलाल बंशीवाल (दौसा) : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने का संकेत)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, आपने मसला 295 के तहत उठाया, 295 आपने पढ़ दिया, सरकार ने आपकी सुन ली, इसमें कोई नियम नहीं जिसमें सरकार आपको जवाब दे, आप किसी और तरीके से यह उठाकर सरकार से जवाब ले लें। विराजिए प्लीज। डाक्टर किरोड़ी लालजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप तो नियम जानते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हो गया बहुत।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री नंदलाल बंशीवाल (दौसा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री नंदलाल बंशीवाल (दौसा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावरजी। (व्यवधान) आप बैठ जाइए, बहुत हो गया।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज विराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री नंदलाल बंशीवाल (दौसा) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) डा. किरोड़ी लाल।

पर्ची के माध्यम से उठाए गए मुद्दे

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कथित अनियमित पदोन्नतियां

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे प्रकरण को सदन में रखना चाहता हूं जिसमें सारे कानून, कायदे ताक में रखकर मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुछ लोगों का प्रमोशन किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत हाल ही में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

सिंडीकेट की बैठक में 47 लोग प्रोफेसर के चयन हेतु इंटरव्यू में उपस्थित हुए, जिनमें से सलेक्शन कमेटी ने 28 लोगों का चयन किया। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री डा. सी. पी. जोशी एवं प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष सुश्री गिरिजा व्यास का रीडर से प्रोफेसर के पद पर चयन किया गया, जबकि दोनों ही व्यक्तिशः इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हुये। इंटरव्यू में व्यक्तिशः उपस्थित हुये बिना प्रोफेसर के पद पर चयन किया गया, जबकि दोनों ही व्यक्तिशः इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हुये। इंटरव्यू में व्यक्तिशः उपस्थित हुये बिना प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन पा लेने की देश की यह पहली मिसाल है। यह इसलिये हुआ है कि एक तो सत्ताधारी दल में, इस राज में प्रभावशाली मंत्री हैं और दूसरी सत्ताधारी दल की अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जो सलेक्शन कमेटी थी उस सलेक्शन कमेटी में ए. के. सिंह, वाइस चांसलर, गवर्नमेंट की मेहरबानी से नियुक्त गवर्नमेंट नोमिनी, सिंडीकेट का मेम्बर, जिसे कांग्रेस सरकार ने नोमिनेट किया। यू.जी.सी. के आब्जर्वर प्रो.—

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या पहली बार हो रहा है? आपके कार्यकाल में भी हुये हैं, सरकार के माध्यम से हुये हैं। आपके दिमाग में यह बात डालना चाहता हूं कि आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्रीमान् चतुर्वेदी साहब जब यहां पर शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने अपनी पुत्री को इस तरह का प्रमोशन दिया था। (व्यवधान)

कहां की बात कर रहे हो? एक मंत्री प्रमोशन ले रहे हैं, एक योग्य आदमी प्रमोशन ले रहा है, क्या हो गया।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : नियम और कानून से इनकी महत्ता कहां घट रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या हो गया? नियम, कायदे, कानून आप सिखा रहे हो? समय बरबाद कर रहे हो। (व्यवधान) फ्लोर पर ऐसी बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : कंसीडरेशन का प्रोविजन है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलने दीजिए उनको।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. के आब्जर्वर प्रो. के. एल. कमल, जो वर्षों के कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक रहे तथा कांग्रेस का राज आते ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गये। सत्ताधारी पार्टी की चूंकि उन पर अनुकम्पा थी इसलिये पूरी चयन कमेटी सत्ताधारी पार्टी ने अपने हिसाब से बनायी और उसका फायदा उठाया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें यू.जी.सी. की जो गाइड लाइंस हैं, उस गाइड लाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. की गाइड लाइंस में प्रोफेसर के लिये बताया है :—

(डा. किरोड़ी लाल)

An eminent scholar with published works of high quality, actively engaged in research, with 10 years of experience in post graduate teaching, and/or experience in research at the University or National Level institution, including experience of guiding research at the doctor level, or an outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to the knowledge.

उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें बात यह है actively engaged in the research. ये दोनों जिनका प्रमोशन हुआ है they are actually engaged in the politics and they have been promoted illegally उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोफेसर का सलेक्शन कमेटी में जो प्रोसिजर है उसके बारे में इस गाइड लाइंस में लिखा है :—

"In addition to the sanctioned position of Professors, which must be filled in through direct recruitment through all India advertisements, promotions may be made from the post of Reader to that of Professor after 8 years of service as Reader. The Selection Committee for promotion to the post of Professor should be made same that for direct recruitment. For the promotion from Reader to Professor, the following method of promotion may be followed."

"The candidate should present herself/himself before the Selection Committee with some of the following documents" जिसकी पालना नहीं हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, ये है :—

(a) Self-appraisal reports (required).

(b) Research contribution/books/articles published.

(c) Any other academic contributions.

"The best three written contributions of the teacher (as defined by her/him) may be sent in advance to the Experts to review before coming for the selection. The candidate should be asked to submit these in 3 sets with the application.

(d) Seminars/Conferences attended.

(e) Contribution to teaching / academic environment/institutional corporate life.

(f) Extension and field outreach activities."

इनकी पालना नहीं की गयी। और अंत में कहा गया :—

"The process of selection should involve inviting the biodata and reprints of three major publications of which one could be a book or research report, before

(डा. किरोड़ी लाल)

the interview, and getting them assessed by the same three external experts who are to be invited for the interview. The assessment report must be placed before the Selection Committee." एक्सपर्ट की कोई असेसमेंट रिपोर्ट इस ढंग की पेश नहीं हुई।

और उपाध्यक्ष महोदय, जब इस बात का पता लगा और इसकी शिकायत की गयी तो शिकायत के बाद जब पब्लिक शिकायत हुई तो पब्लिक शिकायत के बाद यू.जी.सी. के चेयरमैन हरि गौतम ने वाइस चांसलर ए. के. सिंह को एक पत्र लिखा। यह पत्र एक अगस्त, 2000 का है, जिसमें इन्होंने लिखा है :–

"Promotion of any reader to Professor under CAS cannot be done without him or her having physically appeared in the interview. No one can be considered in absentia. Anything done aganist this UGC directive shall imply non-compliance of the UGC Regulations." उपाध्यक्ष महोदय, आगे लिखते हैं :–

"Promotion of Reader to Professor under CAS is not done aganist a vacant sanctioned post of Professor. In fact the promotion is entirely a personal position and is not against any sanctioned position of Professor. The University Grants Commission does not permit an already superannuated Reader to be considered for promotion from Reader to Professor under CAS." ये आगे और लिखते हैं :– "You are being apprised of these specific directions of the UGC and also made clear that the UGC Regulations are mandatory and superior to any other direction given from other quarters." कोई दूसरा भी अगर इस प्रकार का डाइरेक्शन यू.जी.सी. के नियमों को तोड़कर देता है तो वह भी माने नहीं है इनको डिसएप्रूव करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने राजनैतिक पदों का फायदा उठाकर अपने हिसाब की कमेटी बनवाकर उस कमेटी में उपस्थित नहीं होकर, इंटरव्यू में एब्सेंट होकर अपना प्रमोशन पाया है। सत्ताधारी दल में शिक्षा मंत्री होने के नाते इनका प्रमोशन किया गया है, और कांग्रेस के प्रदेश में सत्ताधारी दल के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने भी अपना प्रमोशन पाया। इसलिये इन सारे कानून कायदों और नियमों को ताक में रखकर अपने प्रभाव का उपयोग करके इन पदों पर प्रमोशन लिया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और यह कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने

(डा. किरोड़ी लाल)

यूनिवर्सिटी की गरिमा को नहीं रखा, यू.जी.सी. के रुल्स और रेग्युलेशंस को फालो नहीं किया। अभी यह नियमों की बात कर रहे थे, इन्होंने सारे नियमों को तोड़ा है इसलिये मेरी मांग है सदन में, आप इनसे इस्तीफा दिलायें, ये इस्तीफा है जिससे यूनिवर्सिटी की और यू.जी.सी. के रुल्स और रेग्युलेशंस की गरिमा रह सके।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है, माननीय सदस्यों को एक्जम्पशन मिला हुआ है इंटरव्यू से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अलाउ ही नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज। माननीय कटारियाजी, यह बात वे कह चुके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। अंकित ही नहीं हो रहा है और आप बोल रहे हो। अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सवाल आपका नहीं है। बिराजिये प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल रहे हैं, अंकित तो हो नहीं रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिराजिये। अंकित तो हो नहीं रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आपका यहां कहने से क्या फायदा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

(श्री यशवन्त सिंह (रामू), माननीय सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजिये प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिये मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आप किस पर बोल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह किसको कह रहे हो आप ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे, आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप बोलेंगे तो डिबेट शुरू हो जाएगी।

श्री सी. पी. जोशी : It is not an issue of a debate. आज इन्होंने कुछ बातें कहीं हैं और जिसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने यह प्रभावित किया है तो सदन को मालूम होना चाहिए कि फेक्चुअल पोजीशन क्या है फिर आपको जो कहना है वह कहना लेकिन फेक्चुअल स्थिति तो सामने आनी चाहिए। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि— (व्यवधान) आप मदनजी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई है उसके सम्बन्ध में जो वस्तु स्थिति है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद यह सदन के ऊपर है कि हम चीजों के बारे में भावनाओं में बहकर निर्णय करें, व्यक्तिगत आदमी पर आरोप लगाकर निर्णय नहीं करें और जो एक्ट का प्रोविजन है उसको समझ कर काम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को चैक कर लें। यू.जी.सी. का जो रेफरेंस हम दे रहे हैं वह यू.जी.सी. का कागज राजस्थान सरकार को मार्च, 2000 में रिसीव हुआ है। इसलिये यह कहना कि यू.जी.सी. की गाइड लाइंस 1998 से लागू होती है, यह रिलेवेंट नहीं है। यू.जी.सी. ने ग्रेड 1996 में लागू की थी। 1996 में ग्रेड लागू होने के बाद उन्होंने प्रमोशंस के एवेन्यूज प्रमोट किये और एवेन्यूज प्रमोट करने के बाद यू.जी.सी. ने उसको विदड्रा किया और विदड्रा करने के बाद यू.जी.सी. ने 2000 में यह कहा कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम यह लागू होगी जिसको कोट किया डा. किरोड़ी लालजी ने। उस लैटर को आप पढ़ लें, डेट पढ़ लें, वह मार्च, 2000 की है। इसका मतलब मार्च, 2000 के पहले कोई भी स्कीम किसी भी स्टेट में यू.जी.सी. की गाइड लाइंस से रीडर से प्रमोशन की नहीं थी। इसलिये एक बात तो है कि आप अपने आपको क्लियर कर लें कि 1998 से इसको लिंक करने का कोई सम्बन्ध नहीं है, नम्बर एक।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

(13.00 बजे)

नम्बर दो, जो आपने कोट किया है उसमें लिखा है वर्ड वन्स अगेन, आप पढ़ लें कि जो यू.जी.सी. के एक्ट के अंदर सलेक्शन कमेटी का प्रोविजन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उसी प्रोसीजर को फालो किया जाएगा और आप चाहें तो वर्ड 'मे', यदि वे चाहें तो 'मे' वर्ड है, ये चीजें भी कर सकते हैं। आप पढ़ लें उसको। इट इज नाट मेंडेटरी। मेंडेटरी यह है कि यूनिवर्सिटी को छूट दी गई है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो आपके प्रोविजंस हैं उन रिक्रूटमेंट के प्रोविजंस के आधार पर ही कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का प्रमोशन होगा। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट तो एग्जिस्ट करेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई इससे सम्बन्ध नहीं है। यदि बोटनी में, फिजिक्स में, साइकोलोजी में डायरेक्ट प्रोफेसर की पोस्ट आइडेंटिफाई है तो उसका कैरियर एडवांसमेंट स्कीम से उस पोस्ट को नहीं भरा जाएगा, वह पोस्ट वैसी की वैसी रहेगी और यू.जी.सी. ने लिखा है कि यह स्कीम एक परमानेंट स्कीम है जो बराबर चलती रहेगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठना चाहिए जो रिलेवेंट हो कि सी. पी. जोशी है, चाहे गिरिजा व्यास है, प्रोफेसर सांवरमलजी या रतन लालजी जाट हैं, वो उस क्वालिफिकेशन के लिये क्वालिफाइड हैं या नहीं है। यदि क्वालिफाइड नहीं हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यदि क्वालिफाइड हैं तो बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को किसी पर राजनीतिक आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि डाक्टर गिरिजा व्यास, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, डाक्टर गिरिजा व्यास 1986 में रीडर...

श्री सांवरलाल (भिनाय) : मुझे तो पांच साल हो गये। मैं पांच साल पहले प्रमोट हो जाना चाहिए था। मुझे क्यों नहीं...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप अपनी बात बोलो न। (व्यवधान) आप की बात सुन रहा था मैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सही चीज सामने आ जाए उसके बाद आप निर्णय कर लें। डाक्टर गिरिजा व्यास 1986 में सलेक्टेड रीडर बन गई थीं। 1986 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय विपक्ष के नेता को, डाक्टर आर. पी. सिंह ने कोर्ट में केस किया। डा. आर. पी. सिंह के कोर्ट में केस करने के बाद यह फैसला किया गया कि 10 ईयर्स तक जो आदमी प्रमोशन हो गये रीडर से प्रोफेसर के, उनकी वन-टाइम स्कीम जो आपने कैंसिल कर दी थी उस समय, उस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उस स्कीम को लागू किया जाए और वन-टाइम करके इसको बंद कर दिया जाए। डाक्टर रतन लालजी जाट उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस कोर्ट के आर्डर के आधार पर 1986 के 10 साल के जो प्रोफेसर बन गये जो रिटायर हो गये, माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, उन रिटायर्ड प्रोफेसर्स को भी बिना इंटरव्यू के उस कोर्ट के फैसले के अंतर्गत प्रोफेसर बनाया गया। यह

(श्री सी. पी. जोशी)

आपके समय का है। मैं आपको उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। मैं यह बात कह कर अपनी बात आगे बताना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने, सी. पी. जोशी ने शिक्षा मंत्री के रूप में कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाया जिस नियम का वायलेशन किया जाए। यू.जी.सी. की गाइड लाइंस के आधार पर राजस्थान के टीचर्स प्रमोशन चाहते थे। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के आधार पर प्रमोशन चाहते थे। उस प्रमोशन के आधार पर जो स्कीम एंवीसेज की गई उसके अंतर्गत कोई भी अध्यापक जो दो साल की छुट्टी पर है, जिसमें प्रोफेसर सांवरमलजी भी हैं, प्रोफेसर रतन लालजी जाट भी हैं, जिसमें सी. पी. जोशी भी हैं, उन सबको छूट दी गई थी कि आप अपना चाहें तो इंटरव्यू दें, आप चाहें तो अपना इंटरव्यू नहीं दें। यू.जी.सी. में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में क्वालिफिकेशन को आधार माना है। क्वालिफिकेशन यह कि कोई व्यक्ति 8 साल तक रीडर रहा है, पीएच.डी. है, एक किताब पब्लिश की है, दो पेपर पब्लिश किये हैं, यह मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है तो वह आदमी प्रोफेसर बनने के लिये एलिजिबल है उस एक्ट के नियम और कानून के अंतर्गत। उदयपुर विश्वविद्यालय के एक्ट के अंदर जो एंवीसेज किया गया उसके नियम और कानून के अंतर्गत जो बोर्ड बनना चाहिए सलेक्शन कमेटी का, उस बोर्ड को बनाने में सी. पी. जोशी की भूमिका नहीं है। अभी कहा गया कि प्रोफेसर कमल कांग्रेस के आदमी हैं। प्रोफेसर कमल कांग्रेस के आदमी हैं राठौड़ साहब, तो प्रोफेसर कमल को यू.जी.सी. नामिनी बनाने वाले सी. पी. जोशी नहीं हैं, यू.जी.सी. नामिनी बनाकर भेजने वाले, जो आब्जर्बर के रूप में गये उदयपुर में, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुरुषोत्तमजी अग्रवाल हैं जो अजमेर के वाइस चांसलर हैं, इन यू.जी.सी. नामिनी का, आब्जर्वर का सलेक्शन यू.जी.सी. करती है। भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी उसके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आब्जर्वर बनाकर भेजा प्रोफेसर कमल को उदयपुर में, सी. पी. जोशी ने नहीं भेजा है। आज राजस्थान के राज्यपाल महोदय हैं तो राज्यपाल महोदय को सी. पी. जोशी ने नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। यदि एक्सपर्ट का सलेक्शन यदि करते हैं तो एक्सपर्ट का सलेक्शन आर.पी.एस.सी. करती है, सी. पी. जोशी एक्सपर्ट का सलेक्शन नहीं करते हैं। इसलिये हम खाली यह ब्लेंकेट आरोप लगा दें, मैं जब रीडर बना कटारिया साहब, तब मैं नान पीएच.डी. था। मैं 1975 से लैक्चरर हूं यूनिवर्सिटी में। यू.जी.सी. के अन्तर्गत 16 साल के अंदर नान पीएच.डी. रीडर बनता है। रीडर बनने के बाद मैंने वहां पर चुनाव हारने के बाद 1990 के अंदर अपने आपको मैंने रजिस्टर कराया। मैं रीडर बना हूं नान पीएच.डी.। उसके बाद मैंने पीएच.डी. की है। उसके बाद मैंने एलएल.बी. की है, उसके बाद मैंने पीएच.डी. करवाई है, उसके बाद मैंने किताब लिखवाई है, उसके बाद मैंने पेपर पब्लिश किये हैं। बहुत क्वालिफिकेशन हैं जो मैंने शिक्षा मंत्री बनने के पहले प्राप्त की हैं, केवल एक

(श्री सी. पी. जोशी)

क्वालिफिकेशन मैंने प्राप्त नहीं की है। (व्यवधान) आप बोल दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना बाद में। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने अपने पूरे जीवन में जिस दिन से आप सलेक्ट हुये, कभी इंटरव्यू फेस किया क्या?

श्री सी. पी. जोशी : किसका?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बता दो कि जबसे लैक्चरर बने हो तब से लेकर अब तक कभी इंटरव्यू फेस किया है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : हां, बता रहा हूं। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य यह सदन में अपन दोनों लिख लें, यदि मैंने फेस नहीं किया है तो मैं रिजाइन कर दूंगा या आप रिजाइन कर देंगे। हियर-से के आधार पर अपनी बातें न करें। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिये। मेरी बात सुनिये। मैं आपको यह बात कह रहा हूं। (व्यवधान) मेरा जो सलेक्शन हुआ है 23 जनवरी—

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका जो सलेक्शन हुआ वह किस इंटरव्यू के आधार पर हुआ?

श्री सी. पी. जोशी : मैं बता रहा हूं आपको। आप लिख कर दें। मैं रिजाइन कर दूंगा नौकरी से। मेरा सलेक्शन हुआ है। (व्यवधान) आप अपनी बात बोलिये न। आपकी बात सुन ली न। (व्यवधान) यह अजीब बात है। आप अपने आरोप लगायें, किसी की बात भी सुनना नहीं चाहें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम दिया था कि आपको 12 तारीख को इंटरव्यू देना है। जब आपको छूट मिल सकती है तो मुझे किस बात के लिये इंटरव्यू के लिये बुलाया जा रहा है। आज मैं 6 साल से एलिजिबल हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कमेटी केवल कांग्रेस के लोगों के लिये है क्या?

श्री सांवरलाल : मैंने पीएचडी. कर रखी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :—आपने इंटरव्यू नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये दर्पण में अपना चेहरा देख लें कि ये प्रोफेसर जैसे लगते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सांवरलाल : हम लग रहे या नहीं लेकिन आप अपनी देख लें कि क्या लग रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, मैं

(श्री सी. पी. जोशी)

सम्मान करता हूं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य का, पर तथ्यों की जानकारी नहीं, भावनाओं के आधार पर कह रहे हैं। सी. पी. जोशी 23 जनवरी, 1975 को उदयपुर यूनिवर्सिटी में लैक्चरर बना है। तत्कालीन वाइस चांसलर थे डा. राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में एम.एल.सी. रहे हैं, वे वाइस चांसलर थे। उन्होंने इंटरव्यू करवाया जिसमें जोधपुर का एक्सपर्ट आया। उसके बाद यह इंटरव्यू होना चाहिए था और उसके बाद मेरा सलेक्शन हुआ है। किसी की मनमर्जी पर नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं सलेक्शन होकर आया हूं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुनिये। 1975 में लैक्चरर के बाद यू.जी.सी. को आप कोट कर रहे हैं उसी यू.जी.सी. ने लिखा है कि जो आदमी 16 साल तक नौकरी कर ले और नान पीएच.डी है वह आदमी रीडर बन सकता है। 13 साल तक नॉन पीएच.डी. है वह रीडर बन सकता है। उस स्कीम के अन्तर्गत जो तत्कालीन वाइस चांसलर थे डा. आर. एन. सिंह, जिस वाइस चांसलर की सलेक्शन कमेटी में एन. वी. माथुर जो एक्स वाइस चांसलर रहे, एस. एन. सिन्हा जो एक्स वाइस चांसलर रहे, जी. सी. राय भी एक्स वाइस चांसलर रहे हैं, उस सलेक्शन कमेटी के बाद मैं रीडर बना हूं। मैं रीडर ऐसे ही नहीं बना हूं। और आज भी मैं यह कहना चाहता हूं, इस सदन के रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि 1990 में चुनाव हारने के बाद रीडर बना हूं नान पीएच.डी.। रीडर बनने के बाद मैंने पीएच.डी. की है, रीडर बनने के बाद मैंने एलएल.बी. की है, रीडर बनने के बाद मैंने पीएच.डी. करवाई है, रीडर बनने के बाद मैंने किताब लिखी है, रीडर बनने के बाद मैंने पेपर लिखे हैं। मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर बना हूं मार्च, 2001 में। यह सब काम मुझे पहले ही मालूम था। मुझे शिक्षा मंत्री बनना है, प्रोफेसर बनना है तो यह सब काम मैंने पहले ही कर लिये। इतनी मेरे में अक्ल है तो फिर मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि आगे की चीजों को सोचकर मैं अपने आपको तैयार कर सकता हूं। यह स्थिति नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति तो यह है कि यह छूट मैंने नहीं दी है, यह छूट राज्यपाल महोदय के यहां से दी है, सबको है। प्रोफेसर सांवरलालजी को भी है, सी. पी. जोशी को भी हैं, उसमें एक लिखा हुआ है कि आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इंटरव्यू में जाएं, आप चाहें तो इंटरव्यू में नहीं जाएं। अब मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत पर छोड़ता हूं कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं इंटरव्यू देने जाता, सलेक्शन हो जाता मेरा तो कहते कि शिक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में जाकर सलेक्शन करवा लिया। आप प्रस्ताव कर दें, मैं आज ही अपने आपको विदड्रा करता हूं और मैं इंटरव्यू देने तक के लिये तैयार हूं। फिर कल आरोप मत लगाना कि सी. पी. जोशी शिक्षा मंत्री के रूप में इंटरव्यू देने गया और अपना प्रोफेसर का सलेक्शन करवा लिया। मेरा सीधा आपसे निवेदन है मैं भैरोंसिंहजी शेखावत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बायोडेटा नहीं है तो सी. पी. जोशी हो, चाहे रामसिंह हो, चाहे सोहन सिंह हो, किसी का सलेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि मेरे बायोडेटा

(श्री सी. पी. जोशी)

यू.जी.सी. के नार्म्स के अंतर्गत आते हैं तो मैं गुलाब चन्द कटारिया साहब, प्रजेंट हूं या नहीं हूं, यह सलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, कैरियर एडवांसमेंट है। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब है कि आदमी अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाये और प्रमोशन ले। सी. पी. जोशी रीडर बनने पर नान पीएचडी. था, पीएचडी. की, आठ साल तक मैंने पढ़ाया है 1990 से लेकर 1999 तक। रीडर के रूप में मैंने पढ़ाया है। प्रोफेसर सांवर लालजी ने नहीं पढ़ाया होगा। सी. पी. जोशी ने 8 साल तक रैगुलर टीचिंग की है एज रीडर। पीएचडी स्कोलर को रजिस्टर कराया, पीएचडी. करवाई है। यह क्वालिफिकेशन मैं फुलफिल नहीं करता हूं तो आपका आरोप बिलकुल ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं आपने डेट कैसे फिक्स की। मैंने आपको बताया, डेट हमने फिक्स नहीं की। डेट फिक्स करने का आधार है, वह आधार समझना पड़ेगा। वह आधार यह है कि जिस तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी के...(व्यवधान) एक मिनट श्रवणजी।

श्री सांवरलाल : आप बैठ जाओ ना,...+ + + (व्यवधान) पढ़े लिखे हो नहीं और बात कर रहे हो पढ़ाई लिखाई की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से थोड़ासा निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : इनकी सुन लीजिये, फिर बोल लेना ना।

श्री सांवरलाल : सारी सुन ली इनकी, मेरी तो सुनें, सर। हमको तो सारा आ गया, पूरा बैक ग्राउण्ड आ गया...

एक माननीय सदस्य : इनकी सुनने के बाद तो इनकी बोलती बंद है।

श्री सांवरलाल : आपकी सारी बात सुन ली, आपकी सारी बात आ गई।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बोला है, इसलिये बोले हैं वह।

श्री सी. पी. जोशी : आपकी हर बात तो सुनी मैंने चुपचाप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लेना।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, सदन में हम एक सदस्य हैं, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारी भी कोई इज्जत है। हम भी कोई यहां पर सार्वजनिक जीवन को लेकर कुछ चलते हैं। सार्वजनिक जीवन में किसी आदमी को नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नियम बना हुआ है, वह नियम न सी. पी. जोशी के लिये बना हुआ है, न कांग्रेस के लिये बना हुआ है, न बीजेपी. के लिये बना हुआ है। वह नियम लिखा हुआ है कि जो आदमी एब्सेंट है, वह चाहे तो इंटरव्यू में दे, चाहे तो इंटरव्यू में नहीं दे, यह चॉइस आपके ऊपर है। रतन लालजी जाट या सांवर लाल जी को

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

इंटरव्यू में जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ज़ाना चाहें और रिजेक्ट होना चाहें तो मैं क्या करूंगा इसमें। ऐसा कोई लिखा हुआ नियम है तो आप देख लें, ऐसा नियम लिखा हुआ है, यह चॉइस सबके पास है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि मेरी पत्नी को प्रोफेसर बना दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो 1986 में शादी की।

श्री सांवरलाल : बहुत लेट की।

श्री सी. पी. जोशी : ...और मेरी पत्नी यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1978 से लैक्चरर थी और उसका जो बायोडेटा है माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, राजस्थान में किसी भी टीचर्स का यदि उसका बायोडेटा उससे मैच खाता है तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। उसने सैकण्डरी में टाप किया है स्कूल में, हायर सैकण्डरी में टाप किया है उसने, बी.ए. आनर्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है, एम.ए. आनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएच.डी. है वह, अब तो मेरा साला राजस्थान में आई.ए.एस. बना हुआ है। उसको भी मैंने बनाया है, कल यह आरोप लगा लोगे आप। (व्यवधान) आपने यह कहा, राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है। राठौड़ साहब ने कहा है कि खुद भी बने गये और पत्नी को भी बना दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह विषय तो किसी ने उठाया ही नहीं है। इस विषय के बारे में एक शब्द भी चर्चा नहीं हुई।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी पत्नी ही नहीं, मेरा बच्चा भी पढ़ा-लिखा होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो रेगूलर बना है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।

श्री सी. पी. जोशी :... और वह भी क्वालिफ़ाई होगा तो वह भी प्रोफेसर बनेगा राजेन्द्र राठौड़ साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो आपने अपने मन से निकाला है। हमने कोई चर्चा नहीं की उस विषय पर।

श्री सी. पी. जोशी : आपकी तरह नहीं बनेगा, वह भी कोई तो काम करेगा। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष, मैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपने नहीं कहा, इन्होंने कहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने किसी से नहीं कहा है।

श्री सी. पी. जोशी : राठौड़ साहब ने कहा है, खुद राठौड़ साहब ने कहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कांग्रेस के जो मंत्री हैं तो बी.जे.पी. के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी प्रोफेसर बना दो, समानता की बात करते हैं। कटारियाजी हैं, उनको भी बना दो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं चाहता हूं सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में यदि इस तरह की बातें रखीं तो ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता के सामने,

(श्री सी. पी. जोशी)

वह जो मुद्दे उठाये हैं इनके साथियों ने, उन मुद्दों के सम्बन्ध में यदि वह जांच कर लें, यदि सी.पी.जोशी क्वालिफाइड नहीं है तो सी.पी.जोशी को प्रोफेसर के अन्दर नियुक्ति देने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस डेट के बारे में माननीय गुलाब चन्द कटारिया ने बात की है, उस डेट का सीधा सम्बन्ध है, उस तारीख को मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में फैसला करके राजस्थान के अन्दर यह फैसला किया है और हमें आज यह कहते हुये गर्व है कि राजस्थान की इस सरकार ने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में 200 से ज्यादा प्रोफेसरों की नियुक्ति का काम किया है जो आज-दिन तक कोई नहीं कर पाया है। यह हमारा कमिटमेंट है हायर एजुकेशन के प्रति, उसमें हमने काम किया है। हमने यह नहीं पूछा है कि बी.जे.पी. का आदमी कौन है, कांग्रेस का आदमी कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी कौन है। आप पहले यह पता लगाने के लिये भेज दें कि यू.जी.सी. के नोमिनी प्रोफेसर कमल को बनाने वाला आदमी कौन है। आपकी यू.जी.सी. है, उसने अपनी रिपोर्ट लिख कर भेजी और उस रिपोर्ट के आधार पर यू.जी.सी. ने लिखकर भेज दिया कि आपका सलेक्शन ठीक हुआ, आगे बढ़िये।

उसके बाद इसलिये कि सी.पी.जोशी और गिरिजा व्यास कांग्रेस के आदमी हैं, बी.जे.पी. के आदमी दिल्ली में जाएं, दिल्ली में जाकर लैटर लिखवाकर लायें तो उस लैटर को क्यों नहीं कोट कर रहे हैं जिसमें यू.जी.सी. के चेयरमैन हरि गौतम ने लिख कर भेज दिया कि सलेक्शन ठीक हुआ है। वह कागज भी आज विश्वविद्यालय के पास में है। अब खाली पोलिटिकल आधार पर फैसला करना चाहें तो मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन में काम करने के साथ में न्याय नहीं हो पायेगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप यदि इस बात को सर्टिफाई कर लें, जांच कर लें कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं तो हमें सजा दी जानी चाहिए कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं और यदि हम क्वालिफाइड हैं तो सार्वजनिक जीवन में किसी आदमी पर इस तरह का आरोप लगाकर उसको डिमोरलाइज करके उसके राजनैतिक जीवन को खराब करने की कोशिश की जाये, उसकी निन्दा की जानी चाहिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह। समाप्त हो गया। बैठो, बैठो। (व्यवधान) बहुत हो गया, कोई मतलब नहीं है। बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये किस नैतिकता की बात करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी के रिप्लाई के बाद—

श्री उपाध्यक्ष : आपको फ्री है कि आप भी चले जाओ ना, विदाउट, कह दिया ना उन्होंने।

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक थोड़ा सा निवेदन तो सुनिये आप।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये गये हैं, उनको एक्सपंज किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का नाम लेकर जो आरोप लगाये गये है, उनको एक्सपंज किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह, बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, वह तैयार है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न, कुछ स्पेसिफिक बातें पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। अब कोई इश्यू नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, वह तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बहुत क्लीयर हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी ने जांच की बात भी कह दी।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्वेश्चन आवर सैशन नहीं है। डाक्टर करण सिंह। आप बिराजिये, बिराजिये प्लीज।

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मेरा रेफरेंस दिया है, इसलिये मुझे बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी क्वालिफाइड हैं तो आप भी जाइये।

श्री सांवरलाल : आपने कोट किया था कि सांवरलाल जी भी चाहें तो इन्टरव्यू में जायें, चाहे तो नहीं जायें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने छूट दे दी ना, आप भी क्वालिफाइड हैं।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, सुन लीजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये किस नैतिकता की बात करते हैं। भारत सरकार के मंत्री मुरली मनोहर जोशी, एच.आर.डी. मिनिस्टर भारत सरकार से पैसा उठाने के साथ-साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह उठाते रहे।

श्री सांवरलाल : आपने कहा कि यह छूट हमको मिल रही है। हमको तारीख दी कि आपको इस तारीख को आना है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साफा पहनकर यहां पर हाउस में आया हूं। ये सदस्य पता नहीं, आठवीं-सातवीं पढ़े हुये, ये राजस्थान की जनता की तौहीन कर रहे हैं, साफे की वजह से कि इनकी शक्ल देखिये। आप फोटो स्टूडियो में जाकर मेरे साथ खड़े हो जाइये, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी शक्ल कैसी है और मेरी कैसी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता की इन्होंने तौहीन की है कि साफा वाला प्रोफेसर नहीं बन सकता है, साफा वाला रीडर नहीं बन सकता है। शक्ल आपसे खराब नहीं है मेरी। आपने पूरे राजस्थान की साफा की वजह से, आपने तौहीन करने की कोशिश की है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ये तौहीन कर रहे हैं गांव वालों की, ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : विपक्ष के दोनों सदस्य अपनी गलती स्वीकार करें कि इन्होंने यहां पर गलतबयानी की है। एक माननीय सदस्य का अपयश करना चाहें जानबूझकर, यह अपयश करने की जगह नहीं है। अब किसी भी माननीय सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य का अपयश करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। बिराजिये, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कई यूनिवर्सिटीज विजिट की होंगी, एक प्रोफेसर आप बता दें जो साफा पहनकर पढ़ाता हो।

श्री सांवरलाल : यह खड़ा है न बंदा आपके सामने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : यह साफा राजस्थान की शान है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। डाक्टर करणसिंह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी मंत्रीजी ने सारा अपना आधा घंटा का भाषण पढ़कर सदन में फिर कोई ऐसी कोशिश की कि जो हमने किया, हमने उनको बेसिक क्वालिफिकेशन पर चयन किया है, प्रोफेसर बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की बेसिक क्वालिफिकेशन पर एतराज नहीं है...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : मैं माननीय शांति धारीवाल की उस बात को लेकर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने कई यूनिवर्सिटी विजिट की होंगी, इसमें आपने बहुत सारे विश्वविद्यालय देश के देखे होंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यू.जी.सी. की गाइड लाइन का वायोलेशन हुआ है... (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : राजस्थान विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें संविधान की धज्जियां 50 साल तक उड़ाई गई हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आपके सलेक्शन के बाद यू.जी.सी. में स्पेशली शिकायत की गई कि आपने यू.जी.सी. की गाइड लाइन्स को तोड़कर सलेक्शन लिया है। आपको यू.जी.सी. के अध्यक्ष डा. हरि गौतम ने जो पत्र लिखा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी राठौड़...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस पत्र में लिखा है कि आपका सलेक्शन गलत है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बात समझ लीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बैकलाग था प्रोफेसर की पदोन्नति का, वह बिलकुल सही किया गया है। आप बिलकुल गलत बात कह रहे हैं। बी.जे.पी. के दो माननीय सदस्य को रिजेक्ट कर दिया गया है कमेटी के द्वारा इसलिये आप बोल रहे है, इसलिये आप बौखला रहे हैं। क्योंकि आपके माननीय सदस्यों ने कमेटी फेस की, इंटरव्यू दिया, अब बी.जे.पी. के सिटिंग एम.एल.ए. हैं, वे फेल हुये हैं इसलिये आप कह रहे हैं। इनका सलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिये कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सी.पी.जोशी साहब जो बोले उनका जवाब तो दे न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप जांच के लिये तैयार है न मंत्रीजी। आप खड़े होकर कह दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सी. पी. जोशी साहब बोले, उनका जवाब तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये खुद कह रहे हैं जांच के लिये, कहिये आप। आप कहिये कि हम जांच के लिये तैयार हैं। ये खुद कह रहे हैं जांच के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यू.जी.सी. ने जो जवाब दिया है, यू.जी.सी. के अध्यक्ष ने जवाब दिया है, उस पर तो बोलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी ने खुद ने कहा है, सलेक्शन गलत हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यू.जी.सी. ने जो जवाब दिया है, उसको तो बोलने दो। राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ वही तो बोल रहे हैं जो यू.जी.सी. ने जवाब दिया है। यू.जी.सी. ने इसका उत्तर दिया है कि बिना इंटरव्यू।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वही तो बोल रहे हैं, राजेन्द्र जी।

श्री उपाध्यक्ष : जब मंत्रीजी ने यह कह दिया कि विपक्ष के नेता महोदय जांच कर लें कि इसमें कोई त्रुटि है.....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यू.जी.सी. जांच कराओ।

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा सलेक्शन यू.जी.सी. की गाइड लाइन्स में और उनके आब्जर्वर की उपस्थिति में किये गये हैं, जो कुछ भी फैसला करना है, यू.जी.सी. करेगी इसलिये इसको विवाद का विषय बनाने की तो काई आवश्यकता ही नहीं है। यू.जी.सी. जो चाहेगी इसके बारे में फैसला करेगी। यू.जी.सी. की पूरी गाइड लाइन्स हैं, उनके आब्जर्वर मौजूद थे। इसको विवाद का विषय बनाने की कहां आवश्यकता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये संकीर्ण विचाराधारा के लोग, ये संकीर्णता से बात करते हैं, संकीर्ण मनोवृति है, संकीर्ण दायरा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे तो सिर के ऊपर से निकल जाती है आपकी बात, शैलेन्द्र जी। आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है बात, आप क्यों बोलते हो?

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शांति धारीवाल जी की उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी। मैं इसी मुद्दे पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष :आप पर्ची पर बोलो।

डा. करण सिंह यादव : राजस्थान विश्वविद्यालय देश भर में (व्यवधान) मेरा प्रश्न इसी मुद्दे पर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं?

डा. करण सिंह यादव : मेरा इसी पर है सर।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह उसी मुद्दे पर आ रहे हैं।

डा. करणसिंह यादव : क्योंकि देश भर में आरक्षण की—

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मंत्री, एच.आर.डी. मंत्री, मंत्री पद पर रहते हुये—

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक तरफ अपनी तनख्वाह लेते हैं, दूसरी ओर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की पूरी तनख्वाह लेते हैं, ये लोग नैतिकता की बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह कहें कि मुरली मनोहर जोशी नहीं कर रहे हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय में तदर्थ व्याख्याताओं का नियमितिकरण

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्यों का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर देश भर में यह काम्पीटीशन करवाया जाय कि कौनसा विश्वविद्यालय है जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, कौनसा विश्वविद्यालय है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की अवहेलना की गई है तो मैं समझता हूं कि सारे देश में राजस्थान विश्वविद्यालय पहले नम्बर पर आयेगा। यह सामयिक विषय है जिसमें आज अखबारों में यह चर्चाएं छप रही हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थाई शिक्षकों का मामला सुलझाने के लिये सरकार कोई अध्यादेश लेकर के आ रही है। मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सन् 1978 के अंदर एक अध्यादेश के जरिये सैकड़ों अध्यापकों को नियमित किया गया था जो तदर्थ नियुक्ति से किये गये थे। सन् 1979 से लेकर के 1991 तक 163 तदर्थ व्याख्याताओं को एडहाक भी अपाइंटमेंट किया गया जो बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी इंटरव्यू के किये गये, पर्ची के माध्यम से पीछे से कोई आया और उसको भरती कर लिया गया और सन्—

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसी में से हैं शिक्षा मंत्रीजी, हां।

डा. करण सिंह यादव : यह मैं विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्रीजी उदयपुर में थे सर, यहां नहीं थे। दो तरह के तदर्थ व्याख्याता हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। एक सन् 1991 से पहले के और उसके बाद में सन् 1993, एक सम्माननीय उप कुलपति आये थे, वह सिगरेट की पर्ची के ऊपर अपाइंटमेंट दे देते थे। ऐसे 128 एडहाक अपाइंटमेंट करके आज विश्वविद्यालय में 291 व्याख्याता एडहाक नियुक्त हैं। मैं ध्यान यह दिलाना चाहूंगा कि 291 व्याख्याताओं के बारे में मैंने पिछली बार सदन में प्रश्न पूछा था कि इनमें आरक्षित वर्गों के कितने लोग हैं, मुझे जवाब दिया गया कि इनमें आरक्षित वर्गों के सात लोग हैं। हो सकता है कि सात नहीं हों, बीस हों। पिछली सरकार भी इस बात में प्रयासरत थी, कमेटियां बनाई गई कि पहले के लोगों को नियमित किया जाय, उनको स्थाई किया जाय। हमारी सरकार आने के बाद में भी यह जो अस्थाई लोग, जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, लेस क्वालिफाइड लोग हैं, जो इंटरव्यू के माध्यम से नहीं आये, जो सलेक्शन के माध्यम से नहीं आये, जिन्होंने यूनिवर्सिटी और कमीशन की, यू.जी.सी. की सब नियमों की धज्जियां उड़ाई, ऐसे लोगों को आज सरकार नियमित करने की बात सोच रही है। समय-समय पर, आप सब जानते हैं कि सदन में इस मुद्दे को मैं उठाता रहा हूं कि जब भी आप इनको नियमित करेंगे, आप आरक्षण को कैसे सुनिश्चित करेंगे। एस.सी.,एस.टी. कोटा के बैकलाग को कैसे भरेंगे। आप ओ.बी.सी. के आरक्षण को कैसे सुनिश्चित करेंगे। उसका एक तरीका तो यह हो सकता था कि इन तीन सौ पदों में से आधे पदों को तो आप जो पुराने हैं उनसे नियमन करते और आधे पद हैं उनको आप एस.सी., एस.टी. से भरते बैठ करके। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में इन तीन सौ लोगों की बहुत बड़ी संगठित लाबी है। वह बहुत वाक-चातुर्य रखने वाले लोग हैं और मौके पर हर सरकार पर दबाव डालने में सक्षम हैं। मानवीयता के आधार पर, देखिये साहब 1990 में, यह 1998 में, 1980 में भरती हुये थे और आज तक इसका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। सरकार पर यह संवेदनाएं जगा करके जहां नियमितिकरण की बात आती है, मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का आरक्षण किस तरह से करेगी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति से सरकार ने या वहां के शिक्षकों ने एक तरह का सहमति पत्र लिखवा दिया कि हम जितने आरक्षित वर्ग के पद होंगे उतने पद राजस्थान विश्वविद्यालय सृजित कर देगा। मेरा प्रश्न यह है, मैं ध्यान यह दिलाना चाहूंगा कि जहां राजस्थान की सरकार आज एक नया पद सृजन करने में बहुत समय और बहुत दिमाग पूरा लगाती है, सौ-सवा सौ पद कैसे स्वीकृत किये जायेंगे। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति को यह अधिकार है कि वह पद सृजित कर सकता? उससे आने वाले रेकरिंग एक्सपेंडीचर को कौन बियर करेगा, यू.जी.सी. से उसकी कोई परमिशन लेने की जरूरत होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो

(डा. करण सिंह यादव)

नहीं है कि एस.सी. और एस.टी. वर्ग के लोगों को झूठा भुलावा देकर के कि भाई तुम्हारे लिये भी कर लेंगे, वह लोग जो अनियमितता से भरती हुये हैं उनके प्रति तो इतनी सहानुभूति कि उनको एडजस्ट करने के लिये आप नये पद स्वीकृत करने की मेहरबानी कर रहे हैं एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के लोगों पर, नये पद सृजित करके।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य किसी पर्ची पर बोल रहे हैं या किस विषय पर बोल रहे हैं ?

डा. करण सिंह यादव : मैडम, मैं बोल रहा हूं अस्थाई लोगों पर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री जीतमल खांट : राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है—

डा. करण सिंह यादव : यह पर्ची पर बोल रहा हूं मैडम, मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किस नियम में, किस इश्यू पर बोल रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पर्ची दे रखी है।

डा. करण सिंह यादव : पर्ची पर बोल रहा हूं मैडम, मैं, मेरा अधिकार है। सम्माननीय सदस्या, मेरी पर्ची है।

श्री जीतमल खांट : यह उस विषय पर बात कर रहे हैं जहां पूरे राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है—

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय की परमिशन से बोल रहे हैं यह— (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : चेयर की परमिशन से बोल रहे हैं, पर्ची दी हुई है।

श्री जीतमल खांट : यह वह मुद्दा है जिस पर पूरे राजस्थान में आदिवासी और हरिजन अपना ध्यान रखते हैं और यह सरकार जो बनी है उसी के वोटों पर बनी है। इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव : मैडम, पर्ची पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) मेरी गुहार यह है कि कहीं ऐसा न हो कि आप अध्यादेश जारी करके उनको तो नियमित कर दें और एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोग आपके दरवाजे खटखटाते फिरते रहे। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से, जो ओ.बी.सी. के मुख्य मंत्री हैं, उनसे और उनके शिक्षा मंत्रीजी से, जिनकी संविधान को प्रोटेक्ट करने की भावना की मैं पूरी कद्र करता हूं, आदर करता हूं, मैं चाहता हूं कि सदन में यह आश्वासन दिया जाय कि पहले एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का बैकलाग भरा जायेगा, उसके बाद में कोई अध्यादेश जारी किया जायेगा। अगर इस तरह की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी सुनिश्चित करेंगे तब जा करके इन लोगों को एडजस्ट किया जाय। यही बात मैं अपनी पर्ची के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं।

श्री जीतमल खांट : बिलकुल, इस बात का हम समर्थन करते हैं, सबसे पहले एस.सी., एस.टी. का बैकलाग भरा जाय।

श्री सी. पी. जोशी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत जो अस्थाई अध्यापक हैं उनको जब नियमित करने का सवाल आयेगा तो सबसे पहले बैकलाग के जितने पद हैं एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और इनके, पहले उन पदों के ऊपर इंटरव्यू करवाये जायेंगे जिससे इस संवर्ग के लोग जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के अभी नहीं हैं, पहले वह लोग सर्विस में आयेंगे और उसके बाद यह नियमित का काम किया जायेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आर्डिनेंस के माध्यम से इनको नियमित करने की बात कही गई है, उसको रोकने की बात आयेगी इसमें ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजें प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : आप समझिये। आर्डिनेंस से करे या कुछ भी करे, आपका जो कोटा बनता है उस कोटे को भरने का काम किया जायेगा और उसको भी साथ में जोड़ा जायेगा। इसलिये दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री ललित भाटी : माननीय मंत्री महोदय, सदन यह जानना चाहता है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी।

श्री सांवरलाल : यह सारी व्यवस्था आपके कार्यकाल में लगता नहीं है कि सम्भव हो जायेगी।

श्री ललित भाटी : कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों का कोटा पूरा करने के बाद ही नियमन करा जाय।

श्री सांवरलाल : आपके कार्यकाल में यह सारी प्रक्रिया नहीं कर सकते इसलिये आश्वासन देने की जरूरत कहां पड़ रही है—(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सांवर लालजी, ऐसा नहीं, यह प्रक्रिया आपको आपके विधायक काल के समय में भी करके आपको एक आर्डर दिला दिया जायेगा, शिकायत नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष :अमरारामजी।

सीकर जिले में अकाल राहत कार्यों में हुये कथित घपले विषयक

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ऐसे एक मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं जो सरकार लगातार तीन साल से बड़े-बड़े होर्डिंग्स छपा रही है पारदर्शी-सम्वेदनशील और ऐसा मुद्दे मैं समझता हूं कि पिछले तीन साल के अकाल में एक नमूने के रूप में सदन में सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह से यह अकाल राहत, जो अकाल पीड़ित जनता को यह राहत का कार्य होना चाहिए था वह यह नमूना यह बताता है कि अकाल राहत नहीं होकर कांग्रेस राहत कार्य होकर रह गया है। सीकर जिले की नीमेड़ा ग्राम पंचायत में जिस

(श्री अमराराम)

तरह से अकाल के कामों में घपले हुये हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके नाम मैं आपके सामने पढ़कर सुना सकता हूं जिनको मरे कई दिन हो गये, लेकिन मरे हुये लोग अकाल राहत में काम करते हुये मस्टररोल में पाये गये। चावड़ी देवी स्त्री रणजीत, प्रभाती पत्नी हरफूल जो कई साल पहले मर गये लेकिन उसके बाद भी अकाल राहत में काम करते हुये मस्टररोल में पैसे उठाते हुये आपके अकाल राहत में कांग्रेस का राजकार्य चलता रहा। ऐसे लोग जो सेवा में है, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते है, वहां ड्यूटी देते हैं कश्मीर में और अकाल राहत में काम करते हुये मस्टररोल में पैसा उठाते हैं। एक नहीं, वह कम्पाउण्डर है जो चिकित्सा विभाग में भी सेवा देता है और आपके अकाल राहत में मस्टररोल में भी देता है। जलदाय विभाग के कर्मचारी उसमें काम करते हैं, कम्पाउण्डर करते हैं। ऐसे कई लोग अकेले एक पंचायत में हैं जिसकी बार-बार वहां के लोगों ने सरकार से, जिला कलक्टर के सामने शिकायतें की, ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में दो-दो अकाल राहत कार्यो में एक साथ काम कर रहे हैं और एक-दो नहीं, बीसों लोग ऐसे हैं जो एक ही दिन में दो-दो अकाल राहत कार्यो पर काम कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पैसा थोड़े दिया उनको, सरपंच ने खानापूर्ति की होगी।

श्री अमराराम (धोद) : पैसा पेमेंट हो गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बीसों की संख्या है, जो एक ही दिन में वह तालाब खुदाई भी कर रहे हैं, वह सीमेंट की सड़क भी बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक आदमी दो कामों पर किस तरह से काम कर सकता है। निश्चित रूप से जांच की गयी और, उपाध्यक्ष महोदय, ये उनके मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, सर्विस करने वाले हैं। ये मस्टररोल की फोटो स्टेट कापियां हैं जो दो कामों पर एक साथ काम कर रहे हैं। ये इस तरह के अकाल राहत कार्य केवल कांग्रेस अकाल राहत कार्य हो गये जहां कलक्टर ने जांच करवायी और आदेश दिये कि संरपच और ग्राम सेवक के खिलाफ कार्यवाही की जाए लेकिन वे निर्देश केवल कागजों में रह गये। केवल इसलिये नहीं की जाए कि वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। कांग्रेस राहत कार्य होंगे, जनता के राहत कार्य नहीं होंगे। उनके ऐसे फर्जी नाम लिख कर, ऐसी राशियां हड़प ली जाएं, 25 से 30-30 लाख रुपये के काम अकेले पंचायत समिति खड़ेला में केवल एक ग्राम पंचायत जिसमें सबसे ज्यादा काम नीमेड़ा पंचायत जिसको बार-बार वहां जिला परिषद् और जिला कमेटियों में वहां के प्रधान—।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मंत्रीजी, आप कृपा करके इनकी जांच करवा दीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, जांच हो गयी। जांच को दबा लिया गया अकाल राहत मंत्री जी—

श्री उपाध्यक्ष : इनके स्तर पर होगी न अब।

श्री अमराराम (धोद) : इस तरह से इसमें जांच कहां बाकी रह गयी है? कलक्टर ने जांच करायी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनके स्तर पर हो जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि इसमें उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि ऐसी जांच को जिन अधिकारियों ने दबाया है, ऐसे चोर लोगों को बचाने का काम किया है, उनके खिलाफ भी मंत्री महोदय, क्या कार्यवाही करने की इच्छा रखते हैं ? यह आप फरमायें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : जांच अधिकारी के द्वारा जो लोग इसमें दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जांच में अब तक जिन लोगों ने देरी की है उसकी भी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची थी। तीन दफा बुलाया आपको। आप बोले ही नहीं, मैं क्या करूं। आप बोलना ही नहीं चाहते।

श्री मदन दिलावर : नहीं श्रीमान्, मैं यहीं बैठा हुआ हूं। मेरे को आवाज नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : हाथ जोड़े मैंने आपको, बोलो आप, पर आप बोलो ही नहीं तो क्या करूं।

श्री मदन दिलावर : नहीं श्रीमान्, मेरे को आवाज नहीं दी गयी। मैं तो यहीं बैठा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं गया। मेरी पर्ची थी, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : सबसे पहले इनको बोलो। विराजिये। आप समाप्त कीजिये जल्दी। आसन की बातें सुना करो, माना करो तो आपको अवसर मिलेगा।

बालाखेड़ा, जिला बारां में जुलूस निकाले जाने विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : हां, मैं आपकी ही बात मानूंगा। श्रीमान् 8 अक्टूबर, को बारां जिले के बालाखेड़ा ग्राम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिये उस गांव के और उस क्षेत्र की जनता पूरी धूम-धाम के साथ वहां अपनी तैयारी कर रही थी। इसमें अधिकतर महिलाएं जल कलश यात्रा निकालने वाली थी उनके साथ बच्चे थे पर एक सिरफिरा आदमी आया और उसने कहा कि इधर से यह जुलूस नहीं निकालने दूंगा तो आयोजकों ने सोचा कि हम किसी प्रकार की टसल, किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहते यदि आप यहां से नहीं निकालने देना चाहते हैं तो हम दूसरे रास्ते से निकाल लेते हैं।

श्रीमान्जी, जब वे दूसरे रास्ते से निकालने को तैयार हुए तो मुस्लिम समाज के तीन युवक आये और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आज तक किसी प्रकार का मन-मुटाव नहीं रहा है, हम सब हिन्दू-मुस्लिम मिल कर रहे हैं इसलिये आप अन्यत्र कहीं से नहीं निकालें, जहां से आपने पहले मार्ग तय किया है वहीं से निकालें। श्रीमान् जुलूस निकला, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे उनके ऊपर जब जुलूस निकल रहा था तो उन्हीं तीन लोगों ने मस्जिद पर चढ़ कर प्राणघातक हमला किया जिसके

(श्री मदन दिलावर)

कारण से बहुत सारी महिलाएं और पुरुषों को चोंटे आयीं, बच्चे घायल हो गये। उसके बाद पुलिस ने जुलूस निकालने वाली महिलाओं व पुरुषों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद वहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे उन्होंने वहां उस क्षेत्र के सबसे बड़े समाजसेवी श्री प्रेम सागर को गुण्डों के बीच बैठा कर उसको जलील किया, गाली गलौच किया और कहा,"इतना तू हिन्दुओं का हिमायती हो रहा है, जो यहां जुलूस निकालता है।"

श्रीमान्, मामला यहीं नहीं रुका। उस गांव से बाहर से आये हुये लोगों ने कहा कि हम चले जाएं पुलिस से तो पुलिस ने कहा कि आप चले जाइये। वे जिस रास्ते से पुलिस ने बताया उस रास्ते से जा रहे थे उधर से पुलिस अधीक्षक ने पुलिस भेज कर सड़क के बीच उन लोगों को पिटवा कर गिरफ्तार किया जब उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो वहां एक गांव है रातड़िया, उस गांव के लोगों ने कहा कि आप इनको कहां ले जा रहे हैं, क्या हो गया है? यही कहना था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम विलास शर्मा ने जबरदस्त आसूं गैस के गोले छोड़ करके और हवाई फायर करके और एक समाजसेवी को निशाना बना करके सड़क पर पटक-पटक कर जोर से उनकी पिटाई की जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। श्रीमान्, यहीं नहीं महिलाओं के साथ घरों में घुस-घुस करके अश्लील हरकतें पुलिस ने की और एक महिला के तो घर में घुसकर उसके सीने पर बन्दूक रख दी और यह कहा कि "यदि तूने घर के बाहर देखा तो तूझे गोली मार दूंगा।" श्रीमान्, मामला बढ़ गया। इस बात की पूरे बारां जिले में सब लोगों ने निन्दा की और पूरा बारां जिला इसके विरोध में बंद रहा कि शिवजी पर जलाभिषेक का कार्यक्रम कोई करने जा रहा है, शिवजी भगवान पर जल चढ़ाने जा रहा है तो इनको कैसे रोका जा सकता है। और इसलिये पूरा का पूरा बारां जिला बंद रहा जिसमें कहीं भी कोई हल-चल नहीं हुई।

श्रीमान्, यहीं मामला रुका नहीं फिर उस क्षेत्र के सभी समाजसेवी धार्मिक बन्धु इकट्ठे हुए, साधु-सन्त इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रुक गया है बीच में व्यवधान आ गया है, कुछ बदमाशों ने व्यवधान पैदा किया है। इसलिये जलाभिषेक का कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिये 29 तारीख को जलाभिषेक का कार्यक्रम उसी बालाखेड़ा में फिर से आयोजित किया गया। वहां के लोग अनुमति लेने नहीं आ रहे थे वे जानते थे कि सरकार अनुमति नहीं देगी। जिला कलक्टर ने पत्र लिख कर आयोजकों से कहा कि आप अनुमति ले लो, मैं अनुमति देना चाहता हूं और आप अपना आवेदन करें। आवेदन किया वहां के आयोजकों ने और उनको पत्र लिख कर देने के बावजूद जिला कलक्टर और सरकार के नुमाइंदे यह कहते रहे कि आज विचार कर रहे हैं कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे और अनुमति नहीं दी गयी। 28 तारीख को रात को 11 बजे कहा गया कि आपको किसी प्रकार के जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है और पुलिस का इतना

(श्री मदन दिलावर)

इंतजाम किया गया, रेपिड एक्शन फ़ोर्स बुला ली गयी, आर.ए.सी. बुला ली गयी, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर अनेक जिलों से पुलिस बुला करके सौ-सौ किलोमीटर दूर से आने वाले लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। अटरू में पुलिस वहां के धार्मिक लोगों के, धर्म प्रेमी बन्धुओं के घरों में बैठा दी गयी और उनको वहां से नहीं निकलने दिया गया। छीपा बड़ौद में लोगों को आतंकित किया गया, शाहबाद, किशनगंज में आतंकित किया गया। यही नहीं श्रीमान् दूर-दूर से आने वाले यात्री चाहे जयपुर जा रहा था, चाहे मुम्बई जा रहा था उन सड़कों पर नहीं निकलने दिया गया, सारे वाहन जाम कर दिये गये। ऐसा लगता था कि जैसे बालाखेड़ा कोई पाकिस्तान हो और पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान में घुसना चाह रहे हैं। इस प्रकार का कृत्य वहां किया। यहीं नहीं श्रीमान्, बालाखेड़ा, घतुरिया और रूपपुरा गांव के लोगों को आतंकित करके रोड पर पुलिस बैठा दी गयी। जब बालाखेड़ा में जलाभिषेक करने के लिये जनसमूह उमड़ा तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। और जहां मुख्य मंत्री यह डींग हांकते थे कि बालाखेड़ा में शिवजी के मंदिर पर परिन्दा भी पर नहीं मार सकता है वहां पर जब पूरे बारां जिले के लोग उमड़ रहे थे। माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल, सांसद, माननीय प्रताप सिंह जी सिंघवी, एम.एल.ए. जब बालाखेड़ा की ओर बढ़ रहे थे तो इनको भी वहां गिरफ्तार कर लिया गया। अन्ता, जो वहां से बीस किलोमीटर दूर है, मैं सात सौ लोगों के साथ जत्था लेकर के जलाभिषेक करने के लिये जा रहा था तो पुलिस का यह कहना था कि बालाखेड़ा की सीमा से सौ किलोमीटर दूर से मदन दिलावर को फटकने नहीं देंगे। मैं रात में ही धतुरिया गांव में जा करके बैठ गया और जब मैं सात सौ लोगों का जनसमूह लेकर जलाभिषेक करने के लिये जा रहा था तो बालाखेड़ा की सीमा में जाकर के रेपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने मुझे घेर करके मुझ पर लाठियों से प्रहार किया। श्रीमान् जब ये परिन्दा पर नहीं मारने की बात कह रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य के साथ मार-पीट की गयी। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं न वे। आप क्या करना चाहते थे ?

श्री मदन दिलावर : जब जलाभिषेक कार्यक्रम के लिये यह कहा जा रहा था कि परिन्दा पर नहीं मार सकता तो 3.05 बजे तक 11 युवाओं ने, राष्ट्रभक्तों ने जलाभिषेक शिव मंदिर में घुस कर किया, तब ये + + + गृह मंत्री और + + + मुख्य मंत्री और + + + कलक्टर टुकर-टुकर अपने कमरे में बैठ करके + + + यह कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में जलाभिषेक कार्यक्रम नहीं हो सकते। इतनी आतंकवादी गतिविधियां और माताओं और बहनों के साथ जो अपमान किया श्रीमान् उसके लिये वहां उस क्षेत्र के सब लोग कह रहे थे कि भगवान के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

जलाभिषेक के कार्यक्रम में क्या एतराज है किसी को। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए लेकिन इस + + + प्रकार का आतंक, इस प्रकार की आतंकी गतिविधियां इस सरकार ने कुछ मुस्लिम गुण्डों के इशारों पर की गयी, कुछ अराष्ट्रवादी, अराष्ट्रीय लोगों के इशारों पर करके हिन्दुओं का अपमान करने का प्रयत्न किया। सारे हिन्दू जनता का अपमान किया हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का षड्यंत्र किया है। श्रीमान् एक तरफ ये जलाभिषेक नहीं करने देना चाहते हैं और एक तरफ हमारे चेरड़िया गांव में आतंकवादी अराष्ट्रीय लोगों को लाइसेंस देते हैं। एक तरफ ये जलाभिषेक नहीं करने देते हैं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : एक तरफ बांग्लादेशी जो जयपुर की गुलाबी नगरी में बैठे हुये हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। एक तरफ जयपुर में होने वाले समारोह में तालीबान जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। एक तरफ हिन्दुओं का अपमान करके और जलाभिषेक नहीं होने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। डा. चन्द्रभान।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान की बारां जिले की जनता ने चेतावनी दी है कि यदि बारां जिले में जलाभिषेक कार्यक्रम को आपने रोका तो किसी भी कीमत पर उर्स नहीं भरेगा, ताजिया नहीं निकलेगा। बारां की धरती पर न तो ताजिया निकलने देगा हिन्दू समाज, न मोहर्रम होने देगा न किसी भी प्रकार का मुसलमानों का कार्यक्रम होने देगा। यदि सरकार में ताकत है तो करा कर देख ले, यदि हिन्दुओं का अपमान करेगी तो बारां जिले की जनता ने फैसला किया है और वह फैसला मुझे देकर भेजा है कि जाकर राजस्थान की विधान सभा में कह देना कि कोई भी मुसलमानों का कार्यक्रम अबाध रूप से वहां नहीं हो सकता है, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी./एफ/पीए-23 (9) दिनांक 29 जून, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन, 1958 के रेग्यूलेशन क्रमांक 19 के परन्तुक के बाद रेग्यूलेशन 19 (ए) सम्मिलित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल।

नगरीय विकास विभाग

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 9(63) यूडी/3/81 दिनांक 22 सितम्बर, 2000 एवं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिसूचना संख्या एफ 9(63) यूडी/3/8/पीटी दिनांक 20 जनवरी, 2001 एवं अधिसूचना संख्या-9(63) यूडी/3/8 पीटी दिनांक 13 अप्रैल, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

लोकायुक्त का-14 वां व 15 वां प्रतिवेदन

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन उसके कृत्यों के पालन पर उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) के अंतर्गत लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर के निम्नांकित 2 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) 14वां समेकित प्रतिवेदन 1 सितम्बर, 1993 से 31 मार्च, 1996 तक की कालावधि के लिये, एवं

(2) 15वां समेकित प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक की कालावधि के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण व प्रतिवेदन वर्ष-1999-2000

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित वार्षिक लेखा विवरण/प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69(5)ए के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1999-2000, एवं

(2) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी राठौड़।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह राठौड़ (सभापति, प्रवर समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2001-2002 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 2001-2002 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। श्री हरिसिंह जी।

कार्य सलाहकार समिति का 16 वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7 नवम्बर, 2001 को मध्यान्ह पश्चात् 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 8 एवं 9 नवम्बर, 2001 को सदन में लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्नप्रकार किया जाय :—

गुरुवार दिनांक 8 नवम्बर, 2001

राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद पर विचार

शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2001

1. रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 पर विचार एवं पारण

2. राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरे की सरकारी खरीद पर विचार श्री मांगीलाल जी डांगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले जवाब आ जाये, साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले वक्तव्य आ जाये वरना हम कुछ और कहेंगे, सबसे पहले सरकार क्या कर रहीं है यह बता दें, उसके बाद हम बोल लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाये। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है यह जानकारी हो जाये।

शासकीय वक्तव्य

समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद व्यवस्था पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद व्यवस्था पर वक्तव्य।

कृषि साख मूल्य आयोग की सिफारिश पर प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ एवं रबी जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के भाव नीचे आने की स्थिति में खाद्यान्नों की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम और तिलहन और दलहन की खरीद की व्यवस्था नैफेड के माध्यम से की जाती रही है। इस वर्ष मानसून की अच्छी बरसात हुई है। राज्य में बाजरे की बम्पर पैदावार की सम्भावना को देखते हुये प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 21 मई, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से कराने का आग्रह किया था। राज्य सरकार के प्रभाव के चलते आखिरकार केन्द्र सरकार ने 7 सितम्बर, 2001 को बाजरे सहित खरीफ जिन्सों की समर्थन मूल्यों की घोषणा की।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

माननीय मुख्य मंत्रीजी के बार-बार आग्रह के बाद भी केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राज्य में समर्थन मूल्यों पर बाजरे की खरीद की व्यवस्था नहीं की। काफी दबावों के चलते आखिरकार एक नवम्बर से राज्य में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से बाजरे की खरीद की शुरूआत की गई। प्रदेश के किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये मुख्य मंत्री जी और राजस्थान सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की विगतवार जानकारी इस प्रकार से पेश कर रहा हूं :—

(1) तीन साल से सूखे के बाद राज्य की अच्छी बरसात को देखते हुये बाजरे की फसल अच्छी होने की आशा से मुख्य मंत्री महोदय द्वारा केन्द्रीय मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, श्री शांताकुमार जी को दिनांक 20 जुलाई, 2001 को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद करवाये जाने के लिये समय रहते आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जी के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रधान मंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप कर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु दिनांक 14 अगस्त, 2001 को पत्र लिखा गया है।

दिनांक 16 अगस्त, 2001 को सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में बुलाई गई बैठक में भी राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य में बाजरे की अच्छी फसल की आशा व्यक्त करते हुये बाजरा एवं अन्य मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किए जाने का अनुरोध किया है एवं राज्य सरकार के इस अभिमत से भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार विकेन्द्रीकृत खरीफ के पक्ष में नहीं है, बल्कि जिस तरह भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाती है उसी तरह मोटे अनाज की खरीद की जानी चाहिए। इस बैठक में केन्द्रीय खाद्य सचिव ने बताया कि मोटे अनाजों की समर्थन मूल्यों पर खरीद करवाने हेतु नेफेड को नोडल एजेंसी बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा चाहे जाने पर राज्य में जिन जिलों में समर्थन मूल्य और बाजरे की खरीद की आवश्यकता है उन जिलों की सूची खाद्य सचिव, भारत सरकार को दिनांक 28 अगस्त, 2001 को भिजवाई गई है। उनको यह भी सूचित कर दिया गया कि पहले कभी भी बाजरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित नहीं किया गया है एवं आगे भी इसकी सम्भावना नहीं है। भारतीय खाद्य निगम को शीघ्र बाजरे की खरीद प्रारम्भ करने के निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिनांक 5 सितम्बर, 2001 को मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा कि राज्य सरकार स्वयं बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद कर यथासम्भव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

(श्री खेतसिंह राठौड़)

तहत इसका वितरण करें। इस पर आने वाली आर्थिक लागत एवं सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत विक्रय पर प्राप्त लाभ, मूल्य के बीच का अंतर भारत सरकार राज्य सरकार को पुनर्भरण कर देंगी, जबकि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पहले ही सूचित कर चुकी थी कि सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से बाजरे की विक्रय की कोई सम्भावना पैदा नहीं होती।

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बाजरे की खरीद के सम्बन्ध में दिनांक 10 सितम्बर, 2001 को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद पर विस्तृत चर्चा करके दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में करीब 7 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीद की आवश्यकता है एवं इसकी व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। केन्द्रीय एजेंसी यथा भारतीय खाद्य निगम अथवा नेफैड से करवाये जाने का अनुरोध किया गया इस पत्र की प्रति केन्द्रीय मंत्री श्री शांताकुमार जी को तथा केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी को भी मुख्य मंत्रीजी ने भेजी है। मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को पुनः और बैठक की गई और माननीय प्रधान मंत्री जी को दिनांक 21 मई, 2001 को विश्व व्यापार संगठन के सम्बन्ध में नई दिल्ली में हुई बैठक में विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू करने के पूर्व राज्य सरकारों की सहमति लेने के निर्णय बाबत याद दिलाते हुये पुनः अनुरोध किया कि समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद केन्द्रीय एजेंसियों से कराई जावे। इस हेतु पुनः मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्री जी को दिनांक 15 सितम्बर, 2001 को एक और पत्र लिखा।

21 मई, 2001 को विश्व व्यापार संगठन कृषि समझौता एवं खाद्य प्रबन्ध पर माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण की ओर माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने बजट में एक तरफा घोषणा कर यह प्रस्तावित किया कि राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की खरीद के लिये अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जबकि केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ही अनुदान दरों पर खाद्यान्न वितरण करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार एवं राज्य की एजेंसियों की सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान ने केन्द्र सरकार से यह निवेदन किया था कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों एवं मोटे अनाजों की खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

हमारे मुख्य मंत्री जी सहित अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों के इस सुझाव पर माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार ने समर्थन मूल्य योजना के तहत बाजार हस्तक्षेप के पहलुओं का परीक्षण करने के लिये मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया और यह भी आश्वासन दिया कि फिलहाल वर्तमान व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। इसी क्रम में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दिनांक 6 जुलाई, 2001 को मुख्य मंत्रियों की गठित कमेटियों की बैठक हुई। इस बैठक में आम राय न बनने के कारण स्वयं माननीय केन्द्रीय खाद्य मंत्रीजी ने यह माना कि इस विषय पर आम राय बन जाने तक बहस जारी रखनी पड़ेगी। इस बैठक में माननीय वित्त मंत्री जी, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य पर खरीद की विकेन्द्रीकरण योजना को केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों पर थोपने का कोई इरादा नहीं है। वित्त मंत्रीजी, केन्द्र सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि जहां राज्य सरकारें विकेन्द्रीकृत योजना को लागू करने के लिये तैयार नहीं हैं वहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद की वर्तमान व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। मुख्य मंत्रियों की इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का विवरण भी इसमें दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2001 को केबिनेट सचिव भारत सरकार को पत्र लिखकर केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से जिस तरह गेहूं की खरीद की जाती है उसी पैटर्न पर बाजरे की खरीद प्रारम्भ करने के बारे में भी अनुरोध किया गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2001 को पत्र लिखकर राज्य सरकार को एक लाख मीट्रिक टन बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये लिखा जबकि राज्य सरकार पहले से ही केन्द्रित केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करवाने का निवेदन कर चुकी थी। राज्य सरकार के इस अनुरोध का हवाला देते हुये मुख्य मंत्री महोदय ने माननीय प्रधानमंत्रीजी को पुनः पत्र लिखा कि राज्य सरकार विकेन्द्रीकृत प्रणाली के पक्ष में नहीं है। अतः केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद तुरंत प्रारम्भ की जावे। केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री शांताकुमार जी को इस पत्र की प्रतिलिपि भी भेजी गई। दिनांक 9 अक्टूबर, 2001 को विकेन्द्रीकृत प्रणाली के सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिव ने एक बैठक रखी जिसमें भी राज्य सरकार के अधिकारियों ने समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा जारी रखने के बारे में ही सरकार को निर्णय करने के बारे में कहा। केन्द्रीय सचिव द्वारा मुख्य सचिव को दिनांक 21 अक्टूबर 2001 को दूरभाष पर यह बताया कि भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने का निर्णय ले लिया है एवं प्रारम्भ में खरीद की मात्रा एक लाख मीट्रिक टन सीमित रहेगी। इस सम्बन्ध में दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें जोनल प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। इस बैठक में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्णय लिये गए।

दिनांक 23 अक्टूबर, 2001 को भारत सरकार ने सूचित किया कि एक लाख मीट्रिक टन बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का लक्ष्य है एवं साथ ही 30,000 मीट्रिक टन मक्का भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जावे। विशिष्ट क्षेत्रीय प्रबन्धन भारतीय खाद्य निगम ने खरीद केन्द्रों की सूची एवं इन केन्द्रों पर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

खरीदे जाने वाले बाजरे की मात्रा से दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 को सूचित किया एवं बताया कि खरीद प्रारम्भ करने के लिये कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। इनको देखते हुये अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले में एक नवम्बर से एवं शेष जिलों में 5 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद प्रारम्भ किए जाने से अवगत कराया गया। दिनांक एक नवम्बर से लेकर छह नवम्बर तक राज्य में बाजरे की कुल 995 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। राज्य में इस बार एक मोटे अनुमान के अनुसार खरीफ में 25.15 लाख मीट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ है।

समर्थन मूल्य की घोषणा से पहले बाजरे के भाव 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे थे। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते समर्थन मूल्य की घोषणा से बाजरे के बाजार भाव में 25-30 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी हुई, पर मण्डियों में बाजरे का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य 485 रुपये प्रति क्विंटल से काफी नीचे रहा। मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत सम्पर्क करके भी केन्द्र सरकार से बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने के प्रयास बनाये रखे। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को बाजरे की खरीद करने के लिये निर्देश दिये। भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर 1.11 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित करते हुए केन्द्रवार खरीद की मात्रा तय की। जिला कलक्टरों द्वारा बाजरे की खरीद केन्द्र बढ़ाने की मांग की जा रही है खास तौर से चूरू एवं सीकर केन्द्रों द्वारा इस विषय में मांग बहुत ज्यादा है।

(14.00 बजे)

बाजरे की खरीद में एक अन्य प्रमुख समस्या, जिसके लिये खरीदे गये बाजरे की किस्म को नकारे जाने को लेकर नागौर, जयपुर और जोधपुर के मथानिया केन्द्रीय खरीद सेन्टरों से प्राप्त हुई है। इस समस्या के निदान हेतु भारतीय खाद्य निगम से हर खरीद केन्द्र पर अपना सहायक प्रबन्धक गुणवत्ता देखने के लिये लगाने हेतु निवेदन किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर बाजरे के निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीद की जाती है तो निकट भविष्य में भण्डारण की समस्या भी सामने आने वाली है।

माननीय सदस्यगण को राज्य में बाजरे की खरीद के लिये की गयी व्यवस्था की जानकारी देते हुए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 22 अक्टूबर 2001 को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलेवार खरीद केन्द्रों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार भारतीय खाद्य निगम को 21 मण्डियां, राजफैड को 13 एवं राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम को 6 केन्द्र कुल 40 केन्द्र, 18 जिलों में चालू करने का निर्णय लिया गया। बाजरे की खरीद को व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से संचालित करने और बिचौलियों एवं व्यापारियों को इसमें गलत तरीके से लाभ लिये जाने की आशंका को निमूर्ल करने के लिये खाद्य विभाग द्वारा समस्त जिलों के कलक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं जिसके तहत कृषक की

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पहचान हेतु यह आवश्यक किया गया है कि खरीद केन्द्रों पर बाजरा लाने वाले कृषक अपनी रेवेन्यू पास बुक एवं गिरदावरी रिपोर्ट साथ लेते आएं ताकि किसानों की पहचान एवं उनके द्वारा खरीद केन्द्रों पर लाई जाने वाली मात्रा उनके द्वारा रकबे के अनुसार बाजरी बोई और उसी अनुपात में खरीदी गयी है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार बाजरा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है और प्रयास जारी रखेगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जिलों में केन्द्र खोल दिये हैं समर्थन मूल्य पर खरीददारी की जा रही है।

मूंगफली की भी खरीददारी शुरू की गयी है। सोयाबीन को भी खरीदने की व्यवस्था की जा रही है। अन्त में मैं इस हाउस से यही निवेदन करूंगा कि इस आगस्ट हाउस द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाए और उन्हें निवेदन किया जाए कि कम से कम 7 लाख टन बाजरा खरीदने के लिये वे हमें आज्ञा दें और साथ ही पैसे और बरदाने की व्यवस्था कराएं। यही मेरा वक्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मांगीलाल डांगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कृषि मंत्रीजी का भी वक्तव्य आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। श्री मांगीलाल डांगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सुन नहीं पायी कि अब तक आपने कुल कितना बाजरा प्रोक्योर कर लिया। वह संख्या मैं लिख नहीं पायी। जरा बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननी सदस्य, जवाब देंगे ना अभी। आप बोलेंगे उसके बाद जवाब देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं भूल गयी ना। मैं उस वक्त सुन नहीं पायी, कितना?

मोहम्मद माहिर आजाद : 295 मीट्रिक टन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना वक्तव्य दिया है। आप कृपापूर्वक अपने सुझाव दीजिए। उन सुझावों के ऊपर मैं वापस से आपको जवाब जो हो सकेगा, वह स्वयं दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर से शुरू करें। मंत्री महोदय का तो वक्तव्य आ ही चुका है। (व्यवधान) सरकार का वक्तव्य आ चुका। इसलिये हमारे से शुरू करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, यह जो आपने मक्का खरीदने के लिये जो सीमा तय की है। (व्यवधान) मक्का खरीदने के लिये जो आपने कहा कि 30 हजार टन मक्का खरीदने की भी स्वीकृति मिली। कोई एक भी केन्द्र शुरू हुआ क्या? इस बात का इसमें विश्लेषण नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका जवाब आ जाए ना।

श्री मोहन लाल मोदी : आपकी मंशा ही नहीं है कि बाजरे की खरीद हो। भारत सरकार को कहो ना जा करके कि बाजरे की खरीद करवाई जाए। बारदाना दिया जाए। (व्यवधान) आप लोग तो चाहते हो, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो इसका। आपके यू.पी. में चुनाव आ रहे हैं। आप बाजरे की कहां खरीद करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। मांगीलालजी। माननीय सदस्य, माननीय मोहनलालजी, मोदी विराजिये। मांगीलालजी, आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का वक्तव्य आया है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले बोलने के लिये मौका प्रतिपक्ष को दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां आएगा। विराजिये, विराजिये। नम्बर आ जाएगा। आप शुरू करें।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारत के किसान की खुशहाली में ही इस देश की खुशहाली है। आज गांव में दूर-दूर रहने वाला किसान इस देश की धड़कन है। इस देश को विकास की गति देने वाला प्रथम नागरिक और प्रथम अन्नदाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक स्थिति तो यह भी थी कि विदेशों से अनाज मंगाते थे लाल ज्वार जिसे कोई मायला बोलते थे, ग्रामवासियों को वह बड़ी मुश्किल से मुफीद होती थी। इस किसान ने, इस देश ने इस दुनिया में अन्न उत्पादन में एक स्थान कायम किया और खाद्यान्न, तिलहन, दलहन में आत्मनिर्भर किया। आज बाजरे में समर्थन मूल्य पर इस पवित्र सदन में चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में, हमारी भारत सरकार ने आज से कई वर्षों पहले जब हमारे प्रधानमंत्रीजी नेहरूजी थे, यह एक संकल्प लिया और एक व्यवस्था बनायी कि जब हमारा किसान उसको यदि उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो इस देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिये जब-जब बाजार में किसान का उत्पादन इतना सस्ता हो जाता है कि उसको लागत मूल्य नहीं मिले, जो उसने खर्च किया, खाद, बीज, उत्पादन पर उसके अनुपात में नहीं मिले तो उसके लिये समर्थन मूल्य की योजना बनायी गयी।

(14.08 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदसीन)

आज हमारे देश में वर्षों से कृषि जिंसों की खरीद के लिये अलग-अलग प्रकार की योजनाएं हैं। समर्थन मूल्य की योजना, व्यापार प्रोत्साहन की योजना, वाणिज्यिक खरीद की योजना।

समर्थन मूल्य योजना के तहत सरकार तब आगे आती है जबकि बाजरे का मूल्य नीचे गिर जाता है और उसको समर्थन मूल्य, और समर्थन मूल्य की घोषणा करना भारत सरकार का दायित्व है। समर्थन मूल्य पर खरीद करवाने का भारत सरकार का दायित्व है।

(श्री मांगीलाल डागा)

समर्थन मूल्य के लिये भारत सरकार ने एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी है। उसमें खाद्यान्न जिनको, समर्थन मूल्य में अनुसूचित किया गया है गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न, इनकी खरीद के लिये केन्द्रीय एजेंसी खाद्य निगम को बनाया गया है। भारतीय खाद्य निगम इन खाद्यान्नों की खरीद, केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों और उनके नियमों के अनुरूप पूरे देश में करती है। इसी तरह से जो हमारी तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं इनमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि तिलहन फसलें हैं और राजस्थान में उत्पादन होने वालों में चना, मूंग, उड़द सिर्फ एक मोठ को छोड़कर दलहन फसलें हैं। यह भी समर्थन मूल्य के लिये अनुसूचित है। जितनी भी तिलहन और दलहन फसलों की खरीद इस देश में की जाती है, भारत सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार की केन्द्रीय एजेंसी, हमारी एक सहकारी संस्था नेफेड है। सभापति महोदय, मैं यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम और हमारी नेफेड की व्यवस्था में क्या अन्तर है। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है। नेफेड, भारत सरकार की उसमें हिस्सा पूंजी का स्थान जरूर है। भारत सरकार की इसमें जो खरीद की व्यवस्था है उनका अनुसरण वह जरूर करती हैं परन्तु यह संस्था हमारे प्रदेश में दूर-दूर गांव में बैठा और बसा उस किसान की संस्था है और हमारे गांव का किसान अपनी ग्राम सेवा, अपनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति का सदस्य होता है और वह क्रय-विक्रय सहकारी समिति का सदस्य ही हमारे राजस्थान राज्य में सहकारी क्रय-विक्रय संघ, राजफैड का सदस्य बनता है और राजफैड उपक्रम की यह सहकारी समितियां, यह दोनों नेफेड के सदस्य हैं तो मेरा यह निवेदन करना था कि जो नेफेड एक किसानों की संस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चलने वाली संस्था है, जब-जब भी नेफेड को काम सौंपा गया है, आप पिछले आंकड़े उठाकर देखिए और यह चाहे तिलहन खरीद का हो और चाहे दलहन खरीद का हो, हमारे यहां सेंटर खोलने में, खरीद करने में हमेशा किसानों की उसमें सहभागिता रही है और हमेशा कभी भी यह लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया कि सरसों एक लाख टन खरीदी जाएगी। जब भी समर्थन मूल्य की घोषणा होती है तो यह माना जाता है कि किसान का उत्पादन जितना किसान बेचेगा वह उतना केन्द्र सरकार खरीदेगी। एजेंसी का काम उसके दिशा निर्देशों में काम करने का है और नेफेड जिसमें एजेंसी है, उनकी सदस्य राजफैड को और भारत सरकार के जो नियम हैं उन नियमों के आधार पर नेफेड दिशा-निर्देश देती है और राजस्थान में उसका अनुसरण राजफैड करता है। राजफैड अपने यहां पर जो सहकारी संस्थाएं हैं, क्रय-विक्रय सहकारी संस्था उनकी सदस्य है, उनके माध्यम से वहां जब भारत सरकार के निर्देश नेफेड के निर्देश के अनुसरण में दिशा-निर्देश देकर राजस्थान में तिलहन और दलहन की खरीद करती है। दायित्व इस तरह से भारतीय खाद्य निगम का भी होना चाहिए और खाद्य निगम इस तरह से व्यवस्था करें यह उसका पूरा दायित्व है।

(श्री मांगीलाल डांगा)

परन्तु खाद्य निगम का, राजस्थान में उनकी ब्रांचेज हैं परन्तु दूर-दूर तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। उन्होंने और उल्टा जब भी खाद्य निगम को काम सौंपा जाता है। तो किसानों को परेशान करके उचित क्वालिटी का नहीं है, मोइशचर ज्यादा है, हमारे मापदण्ड के अनुकूल नहीं है, बहुत परेशान किया जाता है। और होता यह है, और तो और जब खाद्य निगम का एजेंट राजफैड को बनाया जाता है, हमारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को बनाया जाता है। किसान की जो फसल है, जिनसे उसका मापदण्ड, उस मापदण्ड पर हमारी संस्था का मैनेजर हमारी राजफैड का क्वालिटी इंस्पैक्टर उसको अनुमोदित करके खरीद लेता है। किसानों के साथ और हमारी इन संस्थाओं के साथ क्या धोखा होता है, सभापति महोदय, यह उदाहरण है कि इन जिन्सों को जब खाद्य निगम के गोदामों में जमा कराने जाते हैं तो खाद्य निगम के अधिकारी उनको मानक से कम मानकर रिजैक्ट कर देते हैं। और उससे भी निम्न स्तर का माल उनके गोदामों में आज भी मिलेगा क्योंकि वह उनके खाद्य निगम ने स्वयं ने खरीदा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसी खरीद है, भारत सरकार से निवेदन करके खाद्य निगम को यह पाबन्द करना चाहिए कि या तो वे अपने क्वालिटी इंस्पैक्टर हमारी संस्थाओं को भेजे और उसके मानक तय करें या जो हमारा क्वालिटी इंस्पैक्टर उस मापदण्ड के अनुरूप जो खरीद करता है उस खरीद में बाद में किसी प्रकार की दखल नहीं होनी चाहिए।

महोदय, आज बाजरा खरीद के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य बाजरे का अभी इसी वर्ष ही कोई निर्धारित हुआ हो, यह नई बात नहीं है। भारत सरकार हमेशा से यह मूल्य निर्धारित करती रही है और हमारे राज्य में भी नेफेड के माध्यम से एक दफा जब बाजरा खरीद की व्यवस्था की तो नेफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया और नेफेड ने पूरे देश में जहां-जहां बाजरा की चाहे गुजरात हो, उसमें मांग आई वहां नेफेड ने बाजरा खरीदा है, समर्थन मूल्य पर और राजस्थान में भी खरीदा है। और राजस्थान में 1983-84, 1988-89 इनमें भी बाजरा की खरीद हुई है और जैसे ही बाजार के मूल्य समर्थन मूल्य से ऊपर उठा और किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तो बाजरा की खरीद बंद की गई थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, हमारी इस दूरदर्शी सरकार ने यह महसूस कर लिया था कि हमारे निरन्तर तीन साल के अकाल के बाद इस राजस्थान राज्य पर इन्द्र देवता की कृपा हुई। अच्छी वर्षा हुई और खेतों में फसल लहरा रही थी। और हमारी सरकार ने अनुमान लगा लिया कि बाजरा का उत्पादन इतना होने वाला है और उसके मूल्य जरूर गिरेंगे तो इसलिये इसकी खरीद करना आवश्यक है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि समर्थन मूल्य की नीति में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जैसे ही समर्थन मूल्य से बाजार के भाव कम आते हैं उनको तुरन्त खरीद शुरू

(श्री मांगीलाल डांगा)

कर देनी चाहिए। समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार को समय पर करनी चाहिए थी उसमें बाजरे के समर्थन मूल्य की घोषणा करने में भारत सरकार ने देरी की है। यहां तक कि पंजाब और गुजरात जैसे राज्य, जिसमें भाजपा की सरकार है या भाजपा की समर्थित सरकारें हैं उनके यहां जिन्सों की खरीद के मूल्यों की घोषणा पहले की गई और जब बाजरा का अनुमान लगने के बाद और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो भारत सरकार से निवेदन किया, मैं उन पत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा कि कब-कब उन्होंने निवेदन किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री, भारत सरकार से 20.7.2001 को निवेदन किया कि हमारे बाजरा की फसल होने का बहुत अच्छा अनुमान है और केन्द्रीय एजेंसीज द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करके इसकी खरीद की व्यवस्था बाजार में बाजरा आए, उससे पहले कराने की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री महोदय से भी 14 अगस्त को निवेदन किया गया। उसके बाद केन्द्रीय खाद्य सचिव को 28 अगस्त को निवेदन किया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा भारत सरकार को 11.9.2001 को पुनः निवेदन किया गया। केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से 11 नवम्बर को निवेदन किया गया। भारत सरकार के प्रधानमंत्रीजी से 14-15 नवम्बर को निवेदन किया गया। केबिनेट सचिव महोदय, भारत सरकार से भी 20 नवम्बर को निवेदन किया गया। भारत के प्रधानमंत्रीजी को भी फिर 6 अक्टूबर को निवेदन किया गया। सचिव, उपभोक्ता एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भी 22 अक्टूबर को निवेदन किया गया। हमारे मुख्य मंत्रीजी द्वारा बार-बार निवेदन करने के बाद भी वहां केन्द्र में बैठी हमारी भाजपा सरकार, मैं तो यह महसूस करता हूं कि न तो उसको किसानों का दुःख-दर्द है और न वह किसानों की हिमायती ही हो सकती है। व्यापारियों की जरूर हिमायती मुझे नजर आती है, क्यों? क्योंकि यह इतना बड़ा निर्णय जो कि एक समय पर निर्णय लेना चाहिए, हमारे यहां राजस्थान का बाजरा का जो उत्पादन है वह लगभग 25 लाख टन है और सात लाख टन बाजरे की खरीद की मांग की गई, उस पर भी बिलकुल गौर नहीं किया गया। और जब यह निर्णय लिया गया, जब हमारे अधिकांश किसानों का बाजरा उन व्यापारियों के पास पहुंच गया जिनका इस भाजपा सरकार को समर्थन है। किसान को दुःख-दर्द नहीं आये इसलिये इन्होंने समय पर नहीं करके उन व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिये इसमें कम से कम दो महीने बाद यह घोषणा की गई और खरीद की नीति निर्धारित की गई।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घोषणा की गई तो उससे भी एक तरफ तो दुःख होता है और एक तरफ हास्यापद लगती है कि एक लाख टन बाजरे की खरीद करेंगे। किस तरह से हमारी एजेंसी व्यवस्था करेगी? किस तरह से हमारा किसान उस उत्पादन को देने के लिये कहां किस तरह से जाएगा, क्या हमारी यहां की वितरण व्यवस्था रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का जो सौतेला

(श्री मांगीलाल डांगा)

व्यवहार केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य और राजस्थान के किसानों के साथ किया जा रहा है, यह बहुत निन्दनीय है। भारत सरकार द्वारा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिये, इसको देर तो किया ही किया परन्तु मैं, सभापति महोदय, पिछले कुछ दिनों में हमारे राज्य में जो गतिविधियां हुई, हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। हमारे किसान लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बाजरा खरीदा जाए, मैं समझता हूं कि बिलकुल वाजिब बात है क्योंकि भारत सरकार का काम है। राजस्थान सरकार के दायित्व में, राजस्थान सरकार के अधिकारों में यह नहीं आता। भाजपा की पार्टी के द्वारा इस बाजरे के ऊपर राजनीति की रोटी सैंकने का घिनौना जो कार्यक्रम किया गया, मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ, राजस्थान का किसान इन सब करतूतों को समझता है। यदि भारत सरकार को समर्थन मूल्य तय करना था, भारत सरकार को खरीद शुरू करवानी थी तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता प्रधानमंत्रीजी को इतना ही संदेश कर देते कि खरीद चालू हो जानी चाहिए।

मैं समझता हूं जिस तरह से, जिस नाटक से, जिस तरह का माहौल बनाकर व्यापारियों को लाभ देने के लिये देरी करके इसकी घोषणा कराई, इसकी आवश्यकता नहीं थी।

दूसरी तरफ मैं बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब जौ की खरीद राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के आश्वासन पर कराई, किस तरह का केन्द्र सरकार व्यवहार करती है, मैं आप लोगों के समक्ष, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारे यहां जो जौ की खरीद हुई, आज तक भारत सरकार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया। उसके रख-रखाव के लिये जो आठ महीने का समय लगेगा, उसके लिये खाद्य निगम, राजफैड को कहता है कि ढाई महीने का ब्याज देंगे, ढाई महीने का आपको किराया देंगे। कौनसी नीति है, कौनसा व्यवहार है?

दूसरी तरफ एस.ए. की क्वालिटी के नाम पर एफ.सी.आई. ने गोदामों में जमा कराने से इन्कार कर दिया। यदि इस तरह की भारत सरकार की नीति रही और राजस्थान सरकार ने इस राजफैड को अपने संसाधनों से सहयोग नहीं दिया तो किसानों की संस्था जो राजस्थान की एक शीर्ष संस्था है, सभापति महोदय, वह खतम हो जाएगी। उस पर इस जौ का इतना भार पड़ जाएगा कि न तो उसकी हिस्सा पूंजी बचेगी और जो उसमें राजस्थान सरकार के और हमारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जो संसाधन और पूंजी उपलब्ध कराई है, वह सारी इस जौ में खतम हो जाएगी। तो क्या भारत सरकार एवं भाजपा की नीति है कि यह सहकारिता और किसानों के माध्यम से चलने वाली संस्थाओं को इस तरह के घिनौने षड्यन्त्र रचकर बन्द करा दी जाए?

दूसरा उदाहरण मैं सदन में आपके सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, पंजाब में जब धान की खरीद होती है यही हमारी केन्द्र सरकार 1500 करोड़ रुपये का चूना लगा देती है। वहां यह छूट देती है चाहे एस.ए.की क्वालिटी नहीं हो, चाहे आपकी गुणवत्ता के अनुसार उसमें नमी का मापदण्ड नहीं हो, खरीद लीजिये, क्योंकि सामने चुनाव आ रहे हैं। और उस चुनाव की राजनीति में उस

(श्री मांगीलाल डांगा)

किसान को घसीटा जा रहा है, उस चुनाव की राजनीति में किसान के हमदर्द बनकर किसान के साथ धोखा किया जा रहा है। और इस राज्य के प्रति हिमायत दिखाने वाले हमारे नेता और हमारी केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है एक तरफ पंजाब जो सम्पन्न राज्य है उसको 1500 करोड़ की सहायता मुहैया करा रही है और उसको खरीद के अंदर सबसे पहले स्थान दे रही है और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि जो आपके द्वारा खराब क्वालिटी का धान खरीदा जा रहा है, पंजाब सरकार की देखरेख में खाद्य निगम द्वारा यदि बिकने में इसमें घाटा हो गया तो उसका अनुमान लगा लिया कि 350 करोड़ रुपये, वह भी केन्द्र सरकार दे देगी। कैसी व्यवस्था है केन्द्र सरकार दे देगी। कैसी व्यवस्था है केन्द्र सरकार की और किस तरह का सन्देश देश को देना चाहती है?

श्री धर्मपाल चौधरी : उनको पत्र लिखो। पत्र से काम चलाओ।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, बी.जे.पी. को चुनाव लड़ना है। चुनाव तो बी.जे.पी. भी लड़ेगी, सभी पार्टियों लड़ेंगी, पर किसान भोला-भाला जरूर है, और इन घिनौनी हरकतों को समझता हैं, उनका जवाब दे देगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : चिट्ठी लिख दो।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, एक तरफ वह सरकारें, जो इनकी समर्थित सरकारें हैं चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, उनको जो सुविधा केन्द्र सरकार से दी जा रही है, वह सुविधा हमारे राजस्थान राज्य के किसानों के प्रति मिले। यदि केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार में बैठी भाजपा गठबन्धन की सरकार को थोड़ा बहुत भी दुःख-दर्द होता, स्नेह होता तो इस तरह का जो सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया गया है, हमारे किसानों के साथ किया गया है, वह कभी भी नहीं करती।

मैं, सभापति महोदय, सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें अभी प्रतिपक्ष से आएगी कि हमने समर्थन मूल्य बाजरे का पहली बार निर्धारित कराया। सभापति महोदय, बाजरे का समर्थन मूल्य भी निरन्तर निर्धारित होता जा रहा है पर देरी करने में इन्होंने योगदान कराया। खरीद नहीं हो, किसान व्यापारियों से लुट जाए और व्यापारी उसका लाभ ले। आज हमारी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी है इसमें। इस व्यवस्था में, कि वह गिरदावरी रिपोर्ट दिखानी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पड़ेगी। इस व्यवस्था की मजबूरी क्यों आयी? हमें पता है कि जो डेढ़-दो महीने का समय दिया गया, उन व्यापारियों की, जिनकी हिमायती भाजपा सरकार है, उनको इशारा कर दिया कि खरीद लीजिये। उन्होंने बाजरा खरीदकर अपने गोदामों में भर रखा है। यदि वह गिरदावरी लेकर नहीं जाएंगे, यदि वह यह साबित नहीं कर पाएगा कि मैं किसान हूं तो उन व्यापारियों का माल वह खाद्य निगम खरीदेगा और हमारा किसान फिर महरूम रह जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, सदन यह प्रस्ताव पारित करके भारत

(श्री मांगीलाल डांगा)

सरकार से निवेदन करे कि भारत सरकार राजस्थान राज्य के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ यह सौतेला व्यवहार नहीं करे और जो समर्थन मूल्य की नीति पूरे देश में इस सरकार द्वारा लागू कर रखी है उस समान नीति के अनुसार हमारे राजस्थान राज्य में खरीद करावें और जो सात लाख टन का लक्ष्य दिया है, मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार यदि किसानों की हिमायती का दावा करती है, थोड़ा बहुत उसके मन में दुःख-दर्द है तो यह घोषणा करनी चाहिये कि जितना भी बाजरा आएगा, वह खाद्य निगम और खाद्य निगम के माध्यम से जो एजेन्ट बने हैं, उनको खरीदने की छूट देगी तो मैं मानूंगा और नहीं तो मैं यह मानता हूं कि इनको किसान का कोई दर्द नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सदन में यह प्रस्ताव पारित कर निवेदन किया जाये कि यहां बाजरा खरीद के लिये किसी तरह की सीलिंग नहीं लगायी जाये और बाजरा खरीदा जाये। जयहिन्द। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने अभी कुछ सदन में मुख्य मंत्रीजी और भारत सरकार के पत्राचार का एक नोट प्रस्तुत किया और उसके साथ ही हमें, इस सदन को इस बात से अवगत किया कि इनकी सरकार ने 991 क्विंटल बाजरा अभी पिछले छह दिनों में खरीद लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 1452 क्विंटल।

श्री मानिक चन्द सुराना : 995 मीट्रिक टन बाजरा आपने खरीद लिया है। 995 टन का मतलब यह हो गया कि इन्होंने करीब 9950 बोरी खरीद ली। आपने सेंटर्स आपके 40 घोषित किये हैं। माननीय सहकारिता मंत्रीजी, 40 सेंटर्स पर 6-7 तारीख तक, क्योंकि आपने अभी जो आंकडा दिया है, वह 7 तारीख तक का है, तो 7 तारीख तक आपने 9950 बोरी खरीद कर मैं समझता हूं कि कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। यदि इसी स्पीड से आप चले तो 1000 मीट्रिक टन रोज हो गया, एक महीने में आप 30 हजार मीट्रिक टन पर पहुंचेगे और एक लाख ग्यारह हजार में चार महीने निकाल देंगे। एक सेंटर पर 30 बोरी-40 बोरी का एवरेज है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने सेंटर पर वास्तविक खरीद शुरू करें। यह सेंटर्स की जो लिस्ट आपने दी है, आपके राजफैड के आठ सेंटर्स चले हैं। एफ.सी.आई. के जयपुर सेंटर पर माननीय सहाकरिता मंत्रीजी, कितनी खरीद हुई है? पचासों काश्तकार कल भी वहां से निराश लौटे हैं। खरीद की व्यवस्था नहीं है। और काश्तकारों के माल को खरीद न करने का सबसे अधिक कारण यह है कि साहब यह क्वालिटी में नहीं आ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी व्यवस्था को आपको सुधारने का तत्काल भागीरथ प्रयत्न करना चाहिये। यह तो आप धन्यवाद दें कि भारत सरकार राजस्थान के किसानों को बचाने के लिये आगे आ गयी और एक लाख टन का लक्ष्य....(व्यवधान) आप तो एक हजार टन....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : एक लाख टन तो कहीं भी कम नहीं आने वाला है किसानों के...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : मानिक सुराना जी, आपको जानकारी नहीं है, खरीद ही नहीं रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो एक हजार टन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : (व्यवधान) वापस बेच रही है और लोग मार्केट में मण्डियों जा कर बेच रहे हैं। 10 दिन के अंदर आप यह छूट दे दीजिये कि सब अपना माल देकर चला जाये...(व्यवधान) आज सात हजार टन खरीदा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सदस्य आप बैठिये। मैं सहकारिता मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आप यह...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : आप पैरवी कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि किसानों से सस्ती आप खरीद सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 25.15 लाख टन राजस्थान का उत्पादन, यह आंकड़ा आपने कहां से लिया कि राजस्थान का कुल उत्पादन...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : क्या आंकड़ा, क्या हिसाब इस तरह से बात कर रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने जो मुख्य मंत्रीजी के पत्र में 23 लाख टन लिख दिया कि राजस्थान का कुल उत्पादन 23 लाख टन है। आपने 25.15 लाख टन कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लाख हेक्टैयर में बाजरा बोया गया है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सुराना साहब, न आपको बाजरा खाना, आपको बाजरा बेचना, न बाजरा उत्पादन किया...(व्यवधान) सभापति महोदय, हालात यह हो गये कि इनके एफ.सी.आई. के गोदाम में जो प्रतिनिधि मौजूद हैं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किसान बिजली के लिये रो रहा है। (व्यवधान) बिजली नहीं दे रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन प्रतिनिधियों ने काश्तकार को परेशान करने के लिये उनका बाजरा बोरियों से बाहर निकलवा लेते हैं और बाहर निकालने के बाद कहते हैं कि बाजरा काला है, तू अपना बाजरा वापस अन्दर डाल ले।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, अभी इनका वक्ता बोल रहा था तो सब शांति से सुन रहे थे और अब यह बात कह रहे हैं तो यह इन्टरप्शन कर रहे हैं। आसन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बात तो सबकी सुनो, इसमें क्या बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : केवल राजनीतिक रूप देने के लिये आप लोगों ने जो तांडव और जो + + + की है, सीकर का काश्तकार इस बात को बरदाश्त नहीं करेगा।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : : आपको सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लाना चाहिए कि भारत सरकार इस सीलिंग को बढ़ाये। किसी तरह की सीलिंग नहीं रखे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हाउस को तो आर्डर ले आओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन करूं।

श्री सभापति : पहले मेरा निवेदन सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : काश्तकार इनके पास बाजरा लेकर आता है, काश्तकार का बाजरा बोरी से बाहर निकलवा लेते हैं और यह कह कर कि बाजरा काला है, बाजरे को वापस दे देते हैं।

श्री सभापति : माननीय पारीकजी, विराजिये। सब को मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + (व्यवधान) एक मुट्ठी अनाज पैदा करना नहीं, एक मुट्ठी बाजरा खाना नहीं।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य, सभी को मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से डिबेट को अच्छी तरह से चलने दीजिये। आपको सबको मौका मिलेगा। बीच में व्यवधान करने से डिबेट अच्छी नहीं चल पायेगी। (व्यवधान) आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : देखो इनको।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी डिबेट से बाजरे की खरीद बढ़ जायेगी? हमें खरीद चाहिए डिबेट नहीं। किसानों को बाजरे की खरीद बढ़ानी है आपकी डिबेट से किसानों को कोई लेना देना नहीं क्योंकि आंकड़े सारे फर्जी बने हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आर्डर कर देता हूं। किससे सवाल कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : आपसे, भारत सरकार से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मदद करो न मना कौन कर रहा है। सरकार आपकी है, करो न। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : चेयर आपको अवसर दे रही है....(व्यवधान) सहकारिता मंत्रीजी की जगह आप वक्तव्य दे देते....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वेयर हाउसिंग कारपोरेशन आपका, आप करिये कौन मना कर रहा है।

श्री मोहन लाल मोदी : भारत सरकार का काम है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाटी साहब।

श्री मोहन लाल मोदी : आपकी वहां सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह हम खरीदेंगे, हमारी जिम्मेदारी हो हम पूरा करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी बहस करने से बाजरे की खरीद हो जायेगी, बाजरा बिक जायेगा काश्तकार का ?

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, गला फाड़ कर ही बोलना पड़ेगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पारीक साहब। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन में कोई बात होने दे, कोई विचार होने दे।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, क्या आपकी मंशा है डिबेट नहीं हो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या आपकी मंशा है कि डिबेट नहीं हो ?

श्री सभापति : माननीय नारायण सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरा सीकर बाजरा बेच देगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनका तो बाजरा और किसान से क्या मतलब है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हाउस नियमों से चलेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस इसी तरह से चलेगा जब तक भारत सरकार बाजरे की खरीद नहीं करेगी यह हाउस इसी तरह से चलेगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस के, आपके लोग बोल रहे थे तो हम आराम से सुन रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तकलीफ हो रही है हम कह रहे हैं तो। आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना। बीच-बीच में बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको नहीं है यह सारा दर्द कांग्रेस को है। आपकी सरकार दिल्ली में है इसलिये आपकी जिम्मेदारी है सारी कि आप सारे मिल करके वहां भारत सरकार को मजबूर करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय नेता प्रतिपक्ष आये दिन बयान कहते हैं कि काश्तकार की फसल खरीदें, यहां डिबेट होने से फसल खरीदी जायेगी....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह मैनिफैस्टो है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सचेतक महोदय, आपके सदस्यों को कंट्रोल करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सुराना साहब, एक मुट्ठी बाजरा पैदा नहीं करना, एक मुट्ठी बाजरा आपको खाना नहीं। आपका क्या लेना-देना बाजरे से ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बाजरे के ठेकेदार आप ही बन गये क्या ? बाजरे की खिचड़ी पकाने वाले ठेकेदार, बार-बार खड़े हो जाते हो, + + + की कोई सीमा होती है।....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(व्यवधान)....इनको + + +, को बाहर किया जाय। बन जाते हैं बाजरे के ठेकेदार।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : पता ही नहीं बाजरे का। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, यह बाजरे के ठेकेदार बन गये, इनके घर में बाजरा होता है, बाजरा खाते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : ये बाजरा पैदा करते हैं, बाजरा खाते भी हैं। उपभोक्ता भी है, उत्पादन भी करते हैं।

श्री राजेंद्र पारीक : पैदा भी करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम भी पैदा करते हैं (व्यवधान)....राजस्थान सरकार ने बाजरे की व्यवस्था नहीं की। अपनी झेंप को मत मिटाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले इसको पढ़ लो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्रजी पारीक, अपनी झेंप मत मिटाओ। बाजरे की खिचड़ी खाओ, फिर बाजरा खाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले इसको पढ़ लो, फोटो लग रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फोटो लगा करके सम्वेदनशील बन गये, बन गये बाजरे के ठेकेदार।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी क्या करेंगे, आप क्या करोगे यह बताओ।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बाजरे की खिचड़ी खाने वाले ठेकेदार बन गये। बहुत बाजरे का ठेकेदार है, इनके घर में होता भी है बाजरा? (व्यवधान) फालतू की किसी को बोलने नहीं देते। (व्यवधान) अपनी झेंप मत मिटाओ सरकार की, जिम्मेदारी आपकी थी बाजरा खरीदने की। अपनी झेंप मत मिटाओ। झेंप मिटाने के लिये मोहनजी मोदी और राजेन्द्रजी पारीक खड़े हो गये। (व्यवधान) झेंप मत मिटाओ, झेंप।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको सुझाव देने के लिये, आपकी जिम्मेदारी का अहसास दिलाने के लिये....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह आपकी जिम्मेदारी है। ठेकेदार मत बनो बाजरे के।

श्री सभापति : सुराना साहब, बोलिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बाजरे की खिचड़ी खाने वाले ठेकेदार आ गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन दोनों पक्षों के माननीय सचेतकों से है कि अपने-अपने पार्टी के सदस्यों को हिसाब में रखिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले कौन बोला था, सभापति महोदय।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले कौन बोला है, राजेन्द्रजी बीच में बोले हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : कौन बोला है, फैसला बाद में हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा निवेदन मात्र इतना है कि पूरा सदन प्रस्ताव करें कि बाजरे की खरीद की सीलिंग समाप्त की जाय। पूरा सदन प्रस्ताव भेजे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पैरों पर है।

श्री सभापति : विराजिये आप, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक प्रस्ताव पास क़रिये यदि इनकी नीयत साफ है तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : पारीक साहब, आप विराजिये।

श्री नारायण सिंह : तीन महीने लगेंगे, चार महीने लगेंगे.....(व्यवधान)

श्री सभापति : देवीलालजी, आप ठहरिये।

श्री देवीलाल बैरवा : हक की बात करवा कै वास्तै यह जनता पार्टी आळा न बोलबा दे, म्हें बोलांगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूंजीपतियों के समर्थकों, व्यवस्था कर नहीं पाये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वह बैठें तो सही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : किसान और बाजरे की कितनी चिंता है, यह आपकी उपस्थिति बता रही है। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : 77 कै माइनै भी उनकै बाजरा खेता मैं पड्यो, ए ना खरीद्यो और खरीद्यो तो 6 रुपया क्विंटल में उनका आटा खरीदा और पांच साल तक उनका पैसा नहीं दिया। यह हमको किसान की बात नहीं करने देते।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सहकारिता मंत्रीजी से पूछ रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने पत्र में जो राजस्थान का उत्पादन 23 लाख टन बताया है और मार्केटेबल सरप्लस 7 लाख टन बताया है, अपने पत्र में जो प्रधानमंत्रीजी को लिखा है, उसका आधार क्या है ? आप बैठें।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोर्ट में बहस नहीं कर रहे हैं, सुरानाजी, आप कोर्ट की बहस चला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : बहस से बाजरा खरीदा जायेगा ? (व्यवधान) सभापति महोदय, सीकर के जो सेंटर्स हैं उनमें एक काश्तकार से.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नाम से पुकारने के लिये बाध्य मत कीजिये आसन को। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : नाम से पुकारिये चाहे बिना नाम से.....(व्यवधान) काश्तकार को फसल बेचनी है उसकी व्यवस्था करिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये, डिबेट को चलने दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह बाजरे की खींचड़ी के ठेकेदार हैं, खिचड़ी बेचते थे।

श्री देवीलाल बैरवा : बाजरे के ठेकेदार नहीं बाजरा पैदा करने वाले हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, राजेन्द्रजी राठौड़ बाजरे के बारे में खूब जानते हैं, आपको भाग लेना चाहिए।

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं बोलते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं खड़ा होकर निवेदन कर देता हूं, सभापति महोदय—

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन को प्रस्ताव करे कि बाजरे की सीलिंग समाप्त हो। राजस्थान के काश्तकार जितना बाजरा बेचना चाहे अपने बाजरे को बेचे।

श्री मानिक चन्द सुराना : इनका क्या तरीका है, सभापति महोदय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, यदि सदन में कोई व्यापारियों को डिफेंड करने की कोशिश करेगा तो नहीं बोलने दिया जायेगा। बिलकुल स्पष्ट बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है, सभापति महोदय। इस तरह हाउस नहीं चलेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जो भी कानूनी बात की जा रही है, 6 सितम्बर को 485 रुपये का दाम कर दिया और नवम्बर में खरीद की जाती है। (व्यवधान) दाम तय करेगी केन्द्र सरकार और खरीदेगी राजस्थान सरकार—(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हाउस किसी की सम्पत्ति नहीं है। सभापति महोदय, हम नियमों से चलना चाहते हैं, हम नियमों और प्रक्रियाओं से चलना चाहते हैं। यह क्या तरीका है, सभापति महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई ऐसी बात नहीं जो कोई उत्तेजना पैदा करने वाली हो। तर्क के आधार पर—(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कौन दो महीने तक, 6 सितम्बर को केन्द्र सरकार ने दाम तय कर दिये फिर नवम्बर के प्रथम सप्ताह में सिफारिश की—(व्यवधान) पौने दो घंटे की डिबेट—(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : थोड़ी देर इनको पानी पिलाकर—(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है इनको पहले पानी पिलाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : थोड़ा इनको कंट्रोल करो, सभापति महोदय।

श्री सभापति : पूरा प्रोटेक्शन है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : व्यापारियों को डिफेंड करने का प्लेटफार्म नहीं है। यह प्लेटफार्म है किसानों की बात कहने का। यहां व्यापारियों को डिफेंड नहीं करने दिया जायेगा। पौने दो महीने की डिले को एक्सप्लेन करो। आपकी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सरकार है, पौने दो महीने तक क्यों नहीं खरीद की गयी ?

श्री धर्मपाल चौधरी : 153 में से केवल 25 ही बैठे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 6 सितम्बर को 485 रुपये का दाम फिक्स कर दिया गया तो नवम्बर में सिफारिश की गयी। पौने दो महीने का एक्सप्लेन दीजिये। अब आप कटघरे से नहीं निकल सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप + + + हैं क्या जो इतना दर्द हो रहा है।

श्री सभापति : एक सैकण्ड माननीय सदस्य। आज माननीय सदस्य सीकर तो कुछ ज्यादा ही उत्तेजना में है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, सीकर को सबसे ज्यादा तकलीफ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके कपड़े फटे हैं वहां। (व्यवधान)

श्री सभापति : यदि यही इच्छा हो कि सदन में बाजरे की खरीद जो एक महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा नहीं हो, आप लोगों की मर्जी है वरना आप सबको मौका मिलेगा। माननीय सदस्य बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए। उसके बाद आप जो चाहेंगे, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा लेकिन बीच में टोका टोकी का मामला जो है, मेरे ख्याल से सदन के ठीक चलने में बाधक बनेगा। इसी निवेदन को मानते हुए इस कार्यवाही को चलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट सभापति महोदय, हम तो केवल आपसे यह आश्वासन चाहते हैं कि सदन में जब चर्चा समाप्त हो जाए तब यह सीलिंग भी समाप्त होनी चाहिए। हम तो मात्र आपसे इतना आश्वासन चाहते हैं, आप इतना आश्वासन तो दें।

श्री अमराराम (धोद) : आसन क्या आश्वासन दे देगा ? आप खरीदकर दिखाओ न, आसन क्या आश्वासन दे देगा ?

श्री राजेन्द्र पारीक : और कौन देगा, यह क्या बात हुई, क्या राजस्थान सरकार खरीद रही है ? भारत सरकार का मामला है।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार के मुख्य मंत्री को घेरिये जब कपड़े फाड़ रहे हैं लोग।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी, आप भी सीकर से हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आप क्या आश्वासन चाह रहे हैं सरकार से ? (व्यवधान)

(14.41 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव को पारित कर दीजिए। (व्यवधान) करिये प्रस्ताव पारित।

श्री मोहन लाल मोदी : वे आ गये।

श्री नारायण सिंह : पारित करिये। अभी कोई विवाद नहीं है इसमें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : मुख्यमंत्री धरना दें। (व्यवधान) 153 बैठे हैं, धरना दो न, केन्द्र सरकार के खिलाफ जाकर धरना दो।

श्री मोहन लाल मोदी : यह काला बाजरा खरीदा जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : तब तो लव लैटर लिख रहे हैं उससे काम चला रहे थे, 153 हो जाकर बैठो न, दिल्ली में उनके दरवाजे के बाहर तब कोई नहीं बैठता है तब तो लव लैटर से काम चलाते हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : अमरारामजी, तब तो यह चिट्ठी भेजते हैं खाली, चिट्ठी भेज रहे हैं, चिट्ठी आ रही है, चिट्ठी जा रही है, चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरानाजी, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने तीन मन बाजरा 35 रुपये से फलाकर तो बड़ा मीन मान लिया न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी, आप बिराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए मैं आपसे पहले खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य, इस डिबेट को चलने देना चाहते हैं या नहीं चलने देना चाहते हैं। Let him speak.

आपका मौका आयेगा तब बोल लेना आप। (व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे डिबेट नहीं चलती है, आप उनको बोलने दीजिए। आपका अवसर आया आप बोल लिये। मंत्रीजी जवाब देंगे। You are free to speak. बीच-बीच में दो-दो मिनट में कैसे सब बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम तो यह कह रहे हैं कि सहकारिता मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : He is speaking. Please sit down. आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। हमने आपको आश्वस्त किया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आप नियम और प्रक्रिया की बात करेंगे। जब किसान की बात आ गयी तो नियम कानून आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सुबह से बार-बार व्यवधान कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : और पूरा का पूरा समय आपने यूनीवर्सिटी के नाम पर जला दिया और अब नियम और उप नियम पैदा हो गये आपके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको थोड़े ही कहा मैंने, उनको कहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किसान की बात आती है तो आपको नियम आड़े आ जाते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : पहले तो एक घंटा ले लिया और अब नियमों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि राजस्थान के कितने लाख हैक्टेयर में बाजरा बोया गया, जरा इस पर विचार करें। सीकर बाजरे का बहुत बड़ा उत्पादन का केन्द्र है, यह मुझे मालूम है। आपको और सरकार को यह ध्यान होगा कि 43 लाख हैक्टेयर में बाजरा इस साल बोया गया है। अमरारामजी, यदि इनको मालूम नहीं है—

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य, आप सुधार लें 4336.6 है, आप सुधार कर लीजिए। बतायी हुई न्यूमेरीकल फिगर गलत है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने बीच-बीच में रोका इनको ? कोई तरीका नहीं है बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : मैं डिबेट बन्द कर दूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आंकड़ों की जानकारी तो गलत नहीं दें कम से कम। 4336.6 है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बाद में उसका खण्डन कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं चलेगा। It will not allow the debate.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कहां जाएं, किसको कहें बात ?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, 43 लाख हैक्टेयर में बाजरे का उत्पादन हुआ और खरीफ की कुल फसल 127 लाख हैक्टेयर में हुई है। आपको संशय हो तो "मंथली रिव्यू आफ राजस्थान इकोनोमी" जो सितम्बर, 2001 की है उसके पेज नम्बर 17 का आकलन करें। न तो वह पेज 17 का आकलन माननीय सदस्य सीकर वाले करेंगे और न कोई दूसरे जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं वह करेंगे, कम से कम आप उसका आकलन करें। 43 लाख हैक्टेयर में बाजरा बोया गया और औसत उत्पादन क्या है बाजरे का—(व्यवधान) आप बैठें एक बार।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं इतना जवाब दे दीजिए आप तो ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्रीजी को ही बताना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है, यह सदन चलेगा क्या ? बार-बार-बार-बार।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या मतलब है इसका।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और इधर से बार-बार टोका टोकी हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात हो और उससे कोई व्यवधान हो तो समझ में आ सकता है। आंकड़े सहित, तर्क सहित अपनी बात रख रहे हैं और बिना बात के व्यवधान, इसी तरह से सदन चलाने की मंशा है तो आपकी मर्जी है।

श्री मोहन लाल मोदी : आंकड़ों से क्या लाभ है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आंकड़ों से लाभ है जब मान लेना।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो व्यवस्था करवायें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इनको क्या पता कि इससे क्या लाभ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य सचेतकजी खुद जा-जाकर उन लोगों को कह रहे हैं, आप खुद उकसा रहे हैं उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.45 बजे, आधा घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय 15.15 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन,)

शासकीय वक्तव्य

समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद व्यवस्था पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री सुराना साहब।

श्री रामस्वरूप : होने दो सब कुछ, होने दो, नमकीन भी आने दो, मीठा ही मीठा नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, यह ट्रेजरी बैंच में से सहकारिता मंत्री जी को तो बुला लें। बाकी तो भले ही—

श्री हरिसिंह (महुआ) : आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप शुरू कीजिये।

श्री रामस्वरूप : सारे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं सारे।

श्री सभापति : आप बैठे ना।

श्री मानिक चन्द सुराना : सुनने वाला कोई आ जाये।

श्री सभापति : आ रहे हैं, आ रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : जवाब जिनको देना है वह आ जायें।

श्री सभापति : अभी आ रहे हैं, आप शुरू करे ना। आप शुरू करें वह आ रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : पधार रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : सुराना साहब, सीधी-सीधी बात करो। इलजाम मत लगाओ। सीधी बात कहो कि हम बाजरा खरीदवायेंगे, हम दिल्ली जायेंगे और बाजरा खरीदवायेंगे। यह बात करें आप तो— (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मोदी जी, अब तो मानिये आप।

श्री मोहन लाल मोदी : मान ही रहे हैं, हम तो एक सीधी सच्ची बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री केसाराम चौधरी : इनसे पूछें कि बाजरा होता कैसा है ? देखा भी है बाजरा ?

श्री सभापति : आप सुनें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सुराणा साहब।

श्री मोहन लाल मोदी : रंग बताऊं उसके या उसके गुण बताऊं, बोलो।

श्री मानिक चन्द सुराना : भाटी साहब, फरमायें।

श्री केसाराम चौधरी : दोनों ही बता दो।

एक माननीय सदस्य : तीन दिन खाओ तो पता पड़ जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कभी राठौड़ साहब एब्सेंट हों तो आप भैरोंसिंह जी को कह दिया करो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं कह दिया करूंगा। आइन्दा आपकी सलाह से ऐसा ही करूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनको स्लिप लिख कर दे दिया करो वह पहुंच जायेगा वहां पर।

श्री मानिक चन्द सुराना : और वह काम हो जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और वह काम हो जायेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : ठीक है।

श्री राजेंद्र राठौड़ : भाटी साहब, यह राज सिर्फ आप अकेले को मालूम है।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, माननीय सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सहकारिता मंत्री जी का ध्यान मुख्य मंत्री जी के पत्र 11.9 जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा उसकी ओर आकर्षित करता हूं जिसके आखिर से एक पहले पैरेग्राफ में लिखा है, "I would like to inform you that as per the latest estimates, we expect total production of "bajra" in the state to be over 29 lakh metric ton." 29 lakh metric ton! और आपने आज कह दिया 25.15 लाख टन, "......In view of these revised estimates, it can be presumed that perhaps as much as 7 lakh metric ton of "bajra" and other coarse grains like maize and jowar will have to be procured."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपके मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े दिये वह निश्चित रूप से कोई आकलन के आधार पर दिये होंगे। 29 लाख मीट्रिक टन और 43 लाख हैक्टेयर में जब बाजरा बोया गया है तो यह इसका आकलन 700 किलोग्राम पर हैक्टेयर से आता है। माननीय सहकारिता मंत्री जी एक हैक्टेयर चार बीघा और चार बीघे में आपने उत्पादन बताया है 700 किलोग्राम का, 7 क्विंटल का। अब आप यह बता दें कि चार बीघे में जब सात क्विंटल बाजरा पैदा हुआ आपने मान लिया एक बीघे में पौने दो क्विंटल बाजरा पैदा होना आपने मान लिया तो आपने बीकानेर में 20 किलो, सीकर में 15 किलो और चूरू में 20 किलो और जयपुर में 50 किलो, उस अनुपात से आप जो बाजरा खरीद रहे हैं, एक बीघे पर यह अनुपात कैसे ले आये। आज काश्तकार का जो सरप्लस बाजरा है, मार्केटेबल सरप्लस जिसको बोलते हैं, खाने की आवश्यकता की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पूर्ति के बाद वह जो बाजार में बेचता है, उस बाजरे का आकलन आपने सात लाख मीट्रिक टन किया है। पर आपने यह 15 किलो, 20 किलो और 20 किलो चूरू, 20 किलो बीकानेर, 15 किलो सीकर और 50 किलो जयपुर यह जो आपने खरीद का पैमाना रखा है यह किस आधार पर रखा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला मौका है जबकि राजस्थान में तीन साल के बाद काश्तकार के यहां अच्छी फसल हुई है और जिसको आपके मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। अब आपने चार लाख टन घटा दिया है। आप 29 से 25.15 पर आ गये। 25.15 ही फरमाया न आपने, कहीं मैंने सुनने में गलती की हो तो मैं करैक्ट कर लूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल के बाद में, सही मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर बाजरा बिके, मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान के लोग जो राजनीति में है, समाज नीति में है, उनकी इच्छा यही होगी कि समर्थन मूल्य तो मिले, समर्थन मूल्य पहले था 445 रुपए और 485 रुपए अभी भारत सरकार ने सितम्बर की आठ या सात तारीख को घोषित किया है, 445 से 485 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सुराना साहब, आपने हैक्टेयर फरमाया....

श्री मानिक चन्द सुराना : एक हैक्टेयर में....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक हैक्टेयर में सवा छह बीघा होता है....

श्री मानिक चन्द सुराना : एक हैक्टेयर में चार बीघा....(व्यवधान)। वह अपने कच्चे-पक्के के झगड़े में न पड़ें, मेरा मतलब है अभी जो हैक्टेयर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप गंगानगर वाला फरमा रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, हां, जिसको हम मुरब्बा कहते हैं, जो छह हैक्टेयर में एक मुरब्बा हो जाता है, 165 बाई 165 फीट के मापदण्ड के हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी, हमारी, सबकी रुचि है कि बाजरा 485 रुपए, जो काश्तकार लाये। उसको मिले, जो काश्तकार लाया है, उसको मिले। पहली बार भारत सरकार ने बाजरे की बड़े पैमाने पर खरीद राजस्थान के संदर्भ में शुरू की है, इसको न भूलें, जो पहली बार खरीद शुरू की है, पहले हो गई होगी 20-30 हजार टन की खरीद 82 में, लेकिन एक लाख टन, 10 लाख बोरी हम कोई 10 लाख बोरी से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे नेता ने साफ कहा था कि कम से कम 3 लाख टन बाजरा राजस्थान का खरीदा जाना चाहिए, पर तीन लाख टन, हमने कहा अभी एक लाख टन से ही भारत सरकार ने शुरूआत की है। आप यह क्यों मानकर चलते हैं कि एक लाख टन पर ही काम रुक जाएगा, एक लाख टन को अचीव करने के लिये कोई स्पीड तो चाहिए और स्पीड आपने जो 40 सेंटर खोले हैं, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, उन सेंटर्स में मुश्किल से 8 सेंटर, 6 सेंटर ही काम कर रहे हैं, बाकी सेंटर्स पर अभी खरीद नहीं हो रही है। आपके राजफैड

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के बाजरे के जो सेंटर थे, 7 तारीख का आपका रिकार्ड है, आपने अपने सेंटर्स में 8 में से 7 में खरीद शुरू की और जबकि सेंटर आपके 13 हैं, 13 में से 8 खोले हैं, और 8 में से 7 में खरीद शुरू की, 7 में खरीद के आंकड़े यह हैं कि 272 मीट्रिक टन माल खरीदा, 272 मीट्रिक टन 7 जगहों पर, तो आपका एवरेज देख लीजिए, 50 टन से कम, मतलब 40 टन के एवरेज से भी थोड़ा कम आएगा, 40 टन बाजरा आपने एक-एक सेंटर पर खरीदा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस स्पीड को बढ़ाएं और इस स्पीड में जो अवरोध आ रहे हैं— (व्यवधान) 40 टन ही हुआ न? 272 में 7 का भाग कर लीजिए, 40 से ऊपर नहीं आएगा, 40 से नीचे ही आएगा, 40 टन से भी मामूली कम आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो अवरोध हैं उनको आप देखिए।

गेहूं के मामले में, चावल के मामले में बीसों-तीसों सालों से खरीद हो रही है और इसकी क्वालिटी में जितने झगड़े आए, उन स्टेट्स ने, पंजाब, हरियाणा ने, उन सब झगड़ों को, जो क्वालिटी के झगड़े हैं, उनको कुछ तो एकेडेमिक लेवल पर निपटाया, उसमें कुछ संशोधन भी करवाए और यदि बाजरे का स्टेण्डर्ड जो कहा गया कि बाजरा ऐसा होना चाहिए, उस स्टेण्डर्ड से हमारे बाजरे में, इस साल आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में अनेक जगहों पर आखिरी बारिश ही नहीं हुई, खास तौर से बीकानेर, बाड़मेर और इधर के इलाकों में, जहां बाजरा ज्यादा हुआ, वह बाजरा अभी कोई 12 फुट, 14 फुट सुमित्राजी अभी कहेंगी कि 15-15 फुट ऊंचा हो गया और वह अपने ही वजन से गिर गया, हवाएं चलीं और अपने ही वजन ये गिर गया, मिट्टी में गिरने के कारण उसका रंग कुछ डिसकलर हो गया। यदि आप चाहते हैं कि वाकई में आपके मुख्य मंत्रीजी ने जो लिखा है कि 7 लाख टन बाजरे की खरीद हो तो मार्ग में जो भी क्वालिटी का कोई अवरोध आ रहा है, उन अवरोधों को हटाने के लिये आपको भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी। आपको तीन-चार दिन का ही अनुभव हुआ है अभी पत्र व्यवहार से काम नहीं चलेगा। प्रेम पत्र आपके मुख्य मंत्रीजी भेजते हैं, इन प्रेम पत्रों तक न रुकिए, बातचीत आमने-सामने टेबल पर बैठकर कीजिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : ये प्रेम पत्र नहीं है, किसानों के हित की बात है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह किसान के हित की बात के लिये—

श्री रामस्वरूप : आप जो प्रेम पत्र की संज्ञा दे रहे हैं, हमारे किसानों के हित के लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी लिख रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : किसानों के हित की ही मैं कह रहा हूं। मैं किसानों के अहित की बात नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी यदि थोड़ी ज्यादा कड़ी है तो उसमें थोड़ा रिलेक्सेशन करवाइए, यह मैं कह रहा हूं, आपको मुफीद है न यह बात कि क्वालिटी में कुछ रेस्ट्रिक्ट कम हो जाए ताकि किसानों का बाजरा खरीदा जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाजरा राजस्थान का किसान पैदा कर रहा है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान के किसान की बहबूदी के अंदर ही हमारी अर्थ व्यवस्था की बहबूदी है। आप यह किस आधार पर कहते हैं कि राजस्थान सरकार को तो किसी भी मायने में, किसी भी प्रकार से बाजरे की खरीद नहीं करनी है, आप यह किस आधार पर कहते हैं? क्या आपने गुजरात को नहीं देखा? जो आपने फण्ड से 26 करोड़ रुपए अभी दिए हैं ग्राउण्डनट की खरीद के लिये, अपने यहां जैसे राजफैड है, वहां उनके गुजरात में जो फैड है, उस फैडरेशन को दिए हैं 26 करोड़ रुपए अभी गुजरात सरकार ने और महाराष्ट्र में जो कॉटन क्रोप सरप्लस हुई, उसकी खरीद में, एक्सपर्ट ने उनको कहा कि खरीदेंगे तो 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा इसलिये काश्तकारों को घर बैठे-बैठे एक हैक्टेयर पर 400 रुपए दे दिए जाएं, उसको सब्सिडी के तौर पर दे दिए जाएं, प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, खरीद नहीं होगी, मार्केट में जो भाव मिले सो मिले लेकिन सरकार की तरफ से प्रत्येक किसान को 400 रुपए प्रति हैक्टेयर की सब्सिडी दे दी जाएगी।

मैं पूछना चाहता हूं कि 43 लाख हैक्टेयर में किसान जो बाजरा कर रहा है, आप उसका बाजरा, अभी भारत सरकार ने ना नहीं कहा है, एक लाख टन कहा है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, यदि वह नहीं खरीदती तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप खुद बाजरा खरीदते। मैं कहता हूं कि जो सरकार राज करना चाहती है, राजस्थान के किसान का बाजरा उसको खरीदना पड़ेगा दिल्ली की तरफ इशारा करना काफी नहीं है कि दिल्ली वालों को हमने कह दिया कि आप खरीद लो। दिल्ली वाले ना भी कहते हैं तो आपको राजस्थान के किसान का बाजरा हर हालत में खरीदना पड़ेगा। आपने यह किस आधार पर कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम बाजरा नहीं डाल सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान किस आधार पर दे दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बाजरे को हम वितरित नहीं कर सकते। राजस्थान के अनेक हिस्सों में बाजरे की आवश्यकता है। आज भारत सरकार दो रुपए किलो गेहूं देती है बी.पी.एल. को, आपने भारत सरकार से बात की है क्या कि बी.पी.एल. को गेहूं की जगह पर हम बाजरी दे दें। जो 17 प्रतिशत 171/2 प्रतिशत गांवों में बैठा हुआ आदमी है, बी.पी.एल. में से भी बी.पी.एल. है, दो रुपए किलो गेहूं का एनटाइटल है, क्यों न हम उसको बाजरी दे दें और बाजरे को हम अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे।

राजस्थान का किसान जो बाजरा पैदा करता है, वह गेहूं पैदा नहीं कर सकता। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप इस बात को ध्यान में रखें कि गेहूं पैदा करने के लिये पानी चाहिए और पानी जहां नहीं है वहां गेहूं नहीं होगा, वहां ग्राउण्ड-नट नहीं होगा इसलिये बाजरे की अर्थ व्यवस्था पर जो राजस्थान की अर्थ व्यवस्था निर्भर है, उस बाजरे की खरीद आपको करनी पड़ेगी।

127 लाख में से 43 लाख हैक्टेयर में बाजरा है, दूसरे ग्रेन्स जो भी हैं, ज्वार, मक्का, वह अलग है। मैं यह निवेदन करना चाहता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हूं कि नीति के तौर पर आप इस बात को अस्वीकार नहीं करें कि हमारी कोई जिम्मेदारी बाजरा खरीद करने की नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 43 लाख हैक्टेयर में यदि आप 100 रुपए बीघा भी दें तो कितने रुपए बनते हैं, 150 करोड़ रुपए से कुछ अधिक ही बन जाते हैं। आपको निश्चित रूप से अपने खुद के साधनों को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने साधनों से राजस्थान के मोटे अनाज की खरीद करें और राजस्थान के मोटे अनाज से आप अपना मुंह मोड़ नहीं सकते कि हम खरीद नहीं करेंगे और सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खरीद करे। जितना भारत सरकार पर दबाव लगाना है, वह हमारी पार्टी लगाएगी और उनको बाजरे का मूल्य 445 से 485 करने का निवेदन भी किया है, आपने भी किया है, आपके मुख्य मंत्रीजी ने भी किया है, विपक्ष के नेता महोदय ने भी किया है। विपक्ष के नेता महोदय तो भाजपा के लोक सभा के सांसदों का डेलीगेशन लीड करके ले गए और उस डेलीगेशन को लीड करके ले जाने के बाद तत्काल एक लाख टन की खरीद जो शुरू हुई है, वह महत्वपूर्ण है, इस मौके को हम खोएं नहीं, इस मौके को सीज करें। क्वालिटी का जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें कमी कराएं ताकि राजस्थान के किसानों का बाजरा अधिकाधिक मात्रा में बिके। और कोई किसान जो मण्डी में बाजरा लाता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, कल मैंने स्वयं ने फोन किया, एफ.सी.आई. के जो भी यहां सीनियर रीजनल मैनेजर हैं, कुछ काश्तकार गये बेगस गांव के उन बेगस गांव के काश्तकारों का बाजरा जो रिजेक्ट किया गया उसमें कहा गया बाजरा रिजेक्टेड। यह मेरे पास ओरिजनल है :

"Due to excess 0% of ergot i.e. 1.5%. Slightly damaged and discoloured."

आपको भारत सरकार से बात करनी चाहिए। यह स्लाइटली डेमेज्ड और डिसकलर्ड, यह डिसकलर्ड वर्ड तो आप हटाएंगे, तब राजस्थान का बाजरा सही तरीके से इस सिस्टम से बिकेगा और जो हमारा टार्गेट है एक महीने के भीतर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इस एक महीने में नवम्बर के माह में एक लाख टन बाजरा निश्चित रूप से खरीद कर लेना चाहिए और इस सम्बन्ध में आपको जो भी इसकी गुणात्मक क्वालिटी की बात करनी है वह करें।

मैं इसके साथ ही आपको यह अर्ज करना चाहूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बाजरे को डालने पर आप गम्भीरता से विचार करें और आज तक बाजरा नहीं गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, इसलिये जा नहीं सकता, बिक नहीं सकता, बाजरे का आप बाजार बना देंगे अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके लिये खोल देंगे और यह राजस्थान सरकार के हाथ में है। इसमें आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है, इनके स्वयं के हाथ में है। इसलिये इसको इसमें डाले और डालने से 30-35 हजार गांवों में बाजरे का जो मार्केट है और जो बाजरा खाया जाता है उस सिस्टम से भी बाजरा निकलेगा।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपने जौ की खरीद की थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में कहा था कि हमने साहसिक निर्णय लिया है जौ की खरीद का। जौ की खरीद का साहसिक निर्णय लेकर शुरू तो कर दिया आपने राजफैड से, लेकिन 50 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट आपको भारत सरकार ने दी। दी या नहीं दी? माननीय सहकारिता मंत्रीजी?

श्री सभापति : बाद में बताएंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : 50 करोड़ की लिमिट आपको दी गयी जौ की खरीद की माननीय सहकारिता मंत्री जी, यह शांता कुमारजी का पत्र है, जो पत्र मुझे आया है। मैंने पत्र लिखे उनको और उसके जवाब में उन्होंने जो सूचना भेजी वह यह है जो आपके लिये अत्यधिक आवश्यक जानकारी है वह मैं दे रहा हूं।

"मैंने राजस्थान सरकार के परामर्श से मामले की जांच करवायी है।" यह शांता कुमारजी का पत्र है, तारीख 2 अक्टूबर, 2001 का। "राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राजफैड ने रबी विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान 1.04 लाख टन जौ की वसूली की योजना बनायी थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिये 51 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा मंजूर की थी। राजफैड 35.15 करोड़ रुपये खर्च करके 60, 945.56 टन जौ की वसूली कर सका, तथापि वसूली भण्डारण स्थान की अनुपलब्धता के कारण 7 जुलाई, 2001 की वसूली को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि राजफैड किराये पर निजी गोदामों की भी व्यवस्था नहीं कर सकी थी। इसके अलावा वहां जौ की रख-रखाव लागत पर व्यय करना है। वे मानसून के आगमन तथा धन की कमी के कारण वसूली को पुनः आरम्भ नहीं कर सके।"

मैंने उनको कहा था कि जब 1.04 लाख टन जौ की खरीद में सिर्फ 60.945,61 हजार टन. समझिए आपने 51 करोड़ रुपये प्राप्त करके भी टू थर्ड पर नहीं पहुंचे सहकारिता मंत्री जी। टू थर्ड भी 66 हजार टन होता है। आप जौ की प्रोक्योरमेंट में, जिसमें कोई क्वालिटी का अधिक रेस्ट्रिक्शन नहीं था, 60 हजार टन पर पहुंचे। 51 करोड़ रुपये लिये और 35.15 करोड़ ही खर्च किये। क्यों साहब 15 करोड़ रुपये के जौ आपने क्यों नहीं खरीदे आपने गोदामों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आज धन भारत सरकार दे रही है बारदाना भी भारत सरकार दे रही है। आपसे तो इतना ही कह रही है आप जगह की व्यवस्था करें और यदि आपने जगह की व्यवस्था नहीं की तो आप क्या यह सोचते हैं कि शांताकुमार जी खुद राजस्थान आएंगे और एफ.सी.आई. के गोडाउन तलाश करेंगे। यह राज्य की जिम्मेदारी है। बाजरे की खरीद कराने का यदि हमारा मन है तो राज्य सरकार चाहे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, चाहे राजफैड हो, जो गोदाम चाहिए उन गोदामों की व्यवस्था करे। आपके वेयर हाउसिंग के गोदामों में, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, 15 पर्सेंट तो लोगों का माल उसमें नाजायज पड़ा है जिसका कोई किराया भी राजस्थान की सरकार को वसूल नहीं होता। आप कम से कम अपनी भृकुटि उधर तो डाले कि वह 15 पर्सेंट जगह तो खाली हो और उस 15 पर्सेंट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जगह में कितनी जगह निकलेगी जिससे कि बाजरे का भण्डारण सही तरीके से शुरू होगा। तो मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि जौ की खरीद में भारत सरकार ही आपके काम आयी है और 51 करोड़ रुपये उन्होंने आपको एडवांस दिये हैं और इस बाजरे का एडवांस भी वहीं से आ रहा है आपने 15 करोड़ रुपये उनसे मांगे भी हैं रोटेशनल फण्ड के लिये। आप रुपया मांगे, रूपया प्राप्त करें उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना रुपया प्राप्त करें उतने का बाजरा तो खरीदें और उसके भण्डारण की व्यवस्था यदि नहीं है तो उस भण्डारण की व्यवस्था करें ताकि राजस्थान के किसान को लाभ मिले जितनी हम सरकारी खरीद कर लें।

आज पंजाब और हरियाणा निहाल हो गये। क्यों, किस आधार पर? गेहूं जितना होता है सरकारी खरीद उसकी हो रही है और जिस गेहूं की चार साल पहले 82 लाख टन की खरीद थी वहां गेहूं 150 लाख टन को क्रोस कर रहा है और जिस धान की खरीद 80 लाख पर थी वहां अब 200 लाख को क्रोस कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि आप बाजरे के लिये प्रोक्यारमेंट में मदद करना चाहते हैं और प्रोक्यारमेंट में राजस्थान सरकार आगे आकर किसान के लिये भागीदारी करना चाहती है तो स्वयं भी कहे कि एक लाख टन तो हम ही खरीद लेंगे अपने साधनों से, कहीं दिक्कत नहीं है और आप यदि एक लाख टन खरीदने की सोचेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार वहां 50 करोड़, 51 करोड़ का फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार आप चाहेंगे तो तीन लाख, आप चाहेंगे तो चार लाख टन खरीद लेगी। खरीदने की हमारी रफ्तार तो तेज हो जिससे यह लगे कि हम दो लाख टन, तीन लाख टन बाजरा खरीद पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इसमें रफ्तार को तेज करे, भण्डारण की व्यवस्था करे और क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन जो भी कोई आड़े आ रहा है उसको रिलेक्स कराने का काम करे और सिर्फ झूठी वाहवाही इस बात की न लूटे कि हम तो कह रहे हैं सात लाख टन खरीद लो। सात लाख टन भी खरीदा जाएगा। भारत सरकार खरीदे या न खरीदे, आप खरीदिए। राजस्थान की जनता के वोट आपने लिये हैं, उसकी अर्थ व्यवस्था को सही रखने का काम आपका है और इसलिये 485 जो हो गया है, आप इस बात को देखे कि कोई भी काश्तकार जो मण्डी में माल लाता है वह 485 से कम नहीं बिके। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं आप एक लाख की घोषणा तो करके देखिए कि एक लाख टन तो हम ही खरीद लेंगे। 51 करोड़ रुपये में माननीय वित्त मंत्रीजी, बैठे थे, राज्य सरकार जिसका 24 हजार करोड़ का टोटल रुपये का आवागमन है उसमें 50 करोड़ में आपके भी फर्क नहीं पड़ेगा और 50 करोड़ में सरकार दिवालिया होने के निकट नहीं आएगी। काश्तकार को बचाने जाओगे तो निश्चित रूप से दिवालिया नहीं बनोगे और काश्तकार को नहीं बचाओगे तो आपको दिवालिया होने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, इस साल तीन साल के बाद में जुलाई, अगस्त के महीने में अच्छी बरसात हुई और इस अच्छी बरसात होने से बाजरे की फसल बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ पैदा होने की आशा हुई थी, लेकिन लास्ट में बरसात जो सितम्बर में होने की उम्मीद थी वह नहीं होने से काफी जगह पर बाजरा कम पैदा हुआ, फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि विपक्ष में बैठने वाले और सत्ता में बैठने वाले लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने की ज्यादा कोशिश करते हैं और असलियत तक न तो किसी को पहुंचना है, जानते सभी हैं और एक-दूसरे को होशियारी से फब्तियां मारने की कोशिश करते है। इससे गरीब आदमी को और किसान को कोई डाइरेक्ट लाभ जैसी वकालत मैं महसूस नहीं करता हूं।

भारत सरकार, असली सरकार तो केन्द्र की ही होती है। उसके पास सारी ताकतें होती हैं। राज्य सरकार को हम तो उसका एक बच्चा मानते हैं। उस बच्चे को चाहे तो पिचल दे और चाहे तो उभार दे। जब भारत सरकार हर बात में अड़ंगा अड़ाए कि किसी भी सूरत में राज्य सरकार फेल हो तो उसमें वह भी अपनी गैर-जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। पंजाब को 1500 करोड़ रुपया दिया जाए, हरियाणा को ज्यादा पैसा दिया जाए, गुजरात को ज्यादा पैसे दिये जाएं, आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसे दिये जाएं और राजस्थान को पैसे जरूरत के अनुसार भी न दिये जाएं, इसकी मंशा क्या है? मैं इस विषय से हटकर आपको एक मिसाल कहना चाहूंगा। भारत सरकार के मंत्रियों के पत्रों के जरिये ऐसे आदेश मिले हैं राजस्थान सरकार में, कि बाड़मेर-जैसलमेर के मरुस्थलीय विकास के कार्यक्रम जो भारत सरकार के कार्यक्रम हैं, उनके पैसे रोक दिये और मई से आज तक जो वर्कचार्ज के परमानेंट लेबर हैं उसके पैसे मिलने भी उसको बंद हो गये। इसी प्रकार, बाजरे की खरीद में भी भारत सरकार की नीयत यही दिखती है कि किसी भी सूरत में राजस्थान सरकार को डेमेज किया जाय, यह हमारा लाभ है और वह नैतिक जिम्मेदारी से गुरेज कर रही है। उनका यह फर्ज नहीं है। हमारा यह प्रस्ताव है, यह सुझाव है, जैसा कि सहाकरिता मंत्री ने प्रस्ताव रखा और इस सदन से सर्वसम्मति से पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा जाय और सात सौ, आठ सौ मीट्रिक टन अनाज खरीदने की केन्द्र व्यवस्था करें और राजस्थान सरकार अपने बूते पर प्रयास पहले से ही कर रही है और उसको भी करना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त कराता हूं। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा बाजरे का हंगामा हुआ, हमारे जोधपुर डिवीजन में तो बाजरा बेचने वाला ही कोई नहीं है, उदयपुर डिवीजन में तो बाजरा है ही नहीं और टोंक में इधर है। बाजरा ज्यादा करो, चाहे बम्पर करो और चाहे भाषण शो करो, चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिले में हैं और उसको आराम से केन्द्र सरकार खरीद सकती है और कोई दिक्कत नहीं है और यह प्रतिपक्ष के नेता साहब को कहो कि खरीद लें। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, 3 साल के भीषण दुर्भिक्ष के बाद इस बार जब अच्छी बारिश हुई और जब बाजरे की अच्छी लहलहाती फसल किसान ने देखी तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन उसके बाद में जब बाजार में भाव गिर गया बाजरे का तो उसके सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। मैं इस सम्बन्ध में याद दिलाना चाहूंगी सत्ता पक्ष को और खास तौर से सहकारिता मंत्रीजी को कि चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत कुछ कहा था और इसलिये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक क्योंकि मैं अधिक तो नहीं लेकिन दो-तीन लाइनें पढ़कर सुनाना आवश्यक समझती हूं।

डा. महेश जोशी : तीन साल पुराना हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, तीन साल पुराना चाहे हो लेकिन जो आश्वासन दिये गये थे किसान को उसके बारे में कहना आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य : पूरे कर दिये साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरे कर दिये इसीलिये तो मैं सुना रही हूं। "कृषि फसल बीमा को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।" दूसरा है, "कृषि उपज को बाजरा की प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों के कुप्रभाव से बचाने के लिये किसानों के लिये समुचित भण्डारण वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी। किसान अपनी फसल को भण्डार गृहों में रहन रखकर उसके खरीद मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त ले सकेगा और अकाल, बाढ़, अनावृष्टि एवं तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये राहत कोष की स्थापना की जाएगी।" मैं समझती हूं तीन साल में राहत कोष की स्थापना तो कर ही ली होगी आपने और जब राहत कोष की स्थापना कर ली है तो फिर भारत सरकार की तरफ देखने की कौन सी आवश्यकता हुई आपको? राहत कोष तो आपने बना ही लिया और क्योंकि इसके अन्दर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत क्रश किया था और कहा था कि किसान की भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसी हालत हो गई है, वह भी मैं कहना चाहूंगी जिसमें आपने कहा कि भाजपा के राज में प्रदेश का किसान आज सबसे अधिक दुःखी है, फसल के नुकसान के लिये मुआवजा मांगने वाले किसानों को लाठियां और गोलियां खानी पड़ी हैं, ऊपर से महंगाई ने भी किसानों को झंझोड़कर रख दिया है इसलिये आपकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। मुझे एक पंजाबी दोहा याद आ रहा है जिसमें बाजरे के बारे में यह बात मुझे याद आ गई कि "बाजरादां बीज दही में ओलणा, कांकड़गंदा खेत कमावै गोलणा, इतवे वै करतार तो फिर क्या बोलणा, मतलब बाजरे की इतनी इम्पोर्टेंस हैं क्योंकि बाजरे की फसल में जैसा कि अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप जौ की खरीद कर सकते हैं तो बाजरे की खरीद

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

क्यों नहीं कर सकते। बाजरा जो अनाज है इसमें सबसे अधिक आयरन होता है, इसमें सबसे अधिक बी काम्पलैक्स होता है और इसमें सबसे अधिक फैट है, आपके मक्के के मुकाबले, गेहूं के मुकाबले, जौ के मुकाबले सबसे अधिक फैट है। मक्का खाने वाले रात में रतौंधी के शिकार हो जाते हैं लेकिन सूखी रोटी बाजरा की खाने वाले रतौंधी के शिकार नहीं होते हैं क्योंकि इट कंटेंस सबसे अधिक फैट, सबसे अधिक आयरन होता है इसलिये इस प्रदेश के अन्दर खास तौर से मरू प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन नहीं है, केवल खरीफ के भरोसे बाजरे का अपना महत्व है इसलिये आज गेहूं के ऊपर जो चर्चा की जा रही है इसलिये कि तीन साल के दुर्भिक्ष के बाद में जो फसल यहां पर हुई है उसका किसान को फायदा नहीं मिल रहा है। 485 रुपये समर्थन मूल्य तो 6 सितम्बर को घोषित हो गया और हम सब बड़े खुश हुए कि चलो अब तो 485 रुपये में बाजरा बिकेगा लेकिन बाजरे का भाव आ गया ढाई सौ रुपये। जब ढाई सौ रुपये बाजरे का भाव आ गया तो सबके मन में मायूसी आ गई कि यह तो बिलकुल फिर अकाल पड़ गया, तीन साल तो अकाल पड़ ही रहा था और चौथे साल और अकाल पड़ गया क्योंकि जब ढाई सौ रुपये में पड़ता ही नहीं खाता है किसान को तो उसके लिये तो अकाल हो ही गया। खैर, समर्थन मूल्य के ऊपर से बड़ी मुश्किल से चिट्ठियां लिखते रहे मुख्य मंत्रीजी लेकिन कभी मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं वहां पर जाकर प्रधानमंत्रीजी से बात करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी, केवल चिट्ठियों से काम क्यों चलाते रहे?

डा. महेश जोशी : गये थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने तो जाने का तो हवाला दिया नहीं, आप तो केवल चिट्ठियों की बताते रहे कि फलानी तारीख को लिखी, उस तारीख को लिखी, अमुक तारीख को लिखी, आपने तो अपने बयान के अन्दर बराबर तारीखों की और चिट्ठियों की बात की है, जाने की बात तो बाद में जब चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें कहा है, वैसे भी जाकर कहना चाहिए था। अच्छा, जौ का जब साहसिक कदम उठा सकते हैं तो बाजरे की खरीद का साहसिक कदम क्यों नहीं उठा सकते हैं आप? यह भी साहसिक कदम होना चाहिए था। सबसे अधिक खास तौर से बाजरा कहां पैदा होता है? बाजरा तो केवल रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होता है और आपके रेगिस्तानी इलाके में जहां एक ही फसल होती है, बहुत कम जहां इर्रिगेशन के साधन है तो बहुत आवश्यक है बाजरे को समर्थन मूल्य के ऊपर लेने की आपको तो मैं निवेदन यह कर रही थी कि भारत सरकार ने तो यह तय कर दिया है कि हम एक लाख टन लेंगे, 39 लाख मीट्रिक टन आपके पैदा हुआ है, एक लाख मीट्रिक टन आप प्रोक्योर करेंगे लेकिन इसमें भी जो किसान को कठिनाई आ रही है, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं उस कठिनाई को तो दूर करिये आप। पहली कठिनाई तो इसमें सबसे बड़ी यह है कि आपने पहली बात तो रंग के बारे में कह दिया, 15-15, 16-16 फीट बारिश में लगातार बाजरा बढ़ता चला गया

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और फिर गिर गया जमीन पर, रंग हो गया बदरंग, थोड़ा उसका काला रंग हो गया तो पहला रिजेक्शन तो इसी बात पर हो गया आपने 5 शर्तें रख दी, ऐसा पांच जो होगा उसको ही हम प्रोक्योर करेंगे। तो पहला तो रंग पर ही कर दिया आपने रिजेक्ट, दूसरा, आपने रिजेक्ट कर दिया कि इसके अन्दर घास के बीज हैं या किसी और चीज के बीज हैं। जब बाजरा इतना ऊंचा हो गया क्योंकि 15 फीट ऊंचाई पर तो आदमी सिट्टा काट नहीं सकता, उसे काटा गया जमीन से लगाकर, उसे बोलते हैं सूवा काटना, नीचे जमीन से लगाकर काटा गया और जमीन पर डाला गया, जमीन पर डाला, घास और भी था। (व्यवधान) आप, मुझे डिस्टर्ब न करें तो अच्छा होगा। मैं निवेदन कर रही थी कि वो जब नीचे गिरा तो उसमें कुछ घास का बीज भी शामिल हो गया। तो दूसरा रिजेक्शन आप इस बात का कर देंगे कि इसमें तो घास का बीज है। तीसरा रिजेक्शन, आपने इस बात को अभी तक नहीं कहा कि इस बार वो बोरी नहीं ले रहे हैं, वह ले रहे हैं 50 किलो का कट्टा। किसान को पता ही नहीं है कि मैं 50 किलो का कट्टा ले करके जाऊं या बोरी लेकर जाऊं। उसने तो बोरी ले करके भर रखा है और बोरी ला करके देगा तो यह तीसरी कंडीशन हो गयी। हालांकि इसको सहूलियत के लिये किया गया है कि तौलने में, उठाने में सुविधा हो लेकिन इसकी आपने अखबार के जरिये लोगों को सूचना नहीं दी तो वह भी एक परेशानी का कारण है। इसके बाद एक परेशानी और है। वह परेशानी यह है कि मान लीजिये उसने 50 बीघा में बाजरा बोया है, अब पहली बात तो प्रशासन गांव के संग में पटवारीजी ही नहीं मिलेंगे और जब पटवारी जी नहीं मिलेंगे तो कौन तो वह रकबा बतायेगा। खैर, पास-बुक ले जाएगा। वह पटवारी लिखकर देगा कि इतने रकबा पर काश्त किया था और इतना बाजरा हुआ है। वह दोनों बातें इसमें लिखेगा। फिर तारीख प्रदान करेंगे तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब भी नहीं मिलेंगे, वे प्रशासन गांव के संग में दौड़े फिर रहे हैं। न पटवारी मिलेगा, न तहसीलदार जी मिलेंगे। दोनों जब मिलेंगे तो मान लीजिये कौन लेकर जाएगा उसको। उसने 50 बीघा काश्त की है और एक बीघा के अंदर इस बार कम से कम 4 क्विंटल बाजरा हुआ है और आप लेंगे 20 किलो। 20 किलो जो लोगे तो 50 बीघा में 20 किलो के हिसाब से 10 क्विंटल आप ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर करेंगे। उस 10 क्विंटल के लिये कौन आयेगा बाजार के अन्दर, 10 क्विंटल किससे लायेगा? ट्रैक्टर में लाने के लिये 3-4 किसान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तो वह बाजरा आयेगा नहीं बाजार में और आयेगा उस दिन यदि उसका नहीं लेंगे तो वो तहसीलदारजी फिर दूसरी तारीख उसको देंगे। दुबारा जाकर के कहेंगे कि तुम्हारा नहीं बिका और अमुक तारीख दी जाती है। तो वह बजाय वहां वापस ले जाने के सोचता है कि जैसा भी जो कुछ है, भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने किसानों को फुटबाल बना लिया और इस चक्कर में वह सोचता है कि जो कुछ भाव मिलेगा मण्डी में दे जाता हूं क्योंकि मण्डी में भी जो व्यापारी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं वे उसे थोड़े बहुत 5-10 रुपये ज्यादा देकर चाहेंगे कि मैं ले लूं। वे उसकी वो किताब भी ले लेंगे, नाम भी अपना बता देंगे और अपना प्रोक्योर भी करवा लेंगे एवं उसे 5-10 रुपये दे देंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं आपने कर रखी है, ये कंडीशंस तो सब आपकी डाली हुई हैं और इसलिये डाली हुई हैं कि आप तो एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा प्रोक्योर करोगे नहीं इसलिये आपने कर दी ताकि वह परेशान होता रहे, नाम भी हो जाए कि हमने प्रोक्योर कर लिया और करना आपको है नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि इसे आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनाइये।

दूसरी बात, यह है कि आप रखेंगे कहां? आपके पास रखने के लिये जगह तो है ही नहीं। (व्यवधान) क्या फरमाया आपने?

श्री राजेन्द्र पारीक : मानिक चन्द जी सुराना ने जो कैसेट लगा रखी थी वही कैसेट आपने लगा रखी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, वह कैसेट। ठीक है। आप सुने जाइये सब की कैसेट। आप चुपचाप बैठे रहिये। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रही थी कि फिर आपके पास क्या चारा है इन सब बातों का। इसलिये हम चाहेंगे कि जैसा आप चाहते हैं कि हम सात लाख मीट्रिक टन के लिये प्रस्ताव करें, हमें कोई एतराज नहीं हैं, इसमें सब सहमत हैं और यह करेंगे आपको। लेकिन जो आप ले रहे हो उसकी व्यवस्था तो ठीक तरीके से करिये। अपनी यह कंडीशन तो हटाइये और फिर वह साहसिक कदम जब आपने जौ के लिये उठाया था वह साहसिक कदम आप बाजरे के लिये क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसलिये मैं आपसे इन्हीं अपने शब्दों के साथ कि वैसे तो आपने बहुत देर कर दी, 6 सितम्बर को भारत सरकार ने समर्थन मूल्य तय कर दिया था, आप एक नवम्बर तक तो भारत सरकार के आ-जी-जी करते रहे, पैसा दो, यह करो, वह करो। किसान की चिंता तो आपको है नहीं और आ-जी-जी करते रहे और आ-जी-जी करने के बाद में अब आपने जो शुरू किया है वह भी एक तरह का नाटक है। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि यह नाटक तो आप बंद करिये और सचमुच में यदि आप किसान को राहत देना चाहते हैं और अपने इस चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक खरा उतरना चाहते हैं—

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सुमित्राजी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता लेकिन चूंकि यह ट्रैडर्स की और बनिया पार्टी है, आप जो बात कर रही हैं, आप तो वास्तव में किसानों के, काश्तकारों के हित की बात कर रही हैं लेकिन अब खरीदेगा कौन? खरीदेगा तो बनिया। उस काश्तकार ने तो अपना बाजरा था वह बेच दिया और वह जो फायदा होगा वह बनिया को होगा और कटारियाजी वाली पार्टी को होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करते हुए कि सच पूछिये तो काश्तकार तो कुछ तो जो गरीब था जिसको आपने कहा, सबसे पहले शर्त रखी है कि हम मार्जिनल का लेंगे, हम स्माल फार्मर का लेंगे,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लघु का लेंगे, सीमांत काश्तकार का लेंगे तो वह तो बेच चुका अपना। उसको तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फिर भी जिन लोगों ने वास्तव में बाज़रा पैदा किया है उसे किसान को अपने घोषणा पत्र के मुताबिक राहत पहुंचाने के लिये आप इसे ऐसा सरल बनाइये और सरल बना करके सचमुच में आप प्रोक्योर करिये। अब तक के आंकड़े तो जो आपने दिये वो तो बड़े हास्यास्पद हैं क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो आपने कुछ नहीं किया है। इसलिये आप मेहरबानी करके इन सब कंडीशंस को वेव करके सचमुच में बाजरा समर्थन मूल्य पर किसान का खरीदें।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, यह बाजरा खरीद, कभी जौ की खरीद, कभी गेहूं और सरसों, हर बार ही किसान को रोना पड़ता है कि समय पर खरीद नहीं, समर्थन मूल्य उसे समय पर मिलता नहीं, आखिर इस व्यवस्था में जो दोष है उसके ऊपर हम विचार क्यों नहीं करते। उसके लिये चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, दोनों मिलकर इस व्यवस्था में जो अब तक दोष आ चुके हैं उसे सुधारें। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी जगह विपक्ष की पार्टी को आरोपित कर रहे थे, चाहे इधर से कोई कांग्रेस को करे, आखिर किसको फायदा हो रहा है? सवाल यह है कि हमें क्या पिछला तजुर्बा याद नहीं है। जब हमने जौ की खरीद

(15.57 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

शुरू की। डेढ़ महीने तक आप किसान को मण्डियों का चक्कर लगवाते रहे और किसान ने मजबूर होकर साढ़े तीन सौ रुपये के आसपास जौ को मजबूरी में व्यापारियों को बेचा। समर्थन मूल्य था 510 रुपये और डेढ़ सौ रुपये के आसपास एक-एक क्विंटल में व्यापारी ने मुनाफा कमाया। चाहे जो भी खरीद एजेंसी थी उसकी मिलीभगत से। सब आप जानते हैं। काश्तकार को कहां लाभ मिला? आज बाजरे के अंदर भी यही होगा। व्यापारी ने बहुत पहले माल खरीदना शुरू कर दिया। जो छोटा काश्तकार था उसका करीब-करीब माल निकल चुका है चाहे वह दो क्विंटल था या पांच क्विंटल था। अब आज इसके ऊपर तो विचार नहीं कर रहे हैं कि हमारा समर्थन मूल्य किस समय घोषित होता है जिस समय फसल बाजार में आने की तैयारी होती है। अब एक तरफ तो हमारा यह सोच रहता है और हम सब आज मानने लगे हैं कि धीरे-धीरे लोग मोटा अनाज खाना बंद कर रहे हैं चाहे वह बाजरा हो, चाहे मकई हो, चाहे ज्वार हो, सारे आज गेहूं के इर्द-गिर्द आ रहे हैं और बीजाई के लिये हमारी मजबूरी है कि बाजरे के अलावा क्या बीजें। उसको भाव नहीं मिलेगा। उधर कृषि आयोग की अलग सिफारिश है कि आप फसल चक्र इस प्रकार से रखें जिससे दलहन और तिलहन पैदा हो। अब कौन इसके लिए बताये। इसके लिए तो हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, हर समय जब आग लगे और कुआं खोदे। किसान का हम हित कहां सोच रहे हैं? तो

(श्री देवीसिंह भाटी)

मेरा यही अनुरोध है कि आप जो भी बात करें, मेरी बात तो कोई मानें या न मानें लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं मानता कि इसको राजनीति के ऊपर घुमाकर आधे घंटे के लिये तो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाउस स्थगित करवा दिया। किसका लाभ हुआ ? न सुराना जी को लाभ हुआ, न सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को। हम इसके लिये निश्चित तौर पर चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे यहां राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, निश्चित तौर पर वहां जाकर प्रयास करें। व्यवस्था में दोष कोई आज से नहीं है, जब से भारत सरकार में अलग अलग पार्टियां राज करती रही हैं, चाहे यहां प्रदेश में करती रहीं हैं उसमें घुन लगता रहा है लेकिन उसके लिये कोई कभी प्रयास नहीं किया। कोई पार्टी से उसका मतलब नहीं है।

(16.00 बजे)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने तो प्रयत्न किया था।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नहीं कर पाया था तो मैं भी दोषी हूं, मैं अपने आपको कहां सुप्रीमो समझ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक बार किया था आपने तो।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने तो निश्चित तौर पर किया है, जो भी मेरे मन में आया है वह किया है, मैं किसी के डाइरेक्शन पर नहीं चला हूं लेकिन आप इसके ऊपर विचार करें कि आइंदा के लिये तो कम से कम किसान को ये दिन न देखना पड़े कि भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो, उसके पहले उसका रोना, उसके साथ ठगी शुरू हो जाये तो मेरा यह निवेदन है कि हम समय पर समर्थन मूल्य घोषित करवाने की कोशिश करें जिससे वह किसान बीजाई से पहले उसे अगर समर्थन मूल्य की जानकारी हो जाये तो उसके अनुरूप ही वह फसल की बुआई करें लेकिन उसकी मजबूरी है, जब उसकी फसल आ चुकी होती है तब वह समर्थन मूल्य उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो आंखों से उन मण्डियों में पिछली फसल को देखकर आया हूं, ज्यों की त्यों खरीद हुई है, उसमें किसानों के साथ जचाकर ठगी हुई है। अब खुले आम व्यापारियों ने लूटा है। मण्डी के अन्दर स्पष्ट नजर आ रहा था, किसी भी मण्डी में चले जाओ, वहां पर व्यापारी या खरीद एजेंसी थी, उसकी मिलीभगत से एक-एक क्विंटल के पीछे 150-150 रुपये की कमाई की गई। क्या किसान का लाभ हुआ। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो बाजरे की खरीद हुई है, उसके ऊपर निश्चित तौर पर जैसा सुमित्रा सिंह जी फरमा रही थी, बड़ी मुश्किल से ये दिन देखने को मिला है जो उसके खेत के अन्दर फसल खड़ी हुई है और उसने आज कुछ अनाज घर में डाला है। अकाल की विभीषिका, बहुत बुरी हालत है। आप लोग भी पधारते हैं, मैं भी गया हूं, कई बार जाता रहा हूं। एक तरफ तो उसकी हालत रहती है कि वह सिर्फ मिट्टी ढोने के लिये तपती धूप के अन्दर सिर के ऊपर, ऐसा इज्जत का रोजगार देखिये आप हमारे इसी भारत में, सिर के ऊपर मिट्टी ढोने के लिये वह जो भी नेता

(श्री देवीसिंह भाटी)

जाये चाहे अधिकारी जाये, उसके आगे अरदास करता है कि साहब, एक घर से एक मजदूर को, उसकी मजदूरी पर लगा लो। उस किसान की किस्मत थोड़ी बहुत इस दफा उसको सहारा लगा है, कोई बाजरे से उसके न तो घर में कोई शादी-ब्याह हो जायेगी और न कोई वह खरीद पायेगा लेकिन निश्चित रूप से मन से वह इस आशा पर ही जिन्दा रह रहा है। उसके मन में आई है कि हां भाई, अब की बार हमारे कुछ फसल हुई है लेकिन इस फसल के साथ में हमने इस प्रकार से प्रश्नचिन्ह लगा दिये हैं कि शुरूआत के अन्दर तो आपने कह दिया कि पटवारी से, तहसील से गिरदावरी रिपोर्ट, उसका सर्टिफिकेट। अब क्या आप यह विचार नहीं करते हैं, जब भी अधिकारियों के साथ बैठते हैं मंत्री महोदय, इसकी गिरदावरी की कहां आवश्यकता है, जब आपने स्वयं माना है कि उसकी जमीन का रिकार्ड उसकी पासबुक है और जो उसके उत्पादन की सूची है, वह आपकी तहसील में मौजूद है, वह सूची क्यों नहीं मंगाकर उनको दे देते। आप उसी को कहते हैं कि जाओ पटवारी और तहसीलदार के पास। अब आप और हम सब जानते हैं कि पटवारी और तहसीलदार किस प्रकार से उनकी आवभगत करते हैं लेकिन हम यह नहीं सोचते, वह तो कांग्रेस ने आरोप लगाया, वह बी.जे.पी. ने लगाया, वह जनता दल ने लगाया, बिना कारण से यह किसान के साथ ठगी, उसको वापस उसके दरबार में खड़ा करते हैं पटवारी के और तहसीलदार के, सीधा सादा हमारा गिरदावरी का रिकार्ड है, कहां, कितना बीजान किया, उसकी सूची मंगा लीजिये, आप खरीद एजेंसी को दे दीजिये, वह उसका मिलान कराये कि इसकी बीजाई इस प्रकार से हुई थी या नहीं। तो मेरा यह सुझाव है कि कम से कम इसके ऊपर आप विचार करके निश्चित रूप से निर्णय लेंगे और जिस प्रकार से, मैंने भी अभी अखबारों में पढ़ा, मीटिंग ली, आपके अधिकारियों को निर्देश दिये विचार विमर्श करके कि उनके साथ जो शर्ते लगाई गई हैं, चाहे वह बाजरा कैसी क्वालिटी है, क्या उसमें गिरदावरी या उसका प्रमाण पत्र चाहे या दूसरा अन्य भी, उसके बारे में पुस्तिका तो शायद आपने छपवा दी, जैसा हमने अखबारों में पढ़ा लेकिन आम काश्तकार को आपकी शर्तों के बारे में कोई पता नहीं है। जो भी सुनेगा, उसे जानकारी मिलेगी तो कृपया जिस प्रकार से आपको प्रचार तंत्र से चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे आप अखबारों में दे दें, काफी जगह आजकल अखबार भी गांव में जाने लग गये हैं तो आपकी शर्तो का पता तो लगे, वह वहां पर मण्डी में जायेगा, उस समय उसको यह कहा जायेगा, तेरा बाजरा एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, यह तो काला पड़ गया, इसमें घास ज्यादा है। कल मेरी तारानगर बात हुई। खरीद जरूर हुई है वहां पर चूरू जिले में, वह कह रहे हैं साहब, पहले वह माल यहां लाओ, हम देखेंगे और क्वालिटी सही नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। अब उसको रंग का कैसे पता लगे कि कौनसा रंग आप पसन्द करते हैं। अब यह कोई नई बात नहीं है। जौ के अन्दर क्या हुआ। जब हम स्वयं जानते हैं कि पंजाब के अन्दर पिछले साल धान, चावल की

(श्री देवीसिंह भाटी)

फसल की खरीद हुई, पूरे मीडिया में हंगामा रहा कि क्वालिटी सही नहीं, वह धान अन्दर से थोथा है, उसका वेट कम है, उसमें सीलन ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी वहां की सरकार का प्रयास रहा कि उसने उसका डिफरेंस दिलवा दिया, उस झगड़े में नहीं पड़े लेकिन यह अगर हो जाता पंजाब के काश्तकारों के साथ में कि माल वहां ले आयें और फिर नीति निर्धारण तय करें कि हम आपका माल लेंगे या नहीं लेंगे तो कम से कम कृपा करके यह आप सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों को आगाह करें जिससे उनको बिना कारण से यह चक्कर नहीं पड़े।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक तो जन्मपत्री के ठोकर लग गई अब की बार, आपके नेता महोदय कहते हैं कि कांग्रेस आती है, बरसात नहीं होती है और अब तो हुई....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बरसात हो गई, सिर मूंड दिया ना, इस बरसात का कहां लाभ मिल रहा है, बाजार में कहा भाव चल रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसी जबरदस्त फसल हुई कि पूछो मत आप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अब एक तारीख के बारे में भी चक्कर, हमारे तो कोई समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो कोई खरीद केन्द्र में गया नहीं अब की बार वहां जायेंगे तो वह कोई तारीख देंगे। अब यह तारीखों से हमारा गांव कब चलने लगा है। उसके लिये तो ओपन रखो। आखिर आपने तो कर दिया कि एक बीघा के पीछे 20 किलो ही खरीदेंगे। अब यह 20 किलो की पैदावार, आप ले आये खराब जैसे भी है लेकिन जब भी आप वह माल के लिये आये कह दो कि इस तहसील से एक हफ्ते तक खरीद नहीं होगी तो तहसील वाले नहीं जायेंगे। मोटा मोटी तो जानकारी मिल जाये, अब वहां आने के बाद तारीख देंगे और तारीखों से अगर यह खरीद पायेंगे तो यह किसान के साथ कभी न्याय नहीं हो पायेगा।

अब आपने खरीद शुरू नहीं की, उसके पहले ही बारदाने का चक्कर पड़ गया और यह पहली बार नहीं पड़ा है। जब भी चाहे गेहूं खरीद हो, आपको तो जानकारी होगी, हनुमानगढ़ के अन्दर तो टनों के अन्दर वहां गेहूं पड़ा पड़ा सारा उगने लग गया, बरसात हो गई, अब यह सारी स्थिति कि साहब बारदाना नहीं है। जौ के समय में संगरिया मण्डी में मैंने देखा साहब कि बारदाना नहीं है। आप इतनी बड़ी खरीद करने जा रहे हो और आपकी कोई तैयारी ही नहीं है जबकि आपके पास इतना लम्बा चौड़ा लवाजमा है। आपके खरीद एजेंसी वाले निठल्ले बैठे रहते हैं सारे साल भर लेकिन इसकी कोई तैयारी नहीं की कि अगर हम खरीद शुरू करने जा रहे हैं तो कम से कम बारदाना की तो तैयारी तो कर लें। हम भी कई बार देखते है, हमारे जैसे कभी बाढ़ आती है तो उस समय होमगार्डस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब कट्टे लाओ बाजार से और उसके अन्दर मिट्टी भरो, बाढ़ को रोको, वही आप कर रहे हैं। कभी भी किसी भी फसल में जब भी आपने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा है, कभी भी समय पर आपका बारदाना पूरा नहीं रहा है। क्या प्रोब्लम है, कुछ मुझे बता दो, हो

(श्री देवीसिंह भाटी)

सके शायद मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन बताते नहीं। हम फैक्टरी वालों के पास जायेंगे, इनकी कोई मांग है, जैसी भी हो, यह बात दो लेकिन यह भी कोई बात हुई कि हम एक लाख टन बाजरा खरीदने जा रहे हैं और उसके लिये बारदाना नहीं। अब यह भी कैसा संकट है, यह संकट कौन दूर करें। दिल्ली की सरकार करे कि राजस्थान की सरकार करे, मेरी समझ के तो बाहर है.....(व्यवधान) निश्चित रूप से जो आप बात कह रही हैं, वही मैं कहने जा रहा हूं। अब आपने तय कर दिया कि सीमांत..... मैं थोड़ा सुझाव देते हुए कि सीमांत कृषक है, इसको 14 बीघा की सीमा में माना है, उससे मात्र 80 किलो माल खरीदेंगे। क्या निहाल कर देंगे? 80 किलो तो वह इतना दानदाता है, गरीब होते हुए भी, फटे हुए कपड़े हैं लेकिन 80 किलो तो साल भर में कबूतरों को दाना डाल देता है, चुग्गा डाल देता है, क्या निहाल करोगे आप? 80 किलो आप खरीदने जा रहे हो। जय हो, धन्य हो खेतसिंह जी साहब। आपकी व्यवस्था, चाहे कोई भी, कैसी भी व्यवस्था हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता। मैं आखिर में सुझाव देते हुए निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आमरण अनशन इसीलिये, इसी मांग के लिये घोषणा की थी कि यदि 6 तारीख तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं होगी तो मैं 7 नवम्बर से विधान सभा के फ्लोर पर आमरण अनशन करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खरीद तो शुरू कर दी।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके लिये मेहरबानी, आपने किसानों के ऊपर कृपा की लेकिन सवाल यह है कि इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि आज हम खरीद करके क्या हासिल करेंगे। जौ खरीदा उसके लिये हम रो रहे हैं। चाहे गेहूं के लिये वह केन्द्र सरकार तड़प रही है कि पड़ा सड़ रहा है, उसका कोई खरीददार नहीं है, पशु आहार के भी लायक नहीं। तो यह कम से कम आप क्यों नहीं करते कि अगर हम यह खरीद करेंगे, एक हमारी खरीद एजेंसी को खड़ा करना पड़ेगा, उसका पूरा लवाजमा, वह सारा खर्चा, अब वह सारी खरीद करने के लिये फिर बारदाना, फिर आपको वहां भण्डारण करने के लिये ट्रांसपोर्टेशन का ठेका, वहां पर माल रखा जायेगा उसके बाद में फिर कहीं अगर निकालना है तो फिर परिवहन का खर्चा और वहां जब आप भण्डारण करते हैं तो उसकी क्वालिटी, दो मिनट में मेरे यह सुझाव दे दूं। तो यह कहां करने की आवश्यकता है, यदि हम इस प्रकार से जैसा.....

श्री सभापति : आप तो सुझाव दे रहे थे, यह जवाब.....

श्री देवीसिंह भाटी : हां, यह सुझाव ही दे रहा हूं। जैसा अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर है.....

एक माननीय सदस्य : खेत सिंहजी तो बहुत ज्ञानी हैं, सुझाव की जरूरत ही नहीं है उनको।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे यूरोप के अन्दर, अमेरिका के अन्दर, वहां कहीं खरीद की

(श्री देवीसिंह भाटी)

जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां ऐसी नीति बना ली है। वह जो एक आपकी डिफरेंस राशि है, उस अंतर राशि को आप सीधा किसान के खाते में जमा करवा दें। उसके लिये यह भी साथ जोड़ दें कि भाई, छह महीने से पहले वह खाते से रकम नहीं उठा सकेगा। यह अल्प बचत वाले हमारे परसादी लालजी मीणा खूब प्रचार कर रहे हैं लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। तो इससे कम से कम आदत पड़ेगी कि छह महीने वह अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पायेगा इस अंतर राशि का। वह एक धीरे-धीरे आदत पड़ेगी। लेकिन यह खरीद करने से और उसके बाद में बाजरे की हालत क्या होगी, यह अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से, राजस्थान के अलावा अभी कहीं बाजरा नहीं खाया जा रहा। मामूली मान लो हरियाणा में खाया जाता है, उस बाजरे का खरीददार कौन होगा। अभी जौ के लिये तड़प रहे हैं हम कि जौ का कोई खरीददार नहीं है। कभी कहते हैं कि बियर बनाने वालों को बेचो और कभी किसी को अब क्या होगा पता नहीं, जौ का। लेकिन इस बाजरे को अगर आप साल, डेढ़ साल बाद में गोदाम में सम्भालोगे तो यह काला पड़ कर कड़वा हो जायेगा और कोई इसका खरीददार नहीं।

श्री सुमित्रा सिंह : किनी लग जायेगी इसके।

श्री देवीसिंह भाटी : तो इससे तो अच्छा है, फिर भी अभी भी सलाह कर लो न तो किसान को आपके इस दरबार में घूमना पड़े और न ही बिना कारण से व्यवस्था के ऊपर सारा खर्चा हो। अगर हम यह अंतर राशि सीधी किसान को दे दें तो निश्चित तौर पर उस किसान को भी लाभ होगा और राज्य सरकार को, केन्द्र सरकार को भी यह भण्डारण की व्यवस्था में सारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। सूची काफी लम्बी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं समाप्त करूंगा लेकिन इतना ही मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूरे हाउस से निवेदन है कि हम....

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आमरण अनशन नहीं करेंगे, वह घोषणा तो कर दो।

श्री देवीसिंह भाटी : वह 7 तारीख निकल चुकी। क्योंकि खरीद शुरू हो गई इसलिये....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हम तीनों बोलें तब तक आप बिराजे रहना।

श्री सभापति : आप तीनों हमेशा ही साथ रहे हो।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा अंत में यही निवेदन है कि कृपया आप इसके ऊपर विचार करें, हम आपके साथ में हैं, आप भी पधारिये, चाहे वह केन्द्र की व्यवस्था यहां पर हो, यह समय पर खरीदने का जो समर्थन मूल्य है, यह समय पर खरीद हो और हम यह प्रोक्योरमेंट न करे चाहे वह गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे और हो, इसकी सीधी अंतर राशि किसान के खाते में जमा हो

(श्री देवीसिंह भाटी)

जाय जिससे इसके समाधान का कोई रास्ता बनेगा और बाकी अगर आप जैसा अभी सोच रखा है वैसा ही करेंगे तो हमने जो सुझाव दिये हैं, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर कृपया ध्यान देकर किसान को राहत दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय मोहन मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, बाजरे की खरीद का मसला चल रहा है। इधर बी.जे.पी. के लोग यह चाहते हैं कि बाजरा खरीद न हो और किसान, ये तो किसान की तो हकदार है ही नहीं, किसानों का भला चाहते नहीं है इसलिये यह चाहते हैं कि बाजरा न खरीद हो, उसका सारे का सारा यह कांग्रेस पर डालना चाहते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य जब तय किया जाता है उस वक्त उनको यह भी आदेश देना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद हो वरना इस समर्थन मूल्य का फायदा क्या हुआ। बहुत वाहवाही लूट ली हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने कि हमने वहां जाकर पैंतालीस रुपये बढ़वा दिये और क्या हुआ उन पैंतालीस रुपये का। क्या नतीजा निकला? आज चार सौ रुपये भी किसान को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा वह चल रहा है जैसे अभी देवी सिंहजी ने कहा कि मैंने अनशन की वह दे दी थी तो यह इनका अनशन तुड़वाने के लिए ही यह खरीद का नाम किया गया है, मैं तो यह ही मानकर चलता हूं। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि तीन साल से अकाल के कारण हमारी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पहले तो यह जब गये उस वक्त तेईस हजार करोड़ रुपये कर्जा छोड़ गये और अब आज उस आर्थिक स्थिति की बात करते हैं.....

श्री धर्मपाल चौधरी : आज क्या मेहरबानी करी तीन साल में आपने।

श्री मोहन लाल मोदी : तीन साल में हमने जो काम किये.....

श्री सभापति : बिराजे-बिराजे नहीं बोलें।

श्री मोहन लाल मोदी : सुमित्राजी, हमने जो काम किये वह पचास साल में नहीं हुए, ऐसे काम किये हैं। यानि सब जगह हमारे मुख्य मंत्रीजी की जय-जयकार हो रही है, आप गांव में जाइये तो सही। आप देखें.....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोंद) : रिजल्ट दो साल बाद में आयेगा जय-जयकार का। जय-जयकार का रिजल्ट दो साल बाद आयेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : आपकी तो जय-जयकार इसी में है। यानि एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं करी। आज देखिये, धड़ाधड़ 250-250 मेगावाट के वह लग रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जय-जयकार हो गई टोंक में।

श्री अमराराम (धोंद) : लोगों ने अपनी बिजली कटा दी।

श्री मोहन लाल मोदी : सारी मिल जायेगी, अभी दो साल बाकी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : टोंक में, हिण्डौली में, लूणकरणसर में आपकी जय-जयकार हो गई है। (व्यवधान) टोंक में, हिण्डौली में और लूणकरणसर में आपके मुख्य मंत्रीजी और आपकी जय-जयकार हो गई है बाजरे के खरीददारों।

श्री मोहन लाल मोदी : टोंक की बात तो छोड़िये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बाजरे के, खिचड़ी के ठेकेदारों, क्या आरोप लगा रहे हो झूंठे।

श्री मोहन लाल मोदी : टोंक का कारण तो मेरे को मालूम है, मैं भी गया था। आप लोगों ने वहां जगह-जगह किसानों को—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि पिछले पचास साल में कुछ काम नहीं हुए। न सुखाड़िया जी ने कुछ किया, न हरिदेव जोशी ने कुछ किया, न शिवचरण माथुर ने किया, केवल इस सरकार ने ही किया है जो कुछ किया है। इन्होंने कहा कि पचास साल में कुछ नहीं हुआ।

श्री मोहन लाल मोदी : आप इसको स्पष्ट काहे को कर रही है, मैं कह रहा हूं न यह बात। तीन साल में जितने कार्य हुए हैं—(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पचास सालों में उनके हिस्से में जो सरकारे आई हैं—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्होंने कहा पचास साल में जो काम नहीं हुए, ऐसे काम हमने किये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, पचास वर्षों में बी.जे.पी. का जब-जब भी शासन आया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, यह कह रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी तो टोंक में बेड़ा गर्क नहीं हुआ पूरा—

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र उनियारा में आपने इनकी इज्जत बचा ली, टोंक के चुनाव में। चार-चार मंत्री थे, सब जगह हार गये, आपके विधान सभा क्षेत्र में इज्जत बच गई।

श्री रामस्वरूप : उनियारा में हम भी प्रभारी थे इसलिये जीती है वहां कांग्रेस, हम भी प्रभारी थे उनियारा के। हां, इन्होंने और हमने सब ने मिलकर काम किया है, आपको मात दी है वहां—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रामस्वरूपजी, यहां पर तो बाजरे के समर्थन मूल्य का प्रश्न है, कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी : इस वक्त तो बजारे की बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह बाजरा खाते नहीं हो आप।

श्री मोहन लाल मोदी : आप लोगों की मंशा क्या है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बाजरा खाते नहीं हो, बाजरे की बात कर रहे हो। बाजरा देखते नहीं हो, बाजरे की बात कर रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप चालू रखें।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको कोई जानकारी नहीं है। मैं बाजरा पैदा भी करता हूं और बाजरा खाता भी हूं। समझे। आपको मालूम नहीं है। मैं सबसे बड़ा एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक : बाजरा पैदा भी करते हैं और आप जैसे कबूतरों को दाना भी डालते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मोदी साहब, इस उम्र में पैदा करते हो। क्या पैदा करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मोदीजी, आप अगर आसन को सम्बोधित करके बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, लगातार तीन वर्ष से अकाल पड़ा है, अब यह कहते हैं कि क्या किया, अकाल के अंदर इतने, अकाल को विकास में बदल दिया, जगह-जगह सड़कें बनीं, आप देखिये, इतने लोगों को मजदूरी मिली....(व्यवधान) अब आप थोड़ा सुन तो लें भाई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दिया न कि क्या किया। सड़कों में खा गये पैसा, फर्जी मस्टररोल।

श्री मोहन लाल मोदी : अब भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पैंतालीस रुपये बढ़ा दिया और खरीददारी का कहीं नाम नहीं। एक लाख टन बाजरा खरीदना, आप बताइये इस एक लाख टन का क्या होगा, वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। यानी आज ऐसी परिस्थिति है। अभी हमारे इधर से आने वाले साहब ने यह कह दिया कि ये गिरदावरी और ये तहसील का और ये सारा अगर ये नहीं करें तो ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ जाए। सारे एक साथ वहां जाएं तो आपको दिक्कत आ जाए इसलिये इन्होंने जितना सा बाजरा लोगों के हिस्से में आता है उसके लिये ये गिरदावरी की बात कर दी। तहसील से उसकी पर्ची की बात कर दी। तारीख की इसलिये कर दी कि उस तारीख को आप जाएं और उसका बाजरा ले लो यानी हमारी सरकार ने तो व्यवस्था में कमी नहीं रखी और ये जो बात है कि किस तरह से अब उसमें रंका और ये....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नीम का थाना में तो खोल देंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : नीमकाथाना में तो खोलना ही पड़ेगा। जब नीमकाथाना में नही खोलेंगे तो मेरे यहां का किसान दो सौ किलोमीटर वहां सीकर जाएगा क्या और सीकर जाएगा तो उसको तो यह कह देंगे कि यह क्वालिटी का माल नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। वो वापस लेकर आएगा तो ये तो करना ही पड़ेगा कि हमको वहां....

श्री अमराराम (धोद) : आप तो मोदी जी, इतना बात दो नीमकाथाना का कितना बिका है आज तक ?

श्री मोहन लाल मोदी : नीमकाथाना कोई बिकता थोड़े ही है, बिकने वाले तो और बहुत हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितना खरीदा, खरीदा। वह बिका नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे सारे साथियों को यह प्रयत्न करना चाहिए, विशेष जिम्मेदारी तो बी.जे.पी. के सदस्यों की है कि इनकी सरकार है दिल्ली में और दिल्ली की सरकार के ऊपर प्रैशर डालें यानी उलटा नहीं करें। पंजाब को कितने रुपये दे दिये, हरियाणा को कितने दे दिये। दूसरी जगह इतना जहां चुनाव है वहां ऐसा भेदभाव राजस्थान के साथ हमारी भारत सरकार कर रही है और वो इनके कारण कर रही है। ये उन पर प्रैशर डाल रहे हैं कि इनको तंग करो तो यहां हमारी कहीं दाल गले लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आगे तो आपकी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो आप निश्चित मान लो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पत्र डालो आप।

श्री मोहन लाल मोदी : अब ये तो आप देखेंगे गांव में कितना काम किस तरह से होता है। यह प्रशासन गांवों के संग देखिये आप। गांव में जाकर कभी कोई वहां गांव में से तहसीलदार के आवे, कितना खर्चा लगेगा और सारा प्रशासन गांवों में जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाजरे से क्या ताल्लुक है प्रशासन गांवों के संग का? बाजरे से क्या ताल्लुक है?

श्री मोहन लाल मोदी : बाजरे से ताल्लुक है। बाजरे से ताल्लुक कैसे नहीं है। वहां लोगों की तकलीफे तो सुनी जाती हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, बहस चल रही है बाजरे पर और कभी जीरे पर बोल रहे हैं, कभी दाल गलने पर बोल रहे हैं, कभी प्रशासन गांवों के संग। अब ये विषय तो अलग-अलग हैं ये कहां बोल रहे हैं—(व्यवधान) कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, हो गये अपने-आप में दिवाना। ऐसे थोड़े बोला जाता है। कभी बाजरे पर, कभी जीरे पर। कभी दाल नहीं गलती, कभी जीरा नहीं जलता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी : क्या बोलें आप तो रावण की बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। मोदी साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप सीधे बोलें न, उधर काहे को देखते हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रशासन गांवों के संग का विषय आएगा तब बोलना आप। सारे रंग हो गये भंग आप रह गये दंग। प्रशासन गांवों के संग अब आप हो गये भंग, सरकार हो गयी भंग। प्रशासन गांवों के संग रंग हो गया भंग।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका मौका आएगा तब आप बोल लेना। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। डिबेट अच्छी चल रही है। आप उसको चलने दीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : कई जो ट्रैक्टर में लेकर जाते हैं लेकिन उनके ट्रैक्टर वापस आ

(श्री मोहन लाल मोदी)

गये, तकलीफ तो इसलिये है। अब ये इनको तो पता है नहीं। इनके यहां बाजरा कहीं पैदा नहीं होता है। बाजरा शेखावाटी में पैदा होता है चूरू, झुंझुनूं और सीकर। तो इसलिये तकलीफ ज्यादा हम लोगों को है कि हमारे किसानों को कितनी दिक्कत होती है, आप, जैसा अभी सुमित्रा जी ने भी कहा कि इनको कुछ बीघा-वाइज दे दिया जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं था लेकिन अब वो तो समय इस वक्त है नहीं। आपने नेफैड से खरीदने की बात की है। नेफैड से जो खरीदा हुआ बाजरा आएगा, हमारी कलक्टर के यहां मीटिंग हुई—

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मोदी जी, बाजरा पैदा करने में उसका कितना खर्चा आता है, ये तो बता दें आप।

श्री मोहन लाल मोदी : यह भी बता देंगे आपको। कलक्टर के यहां मीटिंग हुई थी उसमें एफ.सी.आई. का व्यक्ति भी मौजूद था, तब हमने बात की कि नेफैड के मार्फत जो खरीदा जाता है तो उसने कहा कि वो तो माल आएगा उस वक्त हम चैक करेंगे तब जा करके हम उसका माल डलवायेंगे तो यह भी एक आपके सामने समस्या आएगी। इसलिये आप इसको देखिये। मैं तो सारे खास कर बी.जे.पी. के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को समझाए कि ये दुतर की बात नहीं करें। पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है। आप देखिये एक लिस्ट है मेरे सामने। यह 70 लाख टन का तो आपने पंजाब में, आन्ध्र प्रदेश में 45 लाख—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पंजाब में बाजरा नहीं होता है।

श्री मोहन लाल मोदी : बाजरा नहीं, उनकी जिंस की बात है, साहब। बाजरा तो यही राजस्थान में होता है। उनके यहां जो जिंसें होती हैं उसकी खरीद के लिये कितने पैसे उनको दिये हैं तो ये ऐसी स्थिति है कि आप लोग खाली एक ही बात चाहते हैं कि किसान यहां बरबाद होगा तो आपका व्यापारियों से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं व्यापारी आपको चार आने भी वोट देने वाला नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : किसान ने तो आपको टोंक में वोट दे ही दिया है। पेटी भर दी किसानों ने आपकी और आप क्या हो?

श्री मोहन लाल मोदी : टोंक की बात दूसरी है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भी तो वो ही शहर वाले हो। आपके किसानों से क्या ताल्लुकात?

श्री मोहन लाल मोदी : हम तो किसानों पर जिन्दा हैं, किसान और गरीब मजदूर और एस.सी./एस.टी.के लोग हैं हम तो उनके ही पीछे जिन्दा हैं और इनकी मदद करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन अंत में यही करना चाहता हूं कि भारत सरकार को हम सारे लोग मिल करके एक प्रस्ताव तो पास करना ही चाहिए कि 7 लाख टन बाजरा की खरीद करायी जाए हालांकि वो इससे कोई कराने नहीं है। अब ये भी कह रहे थे कि जौ की खरीद कर ली तो बाजरे की क्यों नहीं कर रहे हैं। जौ की खरीद करके तो पछता ही रहे हैं।

(श्री मोहन लाल मोदी)

पैसा नहीं मिला, ब्याज लग रहा है, किराया लग रहा है। यह हालत है। अब क्या इलाज हो उसका तो ये सारी की सारी स्थिति ऐसी है, वैसे अब सरकार को कोशिश तो करनी चाहिए भारत सरकार से कि वो ज्यादा बाजरे की खरीद की चेष्टा करे और नहीं हो तो फिर अपने स्तर पर भी हमको कुछ करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी एक ही बात अच्छी लगी मोदी जी, कि हमको प्रयास करना चाहिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां यह जोरदार, लास्ट वाली बात में दम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, बड़े खेद का विषय है कि जिस काश्तकार ने भारत के उन नेताओं के मसूबों को परवान चढ़ाया जिनकी आत्माएं आहत थी पी.एल. 480 के वो दानें जो किसी काबिल नहीं होते थे और हिन्दुस्तान में फैली हुई भुखमरी को दूर करने के लिये हमें बार-बार जाना पड़ता था। हरित क्रांति के उस आह्वान ने हमारे काश्तकार को प्रेरित किया और यह उसका नतीजा है कि आज भारत की और खास तौर से राजस्थान की वीर प्रसूता और उर्वरा धरती ने जितना अनाज पैदा किया कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो गयी कि इस अनाज को कौन खरीदेगा। वर्तमान में मई माह से लेकर आज तक जिस तरह से बाजरे की खरीद का एक ऐसा इश्यु बना है और मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस इश्यु को उठा करके काश्तकार की पीड़ा को कम करने की बजाय हमने उसका माखौल उड़ाया। हमने उसकी पीड़ा को नहीं समझते हुए उसकी दुखती हुई रग पर उंगली रखी। हम नहीं खरीदते। हमारी हैसियत नहीं थी, यदि राजस्थान की हैसियत नहीं थी या भारत सरकार की हैसियत नहीं थी, बाजरा आप खरीदते या नहीं खरीदते लेकिन जिस तरह का एक इश्यु बनाया राजस्थान में, यह बड़ा शर्मनाक और खेद का विषय है। सुबह से जब से इस सदन में इस बाजरे पर चर्चा हुई। बार-बार मेरे मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि सुबह से लेकर सायंकाल तक इस समुद्र मंथन से क्या हम अमृत हासिल कर पाएंगे। क्या हम काश्तकार की जो आहत है, काश्तकार के मन की जो टीस और जो पीड़ा है उसको कम कर पाएंगे और उत्तर है सिफर।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में जो हम 200 प्रतिनिधि हैं वह पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह अपने क्षेत्र के काश्तकार की पीड़ा को अच्छी तरह से समझता है। जहां जिस जिस की पैदावार होती है, गंगानगर का काश्तकार कपास की बात करता है, सीकर, झुंझुनूं, चूरू का काश्तकार बाजरे की बात करता है, उदयपुर डिविजन से आने वाले लोग मक्का की बात करते हैं। लेकिन इन सारी बातों का सार जब हम देखते हैं तो काश्तकार ने जिस भावना से हमारे लिये अन्न पैदा किया, यह हम भी जानते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों ने,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कीमत चाहे खाद की हो, कीमत चाहे बीज की हो, कीमत चाहे ट्रैक्टर की हो, बुआई की हो या आपके पेस्टीसाइड्स की हो और खास तौर से उस बीज की जो वह पैदा कर रहा है। जो कुछ भी उसकी काश्त में शेयर कर सकता है उन सारी चीजों की तो कीमतें बढ़ीं, हाड़तोड़ मेहनत के बाद जो कुछ भी पैदा किया, उस फसल की कीमत की जब वह बात करता है जब उसके सामने अंधियारा छा जाता है। एक और बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी। काश्तकार के मन में जो एक उमंग थी किसी बात की तो वह इतनी थी कि वह अपने उस बेटे को यह कहकर सांत्वना दे पायेगा कि बेटा तुमने ग्रेजुएशन किया, तुमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया। तुम्हें रोजगार तो नहीं मिला लेकिन परमात्मा हम पर मेहरबान हुआ और तीन साल के भीषण अकाल के बाद इस बार जो वर्षा हुई धरती की उर्वरा शक्ति थी और उसने जिस ममत्व से और जिस वात्सल्य भाव से अपनी पैदावार को रखा, आज उस पैदावार को देखकर खुशी होने के बजाय आंखे नम हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी स्टेट की, मैं समझता हूं, हो नहीं सकती। हमें चर्चा तो इस बात की करनी चाहिये थी कि प्रधानमंत्री जी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी स्टेट विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। आपकी आंखे जब पंजाब की ओर उठती है, आपकी आंखे जब राजस्थान की ओर उठती है, आपकी आंखे जब आन्ध्र की ओर उठती हैं तो उन आंखों के कोनों में वहां के काश्तकार की पीड़ा देखते हुए जो नमी होनी चाहिये थी वह पंजाब और आन्ध्र के काश्तकार के लिये तो आपके मन में पीड़ा है। वहां तो आपने 1500 करोड़ और 1000 करोड़ की व्यवस्था कर दी लेकिन राजस्थान का काश्तकार भी तो आपका है। इस राजस्थान के काश्तकारों के वह वीर, वह सपूत जो इस धरती ने पैदा किये हैं सीमाओं पर जब वह अपनी मांओं से बिछुड़ते हैं, सीमाओं पर जब उनकी छाती गोलियों से छलनी होती है और किसी की मांग का सिंदूर उजड़ता है तब वह भारत की आन-बान और शान बचाने के लिये शहीद होता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के लिये शहीद नहीं होता, वह किसी जाति विशेष के लिये शहीद नहीं होता, वह किसी स्टेट के लिये शहीद नहीं होता है। उनकी शहादत है तो हिन्दुस्तान के लिये है। उस हिन्दुस्तान के लिये जिसके प्रधानमंत्री आप हैं, जिसकी सरकार आप है। वह आपसे यह प्रश्न पूछता है कि मैं जब यहां पर सीने पर गोली खाता हूं तो मेरा गरीब बाप जिसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो अनाज पैदा किया उसको खरीदने में आपकी तंगदिली क्यों, संगदिली क्यों? उसमें आप इतने कंजूस क्यों? है आपके पास कोई प्रश्न? (व्यवधान) मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि जिस गम्भीरता से हम यहां बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे से यह उम्मीद करते थे कि सदन में गम्भीर चर्चा हो, इस गम्भीर विषय पर गम्भीरता से बात की जाये। लेकिन गम्भीरता से बात उन लोगों से की जाती है जो गम्भीर भाषा को समझते हो। जो लोग जिस भाषा को समझते हैं उसे उसी भाषा में समझाया जाता है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठ कर बात करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मानिक चन्द जी सुराना को डिस्टर्ब करते रहे, आप बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो। बड़े साधू और देवता बन रहे हो। इतनी + + + दिखाई, मानिक चन्द जी को बोलने नहीं दिया और आधे घंटे के लिये विधान सभा स्थगित हो गई। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप व्यापारियों की पैरवी कर रहे थे और यह किसानों की पीड़ा बता रहे हैं, यह फर्क है आप में और हम में। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड किया है और हम हकीकत की बात कर रहे हैं, यह फर्क है हम में और आप में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जैसे हो, आपने जैसा व्यवहार किया है वैसा व्यवहार देना चाहिये लेकिन यह समझदारी हमारी है कि आपकी इस + + + को, + + + को सुन रहे हैं। हमारा साधुवाद कहिए कि आपकी इतनी देर की + + + को हम सुन रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आवश्यक नहीं कि कोई बोले तो हरेक में आप उठकर बोले। आपका भी टाइम है, आप बोल लेना। आपका नाम है जब मौका आये तब आप जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, हमें प्रथम तो इस राजनीतिक धरातल से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह सदन जिसमें सरकार होती है, सदन में प्रतिपक्ष भी होता है। लेकिन इस सदन में बैठने के बाद कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर हमें आम राय, एक राय और एक सहमति से चर्चा करनी होगी और वह होगा प्रदेश का हित। और प्रदेश के हित की जब हम बात करते हैं तो हमें यह प्रश्न पूछने का हक है कि मई माह में जब लहलहाती फसल को देखने के बाद सरकार का मन बना, सरकार ने अपने स्तर पर प्रयत्न भी किये। सवाल यह नहीं उठता कि मेरी वहां पर फिजिकल प्रजेंस थी या मेरा वहां पर पत्र था। सवाल यह भी नहीं उठता है कि राजस्थान का कौनसा नुमाइंदा जाकर भारत सरकार के किस व्यक्ति से मिला। प्रश्न है तो सिर्फ इतना सा है कि इस खरीद में जब चुनाव के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बार-बार यह घोषणा की कि भारत सरकार ने 485 में राजस्थान के काश्तकारों के आसूं पोंछने के लिये फ़सल खरीदने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। बार-बार आपने यह घोषणा की उसके बाद आज तक यह खरीद क्यों निलम्बित रही। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको संदेह के घेरे में डालता है। जो इस बात को साबित करता है कि आपकी कथनी और करनी में खोट था। आपकी नीयत साफ नहीं थी। आपको साफ पता था इस बात का कि राजस्थान का वह गरीब काश्तकार जितने बीज कर्ज पर खरीदा, जिसने खाद कर्ज पर खरीदी, जिसने बिजली

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

का पैसा कर्ज लेकर दिया उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वह उस काश्त को लम्बे समय तक अपने घर में रख सके। उसकी मजबूरी थी कि वह अपनी काश्त को बाजार में बेचकर अपने कर्जदारों से मुक्त हो जो उसकी फसल को देखने के बाद उसके घर के चक्कर लगाने लगे थे। सभापति महोदय, वह सारी फसल उन धन्ना सेठों के गोदामों में गई। मैं चार्ज करता हूं इन पर कि यह एक षड्यंत्र हैं एक मात्र खरीदने का। यह उन धन्ना सेठों से बाजरा खरीद कर यह लोगों के फर्जी रिकार्ड बनायेंगे, लोगों की फर्जी गिरदावरियां दिखायेंगे, लोगों के फर्जी कागजात बनायेंगे और उन धन्ना सेठों के गोदामों से बाजरा खरीद कर 485 में बिकवाने की कोशिश करेंगे, यह मेरा इन पर स्पष्ट चार्ज है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका चार्ज तो राजस्थान सरकार पर हुआ ना?

श्री राजेन्द्र पारीक : भारत सरकार पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खरीद तो राजस्थान सरकार रही है तो चार्ज भी सरकार पर ही हुआ ना। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : केन्द्रीय सरकार पर और बी.जे.पी. के प्रादेशिक नेताओं पर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे मन में भी टीस है। जिस जिले से मैं आता हूं वहां पर बाजरे की बम्पर फसल है। हमने भगवान को इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि देर से सही, विलम्ब से सही, तीन वर्षों के बाद सही, जो फसल दी है उसको देखकर मन हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ और मन में एक उल्लास जगा इस बात का कि जिस पशुधन हो हम पिछले तीन वर्षों के अकाल से खोते जा रहे थे इस बाजरे की फसल ने और उसकी कड़ब ने मन में कम से कम उतना उत्साह तो जगाया कि वह दुर्भाग्यिक, दुर्भिक्ष, वह दिन दुबारा नहीं देखने पड़ेंगे जब सीकर और आसपास के क्षेत्र से पशुओं का पलायन होगा। जिन क्षणों में हमने उन पशुओं का पलायन देखा है, माननीय सभापति महोदय, वह आपको भी याद होगा। लेकिन जब बात फसल की आई और पिछले दिनों कलक्टर ने एक मीटिंग बुलाकर राजस्थान को, भारत सरकार के एफ.सी.आई. के माध्यम से जो खरीद के टारगेट दिए गए हैं उनको देखकर साफ-साफ यह लगा कि जिस तरह का षड्यंत्रपूर्वक वातावरण बनाया जा रहा है, दो ही बातें हो सकती हैं, माननीय सभापति महोदय। यदि हम यह मैसेज देने में फसल हों कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार हर सम्भव साधनों से काश्तकार को निराश नहीं होने देगी, उसकी फसल का पूरा समर्थन मूल्य देकर उसकी फसल खरीदेगी, तो वह उतनी जल्दी नहीं करेगा। लेकिन जब उसके सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 5 तारीख से 24 तारीख तक एक लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदना है, और खास तौर से सीकर को 8000 मीट्रिक टन का जो टारगेट दिया गया है कौन ऐसा काश्तकार होगा जो एक बीघा जमीन के बदले 15 किलो बाजरा लेकर नीमकाथाना के पाटन क्षेत्र से 200 किलोमीटर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चलकर सीकर पहुंचेगा। सीकर आकर वह गिरदावरी के लिये तहसीलदार के यहां चक्कर लगाएगा और जब वह अपनी फसल लेकर मण्डी में पहुंचेगा तो पता चलेगा कि आज की खरीद बंद हो गई, कल आना।

सभापति महोदय, पिछले दो दिनों में जो हालात बने हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई। षडयंत्रपूर्वक काश्तकार का उसकी बोरी से बाजरा निकलवा लेते हैं, तुलवा लेते हैं। फिर अनायास एक बात खड़ी होती है कि इस पर परखी लगाकर देखो। और जब दुबारा परखी लगाकर देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकलता है कि बाजरा क्वालिटीवाइज नहीं है, बाजरा काला हो गया

सभापति महोदय, एफ.सी.आई. गोदाम के जो प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि बाजरे की फसल, उसका रंग क्षेत्रवार अलग-अलग होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां बाजरा बड़ा होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां बाजरे की जगह बाजरी होती है। कुछ का रंग अलग होता है, कुछ का रंग थोड़ा कालापन लिये हुए होता है। मात्र यह कहकर कि इस बाजरे की क्वालिटी सही नहीं है, उससे बोरी से बाजरा निकलवाकर आपने सड़क पर फैला लिया और आपने उस काश्तकार को कहा कि इसे वापस बोरी में डालो, हम आपसे यह बाजरा नहीं खरीदेंगे, उस वक्त उस काश्तकार की क्या मनोदशा होगी? हमें उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। यदि काश्तकार के आसूं पोछने हैं तो हमें सारी राजनीति से ऊपर उठकर एक संकल्प लेना होगा कि भारत सरकार जिस दरियादिली से पंजाब में लोगों के आसूं पोछने के लिये 1500 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, यदि भारत सरकार आन्ध्र में केवल अपनी सरकार बचाने के f ' i चन्द्रबाबू नायडू के इतने प्रभाव में हैं कि वहां पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, हरियाणा में कर सकती है, तो राजस्थान की जनता भी उससे कुछ अपेक्षाएं रखती है। गुजरात में जहां कहीं भी किया और इसके लिये आपके माध्यम से सीधा-सीधा नेता प्रतिपक्ष को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। यह वक्त लोगों की भावनाएं भड़कार गुमराह करने का नहीं है। यह वक्त लोगों में नफरत फैलाने का नहीं है। यह वक्त सिर्फ इस बात का है कि गांव में बैठा हुआ किसान आपसे इस बात की उम्मीद करता है, हम जो 200 जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं हमसे इस बात की उम्मीद करता है कि हम उनके आंसू पोछेंगे और आंसू पोछने के लिये हमें अलिगनबद्ध होना होगा। हमें एक दूसरे पर बाहें तानने के बजाए एक राय होना होगा। एक सहमति होनी होगी और उस सहमति के जरिए.... (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्य मंत्री महोदय दोनों जाकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से इस बात के लिये अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करें कि राजस्थान के काश्तकार को मरने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के काश्तकार की भावनाओं को डूबने नहीं दिया जाएगा, उसकी मेहनत का सिला उसको मिलना चाहिए। उसने जो कुछ बोया है उसका पूरा फायदा उसे मिलना चाहिए और यह तभी सम्भव है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जब हम एक राय, एक सहमति और मन से इस बात को महसूस करें कि हमें काश्तकार के आसूं पोछने हैं। आप नफरत के बीज बोने की जो कुचेष्टा कर रहे हैं, सब अनाज खाते हैं।

आप लोग शायद यह समझते हैं कि आप लोगों की इस कुचेष्टा से काश्तकार आपके प्रति कोई बहुत अच्छी भावना रख रहा है। आप भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। हम भी अपने क्षेत्र में जाते हैं। जिस तरह की बातें चलती है, जो हमारी सरकार के खिलाफ की बात होती है वह भी हमें कहते हैं तो साथ-साथ यह भी कहते हैं कि बाजरे की खरीद में जिस तरह की राजनीति की जा रही है उससे ऊपर उठ कर बाजरे की बात की जानी चाहिए थी, बाजरे की खरीद की जानी चाहिए थी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे सानुरोध अनुग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्य मंत्री दोनों इस बात के लिये प्रयत्न करें और भारत सरकार से आग्रह करें कि तत्काल इस सीलिंग को समाप्त करें। और राजस्थान की जनता का जितना बाजरा जो वह अपनी मर्जी से बेचना चाहे, बिना किसी प्रतिबंध के और बिना किसी बेरियर के वह बाजरा ख़रीद करे तभी हम सही मायने में काश्तकार के प्रति सच्ची भावना रख सकेंगे, तभी हम काश्तकार का सही मायने में हितैषी होने का सबूत दे सकेंगे। वरना जो कुछ भी हो रहा है, यह धोखाधड़ी, काश्तकारों के मन में नफरत के बीज बोने की आपकी जो कुचेष्टा है इससे आप बाज आइये वरना राजस्थान की जनता ने पहले भी आपको जवाब दिया है, वह फिर जवाब देने को तत्पर है। सभापति महोदय, आपने मुझे वक्त दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) आलिंगनबद्ध कर रहे हो क्या आप दोनों को, क्या कहना चाहते हो, यह काम तो पण्डितों का है।

श्री सभापति : आप पहले सुनिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जितना मानसिक स्तर है यह आलिंगनबद्ध से केवल एक ही अर्थ लगा सकते हैं, उससे ऊपर इनकी भावनाएं नहीं उठ सकती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा आलिंगनबद्ध से यह तात्पर्य है....

श्री हरिसिंह (महुवा) (सहकारी मुख्य सचेतक) : सफाई देने की जरूरत ही क्या है?

श्री राजेन्द्र पारीक : हम सामन्जस्य की बात करें, भाई चारे की बात करें और नफरत के बीज की बात आप जो करते हैं मनुवादियों और दलितों के लिये, उससे ऊपर उठ कर बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : + + + ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अंध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : समय बढ़ा रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, हमें खुशी है कि पण्डित जी पोथी पतड़े को हटा कर किसान पर आए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया। श्री राजेन्द्र राठौड़।

समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद व्यवस्था पर विचार

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा भी नाम उसमें था।

श्री सभापति : आपका नाम था नहीं, है। नम्बर आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े भावपूर्ण भाषण दे रहे थे। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से किसान की बात सुन रहा था जिनका किसान से दूर-दराज का सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, जिस चुनाव घोषणा पत्र को लेकर आपने राजस्थान के किसानों को ठगा.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बार-बार इस चुनाव घोषणा पत्र को जिसको हमने बाईबिल मान लिया है, हमने अक्षरशः इसका पालन करने का संकल्प है, लेकिन कितने दिनों तक लोगों को भुलावे में रखोगे, इस कागज को उठाकर कितनी बार लहराओगे? (व्यवधान) अब तो बंद करो। मुझे पता था मेरी यह सारी बातें इस कक्ष में बैठे हुए लोगों के जहन में तो उतर रही है लेकिन जिनको बीज ही नफरत और इर्ष्या के पैदा करने हैं, पूरी दुनियां में भाईचारे को समाप्त करना है, जिसको पूरे हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता का वैमनस्य पैदा करना है, इनसे हम किस बात की उम्मीद करेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिये 20 करोड़ इकट्ठे किए और यह सरकार खा गई। गुजरात में नहीं पहुंचाया, माननीय सभापति महोदय। गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और 20 करोड़ रुपये खा गये।

श्री सभापति : आप तो विराजो, आपके सदस्य बोल रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : कारगिल सहायता के खा गये। उनका भी हिसाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, बिना किसी मुद्दे के इस प्रकार के आरोप लगाना, सरकार के ऊपर, यह उपयुक्त नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा

(श्री हरिसिंह)

हूं कि किसी विषय को लेकर आएं, सरकार पर आरोप लगायें तो सरकार जवाब देगी लेकिन इस प्रकार बीच-बीच में बोल करके आप रनिंग कमेंट्स करें और इस ढंग की व्यवस्था आप पैदा करें।

श्री मदन दिलावर : बाजरा खरीदने के लिये पैसा नहीं बताया। मैंने बताया कि कहां बाजरा खरीदने का पैसा है। अभी 20 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है गुजरात का जो इन्होंने खर्च नहीं किया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सचेतक महोदय, आप मेरे को काफी नाराज होकर के कुछ कह रहे थे। कृपया आप अपने सदस्यों पर भी लगाम लगाएं। मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था और उस बाइबिल की तरफ, उस गीता की तरफ कांग्रेस के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर रहा था जिसके पृष्ठ 3 में इन्होंने यह कहा है–कांग्रेस प्रदेश के किसानों की खुशहाली का वचन देती है, किसानों की खुशहाली व कल्याण हेतु सम्बन्धित कार्य करने का वचन देती है तथा कृषि उपज के लिये समर्थन के अनुपात में समूचित मूल्य तथा उत्तरदायी बाजार की व्यवस्था करेगी। सभापति महोदय, इसके आगे पृष्ठ 18 में क्रम संख्या 9 और 10 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है–कृषि उपज को बाजारी प्रतिस्पर्धि शक्तियों के कुप्रभाव से बचाने के लिये समुचित भण्डारण की व्यवस्था करेगी। किसान अपनी फसल को भण्डार गृह में रहन रखकर उसकी खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत राशि तुरन्त प्राप्त करें, ऐसी व्यवस्था करेगी। सभापति महोदय, आज भी कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे, बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद और खरीद के लिये जिम्मेदार भारत की सरकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब उनको किसान के वोट लेना था, किसान का वोट ठगना था इस घोषणा पत्र में जो कुछ इन्होंने अंकित किया, मैं इस घोषणा पत्र की बात इसलिये कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि वह यह पत्र था, यह वह कागज के टुकड़े थे जिन कागज के टुकड़ों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में बैठे किसान के पास अपनी भावनाएं पहुंचाई थीं। उस समय आपको ध्यान नहीं आया कि समर्थन मूल्य पर जब खरीद प्रारम्भ होगी तो उस का उत्तरदायित्व किस पर होगा, उसके लिये आवश्यक धन राशि कौन देगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सिंचित रकबा मात्र 22 प्रतिशत है। इसके अलावा पूरे राजस्थान के अन्दर अधिकांश शुष्क खेती होती है, एक फसली इलाका है। और सभापति महोदय, अभी औसियां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे एक मिथक टूट गया। पहली बार जन्म पत्री के ठोकर लग गयी और 3 साल के कांग्रेस के शासन में प्रतिपक्ष के नेता कहा करते थे कांग्रेस शासन में आयी तो इन्द्रदेव नाराज, बरसात गयी, तो बरसात हो गयी, निश्चित तौर पर। सरकार उतार पर आयी, सरकार की जवानी समाप्त हो गयी, सरकार के 3 साल पूरे होने लग गये। उस समय ईश्वर ने भी सोचा कि इस सरकार के कारण से राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के किसान को कितनी तकलीफ दें और पहली बार प्रदेश में 127 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई, कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार 43.4 लाख हैक्टेयर में बाजरे की बुवाई हुई। मक्के की बुवाई 9.33 हैक्टेयर में हुई और मूंगफली की बुवाई 2.66 हैक्टेयर में हुई। सभापति महोदय, मोटे अनुमान के अनुसार कृषि विभाग ने कहा कि पिछली बार जो बाजरा हुआ था उससे 40 प्रतिशत बाजरा ज्यादा पैदा होगा और 29 लाख मीट्रिक टन के लगभग बाजरा राजस्थान में पैदा हुआ है। इस तरह का अनुमान कृषि विभाग का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपको अच्छी-तरह मालूम है कि पिछले 3 साल में अकाल की मार से पीड़ित किसान, उसकी 1-2 लाख की फसल नहीं, 16 और 17 हजार करोड़ की फसलें समाप्त हो गयीं। और मैं तो यह कहता हूं कि सदन को चाहिए, अभी चर्चा चल रही थी कि कुछ प्रकरण ऐसे हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें हमें राजनीतिक धरातल से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं सभी के मन में पीड़ा इतनी सी है कि बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद हो। किसान को उनकी मेहनत का पैसा मिले। परन्तु इसके लिये सबसे पहला प्रयास किसने प्रारम्भ किया। अभी माननीय खेतसिंहजी बात कह रहे थे और बड़े आधार से कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा मीर मार लिया। 6 पत्र मुख्य मंत्रीजी ने लिखे, प्रधानमंत्रीजी को लिखे उसमें से 4 पत्र, 2 पत्र शांताकुमारजी को लिखे, 3 पत्र मुख्य सचिव जी ने लिखे परन्तु जब समर्थन मूल्य की घोषणा की बात आयी थी तब किसी ने प्रयास नहीं किया। साधुवाद देना चाहिए पूरे सदन को प्रतिपक्ष के नेता को, जिन्होंने पहल करके प्रधानमंत्रीजी से भेंट करके पहली बार इस बाजरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया। पहले बाजरे का समर्थन मूल्य 445 रुपये था, बढ़कर 485 हुआ। मूंग और उड़द का समर्थन मूल्य 1200 से 1340 हुआ। मूंगफली का मूल्य 1220 से 1340 हुआ, तिल का 1300 से 1400 हुआ। अब समर्थन मूल्य तो बढ़ गया।

डा. के. सी. चौधरी : यह टोंक के इलेक्शन को देखकर किया आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर विवाद इस बात का रहा। विवाद इस बात का रहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद कौन करे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, कृपया यह जानकारी सदन को दे दें कि यह समर्थन मूल्य क्या प्रधानमंत्रीजी बढ़ाया करते हैं या कोई कमेटी वहां बनी हुई है जो पूरे मापदण्डों के आधार पर समर्थन मूल्य बढ़ाती है। कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालती है।

डा. के. सी. चौधरी : यह तो टोंक लोक सभा इलेक्शन को धान में रखते हुए आपने दिल्ली में मेनिप्यूलेट किया। यह राजस्थान की जनता के साथ दगा ही किया, धोखा ही हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, भारत सरकार ने एक समिति बना रखी है। समिति के अन्दर अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधि जाते हैं और उसको तय करते हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसान को समर्थन मूल्य का आधार यह रहता है, किसान को उसकी मेहनत, उपज और उसके साथ किसान को थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, इस आधार पर समर्थन मूल्य तय कर रखा है। एक फार्मूला बना रखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर ये मुख्य सचेतक महोदय भी विराजमान थे। इसी सदन के अन्दर जौ की खरीद का मामला आया था। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने बढ़े जोर-शोर से एक बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को पत्र लिखकर यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने अपने स्वयं के संसाधन से जौ खरीद करने का फैसला किया, साहसिक निर्णय लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब साहसिक निर्णय जौ के मामले में लिया जा सकता है तो आज आपका साहस कहां खतम हो गया। क्योंकि आपकी इस पूरी पार्टी के अन्दर जिस तरह बे-जुबान लोग हैं, अब भी कोई ऐसी आवाज उठेगी नहीं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभापति महोदय, वह साहसिक काम अब भी मुख्य मंत्रीजी को उठाना चाहिए। वरना कहने की बात कुछ और करने की बात कुछ। कितनी बार वायदा किया आपने किसान को। और किसान को वायदा कर कितनी बार आपने ठगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की घोषित विकेन्द्रित नीति है। राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पी.डी.एस. में अपने आबंटन के अनुसार खाद्यान्न खरीदे और अपने पास रख ले। सरप्लस खाद्यान्न एफ.सी.आई. को सुपुर्द कर दे। खरीद के अन्दर कोई घाटा हो तो केन्द्र सरकार उसकी भरपाई करती है। यह केन्द्र सरकार की घोषित विकेन्द्रित समर्थन मूल्य पर ख़रीद की एक नीति बनी हुई है। सभापति महोदय, इसके लिये 5 तारीख को B.K. Dev Verma, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of consumer Affairs and Food Distribution, Department of Food and Public Distrubution. यह एक पत्र लिखते हैं हमारे चीफ सैक्रेटरी को। मैं उसका आपरेटिंग पार्ट पढ़कर सुनाऊंगा।

"It is requested that the State Government may undertake procurement of Bazara and attempt to distribute it as much as possible under P.D.S. The balance stock can be sold in the open market through the tenders with the approval of this Ministry. The difference between......." यह है सबसे बड़ी बात, सभापति महोदय, "......the difference between, economic cost of the State Government and the issue price will be reimbursed to the State Government as a subsidy." मतलब केन्द्र सरकार ने फैसला कर दिया। केन्द्र सरकार ने 5 तारीख को लिखकर दे दिया कि जितना बाजरा आप खरीद सकते हो, वह बाजरा आप खरीदें। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जितना गरीब को दे सकते हैं, जितना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आबंटित उसमें कर सकते हो उतना आबंटित करें। बाजरे की खरीद के अन्दर अगर कहीं कोई हानि हो तो सब्सिडी के तौर पर भारत सरकार उसका पैसा देने के लिये तैयार है। और इस पत्र के अन्दर कहीं....

श्री सभापति : मेरी जानकारी के लिये बताएं, यह पत्र कौन सी तारीख का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह पत्र है 5 सितम्बर, 2001 पत्र संख्या 167/12-बी-4-फर्स्ट।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसके अन्दर कहीं नहीं लिखा कि आप कितनी क्वांटिटी में बाजरा खरीदे कितनी क्वांटिटी में बाजरा नहीं खरीदे। इसके अलावा आरोप तो बड़ा लगाया इन्होंने, 12 तारीख को, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12 तारीख को "The Union Ministry of Consumer Affairs and Food Distribution, Department of Food and Public Distribution has permited the Government of Rajasthan to procure Bazara at the minimum support price during the Kharif season and distribute it as much as possible under its Public Distribution System. The State Government has also been informed that the balance quantity can be sold in the open market. The difference between the economic cost of the State Government and the issue price will be re-imbursed to the State Government by the Central Government." यह एक पत्र और है। मैं समझता हूं कि 5 तारीख और 18 सितम्बर के इस पत्र के बाद भारत सरकार की नीयत साफ आ गयी। भारत सरकार ने यह कहा कि इस खरीद में जितना भी नुकसान होगा भारत सरकार सब्सिडी देने के लिये तैयार है। परन्तु चूंकि पहल प्रतिपक्ष के नेता ने कर ली, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम भाषण तो बहुत देते हैं, लफ्फाजियां भी बहुत कर लेते हैं, कुछ मामलों के अन्दर हमें राजनीतिक धरातल से ऊपर उठना चाहिए।

(17.00 बजे)

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय की पहल बता रहे हैं, आप यह भी बता दें कि बाजरे के समर्थन मूल्य की सबसे पहले बात दिल्ली में किसने की थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको क्या पता, आप बिराजिए।

डा. महेश जोशी : मुझे आपसे ज्यादा पता है। आपके यूं चश्मा टेढ़ा लगाने से नहीं हो जाता कोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यही नहीं, गौर करने की बात यह है कि राजस्थान के मुख्य सचिवजी ने केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय के सचिव आर.डी. कपूर को पत्र लिख कर यह कहा कि हम बाजरे के समर्थन मूल्य पर क्रय केन्द्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रारम्भ नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वेयर हाउस कारपोरेशन में पहले से 63 हजार टन जौ पड़ा हुआ है इसलिये हम विक्रय केन्द्र खोल ही नहीं सकते। इस तरह की बात कहने वाले यह सरकार के लोग किस मुंह से केन्द्र सरकार को कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, जो केन्द्र सरकार की घोषित नीति है, उसके अनुसार उन्होंने विक्रय किया। अभी बारबार बात चली, पंजाब की बात चली, पंजाब में धान की खेती के अन्दर 1500 रुपये की खरीद करने की बात चली तो उसके अन्दर, सभापति महोदय, जो घोषित नीति है, उस घोषित नीति के अन्दर खरीद हुई और उसी नीति के अनुसार भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को बारबार कह दिया तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि इन्होंने खरीद क्यों नहीं चालू की। सभापति महोदय, एक अक्टूबर को एफ.सी.आई. के कार्यकारी निदेशक ए.एस. छाबड़ा ने पब्लिकली एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर बाजरे का विक्रय केन्द्र, क्रय प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु राजस्थान सरकार ने और यहां माननीय मंत्री महोदय विराज नहीं रहे हैं, इन लोगों ने प्रयास यह किया कि यह एक अक्टूबर से कहीं खरीद प्रारम्भ हो गई, किसान को राहत नहीं मिल जाए इसलिये उन्होंने साफ यह कह दिया कि हमारे पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। और इसलिये वह घोषणा इन्होंने रुकवा दी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी चित्तौड़ प्रवास के दौरान यहां आते हैं। हमारे वित्त मंत्रीजी विराज नहीं रहे हैं। हवाई अड्डे पर वे उनसे बात करते हैं और उस समय उनको कहते हैं कि प्रोक्योरमैंट के लिये आप हमें एडवांस पैसा दो। भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी और आपके मित्र यशवंत सिन्हा यह साफ कह कर जाते हैं कि आपको बाजरे के प्रोक्योरमैंट के लिये जितनी धनराशि की आवश्यकता है, भारत सरकार उस धनराशि को देने के लिये तैयार है। आप अग्रिम रूप से 13 करोड़ रुपये की मांग करते हैं और भारत सरकार आठ करोड़ रुपये अग्रिम दे भी देती है। अब सवाल यह खड़ा होता है, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, अपने ग्रामीण इलाकों में ढपोर शंख की चर्चा है। उस ढपोर शंख के बारे में यह कहा गया है कि आप उससे एक मांगों तो वह दस की आवाज करता है। दे सौ तो उसमें से आवाज निकलती है ले हजार। इनकी बात सारी की सारी वही है। यशवंत सिन्हा साहब ने यह कह दिया कि जितना चाहे उतना ले लो तो फिर रोका किसने था? पैसा भेजा नहीं, ढपोर शंखों की सी बातें कर रहे हैं कि ले लो जितना चाहो उतना। ले लो जितना चाहे जितना। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनसे पूछिये कि ढपोर शंख क्या है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ढपोर शंख जो आप बैठे हो वो ही है। साक्षात् अवतार हो आप ढपोर शंख के...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वाट इज ढपोर शंख ?

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, अब सवाल यह खड़ा होता है कि राजस्थान के अन्दर बाजरा पैदा हुआ 29 लाख मीट्रिक टन और खरीद हो रही है एक लाख मीट्रिक टन की। निश्चित तौर पर बहुत कम है परन्तु, सभापति महोदय, यह खरीद जिस रफ्तार से हो रही है, तीस दिन तक अगर लगातार यही रफ्तार राजस्थान सरकार की रही तो यह एक लाख टन भी खरीदा नहीं जाएगा। आज राजस्थान सरकार अगर खरीद की स्पीड बढ़ा दे और भारत सरकार को यह लगे कि राजस्थान के अन्दर किसान के पास बाजरा है और बाजरे को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये किसान आतुर हैं, तैयार हैं तो निश्चित तौर से इसके अन्दर बढ़ोतरी हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप आपकी रफ्तार पर ध्यान दो।

श्री राजेन्द्र पारीक : रफ्तार बहुत धीमी हो रही है आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अब यहां पर चर्चा चली कि आज की तारीख में जितने इन्होंने विक्रय केन्द्र खोले हैं, सभापति महोदय, एक तरफ तो आपने चला रखा है "प्रशासन गांव के संग"। अब गावं के संग प्रशासन है, प्रशासन किसके संग है, हमें तो जब से यह सरकार आई है, प्रशासन मिलता नहीं है। इन्होंने यह कह दिया कि किसान गिरदावरी की नकल लेकर जाए और यह और कह दिया, सभापति महोदय, हमारे जिले में तो यह कह दिया कि गिरदावरी पर तहसीलदार के काउंटर साइन होने चाहिए। अब तहसीलदार साहब और पटवारीजी दोनों तो कहीं नजर नही आते। सबसे पहले तो किसान उनको ढूंढ़ता घूमे और उसके बाद यह भी एक आदेश जारी कर दिया कि एक बीघा में सिर्फ 20 किलो बाजरी खरीदी जाएगी। अब आप, सभापति महोदय, आपको ध्यान हो धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ने के साथ लैंड होल्डिंग कम हो गई। आज 20-25 बीघा वाला किसान और बीस किलो के हिसाब से चार क्विंटल के लिये सुजानगढ़ से चलकर चूरू आएगा। मतलब पूरे 200-200 किलोमीटर में एक विक्रय केन्द्र स्थापित किया है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाएं और विक्रय केन्द्र के अन्दर जो-जो एजेंसी सरकार की है, उस एजेंसी को भी चाहिए कि खरीद जल्दी से जल्दी हो इसके लिये कोई न कोई कार्यवाही करें।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं सभापति महोदय, अभी यहां पर क्वालिटी की बात आई। निश्चित तौर पर एक क्वालिटी तय कर रखी है कि किस तरह का कितना उसमें फोरेन मैटर्स होना चाहिए, अदर फूडग्रेंस कितना होना चाहिए, डेमेज-ग्रेंस कितने होने चाहिए और इम्मैचुअर-ग्रेंस कितने होने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह की समस्या आई थी पंजाब के अन्दर। पंजाब में पैड़ी क्रोप्स में जब यह लगा कि,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पैड़ी क्रोप्स कुछ तो ठीक हुई है और कुछ वहां की जलवायु के कारण खराब हो गई तो वहां दो कैटेगरी तय कर ली थी। पंजाब सरकार ने केटेगरी तय की, मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार को यह चाहिए कि जो अच्छी क्वालिटी है उसको 485 मिले परन्तु यदि कोई डिस्कलर हो गया है या कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई उसे सैकण्ड केटेगरी बना लें। उस सैकण्ड केटेगरी की खरीद पूरी करे। इस तरह की व्यवस्था होगी तब तो निश्चित तौर पर खरीद होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात राजनीतिकरण की बात नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : कहने को कुछ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहने को कुछ और करने को कुछ, जब किसान का वोट ठगना था तब तो आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया। लम्बी-लम्बी बात कह दी तब कहीं आपको भारत सरकार याद आई नहीं और अब जब निश्चित तौर पर किसान को राहत पहुंचाने की बात आई है तब आप इस तरह की बात कह रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो चेहरे वाली बात छोड़ें। आपकी असलियत क्या है, लोग पहचान चुके हैं, सभापति महोदय, और इसी का नतीजा है, आप तो लोकप्रिय हैं इसलिये उनियारा में थोड़ा-बहुत बचाव हो गया, बाकी हालत क्या बनी टोंक के अन्दर। हालत क्या बनी हिण्डौली के अन्दर।

(17.07 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदसीन)

यह सारी चीजें तय करती हैं कि आज किसान आपसे खफा है और आपकी हर जो नीति है वह किसान विरोधी नीति है। मैं चाहूंगा कि समय रहते इन सारी चीजों को देखें और एक राजनीतिक धरातल से ऊपर उठ कर प्रयास यह करें कि किसानों की बाजरे की उपज का समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक विक्रय केन्द्र खोलकर खरीदो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आज जिस किसान की उपज की समर्थन मूल्य पर जो चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से जब से 1991 से नई आर्थिक नीति और नई कृषि नीति के नाम से जो शुरू की गई है उससे तमाम किसानों की उपज की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं और जो किसान की लागत....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी बुलवा देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : तमाम जो लागत मूल्य है, चाहे वह बिजली है, चाहे डीजल है, खाद-बीज है, तमाम जो लागत मूल्य है वह लगातार अगर पिछले दस साल का रिकार्ड देखें तो शायद दुगनी और तीन गुनी हो गयी है। और लगातार हर चीज की जो कीमत है वह समर्थन मूल्य से और जो आज भी पांच साल और सात साल पहले जो कीमत थी उससे आधी कीमत रह गई है। चाहे वह बाजरा है, चाहे ग्वार है, चाहे मूंगफली है, तमाम वह चीज जो किसान पैदा करता है और केवल वह राजस्थान की ही नहीं पूरे देश

(श्री अमराराम)

की जो कृषि उत्पादन है, उसका इस विश्व व्यापार संगठन का भारत का सदस्य बनने के बाद जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में राजस्थान और पूरे देश का किसान है और उन्हीं विपरीत नीतियों का नतीजा है कि 54 साल की आजादी के बाद हजारों किसान आत्महत्या के लिये मजबूर हो रहे हैं कि अपनी लागत भी उपज से वापस नहीं मिल रही है। उसका नतीजा आत्महत्या के रूप में 54 साल की आजादी के बाद हमारे देश में आ रहा है। उस देश की जिसकी 75 परसेंट आबादी किसान है और उसकी उपज और लागत में इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो वह आत्महत्या के लिये निश्चित रूप से मजबूर होगा। वह कर्जदार होगा और कर्जा निश्चित रूप से भार है। राजस्थान में भी वही हालत लगातार बनती जा रही है और उसका परिणाम अभी बाजरे के रूप में आ रहा है। पिछले दो महीने से राजस्थान के किसान के साथ, जो मैं समझता हूं कि जो भेदभाव और जो ड्यूटी है केन्द्र सरकार अगर समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदती है या राजस्थान की सरकार समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदती है तो यह राजस्थान के किसान पर किसी बात का अहसान नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, जो समर्थन मूल्य घोषित करती है। समर्थन मूल्य पर खरीदने की उसकी जिम्मेदारी है वह स्टेट सरकारों का सहयोग ले सकती है, समर्थन ले सकती है, उसका उपयोग कर सकती है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार और हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए नेता महोदय अगर यह कहें कि बड़ा अहसान किया है कि राजस्थान के किसान का बाजरा खरीदा जा रहा है तो मैं समझता हूं यह कोई अहसान नहीं है। हिन्दुस्तान में कोई भी सरकार चलाएगा, हिन्दुस्तान में किसान चाहे वह राजस्थान में बाजरा पैदा करता है, चाहे वह कपास पैदा करता है, चाहे चावल और गेहूं पैदा करता है, उसका जो समर्थन मूल्य है उससे नीचे अगर बाजार में कीमत होगी तो हिन्दुस्तान की सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि जो भी किसान बेचेगा, उस जिन्स को खरीदने की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान की सरकार की होगी। चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन इससे मुकरने का काम निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की सरकार और पिछले बजट में जो दिशा-निर्देश हिन्दुस्तान की सरकार ने दिया है उसी का नतीजा है कि पिछले दो महीने से बाजरे को लेकर जिस तरह की राजनीति दोनों तरफ से, राजस्थान की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान में की है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी अफसोसजनक स्थिति है।

राजस्थान की सरकार में 153 विधायक हैं। भाजपा के कुशासन से राजस्थान की जनता ने 153 विधायक कांग्रेस को दिये और सरकार और सत्ता में बिठाया। लेकिन तीन महीने से लगातार केवल लव-लैटर लिखते रहे। हमारी राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्री क्यों नहीं राजस्थान के 153 विधायक, आज 152 विधायक हैं, जब दूसरे प्रान्तों के लोग वहां के किसान की जिन्स की कीमत

(श्री अमराराम)

अगर गिरती है तो वहां की सरकार के मंत्रियों तक हिन्दुस्तान की सरकार के सामने जाकर धरना दे सकते हैं, आन्दोलन कर सकते हैं तो क्या राजस्थान की कांग्रेस, जो सत्ता में बैठी हुई है 152 विधायक लेकर आज बैठी हुई है, क्या उसको शर्म आती है कि हिन्दुस्तान की सरकार के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती? लव लैटर लिखने से काम नहीं चलता। न यह दायित्व निभाते हैं, न हिन्दुस्तान की सरकार निभाती है और उसी का नतीजा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : 153 विधायक स्टेच्यू सर्किल पर जाकर बैठे क्या?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, घर बैठा देंगे आपको। पारीक साहब, यह गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। स्टेच्यू सर्कल क्यों, नई दिल्ली में लोक सभा के सामने बैठिये। स्टेच्यू सर्कल पर तो आप ड्रामा कर रहे हैं। तय रूप से स्टेच्यू सर्कल पर ड्रामा कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप भी लेकर आये थे तीन बोरियां यहां पर।

श्री अमराराम (धोद) : हां, हम भी लेकर आये थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : और यहां स्टेच्यू सर्कल पर बाजरा बिखेर गये थे। उससे क्या समझे, बहुत खरीद बढ़ गयी।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, जो बाजरा पिछले बीस सालों में ढाई सौ रुपये में नहीं बिका, वह ढाई सौ रूपये में राजस्थान का किसान बेचने के लिये मजबूर है। बीस प्रतिशत बाजरा किसान ने बेच दिया, जो गरीब हैं और निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की सरकार ने एक लाख टन बाजरा खरीदने का जो काम किया है, वह सफिशिएंट नहीं है। केवल कोढ़ में खाज करने का काम किया है। राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से किया है कि वह सबसे पहले गिरदावरी लाएगा। गिरदावरी के बाद तहसीलदार से तारीख लेगा। सभापति महोदय, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि राजस्थान में जहां सिंचित इलाका है, जहां नहरी सिस्टम है, जहां जिन्स के अनुसार आबियाना लगता है तो निश्चित रूप से गिरदावरी जिन्स के अनुसार होती है। पटवारी वहां जाता है क्योंकि जो जिन्स बोई जाती है उसके अनुसार ही नहरी आबियाना उसके लगता है। लेकिन जो बारानी इलाका है, जो नहरी इलाका नहीं है ट्यूबवैल का या बारानी इलाका है, वहां खाते गिरदावरी होती है और शायद राजस्थान का एक भी पटवारी नहीं होगा जो खेत पर जाकर जिन्स को देखकर गिरदावरी करता हो, एक भी पटवारी नहीं होगा। मैं सीकर, झुंझुनूं, चूरू और नागौर की बात कह सकता हूं जहां नहर नहीं है, एक भी पटवारी गांव में जाकर, खेत में जाकर किस किसान ने कौनसी जिन्स बोई है, केवल घर बैठकर इस साल बाजरे की जिन्स की है तो अगली बार ग्वार की करेगा। केवल एक बाजरा, तीन साल के भयंकर अकाल के बाद, केवल बाजरा पैदा हुआ है। ग्वार नष्ट हो गया, मोठ नष्ट हो गया, तिल नष्ट हो गया, तमाम चीजें नष्ट हो गयीं।

(श्री अमराराम)

केवल एक बाजरा पैदा हुआ है और उसकी भी कीमत जिस तरह से गिरी है तो निश्चित रूप से जिस गिरदावरी की पाबन्दी लगायी गयी है, कोढ़ में खाज का काम जो राजस्थान की सरकार ने किया है, क्या किया है गिरदावरी देखेंगे। गिरदावरी जिस पटवारी की नहीं है, मुश्किल से जिसके 30 बीघा, सीमान्त और लघु किसान हैं उसके जितनी जमीन है, उसके वन फार्थ, उसमें गिरदावरी की है। 30 बीघा जमीन का मालिक है 10 बीघा में उसने बाजरे की गिरदावरी की है। 10 बीघे में दो प्रतिशत बाजरा, एक हैक्टेयर में 6 क्विंटल बाजरा है जबकि असलियत में बाजरा, जो आज की तारीख में पैदा हुआ है, इस साल जहां-जहां बाजरा पैदा हुआ है, आखिरी बरसात जहां हो गयी, वहां 18 क्विंटल एक हैक्टेयर में पैदा हुआ है और राजस्थान की सरकार ने अन्दाजा लगाया है, मैं नहीं समझता कहां से आपने यह आंकड़े लिये हैं 6 क्विंटल प्रति हैक्टेयर के हिसाब से आपने आंकड़ा लिया है और दो प्रतिशत बाजरा राजस्थान की 75 प्रतिशत किसान, जो लघु एवं सीमान्त किसान है उसके किसी के 60 किलो बाजरा बेचने के लिये बनेगा, किसी के डेढ़ क्विंटल बनेगा, किसी के दो क्विंटल बनेगा। राजस्थान का बाजरा पैदा करने वाला किसान 80 प्रतिशत वह किसान जो लघु और सीमान्त है, उसका डेढ़ और दो क्विंटल से ज्यादा नहीं होगा और वह डेढ़- और दो क्विंटल के लिये पहले गिरदावरी के लिये पटवारी के पास जाएगा, उसकी सेवा करेगा फिर तहसीलदार जी के पास तारीख लेने के लिये जाएगा, यह किसने किया, यह राजस्थान की सरकार है। राजस्थान की सरकार का दायित्व है। यह बात तय है कि व्यापारी, जिसने 25 प्रतिशत बाजरा खरीद लिया है, वह इस खरीद केन्द्र पर नहीं बेच पाये तो किसान के पास आज उसकी पासबुक है। उसके अंदर जमीन इन्द्राज है, उसमें कितनी जमीन है आप यह आदेश निकाल देते कि अगर 30 बीघा जमीन है तो 15 बीघा में बाजरा, अनुमान लगाकर उसमें से एण्ट्री कर देंगे, 15 बीघा में जितना बाजरा होता है 30 क्विंटल अगर बाजरा 15 बीघा वाला किसान बेचने के लिये आता है तो उसका खरीद लिया जाये और उसकी पास बुक में एण्ट्री कर दी जाये। कोई तारीख की आवश्यकता नहीं है और, मैं तो कहूंगा कि राजस्थान की सरकार कितनी + + + है कि सीकर जिले में दो क्रय केन्द्र हैं, जयपुर में 12 क्रय केन्द्र हैं। आपका प्रशासन कितना अनभिज्ञ है कि तमाम छह तहसीलों पर 15-15 पुलिस के कांस्टेबल लगा दिये कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी और एक आदमी भी नहीं गया। अखबार में आया कि गिरदावरी लेकर फिर वह तहसीलदार से तारीख लेकर जाएगा तो पटवारी के पास गया। उसने कहा कि तेरा 40 किलो बाजरा बिकेगा, तेरा 80 किलो बाजरा बिकेगा। वह तहसीलदार के पास गये ही नहीं। प्रशासन ने 20-20 पुलिस वाले हर तहसील के सामने बिठा दिये कि कानून व्यवस्था की स्थिति आएगी। तो तय रूप से यह जो कोढ़ में खाज करने का काम

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

राजस्थान की सरकार ने किया है वह निश्चित रूप से मैं इस बात का विरोध जताता हूं कि यह जो आपने नियम बनाये हैं, इनको निश्चित हटा दीजिये। किसी पास बुक में कोई व्यापारी नहीं बेच सके, इसके लिये पास बुक में जहां भी खरीद केन्द्र है, निश्चित रूप से खरीद केन्द्र हर पंचातय समिति में है, अब यह खरीद केन्द्र एफ.सी.आई. ने किये हैं या राजस्थान की सरकार ने किये हैं, मैं नहीं समझता कि जयपुर में बाजरा ज्यादा पैदा होता है और सीकर, झुंझुनूं और नागौर में बाजरा नहीं होता। यहां तो एक बीघा के 50 किलो खरीदेंगे, नागौर सीकर और चूरू में 15 और 20 किलो खरीदेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : एफ.सी.आई. ने किया है।

श्री अमराराम (धोद) : एफ.सी.आई. नहीं, राजस्थान की सरकार ने, पारीक जी, जिसकी बात कह रहे हैं, उन्होंने कोढ़ में खाज करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। जब जयपुर में 12 पंचायत समितियों में 12 क्रय केन्द्र हो सकते हैं, 50 किलो बीघा का हो सकता है तो सीकर, नागौर और झुंझुनूं ने क्या इस सरकार की भैंस मारी है। इसमें किसने इस बात के लिये मना किया है। जब देश की सरकार की यह जिम्मेदारी है जो भी किसान जितना बाजरा लेकर आएगा, यह खरीदने की हिन्दुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है और जो प्रस्ताव सात लाख टन का है, मैं तो कहता हूं क्यों आप सात लाख टन में बंधना चाहते हैं, समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य का मतलब है कम से कम मूल्य, लाभकारी मूल्य मिले, इससे कम कीमत पर बाजरा बिकना नहीं चाहिये। और वह जिम्मेदारी हिन्दुस्तान की सरकार की है। सात लाख नहीं अगर पन्द्रह लाख टन भी राजस्थान का किसान बाजरा बेचने के लिये आता है तो हिन्दुस्तान की सरकार और एफ.सी. आई. को खरीदना पड़ेगा। इसके लिये हम जो 199 विधायक राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं, सबको मिलकर इसके लिये प्रयास करना चाहिये और अगर जरूरत पड़े तो हमें धरना भी देना चाहिये और प्रस्ताव भी पास करना चाहिये। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की बहबूदी का सवाल है।

आज न केवल यहां रुक जाएगा बल्कि आने वाली हर जिन्स में इसी तरह से राजस्थान का किसान लूटा जाएगा। सभापति महोदय, जो साढ़े तीन हजार, चार हजार में ग्वार बिकता था, आज कोई 800 में लेने वाला नहीं है। आज अकेले बाजरा ही नहीं, मूंगफली जो कामर्शियल क्राप है, राजस्थान में जो बहुत बड़ा ट्यूबवैल का इलाका है, जहां मूंगफली पैदा होती है 1340 रुपये का भाव है और 1100-1150 में तमाम मण्डियों में बिक रही है, कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं है। बाजरे को लेकर जरूर टोंक के चुनाव को लेकर राजनीति की गयी। निश्चित रूप से मूंगफली जो कामर्शियल क्राप है, अकेले एक क्विंटल में 300 रुपये का लोस एक किसान को हो रहा है, जो अपने पैसे के लिये करता है। बाजरा प्रमुख रूप से व्यापार के लिये नहीं, अपने पशुधन के चारे के लिये और खाने के लिये बाजरा है। निश्चित रूप से तमाम सदन को इस बात के लिये प्रयास करना चाहिये। विश्व व्यापार संगठन की

(श्री अमराराम)

किसान विरोधी शर्तों के कारण जो देश का किसान और किसान की उपज तबाह हो रही है, निश्चित रूप से सबको मिलकर करना चाहिये। और तय रूप से कल ही उस विश्व व्यापार संगठन की क्षेत्र में मीटिंग हो रही है जिसमें पूरे विकासशील देशों का किसान, कारखाना तमाम बरबाद हो रहा है, उसके खिलाफ तमाम देशभक्त लोग उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसलिये हमारा भी दायित्व है कि आज हम सब मिलकर राजस्थान में तीन साल बाद जो बाजरा पैदा हुआ है उसके समर्थन मूल्य पर किसान जितना भी बेचना चाहे वह एफ.सी.आई. खरीदने की व्यवस्था करे, इसके लिये हमें सर्वसम्मत प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, राज्य की मुख्य फसलों में से एक फसल है बाजरा और बाजरे की जो फसल है उसके लिये 6 सितम्बर को केन्द्र सरकार के द्वारा यह कह दिया गया कि जो बाजरे का दाम 445 रुपये है उसमें 40 रुपये और जोड़ करके 485 रुपये की घोषणा कर दी गयी। अब प्रश्न यह है कि 6 सितम्बर को केन्द्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य की घोषणा की उसके बाद नवम्बर के प्रथम सप्ताह में क्यों खरीद हुई? यह पौने दो महीने की जो देरी हुई यह किसकी गलती से हुई, किस के सौतेले व्यवहार से हुई, किसकी किसान विरोधी नीति के कारण हुई? आज, सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की गलती से हुई और क्यों समय खराब कर रहे हो, और समय बढ़वाओगे, आपको तो क्या बोलना है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा है, आप शांत रहे उसी में ही आपकी शोभा है।

डा. के. सी. चौधरी : यह दिल्ली की सरकार की वजह से हुआ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप भाषण जारी रखें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। चावल की 15 सौ करोड़ रुपये की खरीद हो रही है समर्थन मूल्य पर और चावल में जो खराब चावल है वह खरीदा गया। उस पर 15 सौ करोड़ रुपये का चूना लग गया और ऐसा राइस खरीद लिया गया। यह एक सत्य है जिससे न भारतीय जनता पार्टी के लोग और न किसी पार्टी के लोग मना कर सकते हैं।

आज केन्द्र सरकार जिसकी हो, उसके चार राज्य हैं उनको मन में आये जितने रुपये का समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की देखी-अनदेखी कर रही है। यह बी.जे.पी. की सरकार कर रही है जो एक सौतेला व्यवहार कर रही है आज भारत, जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि कन्याकुमारी से काश्मीर तक भारत एक है, यह एक है तो इसमें अनेक पद्धति कैसे, अनेक धारणाएं कैसे खरीद में?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

किसान जिसके कि तन पर ढकने के लिये कपड़ा नहीं, किसान जो तीन साल से अकाल की विभीषिका से जूझ चुका है, किसान जो गर्मी के दिनों में, जैसा कि सुराना साहब कह रहे थे कि मस्टररोल पर आने के लिये एक घर से एक को ले लिया जाय, ऐसी स्थिति में राजस्थान में काम करता है। 47-48 डिग्री सेंटिग्रेड के टैम्प्रेचर पर अगल-बगल से पसीना बहाता है। अपन लोग जहां पर टिक नहीं सकते वहां पर काम करता है। उस किसान के अकाल के काम करने के बाद भगवान की मेहरबानी पर, इन्द्रदेव की मेहरबानी पर पानी अच्छा बरसा और फसल हुई 8 फीट से लेकर 15 फीट तक और उसके बाद क्या हुआ कि 6 सितम्बर को, अभी माननीय विधायक राठौड़ साहब कह रहे थे कि भैरोंसिंह जी ने 440 से 485 रुपये करवा दिया, चलो ठीक है, भैरोंसिंह जी को धन्यवाद कि आपने इतना करा दिया, अब पौने दो महीने तक किस व्यक्ति ने नहीं खरीदने दिया? कौन व्यक्ति था राजस्थान का ऐसा राजनीतिक वर्चस्व रखने वाला व्यक्ति जिसने मना कर दिया था? वह केवल कोई था तो बी.जे.पी. की पार्टी थी और उसके नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत हैं जिन्होंने देरी करवायी। क्योंकि आप लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई नैतिकता के आधार पर जो यह कहते हैं कि हमने 12 घंटे नाटक रचा, राजभवन पर एम.पीज. की भरमार कर दी और हमने वहां पर रातभर एक रात्रिकालीन विश्राम की तरह एक धरना दिया। वह धरना राजस्थान के किसान युग-युग तक एक नाटक की संज्ञा के रूप में याद रखेंगे, स्मृति पटल पर याद रखेंगे। दूसरे दिन भैरोंसिंहजी, माननीय विपक्ष के नेता जब दिल्ली गये तो हरी झंडी दे दी गयी कि 485 रुपये पर खरीद लिया जायेगा। ऐसा ही जादुई करिश्मा अगर विपक्ष के नेता में है, हम तो मानते हैं कि होना चाहिए, तो यह करिश्मा 6 सितम्बर को डिक्लेयर किया था 485 रुपये का समर्थन मूल्य 7 सितम्बर, 10 सितम्बर को हो जाता राजस्थान के किसानों को लेकिन बी.जे.पी., बी से भ्रष्टाचार, जे से जननी और पी से पार्टी, भ्रष्टाचार की जननी पार्टी क्या चाहती थी कि नहीं, किसानों को किसानों की पैदावार का उचित समर्थन मूल्य सही समय पर सही तरीके से नहीं मिले। कब मिले, जब किसान जो कि थोड़ा-सा गल्ला पैदा करता है, जिसने कि थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी जोत में बाजरा पैदा किया उस किसान की जिसकी 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल पैदावार हुई उसने अपने जो ऋण थे उनको चुकाने के लिये अपने घर-गृहस्थी के काम के लिये बाजरा निकाल दिया। किस पर निकाल दिया, 300 रुपये, 320 रुपये क्विंटल पर निकाल दिया। यह जो 300, 320 और 330 पर जो बाजरा निकला यह किसान की हड्डी तोड़ी, किसान की कमर तोड़ी, उसको बेबस किया, उसको मजबूर किया। वह विपक्ष की सरकार, जो केन्द्र में बैठी है बी.जे.पी. उसके और इनके इशारों पर हुआ।

आज यह कौन नहीं जानता है कि पंजाब में जहां चुनाव हो रहे हैं, उसमें धान खरीदने के लिये जितना चाहे उतना, 15 सौ करोड़ रुपया दिया और वह घटिया। सुराना साहब

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

ने कहा कि जो बाजरा है उसमें कलर का चेंज है और डी ग्रेड क्वालिटी का है इसलिये मनाही हो गयी है। आज जो गिरदावरी की बात बारबार में कह रहे हैं कि यह डिफिकल्ट टास्क हो गया है और आप कह रहे हैं गिरदावरी के कारण किसान को परेशानी आयेगी। मालूम है यह गिरदावरी और यह क्यों प्रतिबंध लगा है, क्यों उपबंध रखे हैं? सभापति महोदय, यह प्रतिबंध और उपबंध इसलिये लगाये गये हैं कि हमारी सरकार कतई नहीं चाहती है कि जो 320 और 340 रुपये क्विंटल पर बाजरा व्यापारियों ने खरीद लिया है वह व्यापारी चोर बाजार से दोबारा आकर के 480 पर नहीं बेचें। इसको रोकने के लिये केवल मात्र एक कायदा या तरीका था तो यह था कि जिसने पैदा किया है वही लाकर बेचे न कि एक ट्रैक्टर ट्रोली लगा कर और व्यापारी अपने गोदामों से 320 और 330 रुपये क्विंटल का बाजरा लेकर 485 रुपये में बेच दे। क्यों? क्योंकि, सभापति महोदय, यह व्यापारी लोग हैं, इनको मालूम है तौर-तरीके, इनको मोडस आपरेंडी मालूम है कि किस तरीके से ले-देकर पैसे और इस तरह से हम कर सकते हैं जिससे किसान ने जो लाभ नहीं कमाया वह व्यापारियों को दूसरे दरवाजे से मिल सके। इसलिये गिरदावरी की आवश्यकता और अनिवार्यता लगायी हमने।

ऐसी स्थिति में आज यह तय होना चाहिए, आज इस बात पर एक तरह से अफसोस जाहिर करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केन्द्र में सरकार है उसने पंजाब के साथ हमदर्दी दिखायी, उसने आंध्र के साथ हमदर्दी दिखायी, उसने गुजरात के साथ हमदर्दी दिखायी और राजस्थान, जो अकाल से जूझ रहा था, राजस्थान जिसने कि तीन साल तक अकाल की चपेट झेली उसके साथ बेरहमी से, क्रूरता से अमानवीय व्यवहार किया गया राजस्थान के किसानों के साथ और 6 सितम्बर को घोषित समर्थन मूल्य के बाद भी एक दाना भी नहीं खरीदा गया और जब ऐसी स्थिति आ गयी कि राजस्थान की विधान सभा आने वाली है, वहां पर जन दबाव बनेगा, जन समूह का एक प्रेशर ग्रुप बनेगा लोबिंग बनेगी, केन्द्र सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा, तो आप रातों-रात गये और अपने 10-12 एम. पीज. को, दो-तीन विधायकों को बैठाया, जो भी जयपुर में थे और एक नाटकीय मण्डली के रूप में बैठ गये, उठ गये, फिर खाना खा लिया फिर उठ गये। धरना हो गया। पता नहीं वह कौनसा धरना था, वह गांधीजी के कौनसे अहिंसक सिद्धान्तों का धरना था। उसे करके सुबह तो दिल्ली की ओर सवारी रवाना और उसके बाद उसी दिन हरी झंडी। अगर ऐसे हरी झंडी किसानों को दिखायेंगे तो वापस आपकी हरी झंडी पर से हरी भी हट जायेगी केवल डंडी रह जायेगी, आप 33 से भी 3 पर आ जायेंगे। इस तरह की बातों में मत आइये।

सभापति महोदय, मेरा अंत में यही निवेदन है कि टोंक की क्या बात करते हो, मैं दौसा का एम.एल.ए. हूं, दौसा में बी.जे.पी. का क्या हाल हुआ था। श्रीमती रमा पायलट, कांग्रेस की उम्मीदवार को हमने जिताया था और आपको सांप सूंघ गया था। क्या बात

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

करते हो। मैं जहां से इलैक्ट होकर आता हूं वहां कांग्रेस उप चुनाव में जीती है, बोलो क्या कहना है? बोलो दौसा के उप चुनाव में क्या हुआ? बगैर बात की बात करते हैं आप।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि जो भी बाजरे की खरीद की बात है, इसमें सबसे अहम मुद्दा है वह यह है कि 6 सितम्बर से लेकर 6 नवम्बर तक, यह लगभग जो पौने दो महीने का पीरियड है, इसमें किसानों का जो बाजरा नहीं खरीदा गया वह केवल केन्द्र सरकार की गलती के कारण नहीं हुआ। सभापति महोदय, कभी ऐसी अनौखी विडम्बना किसी ने देखी है कि तय तो हम करेंगे दाम 480 से 485 रुपये और खरीदेगी राजस्थान सरकार। वाह भाई वाह। ऐसा करिश्मा आपके दिमाग में यह उपज कैसे आ गयी कि केन्द्र सरकार को अधिकार है समर्थन मूल्य तय करने का और पैसा लेकर भण्डारण की व्यवस्था, बारदाने की व्यवस्था, उसकी क्वालिटी की व्यवस्था, वह करे राज्य सरकार। ऐसी जो विसंगति वाली संगति बतायी है, ऐसी विलोम संगति कभी भी नहीं हुई इससे पहले। आपने जब 485 रुपये का समर्थन मूल्य आंका तो आंकने वाला ही खरीदता है और यही स्थिति आपकी थी। आपको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जानबूझकर यह देखा कि 153 की बहुमत से कांग्रेस की सरकार है और इसलिये माननीय प्रतिपक्ष के नेता यदि वे वास्तव में अन्तःकरण से, ईमानदारी से राजस्थान के किसानों का भला चाहते तो निश्चित तौर पर वे इतने प्रभावशाली नेता हैं बीजेपी. के अन्दर, बीजेपी. की सरकार को वह चाहते तो उसी दिन खरीद करने को झुकना पड़ता। लेकिन एक राजनीतिक लालच के कारण, टोंक में जो चुनाव था उसके कारण, राजनीति हमको करनी चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिये आये हैं, साधु-सन्त नहीं हैं। लेकिन एक किसान जिसने अगल बगल से पसीना बहाया है, किसान जो जूझा है, किसान जिसके पास पगड़ी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिये जूते नहीं ऐसी स्थिति में उस किसान की पैदावार की कीमत पर 150 रुपये क्विंटल की कीमत पर आपने पौने दो महीने तक लूटने दिया। आपने उसकी उपज का मूल्य व्यापारियों को तो लुटा दिया लेकिन किसान को नहीं मिलने दिया। आने वाला समय इस बात को बतायेगा कि यह जो आपका समय था, यह आपका निर्णय था, यह बहुत ही किसान विरोधी था। इतिहास इसको आपके काले पन्नों में लिखेगा, कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। इस तरह की जो विरोधी नीति, सौतेली नीति, आपने सोचा माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने जो पांच छह बार लिखा, सभापति महोदय, बार-बार केन्द्र सरकार के पास गये। आप उसको प्रेम पत्र कहते हैं, हमने लिखा, हमने प्रेशर बनाया। मुख्य मंत्री महोदय अनेक बार गये, आपके हर अधिकारी से मिले, आपके प्रधानमंत्री महोदय से मिले और वहां पर जो भी कमेटी थी उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद भी जब आपने नहीं माना तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने स्टेच्यू सर्कल पर धरना दिया और धरने में यह बात कही गयी कि जब 485 रुपये तय करते हैं आप तो खरीदेंगे भी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अन्त में आपको ही खरीदना पड़ा। अब आप बता दीजिए, राजस्थान की सरकार खरीदे तो खरीदे नहीं तो हम नहीं खरीदें। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, इसलिये समय ज्यादा नहीं बोलकर यही निवेदन करना चाहूंगा कि सारे प्रकरण में तीन मुद्दे हैं एक महीने और 25 दिन की देरी हुई है वह बी.जे.पी. के सौतेले व्यवहार, इनकी घिनौनी और संकीर्ण विचारधारा के कारण हुई। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में, मैं भाटी साहब के एक सुझाव से सहमत हूं कि जब भी कभी पैदावार हो और किसान की फसल घर आने लगे उसी समय समर्थन मूल्य तय हो जाए जिससे कि भण्डारण के कारण उनको व्यापारियों के हाथों नहीं लुटना पड़े और सही समर्थन मूल्य आ सके, ऐसी सोच हमें भविष्य के लिये रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अब केन्द्र सरकार से मेरा यह आग्रह है कि केन्द्र सरकार अभी भी चेते, केन्द्र सरकार किसी तरह भी भूल भुलैया में नहीं रहे कि केन्द्र सरकार यह जो एक लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया है इसको करीब सात लाख मीट्रिक टन करे क्योंकि अगर पांच लाख टन भी करती है तो उसके लिये हमें बहुत ज्यादा धनराशि की जरूरत होगी। राजस्थान सरकार जो अकाल से जूझ रही है उसने पहले ही अपनी स्थिति का ब्यौरा दे दिया था ऐसी स्थिति में यह एक राजनीतिक धर्म की बात है कि बी.जे.पी. वहां पर एक दबाव समूह बनाये और जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार ने जो गलती की है उसको आप रिएलाइज करवायें। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं लेकिन आपको सलाह देता हूं कि आपका राजनीतिक सोच और राजनीतिक संकीर्णता जो है उसको आने वाला समय देखेगा। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, बाजरे के समर्थन मूल्य की जब हम चर्चा करते हैं और केन्द्र सरकार की अब तक की हुई नीतियों की चर्चा करते हैं और वर्तमान में जो केन्द्र सरकार किसानों के साथ, चाहे वह आंध्र प्रदेश का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, जबसे केन्द्र में इस पार्टी की सरकार, इस गठबन्धन की सरकार आयी है, अनेक अखबारों में यह खबरें छपी हैं कि आन्ध्र प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की, पंजाब में किसानों ने आत्महत्या की। यह सर्वविदित बात है कि कृषि जिन्स जो भी पैदा किये जाते रहे इन सालों में उनकी कीमतें धड़ाधड़ घटती गयीं और वर्तमान में जिस तरह की आर्थिक नीतियों की सरकार है वह बीज की कीमत अधिक, खाद की कीमत अधिक, डीजल की कीमत अधिक। किसान जो कुछ भी बाजार से खरीद कर लावे उसको उसकी कीमत ज्यादा और जिस दिन वह खुश होकर अपने घर में कुछ पैदा कर ले उस दिन उसकी हालत ऐसी कर देवें कि उसका न कोई बाजरा खरीदे, न उसका कोई तिलहन खरीदे और न उसकी कोई सरसों खरीदे। सरसों पैदा हो तो बाहर से पाम आयल मंगवा लें, बाजरा खरीदना हो, जौ की फसल अच्छी हो इस तरह से उनको व्यापारियों के सहारे छोड़ दें कि ऊपर से निर्देश नहीं मिले। और नतीजा यह है कि किसान अपनी रोजी रोटी

(डा. करण सिंह यादव)

को अपने घर की व्यवस्था चालू रखने की मजबूरी में आकर अपने उत्पादन को बाजार में ले जाकर बेचना चाहता है और यही सब कुछ हुआ राजस्थान में। तीन साल के अकाल के बाद इतनी अच्छी फसल, मैं जिस इलाके से आता हूं बहरोड़ में लोग कहते हैं गत वर्षों में ऐसी अच्छी फसल कभी नहीं हुई। मेरे उस क्षेत्र का एक गांव है जखराना जो समूचे अहीरवाल में हरियाणा में अलवर जिले में मशहूर है अपने बाजरे की क्वालिटी के लिये। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस फसल को देख-देख कर किसान खुश हो रहा था कि इस बार मालामाल हो जाएंगे। इस बात से भी बहुत खुश हुआ कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार कोशिश कर रही थी कि जल्दी से समर्थन मूल्य घोषित किए जाए। उस खबर से भी बहुत खुश हुआ चाहे उसमें प्रतिपक्ष के नेता महोदय का योगदान रहा हो या कृषि प्राइस कमीशन का अपना सोच रहा हो। जब 485 की कीमत आयी लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। टोंक के चुनाव का असर कहीं और हुआ हो या नहीं हुआ हो लेकिन 18,19 और 20 तारीख को टेलीविजन पर प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय प्रधानमंत्रीजी से जाकर मिले और अखबारों में और टेलीविजन पर इस बात का आम आदमी को लगा कि कल से यहां पर खरीद चालू हो जाएगी। मन में बहुत उत्साह हुआ लेकिन यह बात आज राजस्थान के किसान को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गयी कि वह 18 और 19 की मुलाकात महज राजनीतिक मुलाकात थी, महज राजनीतिक लाभ उठाने की बात थी। वरना कहां 19 सितम्बर, अक्टूबर और कहां आज नवम्बर के अन्दर आकर इतने लम्बे अरसे बाद में बाजरे की एक तारीख खरीद के लिये तय की जाती है। एक बात स्पष्ट है कि आम किसान उस केन्द्र सरकार की किसान नीतियों के बारे में खूब अच्छी तरह से जानता है। जब भी केन्द्र में बी.जे.पी की सरकार रही है उन्होंने व्यापारी का हित देखा है। आज का किसान भलीभांति इस बात से परिचित है कि जिस वक्त किसान अपनी फसल लेकर आया उस केन्द्र की सरकार टालम-टोल करती रही उसको मजबूरी में अपना बेचना पड़ा। आज व्यापारी के पास बाजरा मौजूद है आप कुछ भी कर लीजिए ये नयी पेंचीदगियां चाहे राजस्थान की सरकार को उसमें डालनी पड़ी हों, अगर गिरदावरी की बात नहीं करें तो सारा का सारा जो व्यापारियों ने अपने पास भण्डार रखा हुआ है। सस्ते, 250 की कीमत पर जो बाजरा लेकर रखा हुआ है, वह पूरा का पूरा भले ही एक दिन के अन्दर एक लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदकर रख लीजिए व्यापारियों के पास में है लेकिन परिस्थिति किसने पैदा की इस बात को राजस्थान का किसान भलीभांति जानता है कि केन्द्र में कौन लोग बैठे हुए हैं, उनकी नीति क्या है और वे क्या करना चाहते हैं। यहां पर प्रतिपक्ष की जो पार्टी है उसकी नीति क्या है और वे समझते हैं कि ऐसा करने से राजस्थान की जनता गुमराह हो जाएगी, राजस्थान की जनता यहां की सरकार की विरोधी हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है।

(डा. करण सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम किसान को मालूम है कि आज तक जो खरीददारी होती रही है वह केन्द्र सरकार के माध्यम से होती रही है, एफ.सी.आई. के माध्यम से होती रही है। और एफ.सी.आई के द्वारा ही दी गयी अन्य एजेंसियों के माध्यम से होती रही है। यह जो नया किसान के सामने लाकर कि आज यह कह देना कि समर्थन मूल्य हमने घोषित कर दिया राजस्थान की सरकार अपना भण्डारण करे, राजस्थान सरकार अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बांटे, यह आज गांव के किसान को मालूम नहीं है, यह चेतावनी है। उस अपर वाली सरकार के प्रति उन समर्थित पार्टीयों को कि जो लोग इस देश के अन्दर अहित करेंगे उसको समय आने पर, मौका आने पर भारत का किसान और राजस्थान का किसान जवाब देगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस बात की गुहार करना चाहूंगा कि बाजरा जो खाने में इतना स्वादिष्ट, आप हम सब जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, मुझे अपना बचपन याद है। बीकानेर के जिस गांव में मैं जन्मा हूं, जन्म से बाजरे की सुबह रोटी और शाम को बाजरे का खीचड़ा जिसमें मौठ मिलाकर घर में कूटकर, रोटी तो शायद किसी एकाध बिरले आदमी के घर में बना करती थी गरीब आदमी उसको छाछ के साथ खा लेता था। थोड़ा बहुत साधन सम्पन्न आदमी दूध के साथ खा लेता था, किसी के घर में गाय भैंस थी तो वह घी के साथ खा लेता और वही खीचड़ा सवेरे दूध और दही में मिलाकर खा लेता। उस बाजरे का कंज्म्पशन जो गांवों में शहरों में आम आदमी के घर में था, दुर्भाग्य से पता नहीं यह गेहूं और अन्य फसलों के आने से क्या कारण हुआ कि जो मिडल क्लास है उससे बाजरा निकलकर बाहर चला गया। आज शहरों की महिलाओं को गेहूं की रोटी बनाने में तो आसानी है लेकिन बाजरे का आटा कौन पीसे और कोन उसकी रोटी बनावे। मैं समझता हूं कि यह भी एक कारण रहा है बाजरे के मूल्य में जो गिरावट आयी है इसकी उपादेयता के बारे में।

इसलिये माननीय कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं, सहकारिता मंत्री जी यहां मौजूद हैं। जिस तरह से मार्केटिंग की जाती है दूध को बेचने के लिये, अमूल डेंयरी वाले दूध नाम का एडवरटाइजमेंट निकाल देते हैं, अण्डा बेचने के लिये अण्डे के एडवरटाइजमेंट निकाले जाते हैं, फलों को बेचने के लिये लोग अपने फलों के निकालते हैं। अगर हमको वकाई में राजस्थान के किसानों की और बाजरे की चिन्ता है तो बाजरे की क्या न्यूट्रीशनल वैल्यू है, बाजरे को किस तरह से मार्केट में आम आदमी के बीच में बेचा जाए। मक्के को भूनकर उसका पापकार्न बना करके और उसके सीरियल बना करके मार्केट में बेचा जा सकता है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाजरे को किस तरह से हम और प्रोडेक्टिव बना सकें। मैं जानता हूं कि बाजरे को किस तरह से भूनकर इसमें नमक मिर्च मिलाकर के कई बड़े संभ्रान्त परिवारों में सुबह शाम स्नैक्स के साथ उसको दिया जाता है। जब उसको खाकर देखते हैं कि भई यह क्या चीज है तो यह तो बाजरा

(डा. करण सिंह यादव)

है। क्यों नहीं हमारी सरकार, हमारे मार्केटिंग बोर्ड और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी इस बात के लिये प्रयास करते हैं कि बाजरे को इतना प्रचारित किया जाए कि आम आदमी किसान की इस बात को लेकर के कि हर घर के अन्दर बाजरा प्रवेश करें।

मैं आपकी जानकारी के बारे में, माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह जी ने बाजरे की बारे में बताया था। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बाजरे में 11.60 प्रतिशत प्रोटीन होता है जो कि व्हीट में 11.80 पर्सेंट बिलकुल व्हीट के बराबर की इसकी न्यूट्रीशनल वैल्यू है। फैट इसके अन्दर व्हीट से और अन्य सभी चाहे ज्वार हो, मक्का हो, इसके अन्दर फैट के कंटेन्ट ज्यादा होते हैं। फाइबर भी इसके अन्दर रीजनेबल क्वांटिटी का होता है 1.20 परसेंट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट वैल्यू बाजरे की देखे तो 67 परसेंट है जबकि गेहूं की 74 परसेंट है। कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है और यही कारण है कि हमारे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में शुद्ध बाजरा खा करके लोग हृष्ट पुष्ट रहते हैं। उनको कोई बहुत सब्जियां नहीं मिलती, कोई बहुत अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलते। उसका कारण हैं, इसके अन्दर जितने अमीनो एसिड्स होते हैं, ट्रिप्टोफेंथलाइसिन, मैं चूंकि विज्ञान का स्नातक हूं, डाक्टर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कैल्शियम, फ़ास्फोरस, आयरन, मैग्निशियम, कापर, सोडियम पोटेशियम, इनकी बड़ी सफिशिएंट क्वालिटी है। इसलिये इस बात को भी प्रचारित करना होगा। बाजरे की बात कह करके हमने तो बाजरे को एक ऐसी दयनीय स्थिति में लाकर रख दिया जैसे बाजरा तो कोई बहुत गरीब आदमी के, गांव के आदमी के बिलकुल फूहड़ आदमी के खाने का साधन हो गया। मैं समझता हूं बाजरा हमारे आम घर का भोजन बने।

हमारे जो राष्ट्रीय और राजकीय भोज हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब अभी राष्ट्रपति महोदय यहां पधारे थे और राज भवन में उनको बाजरा और गुड़ परोसा गया था। कुछ बड़े होटल जरूर हैं चोखी ढाणी जैसे, तो बाजरे की खिचड़ी परोसते हैं। लेकिन बाजरे को प्रमोट करने के लिये हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको आगे प्रमोट करने से ही कम से कम राजस्थान में जहां वर्षा की कमी है राजस्थान में बाजरा होता है, परमात्मा की कृपा से आगे भी बरसात होगी तो बाजरा होना रहेगा तो हम इस केन्द्र सरकार के और किसान विरोधी सरकार के अधीन नहीं रहे। हमारा खुद का जन मानस इतना बन जाय कि जो कुछ हमारा प्रोडक्ट हो, हम सब ले सकें। जहां तक इस समर्थन मूल्य का सवाल हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। एक लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद करके केन्द्र सरकार ने कोई बहुत बड़ा उपकार और अहसान नहीं किया है। सचमुच में यह बहुत सोची समझी राजनीतिक सोच है जिसमें एक लाख रुपये की बात करके घर-घर में, गांव गांव में झगड़ा, मेरे बहरोड़ के अन्दर यह कहते हैं माननीय सहकारिता मंत्री कि हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने वाले हैं। हमारे यहां पर केन्द्र नहीं हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको जाकर कि केन्द्र सरकार ने बहुत कम आबंटन

(डा. करण सिंह यादव)

किया। अलवर जिले में सिर्फ दो केन्द्र या तीन केन्द्र ही खोलें हैं और उन तीन केन्द्र में भी जा करके लाइन बना करके हम अपनी गिरदावरी की पास बुक को जो शायद सम्भवतया आपकी मजबूरी है वह सारे आदेश देना, यह सोची समझी रणनीति है यहां की सरकार को बदनाम करने की। इसलिये अभी हमारे विपक्ष के कम्युनिस्ट सदस्य बोल रहे थे उनकी बात से मैं पूरा सहमत हूं। अगर यह सदन राजस्थान के किसान का हिमायती है तो पूरा का पूरा सदन आज यह प्रस्ताव पारित करे कि राजस्थान का किसान जितना बाजरा खरीदना चाहे, बेचना चाहे उतना केन्द्र सरकार और एफ.सी.आई. खरीदे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बात में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि हम सभी प्रतिपक्ष और पक्ष, क्योंकि यह राजस्थान के किसान के हित का सवाल है, सारे एकत्रित हो करके दिल्ली चल करके वोट क्लब पर धरना दें और केन्द्र की सरकार को इस बात के लिये मजबूर करें कि राजस्थान के किसान का हित इस बाजरा खरीदने में है, और नहीं तो आने वाला समय बताऐगा किसान विरोधी सरकारों को।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामलाल जाट। (अनुपस्थित)? श्री रामचन्द्र सराधना। (अनुपस्थित)

श्री रतनाराम चौधरी : हम बोलेंगे हमारा नाम है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमारा नाम है कि नहीं है?

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : मुख्य सचेतक महोदय क्या कह रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : समय बढ़ाने के लिये अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापति : बढ़ा देंगे। उनको बोलने दो, लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं इसीलिये उनको ज़्यादा सुविधा देने के लिये...

श्री सभापति : आपकी इच्छा होगी तो सुविधा दे देंगे कहोगे कितना-कितना समय बढ़ा रहे हो?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, आज जो बाजरे पर चर्चा हो रही है, मंत्रीजी के जवाब देने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : आज के सदन की कार्यवाही का समय सत्ता पक्ष के उत्तर देने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद व्यवस्था पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहकारिता मंत्री के भाषण से यहां बाजरे की राजनीतिक का श्रीगणेश हुआ है। अभी माननीय सदस्य भरतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय शासन पर आरोप लगा रहे थे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने आपकी पार्टी के 1998 के घोषणा पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था...

(17.47 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में दो बातें प्रमुख रूप से लिखी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कोई कांग्रेस का माननीय सदस्य खड़ा होकर नहीं कह सकता कि तीन वर्ष के अकाल में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसी किसान को इस सरकार ने एक पैसे का मुआवजा दिया है।

दूसरी, उसी घोषणा पत्र में लिखा है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये किसान को यह छूट होगी कि वह वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोडाउन में अनाज ले जाय और सरकार उसको 75 परसेंट उस अनाज की कीमत तत्काल दे दे। मैं ऐसा समझता हूं सहकारिता मंत्री जी, एक किसान का भी एक क्विंटल अनाज रखकर आपने 75 प्रतिशत रुपया दिया हो तो बता दें। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि घोषणा पत्र लेकर किसान को किसने ठगा, किसान के साथ किसने विश्वासघात किया। जो विश्वासघात करने वाले हैं वह आज किसान की पैरवी कर रहे हैं वह देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है।

अब मैं ऐसा समझता हूं कि बाजरे के प्रोक्योरमेंट के मामले में मान लीजिए देरी हो गयी तो किसान को यह छूट होती कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों में वह अनाज ले जाय और 75 परसेंट उसका नकद तत्काल ले ले। तो मेरे अन्दाज से 485 का 75 परसेंट लगभग 350 रुपये होता है। आज माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाजरा तीन सौ रुपये में बिक रहा है। यह व्यवस्था तो आप कर सकते थे। यह वायदा तो आपने किया था। वायदा किया तो 350 रुपये यदि किसान को मिलते तो किसान को राहत मिलती और राहत मिलती जिस समय तक आप दें सकते थे वह देते, उस समय तक प्रोक्योरमेंट का मामला आ जाता तो किसान उसी अनाज को प्रोक्योरमेंट में देता। आपके तीन सौ रुपये वह 75 प्रतिशत राशि जो उसने ली है उसको जमा करा देता और जमा कराने के बाद में जो उसका अनाज है वह प्रोक्योरमेंट सेंटर पर ले जाकर बेच देता। अब ईमानदारी से इस पर विचार कर लें कि अगर यह वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का मामला तय किया होता, इस पर अनाज लेने की छूट होती, उसका भुगतान करने के लिये आप व्यवस्था करते तो आज जिस प्रोक्योरमेंट के कारण से हमें अपने अनाज को डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं समझता हूं यह सरकार सारी बैठी होगी, यह सरकार एक बात नहीं कह सकती कि हमने पीड़ित किसान को एक रुपये का मुआवजा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया हो और या बाजार की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये किसान को हमने अनाज अपने गोडाउन में रखने की छूट दी हो और उसकी एवज में 75 प्रतिशत रुपया देने की बात कही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार बोलती है कि हम तो किसान विरोधी हैं और वह किसान के समर्थक हैं। आपने सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद इसका पालन नहीं किया। अब आप बाजरे की राजनीति पर आ गये और बाजरे की राजनीति में कई बातें ऐसी कहीं हैं जो कहने के लायक भी नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आप प्रस्ताव लाये हैं कि सात लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा जाये। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सात लाख से उठकर एक लाख मीट्रिक टन अनाज इसके भण्डारण की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है? एक लाख टन अनाज के भण्डारण की व्यवस्था आपके पास नहीं है। आपके वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोडाउन यह प्राइवेट लोगों के अनाज से भरे हैं। या तो एफ.सी.आई. का अनाज है उसमें या प्राइवेट लोगों के अनाज है। मैं आज आपसे यह पूछना चाहता हूं आप किसान के विरोधी हैं। आपने सितम्बर से प्रोक्योरमेंट की बात शुरू की है, अगर सितम्बर में ही आप जिन लोगों का प्राइवेट अनाज या और चीजें पड़ी हैं, उनसे खाली करवा कर एफ.सी.आई. को, राजफैड को कह देते कि हमें बाजरे का प्रोक्यारमेंट करना है और प्रोक्योरमेंट करने के बाद बाजरे को उस गोदाम में रखना है तो मैं समझता हूं आपको स्पेस भी मिल जाता। लेकिन आपने उस ओर कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी जानकारी तो यह भी है कि कई तो किराया देकर माल रखते हैं और कई बिना किराया दिये हुये ही उसमें माल रखे हुये हैं। मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी, मैं आज आपसे उत्तर चाहूंगा कि आप मुझे यह बतायें कि इसमें सरकारी सामान, सरकारी अनाज कितना पड़ा है और प्राइवेट लोगों का अनाज कितना पड़ा है। प्राइवेट लोगों का अनाज खाली करवाने की शक्ति राज्य सरकार में थी, या नहीं थी? जिसके कारण से इस गोडाउन की समस्या का समाधान हो जाता इसका भी आप उत्तर नहीं देंगे।

अब आप कह रहे हैं कि सात लाख मीट्रिक टन, उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े मैंने भी देखे हैं। पहले, सबसे पहले कहा गया कि बाजरे का उत्पादन 29 लाख टन के करीब होगा। बाद में 29 लाख टन से घटकर आया 25 लाख टन पर और 25 लाख टन से घटकर आ गया अब 21 लाख टन पर। आपने जिस समय 29 लाख टन की बात कही थी उस समय कहा था कि मार्केटेबल सरप्लस यह 3 लाख मीट्रिक टन होगा, 7 लाख भी हो सकता है। लेकिन 29 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन नहीं हुआ है, केवल 21 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। उसमें भी भारत सरकार ने प्रोक्योरमेंट की छूट दी है। आज जो आप लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसी लैटर में लिखा हुआ है कि आप शुरू करिये एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ेगा तो भारत सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फिर उसकी व्यवस्था करेगी। आपके पास एक लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था नहीं है।

आप पंजाब के बारे में जिक्र कर रहे थे। यहां बहुत बोले माननीय सदस्य कि पंजाब के मामले में हमारी सरकार उनको ज्यादा दे रही है। मैं आपको कह सकता हूं कि पंजाब में जितना राज्य सरकार की एजेंसीज अनाज को खरीदती हैं वह एफ.सी.आई. जो अनाज खरीदती है उससे कम नहीं है, लगभग बराबर है। ज्यादा हो सकता है लेकिन वह कम नहीं है। अब उस स्थिति में आप यह बात कहें कि पंजाब में ज्यादा, पंजाब गेहूं खरीदता है, चावल खरीदता है, चावल खरीद कर भारत सरकार का प्रोक्योरमेंट शुरू होता है या नहीं होता, वह अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कर देते हैं। अपनी जो एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज के मार्फत उसी रेट के ऊपर जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, उसके आधार पर ही वह अपना अनाज खरीदना शुरू कर देते हैं।

अनाज खरीदने के लिये राजस्थान सरकार बोरियां भी एफ.सी.आई. की लेती है। अपनी बोरियां भी इनके पास नहीं हैं। गोडाउन भी, यह चाहते हैं कि गोडाउन भारत सरकार बनाये। भारत सरकार ने उसके लिये भी आपको छूट दे दी, कहा कि सात वर्ष का किराया पहले हमसे एडवांस ले लें और राज्य सरकार गोडाउन बनाना शुरू कर दे। मैं समझता हूं जब यह प्राक्योरमेंट की व्यवस्था है तो गोडाउन की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। उसके मामले में हमने किसी प्रकार का विचार नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तीन वर्ष में आपने गोडाउन की कैपेसिटी कितनी बढ़ायी है। आप अनाज की तो मांग कर रहे हैं कि 5 लाख टन हो, 7 लाख टन हो, मैं आपको यह विश्वास दे सकता हूं जैसे माननीय सदस्य बोल रहे थे अगर राजस्थान में निश्चित रूप से एक लाख अभी परमीशन दी है, आपको 3 लाख टन खरीदवाने की भी जरूरत होगी, भारत सरकार खरीदेगी और 5 से ऊपर भी आप जाना चाहेंगे तो 7 लाख मीट्रिक टन भी अनाज खरीदेगी। लेकिन भारत सरकार वह अनाज की बोरियां अपने सिर पर रखकर दिल्ली नहीं ले जायेगी, वह आंध्र प्रदेश नहीं ले जायेगी। आखिर बाजरे की खपत कहां होती है उसी जगह बाजरे को रखेगी और आज मैं कह सकता हूं हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं बाजरे की खपत होती है तो राजस्थान में होती है। आज आप यह चाहो कि राजस्थान के गोडाउन में न रखा जाकर वह पटियाला के गोडाउन में रखा जाये और खाने के लिये पटियाला के गोडाउन से यहां लाया जाये, बाजरे की कीमत कितनी हो जायेगी, इसका आप अंदाज लगा लें।

आपके सामने कंज्यूमर का इंटरेस्ट नहीं है। आज जो बिलो पावरटी लाइन है उनका इंटरेस्ट नहीं है। बिलो पावरटी लाइन से भी जो नीचे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट यह है कि किसी भाव से कितना ही बढ़ जाये हमको तो उस प्रकार से उसको बी.पी.एल. की रेट के हिसाब से बेचना पड़ेगा। यह उचित नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं आपसे कहना चाहूंगा आज राजस्थान सरकार और माननीय सदस्य बोल रहे थे पंजाब में यह व्यवस्था कर दी, पंजाब में यह व्यवस्था कर दी। पंजाब में एक सैट व्यवस्था है, आज की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज आप कहते हैं, कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि सेंटर बहुत कम खोले हैं। मैं समझता हूं खेत सिंहजी साहब आपको जानकारी होगी, यह सेंटर खोलने में राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी है 2 संयुक्त बैठक में आपने निर्णय लिया है किस-किस जिले में कितने सेंटर खोले जायें, कौन-कौन से सेंटर खोलें जाये। यह भारत सरकार ने अकेले ने तय नहीं किया। आपके साथ बैठे हैं, आपके मुख्य सचिव के साथ बैठे हैं, आपके राजफैड के लोगों के साथ बैठे हैं, आपके वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के साथ बैठे हैं और बैठने के बाद में तय किया है कि अमुक-अमुक सेंटर होंगे। अब वह सेंटर किस आधार पर तय होते हैं, सेंटर इस आधार पर तय होते हैं कि माल खरीदा और नजदीक का नजदीक गोडाउन कौन है उस गोडाउन में ले जायें, उसके हिसाब से यह सेंटर कर देते हैं। अब मान लीजिये कहीं, मेरे ही गांव की बात कहूं। वहां मेरे गांव में कोई सेंटर खोल दें तो अनाज लाना पड़ेगा जयपुर, या अनाज ले जाना पड़ेगा सीकर, अब वैसी स्थिति में जितने भी सेंटर्स खुले हैं जहां-जहां गोडाउन फैसेलिटी है वहां आपकी सरकार ने एफ.सी.आई. के साथ बैठकर तय किया है कि अमुक सेंटर खोले जायें। अब आप सेंटर और खुलवाना चाहते हैं। मैं कह तो नहीं सकता लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम आपस में बैठकर अगर तय कर लेते कितने सेंटर और खुलने चाहिये तो सेंटर खोलने में भारत सरकार को क्या दिक्कत है। सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में सेंटर भी खुल जायेंगे लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि जो अनाज प्रोक्योर करेंगे उस अनाज को कितनी दूर जाकर हम गोदाम में रखेंगे। इसलिये इसके ऊपर आप बात कर लें और बात करने के बाद में आगे कोई बात कहें।

अभी आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं 7 लाख टन का कि 7 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा जाये। आप ईमानदारी से आज हाउस को यह कन्विंस कर दें, ईमानदारी से यह कन्विंस कर दें कि जितने लाख टन का आप प्रोक्योरमेंट चाहते हैं उतनी राजस्थान में गोडाउन फैसेलिटीज है क्या? अगर फैसेलिटी नहीं है तो केवल प्रस्ताव पास करने से क्या होगा? मैं आपको कहता हूं बिना प्रस्ताव पास किये ही मुख्य मंत्री तैयार हो जायें, मैं उनके साथ चलूंगा, आप भी मेरे साथ चलिये। चलकर हम भारत सरकार से कहेंगे कि 3 लाख मीट्रिक टन से यह काम नहीं चलता, अभी तो एक ही लाख खरीद कर

(18.00 बजे)

रहे हैं। तीन लाख मीट्रिक टन यह खरीदा जायेगा उस समय तो गोदाम की जगह नहीं है। आप सात लाख मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं। यह मेरे समझ में नहीं आता है। आप खुद ही कह रहे हैं, आपका लैटर है, आपकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार का कमिटमेंट है कि तीन लाख मीट्रिक टन यह मार्केटेबल सरप्लस होगा। उसको खरीदने की व्यवस्था की जाये। यह भारत सरकार को लिखा है। एक लाख टन की तो अभी शुरूआत हुई है। शुरूआत इसलिये हुई है कि आप व्यवस्था करते, अब उस व्यवस्था में आपको बोरियां खरीदने की जरूरत नहीं है, बोरियां भारत सरकार देती है, गोदाम का किराया भारत सरकार देती है। गोदाम से दूसरी जगह जो अनाज भेजते हैं उसका खर्चा भारत सरकार देती है। अगर आपका कोई ब्याज लगता है उस ब्याज का भुगतान भारत सरकार करती है। यह तो व्यवस्था का प्रश्न है। भारत सरकार को दोष देने का कोई अर्थ इसमें नहीं निकलता और इसी विवाद में आप पड़े रहे तो किसान को तबाह कर देंगे। किसान इससे तबाह होगा, उस राजनीति से तबाह नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य मैंने अखबारों में पढ़ा, सबसे पहले, कि बाजरे का प्रोक्योरमेंट होना चाहिये। उसमे काफी विलम्ब हो गया। उसके बाद में मैं दिल्ली गया और उस समय कृषि मंत्री जी बदले जा चुके थे। तीन-चार दिन बाद में जब अजीत सिंह जी बने, बनने के बाद में मैं भी मिला, राजस्थान के कई किसान भी मिले, राजस्थान के कई एम.पी. भी मिले और एम.एल.ए. भी मिले और उनसे सारी चर्चा की कि बाजरे का आपको प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। चर्चा का आधार यह था कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में अकाल पड़ा है। किसान को इस बार की उपज की पूरी कीमत मिलनी चाहिए और उस समय तक मैंने कहा कि आप असेसमेंट करवा लें। असेसमेंट इस बात का करवा लें कि बाजरे की कितनी कीमत होनी चाहिए। लेकिन बाजरे की कीमत भारत सरकार तय नहीं करती है। एक कमीशन बैठा हुआ है, कॉस्ट एण्ड प्राइसेस कमीशन, वह कमीशन तय करता है कि बाजरे या किसी अन्य फसल का कितना समर्थन मूल्य होना चाहिए। उससे ज्यादा तय करते हैं, भारत सरकार उसमें 5,7,10 रुपये की कहीं बढ़ोतरी कर देती है। उस समय उन्होंने हां भरी की 2-3 दिन के अंदर इस प्राइस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मैं अपना प्रपोज्ल भारत सरकार के केबीनेट को भेज दूंगा। वह केबीनेट में गया। 485 रुपये क्विंटल का तय कर दिया। अब आप मुझे यह बतायें कि मुख्य मंत्री ने मुझे नहीं कहा था। मैं यह समझता था कि अ..र मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कहते तो मैं मुख्य मंत्री जी का साथ आज भी देता और पहले भी देता और आइंदा भी वह साथ लेना चाहेंगे तो मैं साथ दूंगा। मैं किसान के हित में कोई राजनैतिक पक्षपात करने या राजनीति करने को पाप समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात फिर आयी, जब यह तय हो गया, तय होने के बाद में फिर सवाल पैदा हुआ कि इस अनाज को कौन खरीदे। यह बात चली। जो आपके वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की व्यवस्था है। इस बात को लेकर टोंक के चुनाव में मैंने कहा था, खुलकर कहा था। आज भी कहता हूं, उसमें कोई संकोच नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में 75

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रतिशत मूल्य देकर के जो भण्डारण की छूट दी है। अगर इस बात का इंतजाम कर लें तो जल्दी से जल्दी भारत सरकार पर दबाव डालकर हम प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था करायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने वह नहीं किया। आज डिले इस कारण से हुआ है। ऐसी स्थिति में, जब प्रोक्योरमेंट का प्रश्न आया, फिर मैंने देखा कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ तो किसान तबाह हो जायेंगे। ना मुझे खेतसिंह जी ने आकर कहा, ना मुख्य मंत्री जी ने कहा। कहने की बात नहीं है, मेरी राजनीतिक ड्यूटी है कि मैं इसके अंदर जनता में माहौल बनाऊं, जनता का दबाव भी तैयार करें। उस माहौल के लिये आपको टोंक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपके सारे आर्ग्यूमेंट उन्होंने विश्वसनीस नहीं माने। तब भी मुख्य मंत्री जी ने बहुत भाषण दिये थे कि भैरोंसिंह शेखावत चाहे तो एक ही दिन में प्रोक्योरमेंट हो जाये। इस वात को जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि वेयर हाउसिग कारपोरेशन में जो सुविधा किसान को मिल सकती थी वह सुविधा इस सरकार ने नहीं दी। चुनाव खतम हो गये। अब आप यह कहें कि किसान खिलाफ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कई बार अफसोस होता है। किसान खिलाफ होते तो 1998 के चुनाव के बाद 1999 में लोक सभा के चुनाव हुये। वहां आपको 9 सीटें नहीं मिलती, 16 सीटें हमको मिली। नौ सीटें इनको मिली और 16 सीटें हमको मिली। अब आप अंदाज लगा लीजिये कि किसान किसके खिलाफ हैं और किसके पक्ष में हैं और 1998 के चुनाव में एक रिजर्वेशन का मामला इस प्रकार से आ गया कि मुख्य मंत्री जी तो बिलकुल अपने पांव छोड़ पाये। उनको लगा कि हमने एक जाति विशेष को आरक्षण दे दिया। इस जाति से बदला लेना है और उस जाति से बदला लेने के लिये उन्होंने उस जाति के लोगों को परेशान किया ही लेकिन बाकी सारे किसान हैं उनके साथ बदला लेने की कोशिश की है। आज मूल बात यह है, और इस मूल बात को लेकर आज नहीं कर मसले के ऊपर यह सरकार किसान विरोधी व्यवहार करती है। यह प्रोक्योरमेंट का प्रश्न नहीं, यह गंगानगर जिले में, अभी आप जानते हैं कि कपास को कीड़ा खा गया हनुमानगढ़ में, 20 दिन से किसान संघर्ष कर रहे हैं। जब एक महीना हो गया। एक महीने से संघर्ष करने के बाद में अब सुविधा मिली है। लेकिन सुविधा क्या मिली कि आबियाना माफ कर दिया। महाराष्ट्र में आपकी ही सरकार है। उस सरकार ने आबियाना ही माफ नहीं किया। आबियाना माफ कर दिया और उसके बाद में प्रोक्योरमेंट नहीं किया और प्रोक्योरमेंट नहीं करते हुये भी कहा कि प्रति एकड़ के हिसाब से 400 रुपये हर किसान को मुआवजे के रूप में देंगे। लेकिन आज राजस्थान की सरकार यह क्यों नहीं कर रही है। जब एक दिमाग बन गया कि जो रिजर्वेशन हुआ उसका बदला निकालना है और मैं आपको यह कहता हूं कि उसके बाद के आप चुनाव देख लीजिये, टोंक के अंदर आप बूरी तरह से हारे, कौनसी बात है जो आपने मेरे खिलाफ और हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं कही हो, हर बात कही, यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रोक्योरमेंट की बात कही, यह सब कहा, आपकी इस बात पर जनता ने विश्वास नहीं किया। आप जैसे गये थे वैसे खाली हाथ आ गये। हिण्डौली में आपकी यही हालत हुई, लूणकरणसर में आपकी यही हालत हुई। यह किसान विरोध में कैसे मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान आज जितना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कांग्रेस के बिलकुल खिलाफ है। इसका अंदाज लगाना चाहे तो आगे चल करके फिर कभी अंदाज लगा लेना। वह अपन मैदान में देखेंगे। अभी स्थिति है केवल बाजरे के प्राक्योरमेंट कराने की, उस स्थिति पर मैं आना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में, अब यह स्थिति क्यों पैदा हुई है, खेतसिंह साहब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेतसिंह जी साहब व्यस्त हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरा सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति पैदा क्यों हुई, इसके पीछे एक कारण है। और कारण क्या है कि मैंने मुख्य मंत्री जी को जौ की खरीद के लिये एक पत्र लिखा था। आपको याद होगा खेतसिंह जी, आप दोनों पायजामा पहने हुये क्यों घूमते हो? किसी का खुल गया तो मुश्किल हो जायेगी।

श्री तैय्यब हुसैन : कुछ बातें आपने फैक्ट्स के अगेंस्ट कहीं हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। आप सही कर देना। पायजामे का ध्यान रखना और बाकी ठीक कर देना, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पायजामे के तो नाड़ा होता है। वह आसानी से खुलता नहीं है, धोती...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बात की खुशी है कि खेतसिंह जी को खां साहब के नाड़े का बिलकुल ज्ञान है कि नाड़ा आसानी से खुल सकता है।

श्री तैय्यब हुसैन : यह नहीं खुलता, सरकार, यह कह रहे हैं कि नहीं खुलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये ज्यादा अच्छा है कि एक दूसरे से दूरी पर बैठें, नहीं तो किसका नाड़ा किसके लिये खुल जाये इसका पता ही नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का जो पत्र है उसका एक सेंटेंस सुना देता हूं। आपने पत्र दिनांक 12.4.2001 में किसानों की पैदावार और आर्थिक संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक सम्बल दिये जाने और समर्थन मूल्यों पर उनके उत्पाद विशेष कर जौ और सरसों को खरीदने की ओर ध्यानाकर्षित किया है। आगे लिख रहे हैं, जैसा कि आपने पत्र में 8 अप्रैल के समाचार पत्रों का हवाला दिया है, राज्य सरकार ने किसानों के हित में इस बार जौ जैसी गैर वाणिज्यिक फसल को समर्थन मूल्य पर अपने संसाधनों से खरीदने का एक साहसिक निर्णय लिया है। अब यह साहसिक निर्णय आपने जौ के लिये ले लिया। बाजरे के लिये क्यों नहीं लिया?

अभी डा. साहब कह रहे थे कि बाजरे में प्रोटीन बहुत है, बाजरे के खाने में स्वाद बहुत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। बाजरे के कारण से आदमी का शरीर पुष्ट होता है। बाजरे में विटामिन ज्यादा हैं और इस प्रकार की चीज को तो आपने खरीदा नहीं और जौ खरीदने के लिये आप साहसिक निर्णय लेते हैं। जैसे कोई युद्ध के अंदर आप जा रहे हैं। आपने वह साहसिक निर्णय लिया उसी का परिणाम है कि आज बाजरे की खरीद में दिक्कत आ रही है। साहसिक निर्णय क्या लिया कि हम जौ खरीदेंगे, जिस समय साहसिक निर्णय लिया उस समय जौ राजस्थान के किसानों का बाजार में आ चुका था, उस समय आपने साहस दिखाया, जौ तो लेना ही नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से 13 करोड़ रुपए का आपने जौ खरीदा, 13 करोड़ रूपए का जौ खरीदा है, आप सही फिगर्स बता दें, मेरी जानकारी यही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : 37 करोड़ रुपए का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 13 करोड़ रुपए एडवांस दिए न? (व्यवधान) आपको अभी बाजरे के लिये कितने मिले?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 37 करोड़ रुपए का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाजरे के लिये पूछ रहा हूं, बाजरे के लिये कितने मिले?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाजरे के लिये मिले कहां है? बाजरे के लिये यह आदेश हुआ है भारत सरकार का कि जो जौ आपके पास पड़ा है उसके एवज में हम आपको इतना लोन के रूप में देते हैं, आप बाजरा खरीद लीजिए फिर हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैंने स्टेटमेंट में साफ पढ़कर सुनाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, सुना दिया, बस ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि इससे संकट कैसे पैदा हुआ। जैसे मैंने एक बात कही कि जौ किसानों के घर से निकल कर मण्डी में आ गया, उस समय आपने प्रोक्योरमेंट की कार्यवाही शुरू की। प्रोक्योरमेंट की कार्यवाही शुरू करने की मैं आपको कह सकता हूं कि इस सदन में भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि वह जो जौ खरीदा गया, आज आप हमको कहते हैं कि आप व्यापारियों के हिमायती हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाओ और जांच कराने के बाद में आपको पता लगेगा कि जौ किसानों से खरीदा गया, या व्यापारियों से खरीदा गया। हरियाणा का जौ यहां आ गया, यू.पी. का जौ यहां आ गया, पंजाब का जौ यहां आ गया और राजस्थान में जो प्रोक्योरमेंट किया गया, वह राजस्थान का नहीं था, बाहर का था, इसकी क्वालिटी गिरी हुई थी। गिरी हुई क्वालिटी के कारण आज उस जौ को कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं है, वह जौ नुकीला है, इसके नोक है, जौ काम आता है या तो बीयर बनाने के या घोड़ों को दाना देने में, घोड़े तो खा नहीं सकते—

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले उनके यहां से इंस्पैक्टर आए, इंसपैक्शन किया, तब उन्होंने कहा कि जौ अच्छा है और ठीक है लेकिन उसके बाद में उनके एफ.सी.आई. के जो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सैक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि नुकीला है और अच्छा नहीं है इसलिये हम इसको नहीं लेंगे, यह सब राजनीति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह राजनीति है। आपका मतलब यह है कि जौ एफ.सी.आई. के गोडाउन में जाने के बाद में बदल दिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई बदला जाता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कह रहे हो न आप?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर क्या कह रहे हो?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप श्रीमान् अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि उनको पहले जब आए, उन्होंने जौ यहां देखा तो उन्होंने एप्रिशिएट किया कि जौ ठीक है, अच्छा है, आपने ठीक खरीदा है। उसके बाद में उनके सैक्रेटरी यहां आए, उन्होंने यह कहा कि नहीं, यह जौ ठीक नहीं है, नुकीला है। इसके बाद कारस्पोंडेंस हुआ, बाद में वह मान भी गए। उन्होंने कहा कि हम जौ बिकवा भी देंगे, जल्दी उठवा देंगे और उस आधार पर हमने यह बाजरे की बात शुरू की। लेकिन अभी तक वह जौ उठा नहीं है और कुछ उठा है, कुछ उठ रहा है, कुछ उठेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह गुणवत्ता का प्रश्न, जौ की खरीद का प्रश्न, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप गुणवत्ता के आधार पर कोई चीज नहीं खरीदेंगे और उसको गोडाउन में ले जाकर रख देंगे, आप किसानों से सीधा नहीं खरीदेंगे और मण्डियों में व्यापारियों से खरीदेंगे, राजस्थान का अनाज, जौ नहीं खरीदेंगे, यू.पी., हरियाणा और पंजाब का जौ खरीदेंगे तो किसका भला किया? तो अब ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है और आप चाहेंगे तो मैं जानकारी देऊंगा कि यह जौ किसानों का नहीं खरीदा गया। यह गुणवत्ता के आधार पर नहीं खरीदा गया। जितना भी खरीदा गया उसकी जिस दिन नीलामी हो जाए, मैंने सुना है कि भारत सरकार ने इसके टेण्डर भी जारी कर दिए हैं। जिस समय टेण्डर की कीमत आए और जितने में आपने खरीदा है, उन दोनों का अंतर आए, उस दिन आपको पता लगेगा कि हमने जौ खरीदा किस प्रकार का है? ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जौ की खरीद की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कराएं उस समय आपको पता लगेगा कि प्रोक्योरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अभी बाजरे के प्रोक्योरमेंट की बात आई...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : आप बाजरे की बात कब करेंगे? जौ की कर रहे हैं......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं कि अब भूमिका बाजरे की ऐसी बन गई, गुलाब सिंहजी साहब, सुन लीजिए, आज एफ.सी.आई. कहती है कि गुणवत्ता के आधार पर खरीदो, आप सिद्धान्ततः मान रहे हैं कि गुणवत्ता के आधार पर खरीदा, इसकी जांच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कैसे होगी? जांच होगी इंसपैक्टर से, या आफिसर कोई होंगे, आपने साफ कह दिया कि हमारे पास है ही नहीं, गुणवत्ता की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। कोई हमारे पास आफिसर नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल करने के लिये कोई ट्रेनिंग लिया हुआ नहीं है, भारत सरकार से भेजो तो भारत सरकार से भेजो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जौ के वक्त भारत सरकार से क्यों नहीं मंगवाए? आपको प्रोक्योरमेंट के मामले में पूरे इन्तजाम रखने पड़ेंगे। यदि प्रोक्योरमेंट की पद्धति करनी है तो आपको निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी? गोडाउन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्वालिटी कंट्रोल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पी.डी.एस. के अन्तर्गत चीज को बेचने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप प्रोक्योरमेंट नहीं करें।

अभी यहां बोल रहे थे कि हम किसानों के विरोधी हैं। भई, किसान विरोधी है। मेरी जानकारी में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार 1971-72 में शायद बाजरे का प्रोक्योरमेंट हुआ था और 1999 में किया है, थोड़ी सी फसल का प्रोक्योरमेंट हुआ, बाकी तो आपको याद है खेतसिंहजी साहब, कि आपके जमाने में किसानों से लेवी वसूल की जाती थी, याद है न?

बाजार में 2.50 रुपए का भाव और किसान से 1.50 रुपए का आप खरीदते थे, वह सरकार किसान के पक्ष में है? बाजार में कीमत 250 रुपए और आप उनको दें 150 रुपए या 105 रुपए, वह तो किसान के पक्ष में हो?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई बहुत पुरानी बात होगी, अपनी तरफ से रेटें जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, मेरे पास तो वह फिगर्स अवेलेबल है नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुरानी है, आपके पास फिगर यह तो अवेलेबल है न कि इस लेवी के विरोध में भोपालगढ़ में किसानों पर पुलिस ने गोली चला कर तीन को भून दिया था। भोपालगढ़ तो आपके गांव के पास ही है न? वह तो याद है न?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो याद है, काण्ड हुआ वह याद है, डेट्स याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि कौन किसके विरोध में है और कौन किस के विरोध में नहीं है, इसमें मत जाइए। अपनी कोशिश यह होनी चाहिए कि बाजरे का प्रोक्योरमेंट हो। मैं तो कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने कल भाषण दिया कि मैं किसान विरोधी हूं और मुख्य मंत्रीजी किसानों के पक्ष में है, जिनको खेती की ए.बी.सी.डी. का ज्ञान नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो किसान ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह तो किसान ही हैं लेकिन वह भूल गए। आज भास्कर में छपा है कि मैं किसान विरोधी हूं। मैं समझता हूं कि ईमानदारी से मुख्य मंत्रीजी अपनी छाती पर हाथ रखकर विचार करेंगे तो मैं कहीं किसान विरोधी नहीं मिलूंगा। आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वह अपनी सारी भूल छिपाने के लिये आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसान विरोधी हूं। मैं तो आज भी उनको निमंत्रण देता हूं कि 7 लाख टन, 14 लाख टन, 3 लाख टन, इस चक्कर में आप मत पड़ो। राजस्थान में प्रोक्योरमेंट करना है, नोर्म्स के हिसाब से करना है, प्रोक्योरमेंट की पंजाब में जो व्यवस्था है, उस आधार पर करना है। मैं मुख्य मंत्रीजी के साथ-साथ जहां चलना चाहें, मैं चलने को तैयार हूं लेकिन आप यह सात लाख टन, सात लाख टन, सात लाख टन....

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक प्रस्ताव तो यहां आ जाए तो अच्छा ही है न?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंहजी, मैं समझता हूं कि प्रस्ताव की बात लाना निरा राजनीति है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निरा राजनीति है। आप ईमानदारी से इस बात के पक्ष में हैं कि किसान के अनाज बाजरे का प्रोक्योरमेंट किया जाए। आप जहां चाहे वहां मैं जाने को तैयार हूं। जितना मेरा असर हो सकता है, उतना असर डालने के लिये तैयार हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी की तरह से नहीं हूं कि पत्र लिख दिया, केवल पत्र, पत्र अखबार में छप जाए, उनकी चिट्ठी में क्या लिखा है यह तो मुझे पता नहीं लेकिन अखबार में जरूर आता है कि मुख्य मंत्रीजी ने आज पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी ने आज पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी ने आज पत्र लिखा। इन्होंने जितने पत्र लिखे उतने एक बार भी मुख्य मंत्रीजी प्रधानमंत्रीजी से मिल लेते...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताता हूं...(व्यवधान) सुन लो आप, मैं बताता हूं, वह मिले किसलिये....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सोनियाजी के साथ जाकर मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी.एम. की कांग्रेस में मिले, सी.एम. की कांग्रेस में मिले अकेले नहीं जहां सारे प्रोक्योरमेंट के...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके बंगले जाकर मिले, सोनियाजी के साथ जाकर मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके साथ एम.पीज. थे, जाकर के मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं कि आप खेतसिंहजी और मैं, गलती कर सकते हैं, अपने दोनों कर सकते हैं। आप किस से मिलें और अखबार में न दें, मुख्य मंत्रीजी प्रधानमंत्रीजी से मिल लें तो फोटो छपता, सात हाथ का लम्बा, वह फोटा मैंने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा।

डा. श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : यह तो फैक्ट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : जैसा आप फरमा रहे हैं कि वेयर हाउस की व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अब आप यह बता दें कि वेयर हाउस की व्यवस्था पहले कर लें और फिर सात लाख टन की परमीशन वहां से आए, सात लाख टन की। फिर क्या मतलब हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरे कहने का मतलब नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो फिर क्या मतलब हुआ आपका? फिर अर्थ क्या हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई मकानों की तोड़फोड़ का मामला नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो साइमल्टेनियसली चलेगा ना। (व्यवधान) अगर सात लाख टन का प्रस्ताव आज आप पास करवाते हैं तो राज्य सरकार इस कोशिश में भी आयेगी कि वेयर हाउस खाली करवाएगी। इंतजाम करेगी उसका। (व्यवधान) उसका इंतजाम करेगी, आप इस बात को क्यों अपोज कर रहे हैं कि सात लाख टन की भारत सरकार वह करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं आपको। बैठ जाइए। मैं ऐसा समझता हूं कि यह खेती का मामला है, कोई पुलिया बनाने का मामला नहीं है, मकान तोड़ने का काम नहीं है। सात लाख हो या 10 लाख टन हो इसमें आपत्ति कौन कर रहा है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : न तो मेरे पिता किसान थे, न मेरे दादा किसान थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान वोटर थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वोटर तो नहीं, लेकिन कम से कम दिमाग तो ऐसा दिया है कि चारों तरफ जानकारी तो रख सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें एतराज है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कोई एतराज नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : व्यापारी हो, व्यापारी समर्थक हो, इसलिये दिमाग दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि किसान इनके पिताजी थे, दादाजी थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ही पैदा हो गये किसान?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं भी नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी नहीं हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं भी नहीं हूं। (व्यवधान) न मैं बुलडोजर चलाना जानता हूं, न मैं कारीगरी जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर तो ठीक है।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : न मैं मकान बनाना जानता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जानते क्या हैं यह बता दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको जानता हूं, बस।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी कोई शर्त नहीं है, आप पहले गोडाउन बनाएं और फिर सात लाख मीट्रिक टन की बात करें। या सात लाख मीट्रिक टन का पहले प्रस्ताव पास करें, क्योंकि देख लिया मैंने आपको। जौ का जितना आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उतना जौ आप नहीं खरीद पाये। आज सात लाख मीट्रिक टन का भी आप कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

श्री राजेन्द्र पारीक : जौ को तो आपने धारदार बता दिया, नुकीला बता दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह बता दिया तो आप देख आओ जाकर। आपकी तो आंखें बहुत तेज है, बिना चश्मा ही पहचान लोगे कि जौ है या गेहूं है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि सात लाख टन का प्रस्ताव एक संकेत देता है कि हम बाजरे की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि सात लाख टन का प्रस्ताव आप इस आधार पर कि एफ.सी.आई. राजफैड या आपका वेय रहाउसिंग कारपोरेशन ये तीनों मिलकर खरीद सकते हैं, खरीद के सेंटर बढ़ाने के मैं पक्ष में हूं। क्वालिटी कंट्रोल के लिये यहां पर यह इंस्ट्रक्शंस तय कर दें, उसके हिसाब से तय हो। अब आप यह गिरदावर वाली बात क्यों लाये? यह गिरदावर वाली बात जौ में नहीं थी, अब क्यों लाये? अब केवल इसलिये लाये कि जौ में क्वालिटी के आधार पर जौ कि खरीद नहीं हुई। नहीं हुई वह आप भी मानते हैं और मानते हो तो एफ.सी.आई., जिसको अल्टीमेटली डिस्पोज आफ करना है उसकी क्वालिटी के बारे में चिंता करेगा और क्वालिटी के बारे में चिंता करते हुये इस प्रकार की व्यवस्था करेगा। आज पंजाब कर रहा है, आज हरियाणा कर रहा है, आज यू.पी. कर रहा है तो राजस्थान क्यों नहीं कर रहा है? राजस्थान करे तो मैं ऐसा समझता हूं खेतसिंह जी साहब, आप जितना अनाज प्रोक्योरमेंट कराना चाहते हैं, आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा और भी आप चाहें तो सारे विधायक चलेंगे, लेकिन पहले प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था तो हो जाए। अब वह व्यवस्था नहीं हो और केवल यह अखबारों में छपाना चाहो हमने सात लाख टन का प्रस्ताव पास किया है, सात लाख मीट्रिक टन का विधान सभा में प्रस्ताव पास किया है, इससे काम नहीं चलेगा। आपके मुख्य मंत्रीजी के पत्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो मुख्य मंत्रीजी के इस प्रस्ताव का भी कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। यदि ईमानदारी से आप चाहते हैं कि किसान का हित हो और उसके हित में प्रोक्योरमेंट किया जाए तो यह सब बातें अपने आप चल सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : आप यह प्रस्ताव कर दो कि जितना राजस्थान सरकार खरीदना चाहे खरीदे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन?

श्री उपाध्यक्ष : सात लाख बंद कर दो, अमाउंट बंद कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बिलकुल तैयार हूं। जितना राजस्थान की सरकार खरीदना चाहे खरीदे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भारत सरकार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मत लाओ। जितना कहना था वह मैंने कह दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गयी। आप सात लाख में क्यों उलझे हो ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : रुपयों की व्यवस्था हो, रुपये हों।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रुपया हो।

श्री उपाध्यक्ष : मान लिया ना इन्होंने। हो गया, और क्या।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रुपया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या कर रहे हो ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह एडवरटाइजमेंट निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2001, इसमें साफ लिखा है कि अनाज की खरीद, भण्डारण एवं राज्यों तक पहुंचाना केन्द्र की जिम्मेदारी है। इसमें तीनों मिनिस्टरों की फोटो है, श्री शांताकुमार जी और उसके नीचे हैं श्रीमान् श्री निवासन प्रसाद और श्री अशोक प्रधान। ये तीनों फूड मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, मंत्री हैं, उन्होंने यह एडवरटाइजमेंट दिलाया है, जिसमें साफ लिखा है कि यह सब चीजें भारत सरकार की जिम्मेदारी पर हैं। अब ये हमको तो यों ही खदेड़ रहे हो।

श्री रामप्रताप : दुबारा से पढ़ो, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरा पढ़ूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पी.डी.एस. का मामला है, पी.डी.एस. का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरा पढ़ूं ? लो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पी. डी. एस. का मामला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसकी कापी आपको देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कापी देने की जरूरत ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनाज कौनसा है इसमें ? अनाज वो है जो पी.डी.एस. में है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अनाज की खरीद, भण्डारण एवं राज्यों तक पहुंचाना केन्द्र की जिम्मेदारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पी.डी.एस. के अनाज की है, प्रोक्योरमेंट की नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अनाज खरीद...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, आप अच्छी तरह से पढ़ लो। आप पढ़ लो। यह उस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्टोरेज की आपकी जिम्मेदारी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : खरीदने का मतलब प्रोक्योरमेंट नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये तीन मंत्रियों की फोटो बताते हैं। ये तीन की मैं भी फोटो बताता हूं। यह एक है श्रीमती सोनिया गांधी का, एक है श्रीमान् परसराम जी का, एक है श्रीमान् अशोक गहलोत का। फोटुओं से ही काम चलता है तो यह लेओ ना फोटो। इसी में लिखा है वो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन फोटुओं का फूड मिनिस्टरी से ताल्लुक नहीं है। ये तीनों फूड मिनिस्टर हैं। एक तो फूड मिनिस्टर हैं, दो राज्य मंत्री हैं उनके।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वो भी केन्द्र के।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और केन्द्र के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो किसी से ताल्लुक हो, मैं बताता हूं। इसलिये मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में_

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो गुरु हो, मर्जी आये जो बोले जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाजरे को राजनीति से निकालो। बाजरे में मैं ऐसा समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब एक बैठक बुलाएं जिसमें सरकारी अधिकारी भी आ जाएं, हमारे विपक्ष के लोग भी बैठ जाएं। बैठकर क्या समस्या है, भारत सरकार के सामने क्या समस्या है, राज्य सरकार के सामने क्या समस्या है उस समस्या पर विचार करके एक मन से हम भारत सरकार को भी कहें और राजस्थान सरकार भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, इस बात की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार भी ले। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं आपके इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। आपने इसका पूरा राजनीतिकरण किया है। राजनीतिकरण करने का यदि और विचार हो तो करें, हम इसमें घाटे में रहने वाले नहीं है। इसी की राजनीति में आप नुकसान में रहोगे। मैं आपको फिर वार्निंग देना चाहता हूं इसके चक्कर में मत पड़ो और डिबेट का जवाब देकर आप आराम से बैठ जाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस बाजरे की खरीद की बात आप कह रहे हैं केन्द्र सरकार ने 30 हजार टन मक्का खरीदने के बारे में भी कहा है। मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मेवाड़ में बाजरा नहीं होता है और इसलिये मेवाड़ के लोगों की समस्या इससे भी भयंकर है। कारण यह है कि वो मक्का को ले जाकर दुकानदार को देता है और एक साबुन की बट्टी के बदले पूरा एक किलो अनाज देकर आता है और एक साबुन की बट्टी लेकर आता है। उसकी होल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं है, दो बीघा या तीन बीघा है। उसकी सारी पैदावार मुश्किल से पांच बोरी या 10 बोरी होगी। इसलिये मक्के की खरीद के लिये भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप निश्चित रूप से सेंटर्स कायम करके खरीदें। बहुत अधिक अनाज आपके आने वाला भी नहीं है। वो अनाज खराब होने वाला भी नहीं है। यदि मार्केट में भी आप उसको बेचोगे तो तुरंत आपको उसकी कीमत मिलेगी। इस सारी समस्या में से सरकार को किसी प्रकार का कोई घाटा होने वाला नहीं है, लेकिन उस गरीब किसान का जो शोषण हो रहा है और उसको तीन रुपये में और पौने तीन रुपये में मक्की बेचनी पड़ रही है उससे बच जाएगा और उसका यह निरन्तर काम है, वो रोज इकट्ठी भी नहीं बेचता है, रोज दो-दो, चार-चार किलो ले जाकर बाजार में देकर आता है। तो उसकी कीमत किसी तरह से बढ़ जाएगी तो उसको सामान खरीदने में सुविधा रहेगी। इसलिये इसके साथ-साथ मक्का खरीदने के भी आप सेंटर तय करके निश्चित रूप से इस काम को करें ताकि उस क्षेत्र के बहुत ही गरीब लोगों को इसमें मदद मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि मक्का के मामले में राज्य सरकार ने भी लिखा है कि मक्का प्रोक्योर की जाए। यह भारत सरकार को लिखा है, समर्थन मूल्य के आधार पर की जाय। ज्यादा मक्का नहीं है। आप और कुछ करें या न करें मक्का और सोयाबीन इन दो का काम आप तुरन्त चालू करवा दें। उसके लिये जितना पैसा चाहिएगा, कितना पैसा चाहिए, उसकी बैठ कर व्यवस्था करके भारत सरकार से निवेदन करेंगे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, केन्द्र सरकार जो कुछ करे इनको तो पता लग जाएगा अबके चुनाव में। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे जो करौली में लगा दिया हमको कि वहां लोग जाकर बाजरे को बेचेंगे। मेरा निवेदन है कि आप टोडाभीम की मण्डी में ही उसको बिकवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है, साहब यह। वहां के काश्तकारों की मांग है ऐसी। इनको तो समझ लेंगे, अबके चुनाव आ रहे हैं। देखने लायक जो हालत इनकी यहां हुई है वह हालत दिल्ली में होकर रहेगी अब की बार, आप निश्चित रहें। आपने किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों की विरोधी सरकार है, डीजल के भाव बढ़ाये इन्होंने और आज पूरे किसानों के साथ बाजरे पर धोखा किया है। इसकी तो आप चिंता मत करना लेकिन टोडाभीम में तो बाजरा बिकवा दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांकरवाड़ा में दीवार के ऊपर सारे बाजरे की बोरी रखवा दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्य

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मंत्री जी स्वयं इस डिबेट में भाग लेना चाहते थे लेकिन उनको वायरल फीवर होने की वजह से वह आज आ नहीं सके इसलिये कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मुख्य मंत्री जी दे सकते थे, वह शायद मैं न दे पाऊं। लेकिन फिर भी मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि जितने भी प्रश्न, यहां 13 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने विचार व्यक्त किये, उनमें से अधिकांश के जवाब देने का प्रयत्न करूंगा।

मान्यवर, सबसे पहले श्री गुलाब चन्द जी ने मक्के के बारे में जो बात कही, मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि बड़ी छोटी-छोटी होल्डिंग शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हैं, मक्का कम और फिर वह सस्ता जाय तो उनकी दयनीय हालत और बिगड़ती है इसमें कोई शक नहीं है। हमने भारत सरकार से भी यह परामर्श किया, उनसे निवेदन भी किया। पहले उन्होंने कहा भी कि हम 30 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदेंगे लेकिन बाद में एफ.सी.आई. इंकार हो गई और उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम नहीं खरीद सकते। लिहाजा जैसा कि अभी विरोधी दल के नेता महोदय और आपने यह फरमाया है इसके लिये वापस से हम प्रयत्न करें और हमारी कोशिश यह रहेगी कि कल परसों ही बैठक करके इस पर फिर कोशिश की जाय कि गरीब को किस तरह से हम सहायता दे सकें और उनका मक्का खरीदने के लिये कुछ प्रयत्न किया जा सके।

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं विरोधी दल के नेता महोदय ने कई प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब दे देता हूं और उसके बाद में एक एक माननीय सदस्य जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है उनके भी जो महत्वपूर्ण पाइंट्स हैं उनका जवाब देना उचित रहेगा। मान्यवर, विरोधी दल के नेता महोदय ने खास तौर से भण्डारण व्यवस्था पर बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास में जो भण्डारण की व्यवस्था नहीं है तब फिर आपने काहे के लिये यह बात कही कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे और प्रोक्योरमेंट करेंगे तो आप रखेंगे कहां, आपके पास तो कोई जगह ही नहीं थी। उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में भण्डारण क्षमता में 1.76 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारे यहां है, एफ.सी.आई. की स्टोरेज कैपेसिटी है 18.64 लाख मीट्रिक टन, सी.डब्ल्यू.सी. सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशंस की है 3.21 लाख मीट्रिक टन और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन राजस्थान की कैपेसिटी है 7.30 लाख मीट्रिक टन। लेकिन कैपेसिटी होते हुये भी अभी इनमें गोदामों में धान भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है और इसलिये हमारे पास में खाली सिर्फ 75 हजार मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, जो खाली पड़ी है, काफी स्थान है। और जैसा आपने स्वयं ने अभी फरमाया था कि जो भी जो हमने खरीदा था वह पूरा उठा नहीं है और उठने के बाद में यह खाली हो सकता है इसलिये कैपेसिटी कम है। और हमने एफ.सी.आई. से इसीलिये यह प्रयास किया था कि एफ.सी.आई. ही इस धान को खरीदेगी और एफ.सी.आई. के हम सब-एजेंट बनने के लिये तैयार हैं और उसी प्रकार से बातचीत हुई। उस बातचीत में निर्णय भी यही लिया

(श्री खेतसिंह राठौड़)

गया कि एफ.सी.आई. मैन एजेंसी रहेगी और एफ.सी.आई ने यह कहा कि आपके पास में स्टाफ वगैरह है इसलिये आप हमारे सब एजेंट के रूप में काम करके और आप खरीदवाइये। उस लिहाज से मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया था कि टोटल 40 सेंटर्स हमने खोले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप तो यह बता दो कि आपके पास बाजरा प्रोक्योर करने के बाद में रखने की कैपेसिटी नहीं है। आपका मतलब यह है कि हमारे पास केवल 75 हजार मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता है। साफ कहो न फिर बैठकर करेंगे कि कैसे क्षमता बढ़ाई जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एफ.सी.आई. अगर अपने यहां गेहूं हटा दे तो हमारे गोदामों में कैपसिटी हो जाय। अगर जौ चला जाय तो भी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके लिये तो आपको मालूम है कि टेंडर इंवाइट किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और गेहूं तो पी.डी.एस. में जितना जाएगा वही अनाज जाएगा, गेहूं यों उठाकर दूसरी जगह कहां भेजे देंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, साहब। विभिन्न प्रान्तों से पंजाब हरियाणा इत्यादि जगह से एफ.सी.आई. वाले गेहूं को पहले उठवा रहे हैं तो अगर एफ.सी.आई. को यह कहा जाय कि एफ.सी.आई. राजस्थान से रिलीज करें जो महाराष्ट्र को, दक्षिण के प्रांतों को, पश्चिम के प्रांतों को जो गेहूं जाता है और राजस्थान से वह गेहूं जाता है तो यहां पर निश्चित रूप से एफ.सी.आई. के गोडाउन खाली हो जाएंगे और कैपेसिटी बन जाएगी यहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो देखिये व्यापारी हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज यहां का गेहूं महाराष्ट्र भेजकर पी.डी.एस. के माध्यम से बंटवाएंगे तो गरीब के ऊपर कितना भार पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल नहीं, आप इसको डाइवर्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। I know it for certain, कि यहां से गेहूं महाराष्ट्र जाता है, मध्य प्रदेश जाता है और यहां के बगल में हरियाणा लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है जहां पर चौड़े में गेहूं पड़ा हुआ है, वह राजस्थान आ सकता है आवश्यकता के वक्त। इसलिये आपका यह कहना कि यहां गरीब के कुठाराघात करने के लिये मैं सुझाव दे रहा हूं, यह बात सत्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको कोई भी आदमी बुद्धिमानी की बात नहीं कहेगा कि राजस्थान का गेहूं महाराष्ट्र भेजो और महाराष्ट्र का गेहूं यहां लाकर दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरे प्रांतों का पंजाब का गेहूं यहां आकर रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो रखा गया है इसलिये कि हमको देना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पंजाब का गेहूं यहां पर रखा गया, हरियाणा का गेहूं यहां पर रखा गया है। यह आप कैसे कह रहे हैं, आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वेरीफाई कर रहे हैं लेकिन आज 7 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा जाय और उसके अगेंस्ट में आपके पास 76 हजार मीट्रिक टन की कैपेसिटी है तो आप इस सरकार का क्यों मजाक उड़वा रहे हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान के किसान को सपोर्ट करने के लिये जो आवश्यक है वह हमको करना चाहिए, खाली कागज के ऊपर नहीं चलेगा यह काम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ठीक है, यह ठीक है।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, जो एफ.सी.आई. में रखा है उनके खुद के जो गोडाउंस हैं उनमें रखा है तो आपसे जबरदस्ती रखा है क्या? आपके गोडाउंस में अगर एफ.सी.आई. ने रखा है तो जबरदस्ती रखा है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह जवाब नहीं सुनना चाहते हों तो मेरे लिये कोई जरूरी भी नहीं है। आप जब बोल रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जितने भी माननीय सदस्यों ने भाग लिया तो मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा, उनके जितने सजेशन थे, लिखता रहा और अब जब मेरी बारी आई तब शुरू होते ही...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप तो बोलो, बोलो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कृपापूर्वक सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो जितना बोलोगे सरकार का उतना ही भला होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कृपया शांति रखें। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि कब मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किये और वह मिले भी नहीं तो उस बात के लिये तो मैंने उस वक्त भी आपको जवाब दे दिया था और अखबारों में भी उसके लिये साफ आया है कि मुख्य मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी के निवास पर गये और निवास पर उनकी बातचीत हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों कागज ढूंढ़ रहे हो, मान ली आपकी बात।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान लिया तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह बता दो अखबार कौन सा है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पढ़ रहा था। लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को सायं प्रधानमंत्री जी श्री वाजपेयी जी से उनके निवास स्थान पर, सात रेसकोर्स स्थित सरकारी भवन में मिलने प्रतिनिधिमण्डल में शामिल श्री गहलोत ने प्रधानमंत्रीजी को उक्त आशय का पत्र भी दिया। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री जी से

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अनुरोध किया कि वह भारतीय खाद्य निगम को बाजरे के भण्डारण के लिये तत्काल कार्यवाही करने के लिये निर्देश भी प्रदान करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो तहलका के मामले में मिले थे।

एक माननीय सदस्य : वहां भी पत्र ही दिया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां भी पत्र देकर आये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपका कोई जवाब नहीं दूंगा। आप मेरी बात सुनें उसके बाद में सवाल आप पूछ सकते हैं, कौन मना करता है आपको ? लेकिन हरेक सेंटेंस के बाद में यों ही अटकायें, कोशिश यह है कि ताकि मैं मेरा स्टेटमेंट ठीक तरह से नहीं दे सकूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है। आपको छेड़ करने में आनन्द आता है, हाउस का एंजायमेंट होता है इसलिये कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा यों है, यह तो अब आया मेरी समझ में। इससे सीरियसनैस तो आपको मालूम हो गयी कि विपक्ष और विपक्ष के नेता इस मामले में कितने सीरियस हैं और किसान का कितना बड़ा हित चाहते हैं। वह तो आप सबने इनको देख लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बाजरा पहली बार राजस्थान के अन्दर प्रोक्योर हुआ है। जैसा आपने फरमाया है वह सही है कि एक वर्ष लेवी के तौर पर बाजरा खरीदा गया था लेकिन इस तरह से समर्थन मूल्य दे करके बाजरे की खरीद आज तक कभी हुई नहीं और उसका मुख्य कारण यह रहा कि बाजरा एक ऐसी जीन्स है कि जो साल भर से ज्यादा रह नहीं सकती खराब हो जाता है। अगर इसके सिट्टे को ज्यों का त्यों बंद करके और पुनरा लगा करके रख दें तो वह सिट्टा चार वर्ष के बाद भी निकालेंगे तो बाजरा बढ़िया होगा लेकिन सिट्टे से निकालकर बाजरा निकल जाता है उसके बाद बाजरे को रखना 12 महीने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, खारा भी पड़ जाता है, इल्ली भी पड़ जाती है और वह बाज़रा खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिये बाजरे का प्रोक्योरमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा बाजरा खपत भी बहुत कम है। राजस्थान को ही आप देख लीजिये, राजस्थान में बाजरा खाने वाले बीकानेर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन हैं। इसके अलावा बाजरा कोई खाता ही नहीं है। हां, सीकर और झुंझुनूं में थोड़े से हैं। इसके सिवाय बाजरा आप कह रहे हैं कि अलवर और सवाईमाधोपुर में भी खाया जाता है तो वह कभी सर्दियों में दो दिन बाजरे की रोटी खा ली वह है। इनकी स्टेबल डाइट वह नहीं है, आपकी स्टेबल डाइट है वह गेहूं और जौ है। दूसरों की है, अगर कोटा की है तो स्टेबल डाइट ज्वार है और मेवाड़ की मकई है। इसलिये राजस्थान में ही इतने प्रकार से अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग प्रकार के खाने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं कि आपने जो फाइनेंस कमीशन के सामने ज्ञापन दिया है और इस अकाल के सम्बन्ध में भारत सरकार को जितने भी ज्ञापन दिये हैं उनमें लिखा है कि बाजरा राजस्थान की स्टेबल डाइट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, मेजोरिटी एरिया में ये डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ने से या मेजोरिटी एरिया में खाया जाता है यह मानता हूं मैं, लेकिन सब जगह खाया नहीं जाता है इस बात को तो आप मानेंगे ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेबल डाइट का मतलब ही क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो बाजरे की खरीद अभी कम हुई है उसका कारण मुख्य यही रहा है कि हमको सिर्फ एक लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदने की परमीशन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक लाख फर्स्ट स्टेज में आप खरीदिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब यह फिर आपने शुरू कर दिया। फर्स्ट और सैकण्ड स्टेज हमको तो दिया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक लाख टन से आगे नहीं खरीदा जाएगा, यह कौनसे लैटर में लिखा हुआ है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो सीमा फिर क्यों बांधी गई है कि एक लाख टन ही खरीदो। यह कह देते कि जितना खरीद सकते हो उतना खरीदो। जैसा कि आपने अभी फरमाया उसी प्रकार से...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खरीदो आप तो। आप जितना चाहे खरीदो, भारत सरकार मना नहीं करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आप शांता कुमार जी नहीं हैं हूजर। आप तो राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं। मैं कैसे मान लूं कि आप चाहे जो खरीद लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है, मैं शांताकुमार जी नहीं हूं, मैं भैरोंसिंह हूं लेकिन खेतसिंह नहीं हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह कब कहा मैंने ? ख़ेतसिंह छोटी शख्सियत है, आप बड़ी शख्सियत हैं लेकिन जिस तरह से हाथ उठाकर फरमाया कि चाहे जितना खरीद लो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से उम्र में बड़े हैं। हां, खरीद लो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अपनी तो यह औकात है नहीं कि अपने यह कह दें कि चाहे जितना खरीद लो और उस औकात में हम खरीद शुरू कर दें तो फिर बुरी तरह से पिटे जायेंगे न। खरीदेगा कौन और पैसा कौन देगा ? बारदाना कहां से आयेगा ? इस बात में तो कोई ज्यादा तथ्य मुझे दिखा नहीं। खैर, आप इस बात को छोड़िये। हमको जितने बाजरे की खरीद के लिये आदेश हुआ है उसके लिये हमने 40 सेंटर....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, राष्ट्रपति जी को भी आपने विशिष्ट व्यंजनों में बाजरे की पुरस्गारियां की हैं तो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अब तो आप उनको भी कह सकते हैं कि हमारी मदद करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपसे जैसा निवेदन किया कि चूंकि हमको एक लाख मीट्रिक टन ही खरीद के लिये कहा है इसलिये हमने 40 ही केन्द्र खोले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ही मत बोलो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर हमको ज्यादा इजाजत मिल जाएगी तो केन्द्र भी ज्यादा खोल देंगे और कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे और फिर अभी जितने भारी रेस्टिक्शंस लगे हुये हैं उनको भी कुछ लिबरल कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मैं आपको फिर बता हूं कि यह लैटर है 3 अक्टूबर, 2001 का। इस लैटर में लिखा है:—सैक्रेटरी, डिपोर्टमेंट ऑफ फूड एण्ड स्प्लाई, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर। उनको लिखा है। आखरी लाइन यह है "The quantity of Bazara to be procured by the State Government under this sanction will be 1.00 lakh metric ton to begin with."

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टेट गवर्नमेंट से कहा है। वह जो आप डिप्टी सैक्रेटरी का लैटर दिखा रहे हैं वह तो खाली स्टेट गवर्नमेंट के लिये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट खरीदे, टू बिगिन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो है न। बात क्या है? स्टेट गवर्नमेंट खरीदे। आज भी स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहकारिता मंत्रीजी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि बाजरा 12 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है, खराब हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नहीं कहा।

श्री रामसिंह विश्नोई : काफी लोगों ने कहा है। बाजरा पैदा तो करते हैं लोग लेकिन खाते कम हैं। तो एक लाख टन के बाद में जो सात लाख टन करेंगे उसका क्या होगा यह सोचा है आपने? सात लाख टन खरीदेंगे और खाने वाले कम है और 12 महीने में खराब हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामसिंह जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप प्रस्ताव लाये हैं सात लाख टन का उसका कह रहा हूं। यह आज दुर्भाग्य है कि हमने परम्परा छोड़ दी। गांवों में पहले भी बाजरा पैदा होता था, खेत-खेत में, घर-घर में कोठियां बनती थीं उसमें बाजरा रखते थे, बानी डाल देते, बाजरा कभी खराब नहीं होता। अब यह सिस्टम छूट गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो आदमी पैदा करता है वह तो अपने पास रखेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा बाजरा गवर्नमेंट को दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है, एफ.सी.आई. खरीद रही है वह 12 महीने के बाद तो खराब हो जाएगा और जो जिस किसान ने पैदा किया उसके पास तो अपने हिस्से का है और फिर 12 महीने के बाद जानवर ही नहीं खाते उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं खाते।

श्री रामसिंह विश्नोई : तो आप कहते हो कि जानवर खाते ही नहीं है उसको, तो फिर आप क्या करेंगे उसका? फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं कि इतना बाजरा खरीदो और बाजरे पर बहस यह काहे को कर रहे हैं आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कह रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आप प्रस्ताव में ला रहे हैं कि सात लाख मीट्रिक टन—

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, आप मेरी बात समझें। जब आपको मालूम है कि बाजरे की यह स्थिति है तो फिर इतनी स्थिति खराब है तो यह फालतू या तो एफ.सी.आई. के पैसे लगेंगे, भारत सरकार के लगेंगे या राजस्थान सरकार के लगेंगे और बाजरे की आप इस तरह की—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, इसीलिये तो नेता महोदय ने कहा है कि पी.डी.एस. के थ्रू इसको डिस्ट्रिब्यूट भी करो साथ साथ। इसीलिये तो कहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो बात कही है, मैं बिलकुल सही मानता हूं और सही इसलिये मानता हूं कि सात लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदकर उस अनाज के बरबाद होने पर या तो आपको घाटा होगा या केन्द्र सरकार को और आम रूप से यह जनता को घाटा होगा।

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पूरे राजस्थान में जगह-जगह से यह मांग आ रही है कि आपने बहुत कम मिकदार रखी है, बहुत कम केन्द्र खोले हैं। हमें बहुत बाजरा देना है लेकिन लेने वालों की स्थिति नहीं है इसलिये आप इतना सा बाजरे का एलोकेशन कराकर के 40 सेंटर्स पर कितना तो किसान बेचेगा और कितना खरीदेंगे। आप अभी से ज्यादा बाजरे का एलोकेशन कराइये खरीद का तो कम से कम सारे इलाकों से जितना काश्तकार बेचना चाहता है उतना बिकना चाहिए। आज उसका एक-चौथाई भी नहीं बिक रहा है इसलिये लोगों में नाराजगी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मना किसने किया है? नाराजगी हो रही है आपके कारण से।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो सरकार को व्यापारी बनाया जा रहा है कि घाटा किसको होगा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को जनहित के अन्दर तो सरकारों को घाटे उठाने ही चाहिए। आज राजस्थान का किसान परेशान हो रखा है और अपन यह डिस्कस करने लगेंगे कि राज्य सरकार का नुकसान होने जा रहा है या केन्द्र सरकार का नुकसान होने जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपन बिजनेसमैन नहीं होकर के जनहित में निर्णय लेने के लिये यहां आये हैं तो जनहित में और राजस्थान के किसान के हित में यह प्रोक्योरमेंट होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो कौन इन्कार कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री ललित भाटी : यहां तो डाइवर्ट ही कर दिया। सारा इश्यू ही डाइवर्ट हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय मंत्री जी। आर्डर आर्डर। यह कोई बहस का विषय ही नहीं है। आप एक लाख टन बाजरा खरीद लीजिये, गवर्नमेंट को कह दीजिये और खरीद लेंगे। जब तक एक लाख टन, जैसा कह रहे हैं कि बिगिन विथ एक लाख टन है, तो खरीद लीजिये उसके बाद चले जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात को आपने समझा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : खेतसिंह जी की मंशा नहीं है खरीदने की। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी कह रहे हैं कि एक साल के बाद में खाते ही नहीं है। बाजरा खाते हैं चार साल तक। (व्यवधान) किसने कह दिया कि एक साल के बाद खाते ही नहीं, पशु ही नहीं खाता? (व्यवधान) किसने कह दिया? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डिप्टी सैक्रेटरी की चिट्ठी थी जब भारत सरकार, राजस्थान सरकार पर दबाव डाल रही थी कि आप खरीदो। हम बराबर कह रहे थे कि आप खरीदो, यह काम आपका है, आपने सपोर्ट प्राइस घोषित करे है, यह वह वाली चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कौन खरीद रहा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमेंट आफ इण्डिया, भारत सरकार ले रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कौन खरीद रहा है? गवर्नमेंट आफ इण्डिया, तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ही खरीदेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमेंट आफ इण्डिया, भारत सरकार देगी सारा पैसा, कहा है ना इन्होंने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कहा है ना, हमने कहा है कि भारत सरकार खरीदेगी। भारत सरकार खरीद रही है और एफ.सी.आई. खरीद रही है।

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार खरीदे तो सात लाख टन खरीदे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं, उनको खरीदना था, उन्होंने नहीं खरीदा। एक लाख टन की जगह सात लाख टन खरीदना चाहिए।

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, एलोकेशन तुरन्त बढ़ाया जाना चाहिए। एक लाख टन की खरीद कुछ नहीं है। जगह-जगह किसान अपना बाजरा रोक कर बैठा है। उसको कहीं बेचने की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि सेंटर्स कम है, एलोकेशन कम है। एक लाख से क्या होता है। आप अभी बढ़वाइये। 3-4 तो करवा दीजिये, बाद में सात लाख करा दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी का स्टेटमेंट करवाइये। मंत्रीजी, आप जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : खेतसिंह जी, माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उनको नहीं रोका था। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सहकारिता मंत्रीजी, इसको पी.डी.एस. में डालने की राज्य सरकार की क्या मंशा है, क्या मंशा नहीं है, यह तो बताइये। आप यह 20-20 किलो की जगह आप 100 किलो, एक बीघा में 100 किलो का, आप एक बीघा में एक क्विंटल क्यों नहीं खरीद कर रहे हैं। सिर्फ 15-20 किलो तक आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, वह भी काश्तकार के लिये बड़ी परेशानी का मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो योग्यता पूर्ण जवाब दे रहे हैं लेकिन बाकी के मंत्री इन पर विश्वास नहीं रखते हैं, बीच में ही इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप भी मत बोलो, वह भी नहीं बोलें, इनका जवाब आ जाये, बस, यह व्यवस्था करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सुराना साहब ने यह कहा कि आप पी.डी.एस. में क्यों नहीं डाल देते हो, इसमें डाल इसलिये नहीं सकते कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मेवाड़ में बाजरा अगर हम फेयर प्राइस शाप्स पर बेचना शुरू कर दें तो बहुत कम लोग लेंगे, लेंगे ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : जिन जगहों पर खाया जाता है, वहां पर तो डालिये। वह 18 जिले जहां आप खरीद कर रहे हैं, जिन 18 जिलों में आप खरीद कर रहे हैं, जहां उत्पादन हो रहा है, वहां तो डालिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन जगह भी गेहूं ज्यादा खाने वाले लोग हैं। घरों में गेहूं की रोटी बनती है। आपके यहां भी, आप लूणकरणसर से हैं, बाजरा वहां होता है, मेरे यहां भी बाजरा बहुत होता है, लेकिन लोग कम खाते हैं। गेहूं का फुल्का खाते हैं, बाजरा कम खाते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे यहां गांवों में मांग है बाजरे की, पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से भी मांग है और आपकी नीयत वहां पी.डी.एस. में डालने की नहीं है तो हम सरकार की मदद भी कैसे करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको खुद ही पता नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम कह रहे हैं कि आप एक क्विंटल खरीदें एक बीघा में, आप एक बीघा में 20 किलो खरीद रहे हैं और इसीलिये काश्तकार...

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो 20 किलो ही खरीदेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्यों खरीदेंगे। आप एक क्विंटल खरीदिये एक बीघा में..(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक लाख टन।

श्री मानिक चन्द सुराना : जयपुर में 50 किलो, बीकानेर में 20 किलो..(व्यवधान) सीकर में 20 किलो, यह कैसे है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो खरीदने के लिये ही हैं, एक लाख टन दिया है तो उतना ही खरीदा जायेगा। अगर आप सात लाख टन का दे देंगे तो ज्यादा खरीद शुरू कर देंगे। मिकदार भी बढ़ा देंगे, सेंटर्स भी बढ़ा देंगे लेकिन वह जितना है उतने का ही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्टोरेज कैपेसिटी कहां है। स्टोरेज कैपेसिटी कहां से लाओगे। सात लाख ले तो लोगे, स्टोरेज कैपेसिटी कहां से लाओगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप इनका उत्तर सुनना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो समाप्त करायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी कैपेसिटी नहीं है इसीलिये तो हमने भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट की। भारत सरकार से, एफ.सी.आई. से बड़ी मुश्किल से उनको मंजूर करवाया। एफ.सी.आई. ने यह कहा कि हम खरीदने को तैयार हैं, तब एफ.सी.आई. के मार्फत ही हम खरीद रहे हैं। हम तो उनके एजेंट के तौर पर हैं। राजफैड की और वेयर हाउसिंग की इतनी हैसियत थोड़े ही है कि हम इतना बाजरा खरीद लें। यह सब एफ.सी.आई. के मार्फत ही हो रहा है और इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह खरीदना है और जैसा आपसे मैंने कहा कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इतने लैटर्स लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमारे मुख्य मंत्रीजी को जाकर प्रधानमंत्रीजी के यहां क्यों मिलना पड़ा। यह सारी परिस्थिति इसलिये पैदा हुई कि हमारे पास में न तो बारदाना था, न हमारे पास में इतने पैसे थे, न हमारे पास में इतना स्टोरेज था। फसल बहुत हो गई थी, हम किसान को लाभ पहुंचाना चाहते थे। इसलिये हमने यह कोशिश की कि सपोर्टिंग प्राइस तय कर दिये जायें और उसके आधार पर हमको ये मौका दिया जाये, पैसा वह दे और हमने कहा कि हमारे पास में और कोई एजेंसी है नहीं इसलिये आप एफ.सी.आई. को ही इसका एजेंट बनाकर उनके मार्फत खरीदें। कई दिन इसमें लग गये। उतने में बाजरा बाजार में चला गया। बाजार में जाने के बाद में जो छोटे किसान थे, उसको जरूरत थी पैसों की, उन्होंने महाजन को बेच दिया। आज यह बात काफी हद तक मैं मान सकता हूं लेकिन हमने कोशिश यह की है कि और इसीलिये हमने राइडर्स लगाये हैं कि वह गिरदावरी लावें, वह पासबुक साथ में लावें, तब जाकर हम खरीद करेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से महाजन का बाजरा ही हमारे मार्फत यहां आता और उसमें वह बिचौलिये पैसा खा जाते, उनको रोकने के लिये हमने यह प्रयास किया है और उससे हमें यह पूरा विश्वास है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जौ की खरीद में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी। बाहर से जौ आ गया हरियाणा से, उन्होंने तो खरीद की नहीं, हमने खरीद की थी। उसमें

(श्री खेतसिंह राठौड़)

खैरथल मण्डी में कुछ लोग पकड़े गये थे, वे सस्पैण्ड भी हुये थे, उनके खिलाफ केसेज भी चल रहे हैं। और बाकी जानबूझकर कहीं से भी यह कोशिश नहीं की गई, विभाग की तरफ से कोई कहीं लापरवाही हुई है जौ की खरीद में अथवा बाजरे की खरीद में। यदि आपके नोटिस में किसी मण्डी में कोई ऐसी गड़बड़ी होती नजर आये तो आप जनप्रतिनिधि हैं, हमको बताइये, हम तुरन्त उसका बंदोबस्त करेंगे और उसकी रोकथाम करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक लाख टन बाजरा खरीदने की व्यवस्था है, वह हम खरीद रहे हैं। ज्यादा व्यवस्था जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यदि सारा सदन एक प्रस्ताव पास करके भेजे तो भारत सरकार पर इसका असर पड़ेगा। विपक्ष के नेता महोदय ने यह फरमाया है कि वह असर वाले आदमी हैं, मैं कब कहता हूं नहीं है। उनकी सरकार है पर इस बात को भी मैं मानता हूं कि उनके वाजपेयी साहब से अच्छे ताल्लुक है लेकिन उन ताल्लुकों से हमें क्या जब तक कि आप यह मिकदार बढ़वा करके, यहां इशारा करने से कुछ नहीं होगा। आप आर्डर भिजवाइये कि तुरन्त कल का कल तार हमारे पास पहुंचे कि आप–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक बात बता दो, आप एक बात बता दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जितना खरीदना चाहें, खरीदते जाइये तो हम बराबर खरीदेंगे। और किसान की वाकई मांग है, सब तरफ से किसानों की मांग यह आ रही है कि हमारे पास बाजरा है। और जिसके पास मान लीजिये, खाने तक ही था, वह भी यह चाहता है कि जब भाव बाजार में 300-350-400 का था, इसलिये वह देखता है कि हमको 485 मिलते हैं तो हमको यह लाभ मिलेगा, हरेक बेचना चाहेगा। लेकिन वह जब हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में स्वीकृति नहीं, खरीदने वाली एजेंसी एफ.सी.आई., उनसे अगर आप परमिशन दिला देंगे तो हम उनके साथ में और खरीदेंगे और एफ.सी.आई. भी नये केन्द्र खोल देगी और हम भी उसी औकात में उसके नये केन्द्र खोल कर खरीद करवा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, आप एक लाख मीट्रिक टन कितने दिन में खरीद लोगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : खरीद चालू है और अगर आप यह फरमायेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करके और जल्दी से जल्दी यह कर देंगे लेकिन आप कुछ आगे परमिशन तो दिलाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितनी जल्दी, आप बताओ कि एक लाख टन अनाज खरीद लोगे।

श्री अमराराम (धोद) : एक लाख मीट्रिक टन आपके हिसाब से एक महीने में भी नहीं खरीदा जायेगा। जो विभागीय प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे तो एक लाख मीट्रिक टन भी पूरा नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : "It is requested that the State agency may be

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

advised to adhere to the list of centres in targets of quantities."

यह एफ.सी.आई. की चिट्ठी है, आप लिस्ट आफ सेंटर्स बढ़ायेंगे नहीं, आप एडहर करें क्वालिटी पर तो टारगेट्स पूरे कहां से होंगे। आपने हाथ-पैर बांध दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लिस्ट आफ सेंटर्स किसने बनाई हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो वहां से आई है, बिलकुल वहीं से आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां से नहीं आई है, सी.एस. की अध्यक्षता में मीटिंग में तय हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पत्र पढ़ रहा हूं।

"A list of centres has been prepared in consultation with the State Government..." (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 9 नवम्बर, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.58 बजे, शुक्रवार दिनांक 9 नवम्बर, 2001 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-30 का विवरण)

ग्राम चहेड़िया में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	लाइसेंस नं.	लाइसेंस जारी होने की तारीख	शस्त्र का प्रकार	शस्त्र नम्बर
1.	श्री याकूबखां/मजीदखां मुसलमान, चहेड़िया	551/193	28.2.1977	12 बोर	101242
2.	श्री गनी खां/हमीद खां मुसलमान, चहेड़िया	553/194	28.2.1977	12 बोर	17697
3.	मिर्जा हासन/मिर्जा मोह. महमूद बेग चहेड़िया	550/192	28.2.1977	12 बोर	82650/82002
4.	श्री नन्दलाल/भैरूलाल नागर चहेड़िया	754/248	1.10.1981	12 बोर	3366 बी/8
5.	श्री सिराज अहमद/गफूरखां चहेड़िया	934/324	17.3.1986	12 बोर	23256/6295
6.	श्री अब्दुल रजाक/सार्दुलखां चहेड़िया	607	28.1.1972	12 बोर	24057
7.	श्री अब्दुल रहीम/सार्दुलखां चहेड़िया	552	28.2.1977	12 बोर	10727
8.	श्री एच. एम. आजमवेग/ मिर्जा महमूदबेग, चहेड़िया	583/341	26.4.1999	32 बोर रिवाल्वर	6281
9.	श्री मोहम्मद युसूफ/अब्दुल रहीम खां, चहेड़िया	622	30.1.79	टोपीदार	B-6 101140

परिशिष्ट "ब"

ग्राम चहेड़िया में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण

क्र.सं.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	मु. दर्ज की दिनांक	धारा
1.	श्री याकूब खां/मजीद खां मुसलमान, चहेड़िया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री गनीखां/हमीदखां मुसलमान, चहेड़िया	बारां	322/87 सी.एस.नं. 247	22.9.87	330 आईपीसी
3.	श्री मिर्जा हासमबैग/मिर्जा महमूदबैग, चहेड़िया	कवाई अन्ता	80/87 सी.एस.124	29.5.87	41/109 8/5 एनडीपीएस
			74/85, सी.एस नं. 88	6.10.86	147, 148, 149, 342, 323, 394
			24/92 सी.एस. 39	28.4.92	8/81, 21 एनडीपीएस
			311 सी.एस. 16	29.2.2000	3/25 आर्म्सएक्ट
			68/01 सी.एस. 49	25.2.2001	143, 451, 147, 426
			452/01 सी.एस. 328	24.12.01	447, 427
4.	श्री नन्दलाल/भैंरूलाल नागर चहेड़िया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री सिराज अहमद/गफूरखां	अन्ता	141/88सी. एस. 103	17.10.88	341, 323, 504, 34
6.	श्री अब्दुल रजाक/सादुलखां मुसलमान चहेड़िया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	अब्दुल रहीम/सादुलखां मुसलमान, चहेड़िया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	मौ. युसूफ/अब्दुल रहीम मुसलमान, चहेड़िया	—	—	—	—
9.	एच. एम. आजमबैग/मिर्जा महमूदबैग, चहेड़िया	—	—	—	—

परिशिष्ट "स"

स्थायी निवास एवं वर्तमान निवास का विवरण

क्र.सं.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	रिकार्ड अनुसार पता	वर्तमान निवास का पता
1.	श्री याकूब खां/मजीद खां मुसलमान	चहेड़िया थाना अन्ता	ग्राम चहेड़िया में निवास कर रहा है।
2.	श्री गनी खां/हमीद खां मुसलमान	चहेड़िया थाना अन्ता	विज्ञान नगर कोटा में लड़के के पास रहता है।
3.	"मिर्जा हासमवेग/मिर्जा महमूद वेग मुसलमान चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	चहेड़िया थाना अन्ता एवं सांगोद जिला कोटा दोनों ग्रामों में रहता है।
4.	नन्दलाल/भैंरूलाल नागर चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भटेड़िया थाना मांगरोल में रहता है।
5.	सिराज अहमद/गफूर खां मुसलमान चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट के आधार पर चहेड़िया में रहता है।
6.	अब्दुलरजाक/सादुल खां मुसलमान चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	अनुज्ञाधारी का 12-13 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है।
7.	अब्दुलरहीम/सादुल खां मुसलमान चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	4-5 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है।
8.	मौ. युसुफ/अब्दुल रहीम खां मुसलमान चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	ग्राम मोड़क स्टेशन जिला कोटा एवं चहेड़िया थाना अन्ता दोनों जगह रहता है।
9.	डा. एच. एच आजमवेग/मिर्जा महमूद वेग मुसलमान चहेड़िया	चहेड़िया थाना अन्ता	मं.नं. सी-81 राजोरिया स्कूल के सामने हसनपुरा थाना सदन, जयपुर में निवासरत है। तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट कभी-कभी चहेड़िया आता रहता है।

परिशिष्ट "द"

Off. : 451200
Fax. : 450165
Res. : 451100
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कोटा-324001 (राज.)
COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE
KOTA-324001

क्रमांक/न्याय/2001/3427 दिनांक : 3.7.2001

जिला कलक्टर,

बारां

मेरे यह ध्यान में आया है कि आपके कार्यालय द्वारा श्री आजम बेग पुत्र श्री महमूद बेग निवासी सांगोद को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया है जबकि मुझे यह अवगत कराया गया है कि श्री आजम बेग सांगोद जिला कोटा के मूल निवासी है साथ ही इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध है। आप कृपया अवगत करावें कि क्या श्री आजमबेग को शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने से पूर्व पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सीआईडी की टिप्पणी भी प्राप्त की गई थी ? कृपया इस सम्बन्ध में मुझे अविलम्ब अवगत करावे।

ह०/-

जिला कलक्टर, कोटा

Off. : 451200
Fax. : 450165
Res. : 451100
जिला कलक्टर, कोटा
COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE
KOTA - 324 001

क्रमांक/न्याय/2001/3966 दिनांक 26 जुलाई, 2001

निमित :—

जिला कलक्टर,

बारां, (राज)

विषय : श्री आजम बेग पुत्र श्री मेहमूद बेग को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग : आपका अ.शा. पत्र क्रमांक/1494 दिनांक 11.7.2001

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा श्री हाफिज मोहम्मद आजम बेग पुत्र मिर्जा मेहमूद बेग निवासी चहेड़िया थाना अन्ता जिला बारां को 32 बोर रिवाल्वर का आर्म्स लाईसेंस तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार की अनुशंसा पर तत्कालीन जिला कलक्टर श्री गठाला द्वारा जारी किया जाना अवगत कराया है। श्री हाफिज मोहम्मद आजम बेग मूल रूप से सांगोद के निवासी है, अनुज्ञा पत्र जारी करने से पूर्व इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा से भी अनुशंसा प्राप्त की जानी चाहिये थी। लेकिन बिना जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा से अनुशंसा प्राप्त किये शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है।

अनुज्ञा पत्र धारी श्री मोहम्मद आजम बेग की गतिविधियां संदिग्ध है तथा प्रार्थी सांगोद जिला कोटा का निवासी है। अतः उक्त आजम बेग को जारी किया गया शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बन करने की कार्यवाही करे।

ह०/-

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-31 की सूचना)

मण्डी सचिव के रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम मण्डी समिति	कब से रिक्त	विशेष विवरण
1.	अलवर	01.08.2001	
2.	बीकानेर अनाज	10.09.2001	
3.	जयपुर अनाज	25.07.2000	
4.	जोधपुर अनाज	25.07.2001	
5.	बाड़मेर	01.09.2001	
6.	नागौर	04.11.2000	
7.	रायसिंहनगर	01.09.2001	
8.	लूणकरणसर	01.08.2001	
9.	नोखा	01.03.2001	
10.	नोहर	25.07.2000	
11.	हिण्डौन	10.09.2001	
12.	रामगंजमण्डी	01.03.2001	
13.	श्रीकरणपुर	01.11.2000	
14.	उदयपुर	01.09.2001	
15.	अजमेर	01.04.2001	
16.	धौलपुर	10.09.2001	
17.	सरदारशहर	25.07.2000	
18.	जालौर	25.07.2000	
19.	सूरजगढ़	25.07.2000	
20.	फतेहनगर	21.02.2001	
21.	उनियारा	25.07.2000	
22.	सादुलपुर	25.07.2000	
23.	पीपाड़सिटी	25.07.2000	
24.	केशोरायपाटन	01.05.2001	
25.	सुमेरगंज	25.07.2000	
26.	फतेहपुर	12.09.2001	
27.	कपासन	25.07.2000	
28.	राजसमन्द	01.04.2001	

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

जिला जयपुर में अल्प बचत योजनाओं के अभिकर्ताओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि

33. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अल्प बचत योजनाओं में विनिवेश को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है? क्या उक्त हेतु राज्य सरकार द्वारा विनियोजकों एवं अभिकर्ताओं को विभिन्न प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है?

(2) यदि हां, तो जयपुर जिले में किन-किन एस.ए.एस. एवं महिला प्रधान अभिकर्ताओं के किस-किस अवधि के कितनी-कितनी राशि के प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु प्रस्तुत दावों का भुगतान अभी बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं द्वारा कराये गये विनियोजन पर देय अभिकर्ता पुरस्कारों के दावों का भुगतान विभाग द्वारा समय पर नहीं किया जाता है और न ही पुरस्कार राशि के चैक अभिकर्ताओं को डाक से भिजवाये जाने की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अभिकर्ताओं के पुरस्कार दावों का भुगतान त्वरित गति से कराये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जयपुर जिले में एस.ए.एस. एवं महिला प्रधान अभिकर्ताओं के निम्न राशि के प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु दावों का भुगतान बकाया है :—

1. एस.ए.एस. अभिकर्ताओं के 21 दावे राशि रुपये 1,12,770/- के आपत्तियों में हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। (विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है)

2. महिला प्रधान अभिकर्ताओं के 56 दावे राशि रुपये 1,14,386/- के आपत्तियों में हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। (विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है)

(3) जी नहीं। अभिकर्ता विनियोजित कराई गयी राशि पर समय-समय पर संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के पुरस्कार प्राप्त करने हेतु निरन्तर कार्यालय में आते जाते हैं अतः कार्यालय स्तर पर ही उन्हें चैक्स का वितरण कर दिया जाता है। अतः प्रोत्साहन राशि के चैक्स को डाक से भिजवाये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अभिकर्ता स्वयं ही प्रोत्साहन राशि के चैक्स डाक से प्राप्त करने के स्थान पर जिला अल्प बचत कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना पसन्द करते हैं।

(4) जी हां।

परिशिष्ट-1

अप्रैल से जून 2001-2002 एस.ए.एस. के दावे (आपत्तिजनक)

क्र.सं.	अभिकर्ता का नाम	एजेन्सी नं.	विनियोजित राशि	देय प्रोत्साहन राशि
1.	कृष्णा माखीजा	1550	160000	800
2.	रेणु जैन	1220	3357000	16785
3.	भरत शाह	1437	373000	1865
4.	लक्ष्मी गुप्ता	912	185000	925
5.	निशा अग्रवाल	1215	5668500	28343
6.	रजना बाकलीवाल	743	4506000	22530
7.	अनिल कुमार जैन	2134	1482000	7410
8.	शकुन्तला देवी छीपा	760	641500	3208
9.	कैलाश चन्द सैनी	1684	260000	1300
10.	कैलाश नारायण पारीक	1	494000	2470
11.	सुनीता गुप्ता	1336	380000	1900
12.	हेमलता गुप्ता	2214	105000	525
13.	स्कन्द कुमार गुप्ता	1238	339500	1698
			योग	**89759**

अप्रैल से जून 2000-2001 एस.ए.एस. के दावे

क्र.सं.	अभिकर्ता का नाम	एजेन्सी नं.	विनियोजित राशि	देय प्रोत्साहन राशि
1.	गोविन्द बिहारी गुप्ता	1370	250000	1250
2.	ओम प्रकाश ओझा	1264	294000	1470
3.	हरिशंकर शर्मा	1039	154000	770
4.	किरण सचदेव	1367	1028500	5142
5.	जयश्री शर्मा	1466	228000	1440
6.	पुष्पा चौपड़ा	298	939800	4699
			योग	**14771**

परिशिष्ट-1

जुलाई से सितम्बर, 2000-2001 एस.ए.एस. के दावे

क्र.सं.	अभिकर्ता का नाम	एजेन्सी नं.	विनियोजित राशि	देय प्रोत्साहन राशि
1.	शिखा पारीक	2013	200000	1000
2.	सूरज प्रसाद जांगिड़	1746	1458000	7240
	योग			8240

उपरोक्त अभिकर्ताओं के दावे आपत्तियों में है अत: यह आपत्तियों की पूर्ति के पश्चात् इन दावों की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी

कुल योग 1,12,770

परिशिष्ट-2

आपत्तिजनक दावे (महिला प्रधान अभिकर्ता)

जुलाई से सितम्बर 1998-1999 महिला प्रधान

क्र.सं.	अभिकर्ता का नाम	एजेन्सी नं.	देय प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4
1.	सुमन खण्डेलवाल	985	302
		योग	302
	जुलाई से सितम्बर 1999-2000 महिला प्रधान		
1.	सुनीता शर्मा	423/सी	496
2.	नीलम मिश्रा	949	1520
		योग	2016
	अक्टूबर से दिसम्बर 1999-2000 महिला प्रधान		
1.	मोहनी	866	1915
2.	कविता गुप्ता	597	625
3.	अनिता कपूर	76/सी	2370
		योग	4910
	अप्रैल से जून 2000-2001 महिला प्रधान		
1.	सविता अग्रवाल	373/सी	1043
2.	सोना देवी	1072	287
3.	इन्द्रा माथुर	578/सी	2065
4.	ममता जैन	966	3755
5.	हेमलता जैन	241	4936
6.	स्नेहलता जैन	407/सी	3287
7.	सरोज भाटी	752	1529
8.	सुनीता देवी गुप्ता	989	1949
9.	शिव कुमारी गुप्ता	241/सी	2295
10.	सरला शर्मा	120	2386
11.	कविता गुप्ता	597	1753
		योग	25285

आपत्तिजनक दावे महिला प्रधान

जुलाई से सितम्बर 2000-2001 महिला प्रधान

क्र.सं.	अभिकर्ता का नाम	एजेन्सी नं.	देय प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4
1.	सविता कासलीवाल	974	592
2.	संगीता पाटोदिया	1069	439
3.	सरोज भाटी	752	1396
4.	संगीता जैन	610	1125
5.	कविता गुप्ता	597	2091
6.	ज्योति रेखा जैन	758	603
7.	नीता जैन	983	433
8.	सविता अग्रवाल	1050	5635
		योग	12314

अक्टूबर से दिसम्बर 2000-2001 महिला प्रधान

1.	सावित्री तेजवानी	803	875
2.	ज्योति रेखा जैन	758	576
3.	सविता अग्रवाल	1050	6017
4.	सुमन टेलर	420/सी	1017
5.	कमला देवी	439	8126
6.	सरोज भाटी	752	1293
7.	अरुणा अग्रवाल	401	3391
8.	विद्या देवी	91	4490
9.	विमला मित्तल	540	1239
10.	मंजू शर्मा	841	4375
11.	नीता जैन	783	604
12.	कमला जैन	409	737
		योग	32740

आपत्तिजनक दावे महिला प्रधान

जनवरी से मार्च, 2000 (महिला प्रधान)

क्र.सं.	अभिकर्ता का नाम	एजेन्सी नं.	देय प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4
1.	हेमलता सेन	241	4745
2.	कविता गुप्ता	597	1185
3.	सरोज भाटी	752	1231
4.	परमेश्वरी देवी शर्मा	59	5003
5.	प्रमोद कंवर	970	2712
6.	सुनीता शर्मा	380	1267
7.	रीमा जैन	103	3088
8.	सरोज भाटी	752	1341
	योग		20572
	अप्रैल से जून 2001-2002 (महिला प्रधान)		
1.	संगीता जैन	656	1428
2.	आशा मंगल	476	936
3.	तरुणा बत्रा	1074	301
4.	सुमित्रा शर्मा	386	606
5.	कौशल गुप्ता	468	2393
6.	आशा सिंह	804	755
7.	रेखा गोयल	235	760
8.	अंशू जैन	333	1151
9.	कृष्णा लड़ीवाल	241	4056
10.	मधु अग्रवाल	359	2497
11.	नीलम मिश्रा	949	1364
	योग		16247
	कुल योग		1,14,386

उपरोक्त दावे आपत्तियों में है। इन आपत्तियों को सही करवाकर इनकी स्वीकृति तुरन्त कर दी जायेगी।

विलायती बबूल के ठेकेदारों से आयकर वसूली

34. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विलायती बबूल उन्मूलन के ठेकों में ठेकेदारों से स्रोत पर आयकर काटे जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप वन संरक्षक, पाली द्वारा उक्त प्रकार के ठेकों के स्रोत पर आयकर काटा गया? यदि हां, तो किस दर से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 सी तथा आयकर नियम 1962 के नियम 37 सी के प्रावधानान्तर्गत इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज के क्रेता को आयकर निर्धारण अधिकारी से फार्म 27 सी में स्रोत पर आयकर कटौती न किये जाने के प्रमाण पत्र प्राप्त कर बेचानकर्ता को प्रस्तुत करना होता है। ऐसा न किये जाने की अवस्था में स्रोत पर आयकर कटौती किये जाने की व्यवस्था है। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उप वन संरक्षक, पाली द्वारा घास जोड़ों में से विलायती बबूल उन्मूलन के छह ठेकों में से पांच क्रेताओं (ठेकेदारों) द्वारा आयकर विभाग से फार्म 27 सी में प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर स्रोत पर आयकर नहीं काटा गया। एक ठेकेदार श्री युनुस अली के द्वारा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 15 प्रतिशत आयकर तथा 10 प्रतिशत सरचार्ज की दर से काटा गया।

Income Tax ACT, 1961

671 CH. XVII. COLLECTION AND RECOVERY-COLLECTION AT SOURCE S.206C

[17]**[BB.—Collection at source**

Bro its and gains from the business of trading in aloholic liquor, forest produce, scrap, etc.

206C. [19][[20](1) Every person, being a seller shall, at the time of debiting of the ...... amount payable by the buyer to the account of the buyer or at the time of receipts of such amount[21] from the said buyer in cash or by the issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, collect from the buyer of any goods of the nature specified in column (2) of the Table below, a sum equal to the percentage, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, of such amount as income-tax:

[22][TABLE

Sl. No.	Nature of Goods	Percentage
(1)	(2)	(3)
(i)	Alcoholic liquor for human consumption (other than Indian-made foreign liquor) and tendu leaves	Ten percent
(ii)	Timber obtained under a forest lease	Fifteen percent
(iii)	Timber obtained by any mode other than under a forest lease	Five percent
(iv)	Any other forest produce not being timber or tendu leaves	Fifteen percent

Provided that where the Assessing Officer, on an application made by the buyer gives a certificate in the prescribed form[23] that to the best of his belief any of the goods referred to in the aforesaid Table are to be utilised for the purposes of manufacturing, processing [24] or producing articles or things and not for trading purposes, the provisions of this sub-section shall not apply so long as the certificate is in force.

(2) The power to recover tax by collection under sub-section (1) shall be without prejudice to any other mode of recovery.

(3) Any person collecting any amount under sub-section (1) shall pay within seven days the amount so collected to the credit of the Central Government or as the Board directs.

(4) Any amount collected in accordance with the provisions of this section and paid under sub-section (3) shall be deemed as payment of tax on behalf of the person from whom the amount has been collected and credit shall be given to him for the amount so collected on the production of the certificate furnished under sub-section (5) in the assessment made under this Act for the assessment year for which such income is assessable.

Income Tax Rule-2196

1.563 Certificate U/S 206C(1) Form 27C

'FORM NO. 27C

[See Rule 37C]

certificate under proviso to sub-section (1) of section 206C of the Income-Tax Act, 1961

Certificate No............. Income tax Office,

....

Date............

To

....

[name and address of the seller]

WHEREAS M/s...

[name and address of the layar]

....has made an

[permanent account member of the layer]

application to the effect that...

*[nature of goods referred to in the Table in sub.section (1) of section 206C]

is to be utilised for the purpose of *manufacturing/processing/producing articles or things and not for trading purposes.

2. AND WHEREAS to the best of my belief the...

[nature of the said goods]

is to be utilised for the purpose of *manufacturing/processing/producing articles or things and not for trading purposes.

3. I hereby authorise you not to collect tax at source under sub section (1) of section 206C in respect of goods specified in paragraph 2.

4. This certificate shall remain in force up to............. unless it is cancelled by me under intimation to you, before that date.

....

Assessing Officer

* Strike out whichever is not applicable.

ACTION POINTS

1. The proviso to section 206C of the Act envisages that, if the buyer of the specified goods (alcoholic liquor, timber or other forest produce) makes an application, the Assessing Officer can give a certificate to the seller not to collect tax at source. This certificate will have to be given by the Assessing Officer in this form.

2. The buyer of the specified goods will have to make an application to the Assessing Officer for this purpose. There is no prescribed form for the application. It can be made on plain paper to the effect that the specified goods are to be utilised by the buyer for the purpose of manufacturing, processing or producing articles or things, and not for trading purposes.

3. The application must be made well in time, and the certificate obtained before payment is made to the seller.

4. This certificate is normally valid for one year only. (See Rule 37C)

5. The certificate is valid only for the person named therein.

---

1. Inserted by the II (Fourth Amdt.) Rules, 1988, w.e.f. 1.6.1988

[72][Part VI A

[73]COLLECTION OF TAX AT SOURCE

Certificate for no collection of tax at source under section 206C(1)

37C. (1) The Certificate to be given by the Assessing Officer to the effect that of the goods referred to in the Table in sub-section (1) of section 206C are be utilised for the purposes of manufacturing processing or producing articles things and not for trading purposes shall be in Form No. 27C

(2) The certificate given under sub-rule (1) shall be valid for such period (not exceeding one year from the date of certificate) as the Assessing Officer may specify therein, unless it is cancelled by him at any time before the expiry of the specified period.

(3) An application for a fresh certificate may be made, if required, after the expiry of the period of validity of the earlier certificate.

(4) The certificate shall be valid only for the person named therein. Certificate for collection of tax at source under section 206C(5)

आवास विकास संस्थान के घाटे की जांच

35. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवास विकास संस्थान को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवास विकास संस्थान को बन्द करने से पहले इसमें घाटा हुआ? यदि हां, तो कितना व इसके दोषी कौन हैं? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान द्वारा आवास विकास लिमिटेड को शेयर राशि दी गई थी? यदि हां, तो कितनी और उक्त शेयर राशि कब लौटाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवास विकास संस्थान को बन्द कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही आवास विकास संस्थान की दिनांक 26.3.1999 को आयोजित विशेष साधारण सभा की बैठक मे संलग्न परिशिष्ट "अ" के निर्णयानुसार की गई थी क्योंकि संस्थान को चालू रखना सम्भव नहीं था। अतः उक्त निर्णयानुसार दिनांक 26.3.1999 को इसका अवसायन कर दिया गया।

(2) वस्तुतः संस्थान को किसी संस्था एवं राज्य सरकार से कोई बड़े निर्माण कार्य मिलने की सम्भावना न होने के फलस्वरूप संस्थापन व्यय अधिक होने व लगातार बढ़ते रहने के कारण दिन प्रतिदिन देनदारियों बढ़ती जाने से उक्त बैठक में संस्थान को अवसायन में लाने का निर्णय संस्था द्वारा लिया गया। चूंकि संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताया गया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं बनता है।

(3) आवास विकास संस्थान द्वारा आवास विकास लिमिटेड को शेयर राशि के रूप में रुपये 20 लाख दिये गये थे। जिसके विरुद्ध कम्पनी के 10 रुपये सममूल्य के 2 लाख शेयर संस्थान के नाम जारी किये गये थे। उक्त राशि आवास विकास लिमिटेड द्वारा संस्थान को वापस नहीं लौटाई गई है। उक्त शेयर संस्थान की परिसम्पत्तियों की परिभाषा में आने के फलस्वरूप अवसायन कमेटी के निर्णयानुसार इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल को सममूल्य पर हस्तान्तरित कर दिये गये थे जिसकी राशि का समायोजन राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

विशेष साधारण सभा में लिये गये निर्णय

आज दिनांक 26.3.1999 को विशेष साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान आवासन मण्डल के बोर्ड कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्न पदाधिकारीगण एवं साधारण सभा के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :—

1.	श्री मानसिंह देवड़ा अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं आवास विकास संस्थान	अध्यक्ष
2.	डा. सुधीर वर्मा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. मीणा आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	नरहरी शर्मा विशिष्ट शासन सचिव, विशिष्ट परियोजनाएं	अध्यक्ष
5.	श्री प्रीतम सिंह निदेशक, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
6.	श्री आर. के. शर्मा मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
7.	श्री बी. एस. सोइन क्षेत्रीय प्रमुख, हडको	सदस्य
8.	श्री बी. एन. मूलचन्दानी मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
9.	श्री गौतम भगत प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी.	सदस्य
10.	श्री डी. पी. गुप्ता स. महाप्रबन्धक, यू. बी. आई.	सदस्य
11.	श्री वाई. के. भट्ट निदेशक नगर नियोजन, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
12.	श्री आर. पी. जैन निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
13	श्री ए. एन. पुरोहित प्रबन्ध निदेशक, आ. वि. स.	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज की बैठक के विषय-वस्तु संस्थान की वर्तमान स्थिति मय लेखा जोखा साधारण सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि गत वर्ष में संस्थान को किसी प्रकार का बड़ा कार्य किसी संस्था द्वारा आबंटित नहीं किया गया है एवं निकट भविष्य में संस्थान को कार्य मिलने की भी सम्भावना नहीं हैं तथा वर्तमान में संस्थान में कोई प्रमुख निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। संस्थान प्रमुखतः राज्य सरकार द्वारा आबंटित निर्माण कार्यों पर ही निर्भर रहता है। उक्त स्थिति से कार्य के अभाव में संस्थापन व्यय के रूप में संस्थान द्वारा गत वर्षों में अर्जित रक्षित धन भी पूरी तरह से प्रायः समाप्त हो गया है एवं दिन प्रतिदिन देनदारियों बढ़ती जा रही हैं। संस्थान की स्थिति मद्देनजर रखते हुये राज्य सरकार ने हाल ही में इस आशय का एक आदेश भी जारी किया है कि भविष्य में आवास विकास संस्थान को किसी भी राजकीय विभाग एवं संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आबंटित नहीं किया जाए तथा ना ही किसी प्रकार की अग्रिम राशि भुगतान किया जाए। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संस्थान को चालू रखना असम्भव हो गया है।

विस्तार से इस बिन्दु पर चर्चा के पश्चात् निम्न विषय बिन्दुओं पर निम्नानुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये :—

निर्णय संख्या-1

1- आवास विकास संस्थान को तत्काल-प्रभाव से दिनांक 26.3.1999 से अवसायन में लाया जाता है क्योंकि संस्थान को चालू रखना असम्भव है।

2- अवसायन की समस्त प्रक्रिया को सम्पादित करने हेतु जिसमें लेनदारियों/देनदारियों का चुकारा एवं समायोजन भी शामिल है, के लिये निम्न कमेटी का गठन किया जाता है :—

1.	आवासन आयुक्त, रा. आ. मं.	अध्यक्ष
2.	श्री आर. सी. सिंघवी अति. मुख्य अभियन्ता	सदस्य
3.	श्री एल. पी. खण्डेलवाल वरिष्ठ लेखाधिकारी	सदस्य
4.	श्री आर. के. गुलाटी उप आवासन आयुक्त	सदस्य-सचिव

कमेटी में उक्त सदस्यों के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार एक या दो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार कमेटी के अध्यक्ष आवासन आयुक्त को होगा तथा आवश्यकतानुसार सदस्यों में फेरबदल का अधिकार भी उन्हें होगा।

3- उक्त कमेटी को अवसायन प्रक्रिया के सम्बन्ध में साधारण सभा अपने समस्त अधिकार प्रत्यायोजित (डेलिगेट) करती है।

निर्णय संख्या-2

अवसायन के सम्बन्ध में अन्य बिन्दु-संस्थान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारीगण की सेवाओं के सम्बन्ध में:—

1. संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से अपने पैतृक विभाग में भेजा जाए।
2. संस्थान की स्वयं की सेवा के कर्मचारी अधिकारीगणों को वर्तमान में प्रभावी श्रम कानून व अन्य कानून के अन्तर्गत नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही अविलम्ब की जाए तथा इस निर्णय की क्रियान्वयन हेतु अवसायन कमेटी को अधिकृत किया जाता है।
3. संस्थान के कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति के उपरान्त अन्य विभागों में राज्य सरकार के आश्वासन के अनुसार नियोजित करवाने में कमेटी सहयोग करेगी।

अवसायन की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु उक्त कमेटी को विशेष साधारण सभा द्वारा निम्न अधिकार दिए जाते हैं :—

1. अवसायन के सम्बन्ध में जो भी न्यायिक वाद या अन्य प्रकरण उत्पन्न होंगे, उसका निपटारा भी संस्थान की तरफ से कमेटी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
2. देनदारियों एवं लेनदारियों के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति एवं नियम बनाने के लिये उक्त कमेटी अधिकृत रहेगी। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के अवसायन के सम्बन्ध में अन्य जो भी मुद्दे या बिन्दु उत्पन्न होंगे, उसके निस्तारण के लिये भी यह कमेटी पूर्ण रूप से सक्षम होगी।
3. राज्य सरकार द्वारा संस्थान को अवसायन के सम्बन्ध में अनुमति दी जा चुकी है।
4. अवसायन हेतु उक्त प्रकार से अधिकृत कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह अपने में से किन्हीं 2 व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से संस्थान के बैंक से लेनदेन खातों के संचालन के लिये अधिकृत कर दें तथा उनके द्वारा ही भविष्य में समस्त प्रकार के बैंकों से या अन्य संस्थानों से लेनदेन चैक आदि से किये जायेंगे।
5. संस्थान का पंजीकरण समाप्त करने की कार्यवाही हेतु भी कमेटी को अधिकृत किया गया।
6. विगत वर्षों में जब संस्थान के पास कार्यों की कमी थी उस समय भी अगर संस्थान में कोई कर्मचारियों की अनावश्यक नियुक्तियां की गई हो तो इस आरोप की जांच करके जिम्मेदारी तय करने का अधिकार कमेटी को होगा।

7. संस्थान के आवास विकास लिमिटेड में निहित शेयरों के बाबत भी यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह भी संस्थान की परिसम्पत्ति की परिभाषा में आता है अत: इसके निस्तारण बाबत भी कमेटी विधिसम्मत निर्णय ले एवं आवास विकास लिमिटेड भी साधारण सभा की बैठक बुलाकर निर्णय ले।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त भी ऐसे बिन्दु जिनका उल्लेख ऊपर नहीं हुआ है या अन्य नए बिन्दु जो अवसायन के पश्चात् उत्पन्न हुये हैं, उन पर समुचित निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार अवसायन कमेटी में निहित रहेगा।

अन्त में अन्य कोई मुद्दा नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा समाप्त हुई।

तारांकित प्रश्न संख्या-36

(स्थगित)

मण्डावर से जयपुर व दिल्ली हेतु बस सेवा

37. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुण्डावर से अलवर के लिये सायंकाल में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की एक भी बस संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मुण्डावर से अलवर एवं देहली व जयपुर के लिये बसें सीधी संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पेहल से खैरथल (अलवर) जो बस संचालित होती थी उसे बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि मुण्डावर तहसील-हैडक्वार्टर होते हुये भी जयपुर एवं देहली के लिये कोई बस सेवा नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त बस रूटों पर बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुण्डावर से अलवर के लिये सायंकाल पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) जी हां। पूर्व में मुण्डावर-अलवर-जयपुर के लिये सीधी बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया था परन्तु पर्याप्त यात्रीभार न मिलने के कारण इसका संचालन बन्द कर दिया गया है। मुण्डावर से देहली के लिये बस हेतु पर्याप्त यात्रीभार न मिलने के कारण सीधी बसें नहीं चलाई गई।

(3) जी हां। अलवर-खैरथल-पेहल मार्ग पर पूर्व में संचालित सेवा को 38 प्रतिशत यात्रीभार एवं 6.76 रुपये औसत आय प्रति कि.मी. ही प्राप्त हुई। जिसकी आय आगार की संचालन लागत से भी कम होने के कारण इसका संचालन बन्द करना पड़ा।

(4) जी हां। मुण्डावर से जयपुर एवं देहली के लिये पर्याप्त मात्रा में सीधा

(यातायात मंत्री)

यात्रीभार उपलब्ध न होने तथा अनार्थिक रहने के कारण निगम की कोई बस सेवा संचालित नहीं है।

(5) जी नहीं, उक्त रूटों पर पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा निगम की वित्तीय स्थिति व संसाधनों को देखते हुये फिलहाल उक्त मार्ग पर निगम बस का संचालन वर्तमान में सम्भव नहीं है।

जिला नागौर में वृद्धावस्था पेंशन पर रोक

38. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला नागौर में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पात्रता रखने वाले राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को दी गई और चालू वर्ष 2001-2002 में कितने लोगों को देना चालू कर रखा है?

(2) वर्ष 2000-2001 में राज्य वृद्धावस्था पेंशन राज्य सरकार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ज़िला नागौर में कितने लोगों को दी गई है व चालू वर्ष 2001-2002 में कितने लोगों को दी जा रही है?

(3) क्या वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में भारत सरकार की राशि भी सम्मिलित है? यदि हां, तो उसका अनुपात भारत सरकार व राज्य सरकार का कितना-कितना है?

(4) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता रखने वाले वृद्धावस्था पेंशनधारियों को जिन्हें पेंशन दिया जाना चालू था परन्तु वर्तमान में उनकी पेंशन बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो बन्द करने का क्या कारण है और ऐसे कितने लोगों की पेंशन उक्त जिले में बन्द की गई है तथा उक्त पेंशन कब से बन्द है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में नागौर जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता रखने वाले 6371 लोगों को पेंशन दी गई तथा वर्ष 2001-2002 में 5380 लोगों को पेंशन देना चालू रखा गया है।

(2) वर्ष 2000-2001 में नागौर जिले में राज्य वृद्धावस्था पेंशन 2940 लोगों को दी गई तथा वर्ष 2001-2002 में 2887 लोगों को पेंशन देना चालू रखा गया।

(3) राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले 58 से 65 वर्ष तक के निराश्रित वृद्ध पुरुषों को 100/- प्रति माह, 55 से 65 वर्ष तक की निराश्रित वृद्ध महिलाओं को 200/- प्रति माह एवं विधवाओं को दी जाने वाली 200/- प्रति माह पेंशन राशि में भारत सरकार से प्राप्त कोई राशि सम्मिलित नहीं है। 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि में वित्तीय वर्ष 2001-2002 में भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि रुपये 1390.64 लाख सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा यह राशि इस वर्ष

(समाज कल्याण मंत्री)

1,48,568 निराश्रित वृद्धों को 75/- प्रति माह की दर से उपलब्ध करवाने हेतु आबंटित की गई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन मद में 7,90,766 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिये राशि रु. 18174.19 लाख का प्रावधान किया गया है। जबकि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के लिये राशि रुपये 1390.60 लाख का ही प्रावधान किया गया है। इस प्रकार वृद्धावस्था पेंशन के लिये राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष किये गये बजट आबंटन एवं भारत सरकार द्वारा इसी मद में किये गये बजट आबंटन का अनुपात 13 : 1 है। स्पष्ट कि राज्य सरकार का अंशदान भारत सरकार के अंशदान का 13 गुना है।

(4) जी नहीं, भारत सरकार द्वारा जितने व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, उसमें ज्यादा संख्या की राष्ट्रीय वृद्धावस्था की पात्रता के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अब स्वीकृत किये जा रहे प्रकरण राज्य वृद्धावस्था पेंशन नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की स्थिति में ही स्वीकृत किये जा रहे हैं क्योंकि पेंशन की पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। विभागीय आदेश एफ 9 (5) 6 वृपे / सकवि / 99 / 76122-154 दिनांक 17.11.1999 व पत्रांक 4433-65 दिनांक 1.8.2000 के अनुसार नागौर जिले में जांच में अपात्र पाये गये 2541 लोगों की पेंशन बन्द कर दी। पेंशन बन्द करने की उप कोषागारवार तिथि निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	नाम उप कोष	पेंशन जिस माह में बन्द की गई
1.	नावां, परबतसर	8/2000
2.	मेड़तासिटी लाडनूं, नागौर, खींवसर, डीडवाना, मकराना, जायल	11/99
3.	डेगाना	7/2001

राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ द्वारा फर्जी खरीद

39. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ द्वारा फर्जी सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदने/बेचने आदि की शिकायत लेखाकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब तथा क्या-क्या शिकायतें व उक्त पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में कोई जांच कराई है? यदि हां, तो कब किसके द्वारा तथा जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति, की गई कार्यवाही विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा फर्जी सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदने/बेचने आदि की शिकायतें संघ के लेखाकार को प्राप्त नहीं हुई, अपितु दो शिकायतें रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को दिनांक 11.4.2001 को तथा एक अन्य

(सहकारिता मंत्री)

शिकायत 7.5.2001 को प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित शिकायतें भी शामिल थी :—

1. फर्जी सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदने व बेचने बाबत।
2. संघ के अधिकारी व व्यापारीगण के आपसी मिलीभगत।
3. फर्जी रिकार्ड तैयार करना।
4. हल्की क्वालिटी का कपड़ा खरीद कर सरकार को सप्लाई कर सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाना।
5. यार्न खरीदने के फर्जी बिल तैयार करना इत्यादि।

(2) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा तत्कालीन महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ (संयुक्त रजिस्ट्रार प्रतिनियुक्ति पर) को जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। जांच प्रक्रियाधीन है, अंतिम जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जिला जैसलमेर की सड़कों की मरम्मत

40. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जैसलमेर में कुल कितनी सड़कें विभाग के रख-रखाव में हैं? सड़कों की लम्बाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विपणन, सिंचित क्षेत्र विकास तथा अन्य एजेन्सी सड़क निर्माण कर विभाग को सुपुर्दी पत्र देकर बरी हो गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत अकाल राहत की कई ग्रवेल सड़कें अधूरी पड़ी हैं तथा खानों में ग्रेवल स्टाक है?

(4) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने से उक्त सड़कों का रख-रखाव सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है?

(5) क्या सरकार अधूरी सड़कों को पूरी करने तथा सभी सड़कों को चार्ज में लेकर रख-रखाव की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में विभाग के पास 227 सड़कें रख-रखाव की सूची में हैं। सड़कों का विवरण लम्बाई सहित परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। परन्तु राज्य सरकार के समुचित निर्णय के पश्चात् ही इस प्रकार की सड़कों के संधारण का दायित्व लिया जाता है। इसी संदर्भ में हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय समिति ने कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों के संधारण का दायित्व विभाग द्वारा नहीं लेने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा जैसलमेर जिले की जिन सड़कों का दायित्व सम्भाला है उनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां।

(4) जी हां। जैसलमेर जिला सीमान्त जिला होने के कारण मुख्य सड़कों का रख-रखाव सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है।

(5) अधूरी सड़कों को पूर्ण करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। सड़कों को चार्ज में लेकर उनका रख-रखाव करना भी राज्य सरकार की नीतिगत मामला है जो कि वित्तीय ससाधनों पर निर्भर करता है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अकाल के स्थायी समाधान हेतु प्रस्तावित योजना

41. श्री देवीसिंह भाटी (उनियारा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) प्रदेश में वर्ष 1951 से जुलाई, 2001 तक वर्षवार अकाल राहत मद में कुल कितनी राशि व्यय हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1951 से जुलाई, 2001 तक वर्षवार मजदूरी, सामग्री, चारा, पानी के मद में अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अकाल वर्ष की विभीषिका छंटने के बाद अकाल के स्थाई समाधान के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया एवं समयबद्ध कार्यक्रम होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अब तक अकाल के स्थाई समाधान के लिये कोई योजना तैयार की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "अ"

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ब" वर्ष 1990-91 से मदवार विवरण दिया गया है।

(3) अकाल एक प्राकृतिक आपदा है जो कि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। अकाल की स्थिति से निपटने हेतु राज्य के सभी जिलों से योजना बनाने हेतु कन्टींजेंसी प्लान बनवाये गये हैं व इन पर कार्य करने की योजना त्वरित गति से चल रही है।

(4) सूखे के स्थाई समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है—जैसे मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास Combetting कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंदिरा गांधी नहर का मरुस्थलीय जिलों में विस्तार, वृक्षारोपण तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों को लाभान्वित करने के लिये स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यक्रम।

परिशिष्ट "अ"

Expenditure Incurred Under Relief Operations in Rajasthan Since 1950-51 to 1989-90

(Rs. In Lac)

YEAR	EXPENDITURE
1950-51	36.06
1951-52	30.63
1952-53	104.80
1953-54	49.57
1954-55	15.72
1955-56	25.57
1956-57	6.13
1957-58	17.58
1958-59	24.70
1959-60	3.96
1960-61	14.72
1961-62	40.29
1962-63	11.01
1963-64	126.95
1964-65	416.58
1965-66	112.55
1966-67	1141.98
1967-68	793.47
1968-69	1542.07
1969-70	6307.36
1970-71	4210.81
1971-72	222.68
1972-73	1179.24
1973-74	5109.68
1974-75	704.16
1975-76	1025.85
1976-77	207.41
1977-78	265.68
1978-79	430.54
1979-80	1662.30
1980-81	3331.47
1981-82	14015.01
1982-83	11396.75
1983-84	7629.94
1984-85	1043.64
1985-86	9133.07
1986-87	16840.91
1987-88	62231.32
1988-89	32440.71
1989-90	3186.73
Total	187089.60

Expenditure Incurred Under Relief Operations In Rajasthan Since 1990-91 To 2001-2002

Rs. In Lac

YEAR	EXPENDITURE
1990-91	4219.97
1991-92	637.95
1992-93	15762.52
1993-94	5838.38
1994-95	19908.49
1995-96	7686.59
1996-97	24025.64
1997-98	4796.29
1998-99	24536.05
1999-2000	27836.78
2000-2001	62374.00
2001-2002 Upto 7/2K1	36045.20

परिशिष्ट "ब"

Expenditure From 1990-91 to 2001-2002

Rs. In lac

Year	Labour & Material	Fodder	Drinking Water
1990-91	2613.00	—	1140.23
1991-92	220.00	225.97	58.81
1992-93	10417.00	544.01	1993.74
1993-94	2384.00	80.40	868.48
1994-95	13418.00	522.08	2392.94
1995-96	4348.00	0.86	117.72
1996-97	19426.00	310.01	385.16
1997-98	417.00	5.60	25.07
1998-99	18139.00	6.68	507.19
1999-2000	26961.00	177.62	85.97
2000-2001	54607.84	4097.62	600.61
2001-2002 up to 7/2001	31524.90	3142.94	536.90

कृषि उपज मण्डी हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर से प्राप्त आय का उपयोग

42. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में आय के क्या स्रोत हैं? वर्ष 1999 से मार्च, 2001 तक उक्त कृषि उपज मण्डियों में कुल कितनी-कितनी आय हुई? उक्त आय को किस-किस मानदण्ड के आधार पर व्यय किया जाता है?

(2) क्या एक कृषि उपज मण्डी की आय को किसी अन्य कृषि उपज मण्डी में व्यय किया जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कृषि उपज मण्डी की आय से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर व्यय किया जा सकता है? यदि हां, तो उक्त मण्डियों में किन-किन सड़कों पर कितना-कितना व्यय किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कृषि उपज मण्डी श्रीगंगानगर में तहसील सादुलशहर सिंचाई भाखड़ा का हिस्सा आता है? यदि हां, तो क्या उक्त हिस्से को गंग कैनाल में खर्च किया है? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर के आय के स्त्रोत एवं प्रश्नांकित अवधि की आय संलग्न परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है। मण्डी समिति की आय में से बोर्ड अंशदान, संस्थापन व्यय, अधूरे निर्माण कार्य एवं अन्य अपरिहार्य व्यय व देनदारियों तथा मण्डी शुल्क का 15 प्रतिशत आरक्षित करने के पश्चात् शेष राशि में से 60 प्रतिशत राशि ग्रामीण सम्पर्क सड़कों एवं 40 प्रतिशत राशि मण्डी प्रांगण के निर्माण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रश्नांकित मण्डी समितियों में उक्त अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर कोई व्यय नहीं किया है।

(4) जी हां। गंग कैनाल जीर्णोंदार हेतु श्रीगंगानगर मण्डी समिति से राशि तीन करोड़ आबंटित की गई है। माननीय विधायक महोदय से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें इस निर्णय का हृदय से स्वागत किया गया है।

मण्डी समिति श्रीगंगानगर के पास विकास हेतु उपलब्ध शेष राशि से मण्डी क्षेत्राधिकार में व्यय करने की योजना मण्डी के प्रस्तावतानुसार तैयार की जावेगी।

कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर के आय स्त्रोत एवं वर्ष 1999-2000, 2000-01 की आय का विवरण (राशि लाख रुपये में)

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम मद	कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़		कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर अनाज		कृ.उ.म.स. श्रीगंगानगर फ.स. लकड़ी	
		1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	0.14	0.15	0.32	0.13	0.05	0.03
2.	मण्डी शुल्क से आय	389.18	446.74	421.13	448.86	60.05	64.33
3.	जमाधन पर ब्याज	0.25	10.39	40.93	33.53	4.92	6.42
4.	विलम्ब शुल्क	0.06	0.07	0.25	0.12	0.11	0.18
5.	भवन किराये से आय	2.13	2.54	69.41	121.44	3.00	5.90
6.	ठेके से आय	0.23	2.11	—	—	—	—
7.	जुर्माना	1.90	1.36	0.37	0.31	0.90	0.05
8.	फार्म पर्ची विक्रय	—	—	0.25	0.27	0.03	0.08
9.	अन्य	2.91	32.13	30.22	34.16	3.86	1.75
	योग	396.80	495.49	562.86	638.82	72.11	78.74

विधान सभा क्षेत्र छोटी सादड़ी में स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन

43. श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छोटी सादड़ी में रामदेव जी का गोमाना एवं साठोला 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक चालू कराकर पूर्ण करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी क्षेत्र में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर्स दो माह से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं? क्या इससे काश्तकारों को कृषि कार्य में परेशानी हो रही है? अधीक्षण अभियंता चित्तौड़गढ़ ने उक्त सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रखी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की छोटी सादड़ी में रामदेव जी का गुमाना में 33 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा साठोला में 33 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया जारी है जिसको पूर्ण कर शीघ्र स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। रामदेव जी का गुमाना में सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 2001-02 में शुरू कर वित्तीय वर्ष 2002-03 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। साठोला सब स्टेशन का कार्य वर्ष 2003-04 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में जले हुये ट्रांसफार्मर निरंतर बदले जा रहे हैं। अप्रैल 2001 अक्टूबर, 2001 तक वृत स्टोर से 389 ट्रांसफार्मर बदलने हेतु उपलब्ध करवाये गये है जिसका उपखण्डवार, माहवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। जले हुये ट्रांसफार्मर मरम्मत करने वाली कम्पनियों में नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं और मरम्मत के बाद प्राप्त होने पर उन्हें बदलने हेतु पुनः उपलब्ध करवा दिये जाते हैं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(अजमेर वृत)

सूची "अ"

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी क्षेत्र में जले हुये ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु उपलब्ध कराये गये ट्रांसफार्मर

क्र. सं.	माह	निम्बाहेड़ा		छोटी सादड़ी
		उपखण्ड (धवस)	उपखण्ड (ग्रा.)	
1.	अप्रैल-01	7	17	14
2.	मई-01	11	11	10
3.	जून-01	7	13	14
4.	जुलाई-01	4	11	7
5.	अगस्त-01	3	27	13
6.	सितम्बर-01	22	45	25
7.	अक्टूबर-01	24	57	47
योग		78	181	130

कुल - 389

अल्प बचत योजना कार्यक्रम में जमा राशि के उपयोग के नियम

44. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अल्प बचत योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प बचत प्रोत्साहन मद में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में जिला झुंझुनूं को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(2) उक्त राशि में से उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई तथा कितनी राशि शेष है ?

(3) उक्त मद की राशि व्यय करने हेतु स्वीकृति सम्बन्धी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार-वित्त विभाग, अल्प बचत विभाग अथवा अन्य किसी एजेन्सी द्वारा क्या कोई निर्देश/नियम आदि बने हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्प बचत योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प बचत जिला प्रोत्साहन मद में झुंझुनूं जिले को 99-2000 से 2000-2001 के दौरान निम्नानुसार धन राशि प्राप्त हुई :—

वर्ष	स्थायी निर्माण मद	प्रचार प्रसार मद	व्यैक्तिक पुरस्कार मद	कुल योग
99-2000 97-98 की उपलब्धि पर	7,53,000/-	11,54,000/-	1,78,000	20,85,000
2000-01	—	25,37,000/-	3,90,000	29,27,000/-
योग	7,53,000/-	36,91,000/-	5,68,000	50,12,000/-

(2) व्यय की गई राशि का मदवार विवरण निम्नप्रकार है:—

वर्ष	स्थायी निर्माण मद ग्रामीण शहरी योग	प्रचार प्रसार मद	व्यैक्तिक प्रो. मद	कुल योग
1999-2000	वित्त विभाग के आदेश 90 दिनांक 1.4.1999 द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाने के कारण कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया आदेश प्रति संलग्न।	7,33,067	1,77,895	910962
2000-01	7,74,000 2,63,000 1037000 (कार्यों की विस्तृत सूची जिन पर राशि व्यय की गई संलग्न है)।	7,88,819	2,49,431/- —	2075250
योग	774000 263000 1037000	1521886	427326	3086212
	(−) 284000	2169114	140674	1925788

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

(3) उक्त मद की राशि खर्च करने हेतु वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश प6/2/वित्त/राले-1/89 दिनांक 16 मार्च, 1998 व प 6 (37) अब/जिप्रो.पु.यो/98 दिनांक 27 जनवरी, 1999 एवं प6(37) अब/ जिप्रो.पु.यो/98 दिनांक 3 जुलाई, 2000 के दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(दिशा निर्देशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम रूपवास (अलवर) में वन भूमि पर अतिक्रमण

45. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रूपवास, तहसील-तिजारा, जिला अलवर में कुछ व्यक्तियों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है? यदि हां, तो कब से? उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या उक्त प्रकरण में संयुक्त पैमाइश वन/राजस्व विभाग ने की है? क्या पैमाइश के बाद भी भूमि वन विभाग की पाई गई? पैमाइश (सम्भूत) की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बाबत सहायक वन संरक्षक अलवर द्वारा कोई फैसला सुनाया गया है? यदि हां, तो उक्त फैसले के बाद अतिक्रमण हटाने की क्या कार्यवाही की गई? उक्त अतिक्रमण हटाने लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? फैसले की नकल सदन की मेज पर रखें।

(4) अब कब तक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम रूपवास तहसील तिजारा जिला अलवर की पश्चिम सीमा पर रूध रूपवास उर्फ पहाड़ सामलात की लगभग 12 बीघा (3 हैक्टेयर) वन भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

इस अतिक्रमण की सूचना स्थानीय रूपवास के व्यक्तियों द्वारा दिनांक 17.7.2001 को पंचायत समिति तिजारा में आयोजित विकास शिविर में तथा एक शिकायती पत्र द्वारा दिनांक 20.7.2001 वन मण्डल कार्यालय अलवर में दी गई।

क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढ़वास द्वारा मौका स्थिति व रिकार्ड अनुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 13.8.2001 को न्यायालय सहायक वन संरक्षक अलवर में इस्तगासा दायर किया गया। दिनांक 6.9.2001 को उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी अलवर, उप खण्ड अधिकारी तिजारा सहायक वन संरक्षक अलवर की उपस्थिति में राजस्व एवं वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भूमि की पैमाइश कर वन सीमा का निर्धारण किया गया। दिनांक 7.9.2001 को न्यायालय सहायक वन संरक्षक अलवर द्वारा वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित कर अतिक्रमियों के बेदखली के आदेश पारित किये गये। आदेश की अनुपालना में दिनांक 19.9.2001 को मौके पर खड़ी फसल की बोली लगाई गई लेकिन कोई बोली लगाने हेतु मौके पर

(राज्य मंत्री, वन)

उपस्थिति नहीं हुआ तो प्रशासन, पुलिस एवं वनक्रमियों के सहयोग से खड़ी फसल में मवेशियों को छोड़ कर वन भूमि पर खड़ी फसल को खुर्द-बुर्द करवाकर बेदखली की कार्यवाही की गई।

(2) जी हां। संयुक्त पैमाइश वन एवं राजस्व विभाग ने की है एवं पैमाइश के बाद उपरोक्तानुसार वन विभाग की भूमि पाई गई है। संयुक्त पैमाइश की रिपोर्ट सदन के मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। न्यायालय सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.) अलवर द्वारा दिनांक 7.9.2001 को उक्त वाद का फैसला वन विभाग के पक्ष में सुनाया गया है उक्त फैसले के अनुपालना में क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढ़वास, तहसीलदार तिजारा एवं पुलिस बल द्वारा सहायक वन संरक्षक अलवर की उपस्थिति में दिनांक 19.9.2001 को वन भूमि में खड़ी फसल में मवेशी छुड़वाकर खुर्द-बुर्द करवाया गया तथा अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढ़वास की है। सहायक वन संरक्षक न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.9.2001 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) दिनांक 19.9.2001 को वन भूमि पर खड़ी फसल को खुर्द-बुर्द करवाकर अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया था।

उक्त भूमि के कुछ भाग लगभग एक बीघा (2650 वर्गमीटर) पर 5 व्यक्तियों ने 16.10.2001 को पुनः अतिक्रमण कर लिया है। पुनः अतिक्रमण का प्रकरण दिनांक 16.10.2001 को न्यायालय सहायक वन संरक्षक अलवर में दर्ज करवा दिया गया है। प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् नियमानुसार पुनः बेदखली कार्यवाही की जायेगी।

(न्यायालय के निर्णय की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर व्यय

46. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में जयपुर शहर में कौन-कौनसी सड़कें बरसात में क्षतिग्रस्त हुई हैं और उक्त की मरम्मत का कार्य कब-कब हुआ? जोनवार व सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य किन-किन ठेकेदारों के द्वारा करवाया गया? उक्त ठेकेदारों को किस-किस सड़क के कितनी-कितनी राशि के ठेके दिये गये? जोनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत कार्य के पेटे किस-किस जोन में किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान हो चुका है एवं कितना-कितना बाकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षा में जयपुर शहर में सड़कों पर कुछ पेच पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य वर्षा की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

समाप्ति के बाद प्रारम्भ किया गया। जोनवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जोनवार सड़क मरम्मत कार्य जिन ठेकेदारों से जितनी राशि का ठेका दिया उसका जोनवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सड़कों की मरम्मत कार्य के भुगतान का जोनवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रेनाइट खनन विकास हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के सम्बन्ध में इकरारनामा

47. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जुलाई, 2000 में ग्रेनाइट के खनन विकास की दृष्टि से कोई गजट विज्ञप्ति जारी की है? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञप्ति के तहत निदेशक खनिज एवं भू-गर्भ विभाग ने कितने प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस उक्त विज्ञप्ति के तहत जारी किये हैं?

(3) क्या उक्त प्रोस्पेक्टिंग होल्डर्स से कोई इकरारनामा उनके पी.एल. की शर्तों को निर्धारित किये जाने हेतु व उन्हें पी.एल. के तहत विभागीय रवन्ना पर खनिज निकालने की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार द्वारा इकरारनामा न किये जाने के मुख्य कारण क्या रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इकरारनामा न किये जाने के फलस्वरूप पी.एल. होल्डर्स द्वारा किया गया विनियोजन उत्पादन के कार्य में नहीं आ रहा है और पी.एल. होल्डर्स द्वारा बार-बार निवेदन किये जाने पर भी सरकार इकरारनामा किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में असमर्थ रही है, जिसके फलस्वरूप पी.एल. होल्डर्स अपने द्वारा किये गये विनियोजन का उपयोग खनिज उत्पादन में लेने में असमर्थ रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञप्ति की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) उक्त विज्ञप्ति के तहत निदेशक, खान विभाग, राजस्थान द्वारा अब तक कुल 18 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा लागू ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र का प्रावधान व इसकी संविदा का प्रफोर्मा को सम्मिलित करने हेतु नियमों में संशोधन जारी होने के बाद ही स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों का संविदा निष्पादन निर्धारित प्रफोर्मा में किया जा सकेगा। इस हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। पी.एल. खनिज उत्पादन हेतु स्वीकृत नहीं की जाती है, अपितु क्षेत्र में उपलब्ध खनिज की मात्रा एवं गुणवत्ता का पता करने के लिये दी जाती है। वर्तमान स्थिति में विनियोजन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

Regd. No.RJ.33/97
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित
Published by Authority

आषाढ़ 22, गुरुवार, शाके 1922-जुलाई 13,2000
Asadha 22, Thursday, Saka 1922-July 13,2000

भाग 1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 11, 2000

संख्या एफ. 12(78)खान/ग्रुप-2/91/पार्ट :—राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 या इसके अधीन जारी किसी भी अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी उक्त नियमों के नियम 65 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा, खनिज विकास के हित में यह अधिसूचित करती है कि खातेदार या निजी भूमि धारक या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसने पारस्परिक विधिक करार के आधार पर खातेदार या भू-धारक से सतह के अधिकार अर्जित कर लिये हों, खातेदारी या अन्य निजी भूमि में खनिज ग्रेनाइट के लिये खनन पट्टे की मंजूरी हेतु प्रस्तुत आवेदनों को पुर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन के रूप में माना जायेगा, जिनका विनिश्चय निदेशक, खान और भूगर्भ विभाग द्वारा किया जायेगा।

MINES (GR.II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 11,2000

No.F.12(78)Khan/Gr.II/91/Part :—Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Minor Mineral Concession Rule, 1986 or any notification issued under it, the State Goverment in exercise of the powers conferred by rule 65 A of the said rules hereby notifies in the interest of mineral development that the applications submitted for grant of mining lease for mineral granite in Khatedari or other private land by Khaterdar or private land holder or such other person having acquired surface rights from the khatedar or land holder on basis of mutual legal agreement shall be treated as application for prospecting licence which will be decided by Director, Mines & Geology Department.

By order of the Governor,

ह/-

Deputy Secretary to Govt.

निगम की बसों से प्रति किलोमीटर आमदनी के निर्धारित मानदण्ड

48. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संचालित बसों के लिये रूटवार कोई प्रति किलोमीटर आमदनी का मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो रूट किन-किन श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं तथा प्रति किलोमीटर आमदनी विभिन्न श्रेणियों के रूटों पर कितनी-कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर से अजमेर वाया डेगाना रूट पर संचालित परिवहन निगम की बसों के लिये प्रति किलोमीटर आमदनी का मानदण्ड कितना है? उक्त मार्ग को किस श्रेणी में रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रति कि.मी. आमदनी के आधार पर रूटों का श्रेणीकरण नहीं किया हुआ है।

(2) इस भाग का उत्तर प्रथम भाग में दिया जा चुका है।

रजोपा-सीनोता (कोटा) सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की जांच

49. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रजोपा चम्बल ढीबरी रोड से ग्राम सीनोता (कोटा) तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी लम्बी सड़क तथा इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग में लाने व अन्य अनियमितताओं की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के घटिया निर्माण के कारण सड़क पर निर्माण के तुरन्त बाद गड्ढ़े पड़ने व साइडों से मिट्टी कटाव होने लगा है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग एवं अन्य अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सम्पर्क सड़क सीनोता की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 14.70 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 21.5.2001 को 2 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण कार्य करने के लिये प्राप्त हुई थी।

(2) निर्माण कार्य में कुछ अनियमितताओं के बारे में गांव वालों की शिकायत श्री रामगोपाल बैरवा विधायक द्वारा दिनांक 24.9.2001 को भिजवाई गई थी।

(3) जी नहीं। सड़क निर्माण के बाद सड़क में किसी प्रकार के गड्ढे नहीं हुये है,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पटरियों की मिट्टी में बरसात के बाद कहीं-कहीं कटाव हुआ है। जिसे ठीक किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कराये जाने वाले कार्यों का कार्य पूर्ण होने से 3 वर्ष की अवधि तक संधारण व रख-रखाव की जिम्मेदारी कार्य करने वाले सम्वेदक की ही रहती है।

(4) जी नहीं। कार्य का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया गया है तथा मौके पर कोई घटिया निर्माण नहीं होना पाया है। अतः किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं हैं।

ग्राम पंचायत देवड़ावास (टोंक) के अकाल राहत कार्यों में अनियमितता की जांच

50. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 29 सितम्बर, 2001 को थाना घाड जिला टोंक में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,467,468 के अंतर्गत विकास अधिकारी देवली टोंक द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल राहत कार्यों में आमली ग्राम से भैरूजी ग्रेवल रोड ग्राम पंचायत देवड़ावास के निर्माण हेतु 4.50 लाख रुपयों की स्वीकृति दिनांक 3 मई, 2001 को जारी हुई थी?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी देवली ने उक्त रिपोर्ट उप खण्ड अधिकारी द्वितीय टोंक द्वारा मौके पर मस्टर रोल में फर्जी हाजरी इत्यादि पाये जाने पर कार्यवाही करने को लिखा था?

(4) क्या उप खण्ड अधिकारी द्वितीय टोंक ने विकास अधिकारी देवली को मस्टररोल जप्त कर जांच हेतु लिखा था? क्या उक्त उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में है?

(5) विकास अधिकारी टोंक द्वारा जो घाड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें कौन-कौन मुलजिम है? क्या मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और मस्टररोल भी बरामद नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री सोबरन सिंह, विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली ने दिनांक 29.9.2001 को श्री रमेश पुत्र जगदीश मीणा के विरुद्ध अपराध संख्या 187/01 धारा 420,467,468 भादास के अंतर्गत दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक 7014 दिनांक 3.5.2001 के द्वारा ग्रेवल सड़क आमली से भैरूजी तक के 450 लाख रुपये स्वीकृत की गई।

(3) उप खण्ड अधिकारी, द्वितीय के आदेश पर कैलाश सिंह, शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति देवली ने जांच प्रतिवेदन पेश किया।

(गृह मंत्री)

(4) विकास अधिकारी द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि उप खण्ड अधिकारी, द्वितीय के आदेश पर श्रीकैलाश सिंह, शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति देवली ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(5) विकास अधिकारी देवली द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में रमेश पुत्र जगदीश मीणा को मुलजिम बताया गया है अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस द्वारा बार-बार तलब करने के बावजूद मस्टररोल अनुसंधान हेतु पेश नहीं किया है। इसलिये अनुसंधान में विलम्ब हो रहा है। मूल मस्टररोल जप्त करने व अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने हेतु पुलिस अधीक्षक टोंक को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोग सं. 187/2001 धारा 420,467,468 भादस थाना जिला-टोंक

पंचायत समिति देवली (टोंक) क्रमांक 488 दिनांक 28.9.2001 सेवा में कार्यालय श्रीमान् थानेदार साहब थाना धाड, टोंक। विषय सरकारी रिकार्ड में हेराफेरी करने तथा रिकार्ड को अपने पास बिना किसी अधिकार के रखने के सम्बन्ध में महोदय, निवेदन है कि ग्राम पंचायत देवाडावास में अकाल राहत कार्य आमली से भैरूजी तक ग्रेवल सड़क पर कार्य की अनियमितता एंव श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के सम्बन्ध में माननीय उप खण्ड अधिकारी (द्वितीय) के आदेशों पर श्री कैलाश सिंह शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति देवली ने पांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर श्री रमेश पुत्र जगदीश मीणा नि. आमली पंचायत देवडावास ने बिना किसी अधिकारी के सरकारी मस्टररोल संख्या 933343 के लिये अपने पास रख रखा है। तथा उसमें हेराफेरी की है। अत: श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करावें। भवदीय सोबन सिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली टोंक संलग्न पांच रिपोर्ट 8 (आठ) प्रथम एस.डी. सोबन सिंह।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री सोबन सिंह पुत्र श्री शिवसिंह कौम जाट उम्र 47 साल नि. नगला माहोर पी.ओ. रिटार्स थाना कागरोल जिला आगरा (यू.पी.) हाल विकास अधिकारी देवली (टोंक) ने उपस्थित होकर पेश की जिसकी नकल एफ.आई.आर. रजिस्टर में अक्षर से अक्षर की गई। पढ़कर सुनाई सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये, मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 420,467,468 आई.पी.सी. का वकू में आना पाया जाता है। अत: मु.न. 187/2001 थाना उपरोक्त में कायम कर मन एस.एच.ओ. सूरजनारायण मशरुफ तफतीश हुआ।

मेड़ता (जिला) नागौर के कृषकों को विद्युत आपूर्ति

51. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान विधान सभा चुनाव घोषणापत्र 1998 के द्वारा जनता को दिये गये वचन एवं कार्य योजना पर अमल कर क्रियान्विति कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि चुनाव घोषणापत्र में कृषि कार्यों के लिये किसानों को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली निरन्तर एवं नियमित रूप से उपलब्ध करवाने का वचन दिया है ?

यदि हां, तो क्या कृषि कार्यों के लिये नियमित रूप से 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ?

(3) राज्य में कृषि कार्यों के लिये 8 घंटे व औद्योगिक एवं अन्य उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्रतिदिन कितने यूनिट बिजली की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के विद्युत निगम का स्वयं का कितना उत्पादन है एवं कितने यूनिट की अतिरिक्त आवश्यकता है और इसके लिये सरकार एवं विद्युत निगम द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) मेड़ता क्षेत्र के किसानों को निरन्तर एवं नियमित रूप से 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिये 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन मेड़ता, भैरून्दा, गोटन, लाम्बा जाटान तथा कुचेरा पर प्रतिदिन कितने-कितने मेगावाट भार (लोड) एवं कितने-कितने यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ? वर्तमान में उक्त 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर प्रतिदिन कितने-कितने मेगावाट एवं यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ?

(5) क्या विद्युत निगम के 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन मेड़ता, भैरून्दा, गोटन, लाम्बा, जाटान एवं कुचेरा से जिन कृषकों को विद्युत वितरण किया जा रहा है उक्त क्षेत्र के किसानों को निरन्तर एवं नियमित रूप से 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार के विधान सभा चुनाव घोषणा पत्र 1998 में विभिन्न स्रोतों में विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार के प्रयासों द्वारा एवं लिये गये निर्णयों से सूरतगढ़ चरण द्वितीय (2×250 मेगावाट) की दोनों इकाइयों को इसी वर्ष चालू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा सूरतगढ़ में (1×250 मेगावाट) की पांचवीं इकाई, कोटा थर्मल (1×195 मेगावाट) की छठी इकाई और रामगढ़ गैस विस्तार परियोजना (2×37.5 मेगावाट) का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इनके अलावा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन द्वारा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को स्वीकृत कर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। विद्युत आपूर्ति विद्युत उपलब्धता पर निर्भर करती है। विद्युत उत्पादन बढ़ाकर किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे विद्युत उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) राजस्थान में विद्युत उपलब्धि को देखते हुये आपूर्ति हेतु राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी 2001-02 के टैरिफ अवार्ड में निम्न व्यवस्था दी गई है :—

1. वर्ष 2001-02 के लिये राज्य की कुल विद्युत मांग 262399 लाख यूनिट
2. राज्य को अपने स्त्रोतों से, साझेदारी स्त्रोतों से एवं केन्द्रीय स्त्रोतों से अपने हिस्से के अनुसार स्थाई विद्युत ऊर्जा उपलब्धि 224302 लाख यूनिट।
3. आयोग द्वारा विद्युत ऊर्जा में दर्शायी गई कमी 38097 लाख यूनिट।

उपरोक्त दर्शायी गई कमी को कुछ हद तक निम्नप्रकार से पूरा किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

1.	अनाबंटित कोटे से लाख यूनिट	—14549
2.	द्वि-पक्षीय खरीद से लाख यूनिट	—800
3.	दिल्ली विद्युत बोर्ड से रात्रि में खरीद कर लाख यूनिट	—2000
	कुल	—17349 लाख यूनिट

उपरोक्त स्त्रोतों के अतिरिक्त आयोग ने 10374 लाख यूनिट अतिरिक्त उपलब्धि (विद्युत उत्पादन में कुशलता बढ़ाकर एवं द्विपक्षीय खरीद से) की सम्भावना बताई है। इस प्रकार आयोग ने कुल मांग से 10374 लाख यूनिट विद्युत कम उपलब्धि का आकलन किया है एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं विद्युत वितरण निगमों को विद्युत कटौती लागू करने हेतु विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिये हैं जिससे कोई भी क्षेत्र/श्रेणी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

उपरोक्त अतिरिक्त आवश्यकता के लिये अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त की जा रही है। हाल ही में किये गये समझौते के अनुसार दिल्ली विद्युत मण्डल से रात्रि के समय 25 लाख यूनिट (प्रतिदिन) बिजली प्राप्त की जा रही है। अन्य राज्यों से भी आवश्यकतानुसार बिजली क्रय करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) मेड़ता क्षेत्र के 132 के.वी. सबस्टेशन मेड़ता, भेरून्दा, गोटन, लाम्बाजाटान तथा कुचेरा से जुड़े किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे विद्युत उपलब्ध करवाने के लिये 119 मेगावाट व 28.33 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता है। वर्तमान में उक्त सबस्टेशनों द्वारा 82 मेगावाट व 19.64 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। सबस्टेशनवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) उपरोक्त सबस्टेशनों से वर्तमान में विद्युत उपलब्धता के अनुसार प्रतिदिन 6 से 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत उपलब्धता बढ़ने पर ही विद्युत आपूर्ति बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन मेड़ता, कुचेरा, भेरून्दा, लाम्बाजाट एवं गोटन पर विद्युत की आवश्यकता एवं वर्तमान में उपलब्धता का विवरण

क्र.सं.	ग्रिड सब स्टेशन का नाम	8 घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यकता		वर्तमान में उपलब्ध हो रही विद्युत का विवरण	
		यूनिट लाख	मेगावाट	यूनिट लाख	मेगावाट
1.	मेड़ता	9.74	41	5.78	24
2.	कुचेरा	7.36	31	5.72	24
3.	लाम्बा	2.28	10	1.70	7
4.	भैरूंदा	5.81	24	3.10	13
5.	गोटन	3.14	13	3.34	14
	योग	28.33	119	19.64	82

उप निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

52. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भोर बाघ परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता हेतु लेखाकार ऑडिट टीम द्वारा जांच की गई थी? यदि हां, तो लेखाकार ऑडिट द्वारा की गई जांच के आधार पर किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त बाघ परियोजना को वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितनी वित्तीय सहायता विदेशी एजेन्सियों व केन्द्र सरकार द्वारा दी गई तथा उक्त में से कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि रणथम्भोर बाघ परियोजना के अंतर्गत उप निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, सरकारी आदेश की अवहेलना, मारपीट, वनों की अवैध कटाई आदि शिकायत विभाग व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार शिकायत के आधार पर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वन क्षेत्र की रक्षित भूमि गांव झालाना, जामडोली, आमेर में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को नियम विरुद्ध आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी भूमि? क्या सरकार नियम विरुद्ध किये गये आबंटनकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) योजनानुसार जिन मदों में राशि व्यय की गयी है उनका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) जी हां। इन पर जांच प्रक्रियाधीन है। जांच पूर्ण होने पर जांच के निष्कर्षों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जामडोली में श्रम विकास संस्थान को 1,33,074.54 वर्ग मीटर अर्थात 13.307 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि आबंटित की गई है जो आरक्षित वन बीड लाल बेरी का हिस्सा है। इस आबंटन के सम्बन्ध में मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से सब-ज्यूडिस है।

(विवरण प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगरपालिका मण्डल सिरोही के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

53. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका मण्डल सिरोही के विरुद्ध राज्य सरकार को अब तक गत दो वर्षों में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक निदेशक (सतर्कता) ने सिरोही जाकर किन-किन पत्रावलियों की जांच की है? उनके द्वारा निदेशक को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उप निदेशक, स्वायत्त शासन, जोधपुर ने गत दो वर्ष में सिरोही पालिका की किन-किन पत्रावलियों की जांच की है? उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने सिरोही नगरपालिका के किस प्रकरण की जांच की है? शिकायत का विवरण, व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका मण्डल सिरोही के विरुद्ध अब तक गत दो वर्षों में प्राप्त दो शिकायतों की प्रतियां संलग्न है।

(2) नगरपालिका मण्डल सिरोही में सहायक निदेशक (सतर्कता) द्वारा जिन पत्रावलियों की जांच की, उनका विवरण संलग्न जांच रिपोर्ट में अंकित है।

(3) जांच रिपोर्ट के अनुसार स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) उप निदेशक, स्थानीय निकाय, जोधपुर द्वारा गत दो वर्षों से सिरोही नगरपालिका की जिन-2 पत्रावलियों की जांच की, उनका विवरण संलग्न जांच रिपोर्ट में अंकित है।

(5) सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को सिरोही जिले से सम्बन्धित मुख्य मंत्री सचिवालय से एक जांच जरिए पत्रांक मु.म.-3/प.-II(2) जोधपुर/2001/7552 दिनांक 28-07-2001 नगरपालिका मण्डल सिरोही की आबादी भूमि के खसरा नम्बर 2109 रकबा 1742.4 वर्ग गज का पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं, जिसमें जिला कलक्टर, सिरोही से रिपोर्ट अपेक्षित है।

(शिकायतों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लिग्नाइट क्षेत्र बाड़मेर में प्रस्तावित 132 मेगावाट पर प्लांट

54. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में लिग्नाइट का अपार भण्डार है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में, कितने क्षेत्र में एवं कितनी मात्रा में है और उसमें से कितना खनन किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट निगम बाड़मेर जिले के गिलक एवं सोनड़ी में लिग्नाइट के खनन का कार्य कर रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानों में लिग्नाइट के आधार पर दो 132 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाये जा सकते है? यदि हां, तो क्यों नहीं, लगाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट निगम ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जयपुर को दो 132 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाये जाने के लिये लिखा है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विचार रखती है? यदि हां, तो क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट के अब तक लगभग 1546.94 मिलियन टन भण्डार सिद्ध किया जा चुका है। क्षेत्रवाइज भण्डारों की मात्रा संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित है। गिराल क्षेत्र में लिग्नाईट का खनन कार्य किया जा रहा है एवं वर्ष 1995 से सितम्बर, 2001 तक कुल 11.22 लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन किया गया है।

(2) राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट निगम द्वारा गिराल क्षेत्र तहसील शिव में लिग्नाइट का खनन कार्य 1995 से किया जा रहा है। सौनड़ी क्षेत्र में लिग्नाइट का कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया इसलिये वहां कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। यह क्षेत्र उक्त निगम द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत धारित है।

(3) उक्त निगम के गिराल लिग्नाइट क्षेत्र में उपलब्ध भण्डारों के आधार पर 125 मेगावट क्षमता का एक विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जा सकता है। इस पॉवर प्लांट की विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट व Feasibility Report बनाने हेतु हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा एक फर्म को अनुबंधित किया गया है।

सौनड़ी क्षेत्र में भी 4.36 करोड़ मै. टन लिग्नाईट के भण्डार अनुमानित किये गये हैं। उपलब्ध लिग्नाइट के आधार पर एक अतिरिक्त 125 मेगावाट की विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की सम्भावना बनती है।

(4) जहां 125 मेगावाट का पॉवर प्लांट लगाने हेतु जर्मन कम्पनी मैसर्स लडमेयर इन्टरनेशनल (इण्डिया) लिमिटेड, फरीदाबाद को विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट बनाने हेतु कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पॉवर प्लांट लगाने का अग्रिम निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-1

बाड़मेर जिले में लिग्नाईट भण्डारों के नाम

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र (व.कि.मी. में)	भू-गर्भीय भण्डार (करोड़ टन में)	टिप्पणी
1.	कपूरड़ी	14.32	15.040	प्रमाणित भण्डार
2.	जालिपा	23.00	31.628	ईंगित भण्डार
3.	बोथिया	14.11	15.167	ईंगित भण्डार
4.	गिराल	20.33	10.190	2 करोड़ मै. टन प्रमाणित एवं एक शेष ईंगित भण्डार
5.	जोगेशवरतला	17.44	3.450	ईंगित भण्डार
6.	सौनरी	7.01	4.359	ईंगित भण्डार
7.	सच्चा सौदा	3.40	2.870	ईंगित भण्डार
8.	खुरी	1.25	1.300	सम्भावित भण्डार
9.	भाड़का	1.62	0.945	ईंगित भण्डार
10.	सिनड़ारी-कोसलू	66.22	78.999	सम्भावित भण्डार

जिला करौली में संचालित बसों का रखरखाव

55. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमों के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय को दूसरे जिलों से सीधी बस सेवा से जोड़ने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या जिला करौली को सभी जिलों से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की हालत इतनी खराब है कि जगह-जगह ब्रेक डाउन हो जाती है जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने के लिये करौली जिले के हिण्डौन डिपो में नई बसे लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी?

(3) अब सरकार प्रत्येक जिले से उक्त जिले हेतु सीधी बस सेवा कब तक शुरू करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। करौली जिला मुख्यालय से उपलब्ध हो रहे यात्रीभार के अनुरूप धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर एवं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय को सीधी बस सेवा से जोड़ा हुआ है। राज्य के शेष जिला मुख्यालयों से करौली जिले को यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

(यातायात मंत्री)

उपलब्ध न होने के कारण जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। करौली जिले में स्थित निगम के हिण्डौन आगार की वाहनों की स्थिति सन्तोषजनक है जिनकी अप्रैल, 2001 से अगस्त, 2001 तक की औसत ब्रेक डाउन दर प्रति 10,000 कि.मी. 0.21 है। करौली जिले में सड़कों की स्थिति खराब होने के कारण वाहनें तकनीकी खराबी तथा टायर पंचर/बर्स्ट, कमानी टूटने के कारण यदा कदा ब्रेक डाउन हो जाती है। सड़कों की खराब स्थिति को सुधारने के लिये सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निवेदन किया गया है। सड़कों की स्थिति में सुधार होने पर परिवहन निगम की वाहनों में ब्रेक डाउन में आवश्यक रूप से कमी होगी। हिण्डौन आगार के वाहन बेड़े में वर्ष 2001 मॉडल की 9 नई बसें शामिल की गई हैं।

(3) जी नहीं।

प्राइवेट फर्म से लिये गये टेलिफोन कनेक्शन प्रकरण की जांच

56. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में दूर संचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेलीफोन के स्थान पर प्राइवेट फर्म मै. श्याम टेलिलिंक लिमिटेड के टेलीफोन लगा लिये गये? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग को दूर संचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक का दूर संचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेलीफोन के बिलों पर 11 प्रतिशत छूट दिये जाने का पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार को वित्तीय लाभ का प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी प्राइवेट फर्म मै. श्याम टेलिलिंक लिमिटेड के टेलीफोन क्यों लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेलीफोन के स्थान पर प्राइवेट फर्म मै. श्याम टेलिलिंक लिमिटेड के टेलीफोन लगा कर राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 21.6.2001 की स्वीकृति से लगाये गये हैं।

(2) जी हां। दूर संचार विभाग एवं श्याम टेलीलिंक लिमिटेड द्वारा छूट समान है; परन्तु श्याम टेलीलिंक ने अनेक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करा रखी है, जैसे :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. परिसर में परस्पर कार्यालयों में टेलीफोन काल की सुविधा निःशुल्क है।

2. ई.पी.बी.एक्स. की सुविधा हेतु लाइसेंस फीस रुपये 15750/- वार्षिक जो बी.एस.एन.एल. में देय है वह श्याम टेलीलिंक में निःशुल्क है।

3. इन्टरनेट रजिस्ट्रेशन के लिये अलग से कोई शुल्क देय नहीं है।

4. ओ.एफ.सी. केवल होने के कारण "डाटा ट्रांसफर" गति तीव्र है।

(3) व (4) इस प्रकार कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। अतः कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है व कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यकवर्ग के कार्यरत निरीक्षक/ उप निरीक्षक

57. श्री अमीन खान (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक कितने निरीक्षक व उप निरीक्षक हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने थाने हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के कितने थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के निरीक्षक/उप निरीक्षक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के क्रमशः अनुसूचित जाति के 74, अनुसूचित जन जाति के 53 व अल्पसंख्यक वर्ग के 48 कुल 175 पुलिस निरीक्षक कार्यरत हैं, एवं राज्य के जिलों में उप निरीक्षक पद पर अनुसूचित जाति के 165, अनुसूचित जनजाति के 108 एवं अल्प संख्यक वर्ग के 99 अधिकारी पदस्थापित हैं। जिलेवार वर्गवार सूची- परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4 से 9 में अंकित है, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य में कुल 709 थाने हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 3 में अंकित है, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्तमान में राज्य के थानों में पदस्थापित निरीक्षक व उप निरीक्षक की वर्गवार संख्या अनुसूचित जाति के 25 निरीक्षक व 82 उप निरीक्षक है। अनुसूचित जनजाति के 19 निरीक्षक व 66 उप निरीक्षक है तथा अल्प संख्यक वर्ग के 17 निरीक्षक व 54 उप निरीक्षक है। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 10 से 15 में अंकित है, सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम जिला	थानों की संख्या	पदस्थापित पुलिस निरीक्षक			पदस्थापित पुलिस उप निरीक्षक			थानों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक			थानों में पदस्थापित पुलिस उप निरीक्षक		
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प संख्यक	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प संख्यक	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प संख्यक	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प संख्यक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अजमेर	32	1	—	—	10	1	6	1	—	—	3	1	5
2	भीलवाड़ा	27	1	—	—	5	—	6	1	—	—	5	—	4
3	नागौर	30	1	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1
4	जयपुर	41	4	3	3	36	25	7	1	—	2	9	9	3
5	जयपुर ग्रामीण	24	—	1	3	6	1	6	—	1	2	4	—	3
6	झुंझुनूं	16	—	—	3	3	1	2	—	—	2	1	—	1
7	सीकर	19	1	—	—	4	1	4	1	—	—	1	1	4
8	टोंक	21	1	2	—	9	1	2	1	2	—	2	1	1
9	दौसा	10	1	2	1	3	7	2	1	1	1	1	5	1
10	बीकानेर	21	1	—	1	5	1	6	1	—	—	2	1	4
11	चूरू	16	2	—	1	3	1	1	2	—	—	2	1	—
12	गंगानगर	23	—	1	2	3	2	2	—	1	2	3	2	2
13	हनुमानगढ़	11	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—
14	भरतपुर	23	3	—	1	7	8	2	1	—	1	4	4	2
15	अलवर	29	1	2	—	4	9	2	1	2	—	4	8	2
16	सवाईमाधोपुर	11	1	—	—	4	1	3	—	—	—	2	—	1
17	धौलपुर	13	1	—	—	4	4	1	—	—	—	2	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	करौली	13	—	1	—	1	6	—	—	1	—	1	3	—
19	जोधपुर शहर	13	2	1	2	1	—	6	2	—	1	1	—	1
20	जोधपुर ग्रामीण	17	—	—	1	2	—	1	—	—	1	2	—	1
21	जालौर	15	1	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	2
22	जैसलमेर	13	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
23	बाड़मेर	20	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1
24	पाली	26	1	—	—	2	—	3	1	—	—	2	—	2
25	सिरोही	14	—	1	1	3	2	2	—	—	1	2	2	1
26	कोटा शहर	14	—	4	—	8	8	4	—	2	—	4	3	1
27	कोटा ग्रामीण	15	1	3	—	2	3	1	1	2	—	—	2	1
28	बूंदी	14	—	2	1	3	3	2	—	2	1	2	2	1
29	झालावाड़	22	1	2	1	1	3	4	1	1	—	1	3	2
30	बारां	18	3	1	1	4	2	2	3	1	1	1	1	—
31	उदयपुर	38	6	—	2	11	2	2	3	—	1	7	—	2
32	बांसवाड़ा	14	1	2	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—
33	चित्तौड़गढ़	29	1	—	1	6	5	6	—	—	—	4	3	1
34	डूंगरपुर	10	—	1	—	4	2	3	—	1	—	2	2	2
35	राजसमन्द	12	1	—	1	3	3	1	—	—	1	3	3	—
36	जी.आर.पी. अजमेर	17	1	—	—	3	1	2	—	—	—	3	1	1
37	जी.आर.पी. जोधपुर	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	709	40	30	26	165	108	99	25	19	17	82	66	54

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

58. श्री अशोक (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डार के मुख्यालय खण्डार में 132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कुश्तला एवं शिवाड़ में स्थापित किये जाने विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशनों का कार्य कब शुरू किया जाना था और विलम्ब के क्या कारण है ?

(3) उक्त ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना कब तक करके सप्लाई (वितरण) शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के मुख्यालय खण्डार पर 132 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्राम कुश्तला में 33 के.वी. सबस्टेशन के निर्माण की स्वीकृति माह फरवरी, 2001 में जारी की जा चुकी है। ग्राम शिवाड़ में 1.6 एम.वी.ए. 33 के.वी. सबस्टेशन पहले से स्थापित हैं व दूसरे सबस्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) ग्राम कुश्तला में 1.6 एम.वी.ए. 33 के.वी. सबस्टेशन की स्वीकृति माह फरवरी 2001 में जारी की जा चुकी है। इस सबस्टेशन का निर्माण वर्ष 2001-02 के सबट्रांसमिशन कार्यक्रम में सम्मिलित है। इसका निर्माण इसी वर्ष शूरू किया जाना है। सबस्टेशन के लिये भूमि आबंटन के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि आबंटित होने पर कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(3) भूमि आबंटन होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जावेगा तथा वित्तीय संसाधनों व सामान की उपलब्धतानुसार इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर, विद्युत वितरण चालू करने के प्रयास किये जाएंगे।

होटल व्यवसाइयों को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से सहमति

59. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल मण्डल ने सभी होटल वालों को निर्देश दिये हैं कि वे होटल चलाने के लिये प्रदूषण कंट्रोल मण्डल की सहमति प्राप्त करें ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में छोटी होटलों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दी गई थी ? क्या उक्त सहमति वापस ले ली गई है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(3) क्या यह सही है कि इससे राज्य के होटल व्यवसाइयों में भारी असंतोष है ? अब सरकार द्वारा उक्त असंतोष को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसी सहमति प्राप्त करने में होटल वालों को अधिकारियों से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ?

(श्री अमराराम चौधरी)

(5) क्या यह सही है कि माउंट आबू में छोटी होटल वालों से नियम विरुद्ध राशि जबरन वसूली जा रही है? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है?

(6) क्या यह भी सही है कि शहरों में स्थित मल्टीस्टोरी इमारत जिसमें 50 से 100 आदमी तक रहते हैं उनको ऐसी सहमति लेने की जरूरत नहीं है जबकि इससे कम की क्षमता वाले होटलों को ऐसी सहमति लेने के लिये बाध्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त भेदभाव का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अंतर्गत होटलों को सम्मति लेना आवश्यक है। इससे छोटे होटलों को कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार द्वारा इस पर नीति निर्धारण किया जाएगा।

(3) जी हां। पर्यावरण विभाग को कुछ होटल व्यवसाइयों एवं उनके संघों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(4) सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार नीति निर्धारित की जाएगी जिसमें इन समस्याओं पर विचार कर लिया जाएगा।

(5) जी नहीं। जबरन वसूली किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे कोई दृष्टांत सामने आने पर प्रकरण की नियमानुसार जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(6) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अंतर्गत उद्योगों, प्रसंस्करणों एवं प्रक्रियाओं को ही सम्मति लेने की कानूनी आवश्यकता है। मल्टीस्टोरी इमारत इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। इन पर नगरपालिका के नियम लागू होते हैं।

अलसर एक्ट के तहत राजघरानों से बकाया पैनल्टी की वसूली

60. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलसर एक्ट के कितने मुकदमे सरकार के पास लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार की जयपुर व भरतपुर राजघरानों पर कोई पैनल्टी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(3) क्या सरकार उक्त पैनल्टी को वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलसर अधिनियम का कोई भी प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित नहीं है।

(2) जी हां। अलसर एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत पूर्ण/सही सूचना नहीं देने के कारण जयपुर राजघराने के सदस्यों के विरुद्ध आदेश दिनांक 2.2.87 के द्वारा 3,18,38,400/- रुपये

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पैनल्टी लगाई गई। भरतपुर राजघराने के विरुद्ध कोई पैनल्टी नहीं है।

(3) जी हां। वसूली की कार्यवाही जारी है। सक्षम अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के आदेश दिनांक 2.2.87 के द्वारा लगाई गई पैनल्टी के विरुद्ध राजघराने द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त के यहां अपील कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। सम्भागीय आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 15.3.2001 के द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 2.2.87 को बहाल रखा है। पैनल्टी राशि की वसूली पी.डी.आर. के अन्तर्गत करने हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को पत्र संख्या 95 से 99 दिनांक 3.8.2001 के द्वारा लिख दिया गया है। वसूली जिला कलक्टर, जयपुर के यहां विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र डीग में सड़क निर्माण

61. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 120 किलोमीटर सड़क निर्माण के कार्य कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग में कितनी राशि सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रति वर्ष 60 कि.मी. तक (परन्तु अधिकतम राशि रुपये 150.00 लाख तक) के अनुसार दो वर्षों में कुल 120 कि.मी. तक सड़क का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराये जाने प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डीग में वर्ष 2001-2002 के लिये राशि 168.60 लाख के कार्य स्वीकृत हैं।

जिला पाली के विद्युतीकृत ग्रामों के लम्बित कनेक्शन

62. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत वितरण निगम, जोधपुर के गठन के बाद जिला पाली के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम कालब कलां, कालबखुर्द, बलुपुरा, रामावास, रातड़िया, कायाभीला, मालनी व अन्य राजस्व ग्रामों के कितने-कितने उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र विद्युत स्टेशन पिपलिया कलां में बिना डिमाण्ड के दर्ज रजिस्टर हो रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राजस्व ग्रामों में किन-किन ग्रामों के उपभोक्ताओं को मांग-पत्र कब-कब जारी किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्व गांव कलालिया में कृषि कुओं के कितने कनेक्शन के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं? उक्त ग्राम के एक भी प्रार्थी को कनेक्शन अभी तक नहीं देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) विद्युत वितरण निगम जोधपुर के गठन के पूर्व ही जिला पाली के शत प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका था।

(2) पाली जिले की तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम कालमखुर्द में 67, बलुपुरा में 30, रामावास में 33, रातड़िया में 28, कायाबिला में 16 कुल 174 पत्रावलियां दर्ज हैं, जिनके डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हुये हैं। कालब कलां, बासना के उपभोक्ताओं को मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(3) उपरोक्त राजस्व गांवों में से जिन गांवों में मांग पत्र जारी किये गये हैं उनका दिनांकवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) राजस्व गांव कलालियां में कृषि कनेक्शन हेतु कोई आवेदन पत्र विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

पाली वृत अधीन रायपुर तहसील के पिपलिया उप खण्ड की लम्बित पत्रावलियों के मांग पत्र जारी किये गये की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	मांग पत्र जारी किये गये की दिनांक	संख्या
1.	रायपुर	29-9-2001	8
2.	रायपुर	23-10-2001	17
3.	कर्मावास	1-10-2001	3
4.	पिपलिया	19-9-2001	8
5.	पिपलिया	1-10-2001	7
6.	बर	18-9-2001	1
7.	बर	30-10-2001	4
8.	निम्बेड़ा	29-9-2001	1
9.	देवड़ी कलां	29-9-2001	2
10.	लीलम्बा	29-9-2001	1
11.	सेन्दड़ा	19-9-2001	6
12.	गुड़िया	19.9.2001	1

ह०/-
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड एम.)
जोधपुर डिस्काम, जोधपुर

परिशिष्ट "ब"

पाली वृत अधीन रायपुर तहसील के पिपलिया उप खण्ड अधीन उपभोक्ताओं को मांग पत्र जारी किये गये तथा मांग पत्र जमा की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	दिनांक	संख्या
1.	चीताड़	5-7-99	35
2.	रातड़िया	13-8-98	5
3.	रातड़िया	5-10-98	33
4.	नेसीया	29-4-99	2
5.	बूटीवास	15-4-99	15
6.	देवड़ीकलां	12-9-2000	1
7.	देवड़ीकलां	13-12-2000	2
8.	देवड़ीकलां	16-4-2001	2
9.	केसरपुरा	19-9-2000	1
10.	पिपलिया	19-9-2001	1
11.	रायपुर	7-3-2001	6
12.	रायपुर	24-4-2001	3
13.	झुंठा	31-3-2001	1
14.	झुंठा	16-7-2001	1
15.	सेदड़ा	17-7-2001	4
16.	आसन तिलोड़िया	12-9-2000	1
17.	आसन तिलोड़िया	17-7-2001	1
18.	बीराठिया खुर्द	21-4-2000	1
19.	गुड़िया	18-6-2001	1

ह०/-
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड एम.)
जोधपुर डिस्काम, जोधपुर

तारांकित प्रश्न संख्या-63
(स्थगित)

मा.उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील

64. **श्री घासीवाल मेघवाल** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी/अधिकारियों की पदावनति को नियम विरुद्ध करार दिये जाने के निर्णय के विरुद्ध खण्डपीठ में अपील की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं के स्थायीकरण, पदोन्नति एवं पदावनति से सम्बन्धित प्रकरणों के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त हुये है? यदि हां, तो कितने और कितने प्रतिवेदनों का निस्तारण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने दिनांक 8 अगस्त, 2001 को आयोजित विभागीय पदोन्नति की रिव्यू बैठक द्वारा आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं को पूर्व वर्ष में दी गई पदोन्नति से वंचित किया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2001 की पालना कर ली गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय अधिवक्ता महोदय एवं विधि विभाग की राय के अनुसार राज्य सरकार ने खण्डपीठ में अपील दायर कर दी है।

(2) जी हां। दो प्रतिवेदन दिनांक 8.9.99 एवं 18.9.2000 को प्राप्त हुये, जिसका निस्तारण कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। दिनांक 7.8.2001 को पालना कर दी गई है

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-49 की सूची)

बन्द इकाई फर्नीचर मेकिंग सेन्टर में पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों/कामगार की सूची

1. श्री गौरी शंकर
2. श्री सुखदेव
3. श्री राम सहाय
4. श्री बन्ना लाल
5. श्री शंकर लाल
6. श्री अभय चन्द
7. श्री राधेश्याम I
8. श्री जसवीर सिंह
9. श्री चौथमल
10. श्री गोपी नारायण
11. श्री जगदीश
12. श्री राधेश्याम II
13. श्री रामपाल
14. श्री वली मोहम्मद
15. श्री खलील
16. श्री मुन्ना
17. श्री रामचन्द्र
18. श्री सत्यनारायण स्वामी
19. श्री अमल कुमार दास
20. श्री सुबोध मण्डल
21. श्री कीर्टि भूषण डे
22. श्री राजेश
23. श्री कालूराम
24. श्री महावीर प्रसाद
25. श्री लल्लूलाल
26. श्री कालूराम
27. श्री कैलाश
28. श्री अब्दुल सलाम
29. श्री रूपनारायण शर्मा
30. श्री गोपाल
31. श्री मदन
32. श्री श्याम लाल शर्मा

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-50 की चैक लिस्ट प्रतियां)

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर)

इकाई का नाम व पता :

1. वित्तीय संस्था द्वारा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट की प्रति तथा अन्य प्रकरणों में उद्यमी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।
2. अस्थायी पंजीयन की प्रति।
3. उद्योग की भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की पंजीयन तथा मेमोरेंडम ऑफ आर्टीकल्स हो, उसकी सत्यापित प्रति।
4. भूमि संबंधी लीज अनुबन्ध/विक्रय अनुबन्ध/किरायानामा अनुबन्ध जो भी लागू हो, उसकी सत्यापित प्रति।
5. भूमि, भवन एवं मशीनरी पर किए गये विनियोजन का स्वयं उधमी द्वारा सत्यापित विवरण।
6. स्थापित मशीनरी के क्रय बिलों की सत्यापित प्रतियां।
7. विद्युत कनेक्शन रिलीज होने बाबत प्रमाण-पत्र अथवा विद्युत बिल की प्रति।
8. डी.जी. सैट स्थापना बाबत क्रय बिल एवं विद्युत मण्डल ने डी. जी. सैट की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति रसीद।
9. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रमाण-पत्र।
10. 5 हा. पा. से अधिक विद्युत कनेक्शन से चलने वाले उद्योग आबादी क्षेत्र में लगने पर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय, जो भी लागू हो से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
11. 10 / - रुपये के नॉक ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
12. आर.एस.टी., सी.एस.टी. की पंजीयन प्रति।
13. प्रथम कच्चे माल क्रय बिल की प्रति।
14. प्रथम विक्रय बिल की प्रति।
15. आर. जी. आई. की प्रति।

किरायानामा

किरायानामा लिख दिया डेरेवाला इण्डस्ट्रीज साझेदार श्रीमती गोविन्दी देवी एवं सुदर्शन कुमार गर्ग (किरायेदार) बहक श्री राधेश्यामजी माली (मालिक)

जो कि आपको निम्नलिखित सम्पत्ति गोदाम, दो कमरे मैंने 1100 /- रुपये (अक्षरे ग्यारह सौ रुपये मात्र) माहवार में की मयाद के लिए आप से किराये पर ली है जिसका किराया तारीख 15 माह जनवरी, 1990 ई. मिति-से महीने के जमा कराकर रसीद आपकी लेता रहूंगा। बिना रसीद के अदायगी किराया या उज्र नहीं करूंगा। यदि दो माह का किराया चढ़ जावे तो मालिक को मुझसे बिना नोटिस दिए सम्पत्ति खाली करवाने व चढ़ा हुआ किराया वसूल करने का हक होगा। इस सम्पत्ति का कब्जा आप से लिया, जिसको दुरुस्त हालत में रखूंगा। किसी तरह की खराबी या टूट-फूट तरमीम नहीं करूंगा और दूसरे के कब्जे में नहीं दूंगा। किरायेदारी हकूक ट्रांसफर करूंगा या रहन-सहन खान-पान से किसी पड़ौसी को दुःख हो तो आपको बिना इत्तला दिये सम्पत्ति खाली कराने व चढ़ा हुआ किराया वसूल करने का अधिकार होगा। जब कभी निम्नलिखित सम्पत्ति को मालिक सम्पत्ति खाली कराना चाहे तो मुझको एक मियादी नोटिस दे कर खाली करा सकेंगे इसमें किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा। और बिजली, पानी नल लगा हुआ है उसका खर्चा अलग से माहवार अलावा किराये के अदा करूंगा। यदि खर्चा अदा न करूं तो आपको बिजली, पानी बन्द करने का हक होगा। गृह कर, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स भी अलावा किराया अदा किया जावेगा। जब भी किराये ली हुई सम्पत्ति खाली करूंगा तो खाली करके सम्भलाने की रसीद प्राप्त करूंगा किराये का देनदार रहूंगा। लिहाजा यह किरायानामा मैंने राजी खुशी होश हवास की दुरुस्ती से ऊपर लिखि तमाम शर्तों को मंजूर करते हुए स्टाम्प कीमती 5/- रुपये का एक व एक पाई पेपर पर लिखकर आपके हक में दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक :8.8.1992

(तफसील जायदाद)

2 कमरे साइज 20×15 व 10×15 खाली जमीन 30×40 गोदाम एक 10×55 मय घरेलू बजली कनेक्शन सहित।

हस्ताक्षर मालिक ह०

हस्ताक्षर किरायेदार ह०

1. गवाह

2. गवाह ह०

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-52 का विवरण)

कार्यालय, जयपुर, नगर निगम जयपुर

जयपुर शहर दुग्ध डेयरी एवं पशुपालन एशोसिएशन की डेयरी सूची

क्रमांक	नाम / पिता का नाम	पता	पशु संख्या
1	2	3	4
1.	श्री रामचन्द / बालूराम यादव	217, विद्याधर नगर, जयपुर	9
2.	श्री भगवान सहाय / नाथूलाल	3 / 232, विद्याधर नगर, जयपुर	35
3.	श्री हनुमान सहाय / नानक राम	7 / 258 विद्याधर नगर कालोनी	15
4.	श्री जगदीश प्रसाद / कानाराम	8 / 355 विद्याधर नगर, जयपुर	5
5.	श्री अर्जुनलाल / मौहरूलाल	6 / 149 विद्याधर नगर, जयपुर	5
6.	मंजूदेवी / शंकरलाल जांगिड़	पी.एन. विद्याधर नगर, जयपुर	5
7.	श्री मालीराम / नाथूराम	पी. एन. 1 विद्याधर नगर, जयपुर	7
8.	श्री सरदार मल / प्रभात	4 / 59 विद्याधर नगर, जयपुर	6
9.	बीरू देवी / घीसीराम	6 / 64 विद्याधर नगर जान	5
10.	शकुन्तला देवी / सीताराम	8 / 152 विद्याधर नगर	5
11.	श्री रामकुवार / रामचन्द्र	पृथ्वीनगर, नया खेड़ा	8
12.	श्री बंशीधर / भगवान सहाय	365, जैम्स कालोनी	7
13.	शकुन्तला देवी / छाजूराम यादव	सी-4, जे. पी. कालोनी नया खेड़ा	4
14.	श्री सुरेश यादव / दीन दयाल	42, राजीव नगर, चंदनबाड़ी	5
15.	श्री रामचन्द / जग्गूराम	8 / 29 विद्याधर नगर, जयपुर	5
16.	श्री कानाराम / घीसीराम	रानी जी की बावड़ी, विद्याधर नगर	5
17.	श्री भूदाराम / श्री नारायण जाखड़	राजीव नगर कालोनी के पास	6
18.	श्री सुणीलाल / भगवान सहाय	2 / 453, विद्याधर नगर	7
19.	श्री नटवरलाल / मुरलीधर	50, जैम्स कालोनी, विद्याधर नगर	5
20.	श्री पप्पू चौधरी / प्रभात चौधरी	12, जैम्स कालोनी	5
21.	श्री रामनारायण / रामलाल	गुजर डेयरी से 9 विद्याधर नगर	7
22.	श्री भगवान सहाय / रामसहाय	ए-273, विद्याधर नगर	5

1	2	3	4
23.	श्री मुख्तार सिंह / सूरजभान	93, एल. एस. खेड़ा	8
24.	श्री रामअवतार / रामचन्द	राजीव नगर मदन बाडी	11
25.	मुन्नी देवी / छीतर मल	44, शंकर कालोनी, नया खेड़ा	3
26.	श्री हरिनारायण / नानोराम चौधरी	109, सदन बाडी राजीव नगर	8
27.	मालीदेवी / भौलाराम	69, कृष्णा कालोनी, नया खेड़ा	2
28.	जानकी देवी / किशनलाल	364, जैम्स कालोनी	5
29.	मिश्री देवी / भरतलाल	384 ऐ. जैम्स कालोनी	3
30.	श्री सरदार सिंह / नारायण लाल	32, जैम्स कालोनी	5
31.	श्री मनमोहन शर्मा / किशनलाल	36, जैम्स कालोनी	4
32.	ज्यादादेवी / देवी राम	3-8 जैम्स कालोनी	8
33.	श्री सुरेश कुमार / हनुमान सहाय	27, शिव कालोनी विद्याधर नगर	1
34.	कोयली देवी / लड्डूराम	107, राजीव नगर नया खेड़ा	7
35.	कमलेशदेवी / शंकरलाल	132, शंकर कालोनी, नया खेड़ा	3
36.	श्री सुभाराम / भजन लाल	86, कृष्णा कालोनी, नया खेड़ा	6
37.	श्री सत्यवीर / दाताराम	70, मदन कालोनी, नया खेड़ा	8
38.	श्री नन्चुराम / चौथमल चौधरी	75, एल. एव. नगर, नया खेड़ा	2
39.	श्री मुरलीधर यादव / रघुनाथ प्रसाद	बी-94 एल. एस. नगर नया खेड़ा	6
40.	श्री चन्द्रवति / रामनिवास	10, मदन बाडी, नया खेड़ा	2
41.	श्री सीमाराम / गणेश बाज्या	355, जे. पी. कालोनी	5
42.	श्री सरोज कंवर / महेन्द्र सिंह	28 जैम्स कालोनी	2
43.	श्री राम गोपाल / नारायण मल	6 / 76 विद्याधर नगर	5
44.	मंगलीदेवी / हनुमान सहाय	शिव कालोनी, गुजर बस्ती	8
45.	श्री भीवाराम / रामदेवी चौधरी	5, पृथ्वी नगर नया खेड़ा	6
46.	श्री मोहनलाल / चौथराम	4 / 341 विद्याधर नगर	5
47.	श्री अर्जुन चौधरी / घीसाराम	14-15, पृथ्वीनगर नया खेड़ा	6
48.	श्री मुरलीधर कुमावत / आशाराम	30, शिवकालोनी, नया खेड़ा	2
49.	श्री जादूराम / फननीराम	10, विद्याधर नगर	3

1	2	3	4
50.	श्री गोविन्द प्रसाद / प्रहलाद शर्मा	7 रानीजी की बावड़ी	4
51.	प्रभाती देवी / गणेश राम	शिव गुर्जर बस्ती, विद्याधर नगर	10
52.	चन्दादेवी / सूजाराम	शिव कालोनी, गुजर बस्ती	6
53.	उर्मिला / भगवान सहाय	66, एल. एस. नगर, नया खेड़ा	10
54.	श्री पारस कंवर / लक्ष्मणसिंह	मदन बाड़ी राजीव नगर नया खेड़ा	1
55.	मालती देवी / राधेश्याम	10 जैम्स कालोनी	4
56.	श्री रामपाल / गुल्लाराम	108 विद्याधर नगर	2
57.	श्री मसवन यादव / रामचन्द्र	2 जेपी कालोनी, विद्याधर नगर	5
58.	श्री उमेश सिंह / ओमप्रकाश	566, जैम्स कालोनी	2
59.	शांति देवी / दाताराम	61 ए राजीव नगर	5
60.	श्री मंगल सिंह / हरदयाल सिंह	35, एल. एस. नगर	3
61.	गीता देवी / नाहर मल	144, जे. पी. कॉलोनी	2
62.	श्री फूलचन्द / लादूराम	सी-70, विजय विहार नया खेड़ा	9
63.	नोरती देवी / मदन लाल	कच्ची बस्ती विद्याधर नगर, जयपुर	6
64.	श्री बाबूलाल स्वामी / गिरधारी	बी-16 आर. पी. ए. रोड, नया खेड़ा	8
65.	श्री महेन्द्र / चन्द्र यादव	68 एल.एस. नगर	7
66.	श्री महीपाल / काशीराम	जैम्स कालोनी से. 3 के पास, विद्याधर नगर	10
67.	श्री सुरेश कुमार / रिछपाल	ए-2 जैम्स कालोनी, विद्याधर नगर	6
68.	गुलाब देवी / रामेश्वर लाल	4 / 26 विद्याधर नगर	8
69.	श्री रामेश्वर गुर्जर / रघुनाथ	4 / 26 विद्याधर नगर	8
70.	विमला देवी / नाथूराम	8 शिव नगर विद्याधर नगर	7
71.	श्री सीताराम / हीरालाल	52, जैम्स कालोनी	5
72.	श्री बानवारीलाल / गंगासहाय	ए-27 विवेकानन्द कालोनी, किशनबाग, गुर्जर बस्ती	6
73.	राजू देवी / राजकुमार	4 शिव कालोनी	6
74.	सुजी देवी / सुजाराम	31, शिव कालोनी गुर्जर बस्ती जयपुर	6

1	2	3	4
75.	श्री प्रसन्न देवी / हरजीराम	1 शिव कालोनी, गुजर बस्ती	6
76.	श्री जगदीश प्रसाद / छीतर मल	511, जैम्स कालोनी से. 3	7
77.	सुशीला देवी / प्रभुदयाल	1 / 266 विद्याधर नगर, जयपुर	9
78.	श्री भरत शर्मा / लल्लूराम	252, पुराना विद्याधर नगर, जयपुर	6
79.	श्री समीर बडसरा / हरसहाय	132, जैम्स कालोनी, विद्याधर नगर	5
80.	मंजू अग्रवाल / बृजमोहन	6 / 435 विद्याधर नगर	8
81.	सजना देवी / राजेन्द्र कुमार	512, जैम्स कालोनी नया खेड़ा	8

नगर निगम जयपुर द्वारा डेयरी संचालकों की सूची

1.	श्री जयप्रकाश / राधाकृष्ण	117 जैम्स कालोनी, विद्याधर नगर	3
2.	श्री राजेन्द्र सिंह / रामपाल	42 / 8 विद्याधर नगर	6
3.	श्री नाथूलाल / गप्पू लाल	बस स्टैण्ड के पास, विद्याधर नगर	10
4.	शांति देवी / रतन लाल	जगदम्बा कालोनी ढेहर का बालाजी	8
5.	श्री रूप कंवर / रूपसिंह	ए-19 जैम्स कालोनी, विद्याधर नगर, जयपुर	3
6.	सोनी देवी / प्रहलाद	ए-125 विद्याधर नगर, जयपुर	6
7.	श्री मदनलाल / महादेवी	7 विद्याधर नगर, गुर्जर बस्ती	6
8.	श्री नन्धुराम / सेडूराम	पी86 विद्याधर नगर	7
9.	श्री विष्टफ / सत्यनारायण	सी-22, विद्याधर नगर	7
10.	प्रेम देवी / गजानन्द यादव	एम-19, जगदम्बा कालोनी	4
11.	श्री कैलाश चौधरी / रामलाल	ए-49, जैम्स कालोनी	8
12.	श्री जड़ाव / नाथू	गुर्जर बस्ती, विद्याधर नगर	8
13.	श्री महेश चन्द / गोविन्द नारायण	रामपुरा, डाबड़ी	3

ह०/-
पशुजन स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-56 का विवरण)

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, बाड़ी (राज.)

नगरपालिका बाड़ी द्वारा कराई गई सड़कों के मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	वार्ड नं.	व्यय राशि
1.	आमली पाड़ा मे राधाकिशन के मकान के पास खरंजा व नाली मरम्मत कार्य	22	7,921.00
2.	सीताराम के मकान से डा. अमरीश के मकान तक खरंजा मरम्मत कार्य	10	1,040.00
3.	बाबू खां के मकान के पास खरंजा व नाली मरम्मत कार्य	16	1,599.00
4.	डा. हमीद के मकान के पास ईंटों के खरंजे का मरम्मत कार्य	21	2,538.00
5.	भगवान सिंह के मकान के पास नाली व खरंजा मरम्मत कार्य	25	7,335.00
6.	शम्भूदयाल के मकान के पास खरंजा मरम्मत कार्य	22	3,357.00
7.	वार्ड 15 की विभिन्न गलियों में खरंजा मरम्मत कार्य	15	13,839.00
8.	विष्णु हरिजन के मकान के पास खरंजा नाली मरम्मत कार्य	9	12,020.00
9.	विभिन्न गलियों में नाली व खरंजा मरम्मत कार्य	7,10,11	8,092.00
10.	महाराज बाग के पास दरोगाजी की गली में नाली व खरंजा मरम्मत कार्य	6	7,868.00
11.	गलियों में ईंटों का खरंजा व नाली मरम्मत कार्य	2,3	8,882.00
			74,491.00

नोट : सड़क मरम्मत के अधिकांश कार्य पेच वर्क में कराये गये हैं।

ह०/-
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, बाड़ी

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-58 के आदेशों की प्रति)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक 1/07(3) नविवि/3/2000 जयपुर, दिनांक : 7.9.2000

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

विषय: राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा की रंगबाड़ी योजना अन्तर्गत निर्मित आवास गृहों के आबंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य सरकार के निर्धारित एक प्रतिशत कोटे से काफी लम्बे समय से आवास गृह आबंटन की प्रक्रिया नहीं हो पायी है। अतः जब तक राज्य सरकार के निर्धारित कोटे की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक उपरोक्त योजनान्तर्गत निर्मित आवास गृहों के आबंटन की प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है।

आज्ञा से

(श्री राम मीणा)

उप शासन सचिव, प्रथम

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

प.7(13) नविवि/3/2000 जयपुर, दिनांक 12.9.2000

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

विषय: राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा की रंगबाड़ी योजना अन्तर्गत निर्मित आवास गृहों के आबंटन के संबंध में।

सन्दर्भ: इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 7.9.2000

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 7.9.2000 के द्वारा जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक राज्य सरकार के निर्धारित एक प्रतिशत कोटे से आवास गृह आबंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोटा की समस्त आवासन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित आवास गृहों के आबंटन की प्रक्रिया को स्थगित रखा जावे। अतः तद्नुसार कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित किया जावे।

भवदीय

ह०/-

उप शासन सचिव-II

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-63 का विवरण)

प्रदर्श "अ"

मैसर्स कल्याण स्टोन क्रेशिंग कम्पनी के गत पांच वर्षों का खनिज प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	कार्यालय में उपलब्ध सूचना	कार्यालय कर अधिकारी के अनुसार
1.	1996-97	–	–
2.	1997-98	3696.00 टन	–
3.	1998-99	4856.00 टन	2,91,485.00 बिक्री
4.	1999-2000	3620.00 टन	1,57,461.00 बिक्री
5.	2000-2001 (30.6.2000 तक)	–	11,928.00 बिक्री
		12172.00 टन	4,60,874.00

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	नाम कर्मचारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	दिनांक शिकायत प्राप्त	नाम शिकायत कर्ता	शिकायत पर जांच पूर्ण / लम्बित	जांच का निष्कर्ष	जांच निष्कर्ष पर कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री घनश्याम मीणा, कार्यालय सहायक	11.8.97	मोदी स्टोन क्रेशर त्रिवेणी क्रेशर क. दाता स्टोन क.	पूर्ण	शिकायत सही नहीं पाई गई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.	—एजन—	13.1.97	श्री रामकिशन गुर्जर	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
3.	—एजन—	8.11.96	क्रेशर होल्डर एसो. जयपुर	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
4.	—एजन—	5.5.98	संजीव कुमार कट्टा	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
5.	—एजन—	5.8.98	ओम प्रकाश, महामंत्री	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
6.	—एजन—	24.2.99	विष्णु कट्टा व संजीव कट्टा	पूर्ण	—एजन—	—एजन—

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री घनश्याम मीणा, का.सा. श्री संजय शर्मा सर्वेयर	20.2.99	श्याम सुन्दर शर्मा, महामंत्री राज. खनिज उद्योग संघ	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
8.	श्री घनश्याम मीणा का.स.	15.3.99	श्री ओमप्रकाश शर्मा मह सचिव शहर युवा पूर्ण कांग्रेस	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
9.	—एजन—	4.6.99	ओमप्रकाश महामंत्री, भा.जन.पा. युवा मोर्चा	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
10.	—एजन—	31.7.97	श्री ओम प्रकाश विश्नोई	पूर्ण	—एजन—	—एजन—
11.	—एजन—	4.11.97	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	पूर्ण	—एजन—	—एजन—

परिशिष्ट-10

(आतारांकित प्रश्न संख्या-65 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर

काटली नदी की राजस्व सीमा में वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक

अधिकृत ठेकेदारों (पट्टेदारों) की सूची

क्र.सं.	नाम ठेकेदार	अवधि
1.	श्री बनवारी लाल	1.4.92 से 31.3.94
2.	श्री हरिसिंह	1.4.94 से 31.3.96
3.	श्री जुगल सिंह	12.9.97 से 11.9.99
4.	श्री बाबूलाल गुप्ता	12.9.99 से 6.4.2000
5.	मैसर्स अरावली एसोसिएटेड	27.4.2001 से 31.3.2003

ह०
खनिज अभियन्ता
सीकर

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सीकर

काटली नदी की राजस्व सीमा में वर्ष 1992-93 से 2001-2002 तक अधिकृत ठेकेदारों (पट्टेदारों) से खनिज रायल्टी राजस्व का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राजस्व
1.	1992-93	26,51,200
2.	1993-94	26,51,200
3.	1994-95	39,76,000
4.	1995-96	39,76,000
5.	1997-98	61,51,000
6.	1998-99	61,51,000
7.	12.9.99 से 6.4.2000 तक	53,66,664
8.	27.4.2001 से 31.10.2001 तक की प्राप्ति	42,49,998
	योग	3,51,73,062

फुट नोट : अवधि 1.4.96 से 11.9.97 तक एवं 6.4.2000 से 26.4.2001 तक विभागीय नाकों के माध्यम से रायल्टी वसूली की गई, जिसमें राजस्व आय रुपया 55,48,833/- प्राप्त हुई।

ह०/-
खनिज अभियन्ता, सीकर

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-69 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति)

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 85 दिनांक 5.10.2001 धारा 332, 353 भादस थाना नगरफोर्ट जिला टोंक

सेवा में,

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय, पंचायत समिति उनियारा मुख्यालय अलीगढ़ टोंक, विषय : दिनांक 2.10.2001 को ग्राम पंचायत बिलासपुर की ग्राम सभा आयोजित के समय श्री सरपंच पति द्वारा मारपीट करने एवं राजकार्य में बाधा, डालने बाबत, मान्यवर महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सेवक कार्यालय आदेश की पालना में ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलासपुर में आज दिनांक 2.10.2001 को मुताबिक एजेण्डा राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित समय पर बिन्दुवार प्रस्ताव बादग्राम ग्रामवासियों के उपस्थित होने पर श्रीमती लल्ली देवी सरपंच साहब की अध्यक्षता में ग्राम सभा राज्य कर्मचारियों के समक्ष श्री बीरबल मीणा, पुत्र श्री मोरपाल मीणा ग्राम नगर ग्राम पंचायत बिलासपुर जो सरपंच साहब के पति हैं, जो वर्तमान में फुलेता राजकीय स्कूल में लायब्रेरी के पद पर कार्यरत हैं। श्री बीरबल मीणा ने ग्राम सभा में कहा कि गोपीलाल मीणा, निवासी श्रीनगर के बाड़े में हैण्ड पम्प लगवाने का प्रस्ताव लेना है, उस पर मैंने कहा कि मुताबिक एजेण्डा के प्रस्ताव योजनावार लेने के बाद ही अन्य प्रस्ताव सरपंच साहब की अनुमति से ग्राम सभा में स्वीकृति लेकर अंकन करावें, जिस पर मुझसे कहा कि सरपंच हूं, मेरी औरत सरपंच है, मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा, और हैण्ड पम्प के प्रस्ताव (गोपीलाल मीणा, जो उसका बड़ा भाई है) के बाडे में लगाने हेतु लिखने पर मजबूर करने लगा जो मैंने कहा कि हैण्ड पम्प सरकारी भूमि पर सार्वजनिक उपयोग हेतु लगता है फिर जैसा ग्राम सभा द्वारा निर्णय होगा अंकन कर दूंगा। इस बात को लेकर बुरी तरह गाली गलोच करते हुए अभद्र व्यवहार कर मारपीट की जिस पर ग्रामवासियों ने बीच-बचाव किया इतने में स्वयं सरपंच श्रीमती लल्लीदेवी ने भी मारपीट की उपस्थिति ग्रामवासियों व कर्मचारियों ने छुडाया। अन्यथा मुझे जान से मारने पर उतारू हो गये और यह धमकी दी कि अकाल राहत कार्यों का चैक सरपंच के नाम नहीं काटकर पार्टी के नाम काटा तो जान से मार दूंगा। इससे पहले भी कई बार सरपंच के नाम चैक देने हेतु बार-बार मजबूर किया। जबकि अधिक राशि का भुगतान फर्म के नाम ही किये जाने के निर्देश है। इस पर भारी हंगामा होने पर ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने दी और राज कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इसके पश्चात् उसने कहा कि पंचायत में आयेगा तो जान से मार दूंगा, और पंचायत का रिकार्ड छीनने की कोशिश की। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कृपा करें ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होवे।

भवदीय, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बिलासपुर (हरिराज मीणा) दिनांक 2.10.2001 कार्यालय पंचायत समिति उनियारा मुख्यालय अलीगढ़ पत्र क्रमांक 1654 दिनांक

3.10.2001 मूल ही थानाधिकारी नगरफोर्ट को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित प्रकरण में उचित कार्यवाही करे। एफ.आई.आर. दर्ज करने का श्रम करे। विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा मु. अलीगढ़ टोंक।

पुलिस कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि तहरीरी इंडोस्मेंट श्रीमान् विकास अधिकारी साहब उनियारा मु. अलीगढ़, पेशकर्ता श्री हरिराज पुत्र श्री मोती लाल मीणा उम्र 23 साल निवासी किशनगंज थाना बनेठा हाल ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत बिलासपुर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की, जिसकी नकल अक्षर व अक्षर की गई। पढ़कर सुनाई सुन समझ हस्ताक्षर किये। चोटों का नजरी मुआयना किया तो कोई जाहिरा चोट नजर नहीं आती है। मुआयना रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 332, 353 ता हि. का वकू में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 85 / 2001 धारा उपरोक्त में कायम कर मन सउनि. गोपाल लाल आई/सी थाना मसरूप तफतीश हुआ देरी व जानिद फरियादी हुई। प्रति नियमानुसार जारी की गई। एक प्रति एफ.आई.आर. फरियादी को निःशुल्क दी गई।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-72 का विवरण)

कोटा सम्भाग में गत तीन वर्षों (1 अक्टूबर, 98 से 31 अक्टूबर, 2001) में साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ वाली घटनाओं के संबंध में अभियोगों का जिलेवार, घटनावार विवरण

क्र.सं.	घटित घटना का स्थान नाम थाना जिला व संक्षिप्त विवरण	अभियोग संख्या व दिनांक	धारा	नतीजा
1	**क्रिकेट मैदान झा. पाटन जिला झालावाड़** छोटे-छोटे बच्चों में दिनांक 14.9.2000 की क्रिकेट मैदान में हुई लड़ाई को लेकर	240/2000, 14.9.2000	452, 323, 34 भादस	चालान दिनांक :30.9.2000
	क्रिकेट मैदान झा. पाटन झालावाड़ 14.9.2000 को कस्बा झालरापाटन में छोटे-छोटे बच्चों की क्रिकेट मैदान में हुई लड़ाई बड़ा रूप धारण कर लिया जिससे गुर्जर व मुस्लिम जाति के युवक आमने-सामने हो गये जिन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस व हवाई फायर किये जिससे दुर्गालाल कंसारा के पैर में गोली लगने से जैर ईलाज मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तुरन्त स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। जिससे साम्प्रदायिक घटना के बड़ा रूप धारण करने से बच गया।	241/15.9.2000	147, 148, 149, 323, 353, 307, 427, 153ए, 295, 120 बी भादस	अन्वेषणाधीन है
		245/2000 20.9.2000.	302, 34 भादस	अन्तिम रिपोर्ट दी गई (गलतफहमी)

1	2	3	4	5
2.	जिला झालावाड़			
	ग्राम बालाखेड़ा थाना अन्ता, बारां	420/2001	341, 147, 149, 332, 353, 326, 323, 283 भादस एवं 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट	अनुसंधान जारी है।
	बजरंग दल द्वारा जलाभिषेक कार्यक्रम के दौरान शौभा यात्रा के मस्जिद के सामने पहुंचने पर पत्थराव किया जिससे हिन्दू व मुस्लिम समुदाय की भीड़ एकत्र हो गई व साम्प्रदायिक घटना घटित हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा विधिक कार्यवाही कर हालात पर नियंत्रण किया। जिस पर दोनों समुदायों के अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अभियोग विरोधी समुदाय के विरुद्ध दर्ज कराया।	421/2001	147, 153, 149, 336, 323 भादस	अनुसंधान जारी है।
		422/2001	147, 148, 149, 336, 323, 341 भादस	अनुसंधान जारी है।

परिशिष्ट "ब"

कोटा सम्भाग में गत तीन वर्षों (1 अक्टूबर, 1998 से 31 अक्टूबर, 2001) में साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाली घटनाओं के संबंध में अभियोगों का शीर्षकवार जिलेवार घटनावार विवरण

क्र.सं.	घटित घटना का स्थान, थाना जिला व संक्षिप्त विवरण	अभियोग संख्या व दिनांक	धारा	नतीजा
1	2	3	4	5
1.	**पूजा स्थल को क्षति पहुंचाने के संबंध में दर्ज मुकदमे :**	203/2000 6.5.2000	143, 447 भादस	चालान
	नयापुरा कोटा शहर में हिन्दुओं के मन्दिर के पास बनी टापरी को तोड़ देने के मामले को लेकर थाना नयापुरा जिला कोटा शहर			
2.	**पूजा स्थल पर आपत्तिजनक सामग्री फेंकना :**	122/99 6.11.99	147, 153क भादस	चालान
	1.-ग्राम सलेमपुर में मन्दिर में हो रहे रामायण के अखण्ड पाठ की मुस्लिम समुदाय द्वारा बन्द करवाकर मायक फैंकने के संबंध में। थाना कुड़गांव जिला करौली			
	2.-हनुमानजी के मंदिर में मलारना डूंगर में मांस फैंकने पर दिनांक 15.10.2001 थाना मलारना डूंगर (स.मा.)	173/2001	295ए भादस	अनुसंधान जारी है।

1	2	3	4	5
3.	**महिलाओं के साथ छेड़छाड़ संबंधी :**			
	1- दिनांक 2.1.2001 को कस्बा सागौद जिला कोटा ग्रामीण में मुस्लिम युवकों द्वारा हिन्दू लड़की सुनिता से छेड़छाड़ स्वरूप करने के कारण हिन्दू युवकों द्वारा मुस्लिम युवकों पर तलवार व चाकुओं से हमला करने के मामले को लेकर। थाना संगोद जिला कोटा ग्रामीण	3/2001 2.1.2001 7/2001 2.1.2001 8/2001 2.1.2001	147, 148, 149, 307, 323, 324 भादस 323, 324 भादस 323, 324, 34 भादस	अनुसंधान जारी है। चालान चालान
4.	**गौ हत्या के मामले को लेकर**	653/2001	3/8 राज. गोवंशीय वध (प्रतिशोध) अधिनियम, 1995	अनुसंधान जारी है
	13.8.2001 की 3 गायों की गर्दनें काटकर हत्या करने के मामले को लेकर गंगापुर सिटी में तनाव हुआ। थाना गंगापुर सिटी जिला स.मा.			
	2. 15.7.2001 को कस्बा टोडाभीम में 5 गायों को जहर देकर मार दिया व 3 गायों की खाल उतार ली गई। थाना टोडाभीम जिला करौली	244/2001	3/8 राज. गोवंशीय वध (प्रतिशोध) अधिनियम, 1995	अनुसंधान जारी है
5.	**मूर्तियों को तोड़ने के मामले को लेकर**			
	29.3.99 को ग्राम नदी भारजा में बालाजी की मूर्ति को खोदकर फैंकने पर थाना मलारना डूंगर जिला स.मा.	48/99	295 भादस	अन्तिम रिपोर्ट दी गई

1	2	3	4	5
	2. 28.10.2000 को कस्बा बगतगढ़ में भैरूजी की मूर्ति को उखाड़कर फैंकने पर थाना चौथ का बरवाड़ा	199/2000	295 भादस	अन्तिम रिपोर्ट दी गई
	3. 28.10.2000 को कस्बा भगवतगढ़ में माताजी की मूर्ति को खण्डित करने पर थाना चौथ का बरवाड़ा	200/2000	295 भादस	अन्तिम रिपोर्ट दी गई
	4. 31.7.2000 को सवाईमाधोपुर शहर में घाटा बालाजी की मूर्ति को खण्डित करने पर थाना कोतवाली स.मा.	335/2000	295 भादस	चालान
	5. 28.10.2000 को ग्राम भडेरड़ा में मूर्ति को चबुतरे से हटाने व अन्यत्र स्थान पर रखने थाना मानटान स.मा.	400/2001	143, 295, 295ए, 379 भादस	अनुसंधान जारी है
	6. 18.6.2001 को कस्बा चौथ का बरवाड़ा में भैरूंजी की मूर्ति खण्डित करने पर थाना चौथका बरवाड़ा स.मा.	108/2001	295 भादस	चालान
	7. 22.10.2001 को ग्राम आलनपुर में पीरबाबा की मजार को तोड़ने पर थाना कोतवाली स.मा.	64/2001	295 भादस	अन्तिम रिपोर्ट
	8. 15.10.2001 को कस्बा मलारना डूंगर में पार्वती की मूर्ति तोड़ने पर थाना मलारना डूंगर स.मा.	180/2001	295ए भादस	अनुसंधान जारी है

1	2	3	4	5
	9. 17.9.2001 को पुरानी मण्डी गंगापुर सिटी में हनुमान जी गणेशजी की मूर्ति खण्डित करने पर थाना गंगापुर सिटी स.मा.	751/2001	295 भादस	अनुसंधान जारी है
	10. 21.1.2001 को बंगाली बाबा मेला खानपुर के दौरान मन्दिर में रखी मूर्तियों में से शिव मोहिनी की मूर्तियां तोड़ दी थाना खानपुर जिला झालावाड़	43/2001	295, 295ए भादस	चालान

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का विवरण)

दिनांक 1.4.1999 से 30.9.2001 तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पद	पदस्थापन प्रतीक्षा की अवधि	
		से	तक
1	2	3	4
	भारतीय वन सेवा		
1.	श्रीमती सविता आनन्द, वन संरक्षक	22.4.2000	20.10.2000
2.	श्री वाई. के. डक, उप वन संरक्षक	27.10.1999	2.5.2000
3.	श्री वी. एस. राठौड़, उप वन संरक्षक	6.12.1999	4.5.2000
4.	श्री एस. एस. गुरु, उप वन संरक्षक	27.4.2000	31.10.2000
5.	श्री ए. एस. चम्पावत, उप वन संरक्षक	15.11.1999	4.7.2000
6.	श्री ए. बी. रामटेक, उप वन संरक्षक	10.7.2000	2.11.2000
7.	डा. रमेश चन्द, उप वन संरक्षक	18.7.2000	20.10.2000
8.	श्री यू. एस. राणावत, उप वन संरक्षक	24.11.2000	17.12.2000
9.	श्री एल. के. शर्मा, उप वन संरक्षक	30.8.2000	15.12.2000
10.	श्री एम. के. गर्ग, उप वन संरक्षक	24.7.2000	15.12.2000
11.	श्री एस. के. जैन, उप वन संरक्षक	14.5.2001	12.6.2001
12.	श्री अरिजीत बनर्जी, उप वन संरक्षक	31.7.2000	24.9.2000
13.	श्री ए. के. सिंह, उप वन संरक्षक	12.9.2001	4.11.2001
14.	श्री पी. आर. सियाग, उप वन संरक्षक	17.9.2001	4.11.2001
	राजस्थान वन सेवा		
1.	श्री जी. पी. सक्सैना, उप वन संरक्षक	9.4.1999	28.4.1999
2.	श्री बी. आर. भादू, उप वन संरक्षक	30.5.2000	15.7.2000
3.	श्री एन. सी. बाकोलिया, उप वन संरक्षक	28.7.2000	13.12.2000
4.	श्री राजीव जुगतावत, उप वन संरक्षक	4.10.2000	13.12.2000
5.	श्री अक्षय सिंह, उप वन संरक्षक	13.6.2001	25.9.2001
6.	श्री अनिल कपूर, उप वन संरक्षक	15.5.1999	25.6.1999

1	2	3	4
7.	श्री सुनयन शर्मा, उप वन संरक्षक	27.4.2000	11.6.2001
8.	श्री एस. पी. शर्मा, उप वन संरक्षक	5.8.2000	26.9.2000
9.	श्री एस. के. सारस्वत, सहा. वन संरक्षक	22.6.1999	18.2.2000
10.	श्री लादू सिंह, सहा. वन संरक्षक	15.11.1999	18.12.2000
11.	श्री पी. एम. सेवदा, सहा. वन संरक्षक	1.12.1999	28.3.2000
12.	श्री हनुमानाराम, सहा. वन संरक्षक	1.12.1999	28.3.2000
13.	श्री आर. के. हुडा, सहा. वन संरक्षक	13.11.1999	28.3.2000
14.	श्री एस. एन. कछावा, सहा. वन संरक्षक	1.1.2000	28.3.2000
15.	श्री के. डी. देवल, सहा. वन संरक्षक	29.12.1999	28.3.2000
16.	श्री एल. एस. बोहरा, सहा. वन संरक्षक	18.6.1999	16.2.2000
17.	श्री एम. बी. शर्मा, सहा. वन संरक्षक	1.4.1999	16.2.2000
18.	श्री एच. के. सारस्वत, सहा. वन संरक्षक	18.9.2000	27.10.2000
19.	श्री ए. एस. शेखावत, सहा. वन संरक्षक	28.4.2000	21.1.2001
20.	श्री सुदर्शन शर्मा, सहा. वन संरक्षक	3.7.2000	25.7.2000
21.	श्री आर. बी. एल. गर्ग, अधि. अभि.	20.10.2000	13.4.2001
22.	श्री निर्मल कुमार शर्मा, भू.सं.अधि.	25.6.1999	26.10.2000
23.	श्री एस. पी. गुप्ता, सहा. भू. सं. अधि.	28.6.1999 एवं 8.1.2001	6.12.2000 24.4.2001
	राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा		
1.	श्री मुकेश तिवाड़ी, क्षेत्रीय-1	1.8.2001	28.9.2001

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-79 की सूची)

निम्नलिखित अभियन्ताओं की सूची जिनको एक वर्ष पूर्ण होने से पहले निगम में नियुक्ति दी गई :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद
1.	श्री सुधीर जैन, अधिशासी अभियन्ता
2.	श्री बी. के. जैन. सहायक अभियन्ता
3.	श्री एच. वी. जैन, सहायक अभियन्ता
4.	श्री राकेश गुप्ता, सहायक अभियन्ता
5.	श्री अनिल दीक्षित, सहायक अभियन्ता
6.	श्री एम. एल. कलवी, कनिष्ठ अभियन्ता
7.	श्री आर. के. भुनवाल, कनिष्ठ अभियन्ता
8.	श्री एम. के. जिन्दल, कनिष्ठ अभियन्ता

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-81 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राष्ट्रीय राज मार्ग 65 पर चालू वर्ष में माह अप्रैल 2001 से अक्टूबर 2001 तक किये गये कार्य तथा व्यय की गई राशि तथा शेष वर्ष में प्रस्तावित कार्यों व प्रस्तावित व्यय की जानी वाली राशि का विवरण

क्र.सं	कार्य का नाम व स्थान	स्वीकृति कार्य	स्वीकृत राशि लाखों में	माह अप्रैल 2001 से अक्टूबर 2001 तक		चालू वर्ष (नवम्बर, 2001 से मार्च, 2002 तक)	
				किये गये कार्य	व्यय की गई राशि लाखों में	शेष सम्भावित कार्य	सम्भावित राशि लाखों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वाईडनिंग आफ एक्जस्टिंग रोड टू टू लेन एण्ड इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी फ्रोम किमी 60 / 0 से 80 / 0 आफ एन एच 65 (फतेहपुर हरियाणा बोर्डर सैंक्शन)	20 किमी वाईडनिंग	378.01	7 किमी डब्लूबीएम ग्रेड-II	8.92	7 किमी वाईडिनिंग का शेष कार्य एवं 5 किमी वाईडिनिंग	190.00
2.	वाईडनिंग आफ एक्जस्टिंग रोड टू टू लेन एण्ड इम्प्रूवमैंट आफ ज्योमैटिक्स फ्रोम किमी 38 / 0 से 60 / 0 आफ एन एच 65 (फतेहपुर हरियाणा बोर्डर सैक्शन)	22 किमी वाईडिंनिंग	403.76	निल	निल	8.80 किमी वाईडिंनिंग	162.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी इन किमी 49/0 से 56/0 तथा 66/0 से 70/0 (फतेहपुर पाली एक्सटेंशन एनएच 65 (सालासर सुजानगढ़ सैक्शन)	11 किमी बीएम,11 किमी एसडीबीसी	129.31	निल	निल	11 किमी बीएम,11 किमी एसडीबीसी	87.00
4.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेन्ट फ्रोम किमी 95/0 से 118/0 आन एन.एच 65 (फतेहपुर हिसार सैक्शन)	23 किमी एम.एस. एस.	74.11	निल	निल	23 किमी एम.एस.एस.	57.00
5.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी इन किमी 29/0 से 39/0 आन एन.एच.65 (फतेहपुर सालासर सैक्शन)	10 किमी बीएम,10 किमी पीएमसी	66.75	5 किमी बीएम, 10 किमी पीएमसी	47.73	फाइनल बिल	2.50
6.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेन्ट फ्रोम किमी 70/0 से 95/0 आन फतेहपुर पाली सैक्शन ऑफ एनएच 65 (किमी 0/0 फतेहपुर)	25 किमी बीएम 25 किमी एसडीबीसी	309.34	22 किमी बीएम 14 किमी एसडीबीसी	155.89	3 किमी बीएम 11 किमी एसडीबीसी	87.00
7.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी इन किमी 120/0 से 141/0 आन एन एच,65 (फतेहपुर सैक्शन)	21 किमी बीएम,21 किमी एमएस.एस	124.78	—	—	21 किमी बी एम 21 किमी एमएसएस	96.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 152 / 0 से 169 / 0 आन एन एच 65 (फतेहपुर पाली रोड)	17 किमी बीएम, 17 किमी एसडीबीसी	134.58	17 किमी बीएम 17 किमी एसडीबीएस	93.79	—	12.50
9.	पिरियोडिकल रिन्यूवल आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 169 / 0 से 181 / 0 (किमी 173 को छोड़कर) (फतेहपुर पाली सैक्शन)	11 किमी एसडीबीएस	65.63	—	—	11 किमी एसडीबीएस	66.00
10.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 250 / 0 से 27 / 0 आन एनएच 65 (फतेहपुर नागौर जोधपुर पाली सैक्शन)	21 किमी बीएम,21 किमी एसडीबीएस	250.80	—	1.47	21 किमी बीएम. 21 किमी एसडीबीसी	175.00
11.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 281 / 0 से 293 / 0 आन एनएच 65 (फतेहपुर नागौर जोधपुर पाली सैक्शन)	12 किमी बी एम 12 किमी एसडीबीएस	175.62	—	0.07	12 किमी बीएम. 12 किमी एसडीबीसी	124.00
12.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 347 / 0 से 356 / 0 आन एनएच 65 (फतेहपुर नागौर जोधपुर पाली सैक्शन)	9 किमी बीएम 9 किमी एसडीबीसी	126.30	9 किमी बीएम, 9 किमी एसडीबीसी	86.65	—	7.50

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	इम्प्रूवमैंट आफ राइडिंग क्वालिटी आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 371 / 0 से 377 / 100 आन एनएच 65 (फतेहपुर नागौर जोधपुर पाली सैक्शन)	6.1 किमी बीएम, 6.1 किमी एसडीबीसी	160.11	—	—	6.1 किमी बीएम 6.1 किमी एसडीबीसी	121.00
14.	स्पेशल रिन्यूवल आफ पेवमेंट फ्रोम किमी 339 / 0 से 347 / 0 ऑफ एनएच 65 (फतेहपुर पाली सैक्शन)	8 किमी बीएम, 8 किमी एसडीबीसी	123.67			8 किमी बीएम, 8 किमी एसडीबीसी	123.00
15.	रिप्लेश्मेंट आफ आर सी सी स्लैब इन किमी 354 / 0 आन एनएच 65	ब्रिज स्लेब रिपेयर	15.52			ब्रिज स्लेब रिपेयर	15.50
	कुल योग	42 किमी वाईडनिंग 140.10 किमी बीएम, 120.10 एसडीबीसी, 10 किमी पीएमसी 44 किमी एमएसएस	2538.29	7 किमी आंशिक वाईडनिंग 53 किमी बीएम, 40 किमी एसडीबीसी 10 किमी पीएमसी	394.52 लाख	7 किमी शेष वाईडनिंग 13.80 किमी वाईडनिंग 82.10 किमी बीएम, 80.10 किमी एसडीबीसी 44 किमी एमएसएस	1326.00

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-84 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

जैसलमेर मुख्यालय पर राजकीय भवनों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	गैर आवासीय भवन	आवासीय भवन
1.	म्यूजियम	1 (Nos.)	2 (Nos.)
2.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक)	22 (Nos.)	—
3.	सामान्य प्रशासन	10 (Nos.)	139 (Nos.)
4.	राज्य बीमा विभाग	2 (Nos.)	—
5.	जेल	3 (Nos.)	5 (Nos.)
6.	न्यायिक	3 (Nos.)	2 (Nos.)
7.	चिकित्सा	28 (Nos.)	14 (Nos.)
8.	पुलिस	20 (Nos.)	222 (Nos.)
9.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	9 (Nos.)	6 (Nos.)
10.	राजस्व विभाग	15 (Nos.)	—
11.	तकनीकी शिक्षा	2 (Nos.)	7 (Nos.)
12.	उच्च शिक्षा (कालेज)	8 (Nos.)	22 (Nos.)
	कुल योग	123 (Nos.)	419 (Nos.)

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-90 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

खारची विधान सभा क्षेत्र मे अकाल राहत कार्यों (सम्वत् 2057) में स्वीकृत ग्रेवल सड़कों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3
1.	ग्रेवल सड़क आउवा से कादू	2.00
2.	ग्रेवल सड़क गोदावास से आकड़ावास	2.00
3.	ग्रेवल सड़क धनला मोड से मामावास	2.00
4.	ग्रेवल सड़क सिनला से स्वर्णजयन्ती पाठशाला	1.60
5.	ग्रेवल सड़क धनला से गुडा दुर्गा	2.50
6.	ग्रेवल सड़क पांचेटिया से गुडा हिन्दू	2.80
7.	ग्रेवल सड़क ईसाली से गुडा दुर्गा	3.00
8.	ग्रेवल सड़क जाडन से तालका	3.00
9.	ग्रेवल सड़क करमाल चौराहा से गुडा दुर्जन	3.00
10.	ग्रेवल सड़क गुगलिया से जोजावा	2.50
11.	ग्रेवल सड़क देवली से जानून्दा	1.25
12.	ग्रेवल सड़क मरवाड़ जंक्शन से कराड़ी वाया बिछूडा कलां	3.00
13.	ग्रेवल सड़क गोदावास से हिंगोला (पंचायत मुख्यालय)	2.00
14.	ग्रेवल सड़क तालका से लिंक रोड खारड़ी बानियावास	1.50
15.	ग्रेवल सड़क आभावास से दूदोड़	1.35
16.	ग्रेवल सड़क धनला से गुडा मोकमसिंह	3.00
17.	ग्रेवल सड़क बोरीमादा से मायला गुडा	1.50
18.	ग्रेवल सड़क कादू से गुडा केसरसिंह	2.00
19.	ग्रेवल सड़क फुलाद से राजिया गुडा	2.00
20.	ग्रेवल सड़क मलसा बावड़ी से गुडा मेहकरान	2.00
21.	ग्रेवल सड़क जैतपुरा गांव से बसस्टेण्ड से जैतपुरा	1.00
22.	ग्रेवल सड़क गुडा रामसिंह से आंगदोस मोड़	4.00
23.	ग्रेवल सड़क बानियामाली	1.00

1	2	3
24.	ग्रेवल सड़क बाड़सा से धामलीमोड वाया सुगालिया	1.00
25.	ग्रेवल सड़क आसण धांचियान से कराड़ी	1.50
26.	ग्रेवल सड़क बांता से धामली वाया रेल्वे स्टेशन	1.50
27.	ग्रेवल सड़क मारवाड़ जंक्शन बाईपास से एफ.सी.आई. गोदाम मारवाड़ जंक्शन	1.00
28.	ग्रेवल सड़क सारण से मुरडिया वाया बेलपुरा	1.00
29.	ग्रेवल सड़क मरम्मत कार्य बासोर से वेलपुरा वाया सिमाल	2.00
30.	ग्रेवल सड़क राणावास गांव से बाबारामदेव मन्दिर	1.50
31.	ग्रेवल सड़क सिरीयाली से गुडा बरजालिया	3.00
32.	ग्रेवल सड़क गजनीपुरा से कालपुरा	3.00
33.	ग्रेवल सड़क इन्दरवाड़ा से पांचलिया	3.00
34.	ग्रेवल सड़क जीवनद कला से गुडा केसरसिंह	2.50
35.	ग्रेवल सड़क वागोल से काकलावास	4.00
36.	ग्रेवल सड़क पांचेटिया से वणदार	3.00
37.	ग्रेवल सड़क नारलाई से केसुली अटाटिया	4.00
38.	ग्रेवल सड़क गुडा अखेराज वाया चक सुजानपुरा	1.50
39.	ग्रेवल सड़क मगरतालाब से टोकरला	3.00
40.	ग्रेवल सड़क गांधी से डायलाना खुर्द	2.00
41.	ग्रेवल सड़क गुडा गोपीनाथ से कोट सोलंकियान	2.50
42.	ग्रेवल सड़क माडपुर से तीखी	2.00
43.	ग्रेवल सड़क खिंवाड़ा से गुडा दौलजी	2.00
44.	ग्रेवल सड़क नीपल से बोरडी	1.50
45.	ग्रेवल सड़क खिंवाड़ा सक हिन्दूजी का गुडा	1.50
46.	ग्रेवल सड़क माडपुर से डायलाना कलां	5.00
47.	ग्रेवल सड़क गुडा जैतसिंह से भीमलिया	1.00

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-92 की सूची) परिशिष्ट "अ"

न्याय क्षेत्रों में शीघ्र-लिपिक द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	न्याय क्षेत्र का नाम	शीघ्र-लिपिक द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	3
2.	अलवर	5
3.	बांसवाड़ा	4
4.	बालोतरा	1
5.	भरतपुर	—
6.	भीलवाड़ा	—
7.	बीकानेर	2
8.	बूंदी	1
9.	बारां	1
10.	चूरू	1
11.	धौलपुर	—
12.	डूंगरपुर	—
13.	दौसा	1
14.	गंगानगर	—
15.	हनुमानगढ़	1
16.	उदयपुर सिटी	2
17.	जयपुर जिला	—
18.	जालौर	1
19.	झुंझुनूं	3
20.	झालावाड़	—
21.	जोधपुर	1

1	2	3
22.	जैसलमेर	1
23.	कोटा	1
24.	मेड़ता	2
25.	पाली	3
26.	प्रतापगढ़	—
27.	राजसमन्द	1
28.	सवाईमाधोपुर	—
29.	सीकर	—
30.	सिरोही	7
31.	टोंक	1
32.	उदयपुर	6
33.	करौली	—

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-94 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

राजस्व वृद्धि वर्ष 2000-01 की तुलना में 2001-2002 का विवरण

क्र.सं.	माह	राजस्व प्राप्त 2000-01 (लाख रु.)	राजस्व प्राप्त 2001-02 (लाख रु.)	राजस्व वृद्धि % (लाखों में)
1.	अप्रैल, 2001	1102.17	1053.90	(-)4.44
2.	मई, 2001	1100.50	1169.59	6.27
3.	जून, 2001	1144.25	1331.85	16.39
4.	जुलाई, 2001	1035.91	1287.98	24.33
5.	अगस्त, 2001	1106.66	1304.33	17.86
6.	सितम्बर, 2001	1031.27	1215.36	17.85

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-98 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा टेरिफ आर्डर में प्रसारण एवं वितरण निगमों को जारी किये गये दिशा निर्देशों का विवरण

1. प्रसारण निगम को जागरूक रहना है और निश्चित करना है कि प्रसारण निगम की विशिष्ट सप्लाई लाइनों को भविष्य में दूसरे राज्य/संस्थाओं द्वारा टेप करने का प्रयास नहीं किया जाये।

2. बी.बी.एम.बी. तथा उत्तरी क्षेत्र में होने वाले ई.एच.वी. क्षति के निर्धारण हेतु प्रसारण निगम युक्तिसंगत भर्सक प्रयास करेगा जिससे प्रत्येक विद्युत गृहों को होने वाली खरीद पर इसका असर पहले से ही ज्ञात किया जा सके।

3. प्रसारण निगम राज्य के अन्दर होने वाले ई.एच.वी. हानि को अगले 5 वर्षों में 5 प्रतिशत के स्तर पर लेने के भर्सक प्रयास करेगा, वर्ष 2001-02 में 0.8 प्रतिशत की कमी होनी चाहिये। प्रसारण निगम द्वारा इस हेतु किये जाने वाले प्रयास/हानि में कमी की सूचना तीमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा।

4. प्रसारण निगम ई.एच.वी. हानि पैरा-37 में दिये गये निर्देशों के अनुसार काम करेगा।

5. वितरण निगम कम से कम 0.85 प्रतिशत का पावर फैक्टर रखेगा। इसके लिए वर्ष वार शन्ट कैपेसीटर की आवश्यकता एन.आरई.बी. के अध्ययन के आधार पर की जावेगी। इस क्षमता का 50 प्रतिशत प्रसारण निगम और शेष 50 प्रतिशत तीनों वितरण निगमों द्वारा प्रत्येक 16.6 प्रतिशत रखा जायेगा।

6. के.वी.एच. आहरण से लेगिंग के.वी.आर.एच. आहरण 62 प्रतिशत से अधिक होगा तब प्रत्येक सब-स्टेशन तथा साथ-साथ सम्पूर्ण वितरण निगम पर पैनल्टी 4 पैसा प्रति के.वी.आर.एच. मय 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के दिनांक 1.4.2001 से लगेगी। के.डब्ल्यू.एच. आहरण से लेगिंग के.वी.ए.आर.एच. आहरण 32 प्रतिशत से कम होगी तब इसी दर से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

7. एल.एल.डी.सी. कम्प्यूटर पर एम.वी.ए.आर. आहरण/पॉवर ग्रिड पर इंजेक्शन/बी.बी.एम.बी. पर इन्टरकनेक्शन पर प्रणाली वोल्टेज 97 प्रतिशत के ऊपर, मोनीटर करेगा।

8. एस.एल.डी.सी. प्रणाली वोल्टेज 100 प्रतिशत से 103 प्रतिशत होने पर शन्ट कैपेसीटर की क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बन्द करने के लिए तथा प्रणाली वोल्टेज 100 प्रतिशत से 97 प्रतिशत होने पर शन्ट कैपेसीटर को चालू करने के लिए योजना बनायेगा।

9. प्रसारण निगम और वितरण निगम पावर कट और वितरण निगम पावर कट और लोडशेडिंग के लिए विस्तृत योजना तैयार करे ताकि कोई क्षेत्र में दूसरे की कीमत पर नुकसान में नहीं रहे एवं सभी श्रेणी के उपभोक्ता इस भार को बांटें।

10. प्रसारण निगम द्वारा उत्पादन, प्रसारण तथा लोड डिस्पैच के अलग खाते रखे जायेंगे।

11. ए.बी.टी. लागू होने के तीन माह के उपरान्त प्रसारण निगम उसकी स्थिति (रिव्यू) बतायेगा।

12. बिलिंग की अस्थाई दर जो निदेशक (विथ एवं कम्पनी मामलात) प्रसारण के पत्र दिनांक 29.8.2000 पर आधारित प्रसारण निगम द्वारा उसे अन्तिम रूप दिया जाये।

13. प्रसारण निगम और उत्पादन निगम तीन माह के भीतर प्रत्येक पावर स्टेशन हेतु विद्युत खरीद एग्रीमेंट करेंगे जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित होंगे।

14. स्टेट लोड, डिस्पैच सेन्टर, पन बिजली घरों से उपलब्ध सभी बिजली को भेजता रहेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि एक निर्धारित उत्पादन क्षमता (उदाहरणस्वरूप पीक लोड का 50 प्र.श.) चाहे व प्रसारण निगम, उत्पादन निगम अथवा केन्द्रीय क्षेत्र का हो वह राज्य में हर समय चालू रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इस उत्पादन को बाकी ग्रिड से अलग (आइसोलेट) करके राज्य की आवश्यक सेवाएं ग्रिड फेल होने की स्थिति में चालू रखी जायेगी।

15. सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन के वर्ष 2000-01 के ईधन व्यय पर बढ़ोतरी की वास्तविकता को एम.पी.ई.बी. के खातों से प्रसारण निगम द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

16. प्रसारण निगम खर्चों में कमी करने हेतु अपने कर्मचारी व्यय, रख-रखाव व्यय पर अंकुश लगाकर ट्रांसफार्मर और ब्रेकरों की प्रिवेंटिव देखभाल पर ध्यान दें।

17. आयोग निर्देश देता है कि प्रसारण निगम प्रति माह बेची जाने वाली ऊर्जा पर 3.57 पैसा प्रति यूनिट की दर से प्राप्त राशि को एक ट्रस्ट जो अपूरित पी.एफ. पेंशन एवं ग्रेच्यूटी की देनदारी हेतु बनेगा उसके खाते में रखे। यह राशि हर माह की पन्द्रह तारीख अदा की जायेगी।

18. आयोग निर्देश देता है कि अगली टेरिफ प्रसारण निगम दायर करने से पहले परिसम्पत्ति रजिस्ट्रर जिसमें परिसम्पत्तियों का विवरण लेखा विवरण से मिलान कर प्रस्तुत किया जाये।

19. द्विभागीय टेरिफ लागू करने के लिए आवश्यक कदम प्रसारण निगम उठायेगा तथा उसका ट्रायल भी लेगा। इसे प्रभावशाली ढंग से लागू होने के लिए डाटा एकत्र करेगा।

20. फ्रीक्वेन्सी 49 हर्टस से कम या 50.2 हर्ट्स से अधिक होने पर वितरण कम्पनी बिना दूसरी वितरण कम्पनी की सहमति के अधिआहरण या कम आहरण करती है तो 66 पैसा प्रति यूनिट का चार्ज थोक प्रदाय दर (बी.एस.टी.) के अतिरिक्त लगेगा। फ्रीक्वेन्सी 49 हर्ट्स से कम पर कम आहरण पर तथा फ्रीक्वेन्सी 50.2 हर्ट्स से अधिक होने पर अधिक आहरण पर 66 पैसा प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

21. प्रत्येक शनिवार को आने वाले सप्ताह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता/उपलब्धता प्रसारण निगम द्वारा वितरण निगमों को दी जायेगी।

22. कोई अतिरिक्त विद्युत खरीद और ईंधन प्रभार देय नहीं होगा।

23. यदि विद्युत खरीद पर कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो प्रसारण निगम अगले टेरिफ याचिका के समय अथवा आयोग के समक्ष विद्युत खरीद कीमत समायोजन फार्मूला प्रस्तुत कर अनुमति मांग सकता है।

24. वितरण निगम द्वारा बिल का भुगतान बिलिंग के तीन दिन के अन्दर करने पर डेढ़ प्र.श. की छूट होगी, उसके पश्चात् बिलिंग के 25 दिन के अन्दर भुगतान करने पर एक प्र.श. छूट और बिलिंग के 55 दिन पश्चात् भुगतान करने पर डेढ़ प्र.श. प्रतिमाह का सरचार्ज देय होगा।

25. सारांश में आयोग तीनों वितरण कम्पनियों को बेची जाने वाली विद्युत की थोक प्रदाय टेरिफ बी.एस.टी. दर 213 पैसा प्रति यूनिट निर्धारित करता है।

26. आयोग मंजूर करता है कि 66 पैसा प्रति यूनिट की दर से एक चार्ज लगाया जाय जो फ्रीक्वेन्सी 49 हर्ट्स से नीचे हो तो विद्युत के अधिआहरण अथवा फ्रीक्वेन्सी 50.2 हर्ट्स से ऊपर होने पर कम आहरण पर लगेगा। साथ ही प्रोत्साहन 66 पैसा प्रति यूनिट की दर से देय होगा यदि वितरण निगम फ्रीक्वेन्सी 52.2 के ऊपर होने पर यदि आहरण करती है अथवा फ्रीक्वेन्सी 49 से नीचे होने पर कम आहरण करती है।

27. के.बी.एच. आहरण से लेगिंग के.वी.आर.एच. आहरण 62 प्रतिशत से अधिक होगा तब प्रत्येक सब-स्टेशन तथा साथ-साथ सम्पूर्ण निगम पर पैनेल्टी 4 पैसा के.वी.आर.एच. मय पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के दिनांक 1.4.2001 से लगेगी। के.डब्लू.एच. आहरण से लेगिंग के लिए के.वी.आर.एच. आहरण 32 प्र.श. से कम होगी तब इसी दर से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

28. प्रसारण निगम मीटरिंग व्यवस्था के लिए मीटर किराया नहीं लेगा।

आयोग ने वितरण कम्पनियों को निम्न दिशा निर्देश दिये हैं :—

1. भविष्य में टेरिफ याचिका या तो हिन्दी में बनाई जाये या उसके साथ हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाये।

2. वितरण कम्पनियों को मरम्मत एवं रख-रखाव की राशि का उपयोग लाइन व उपकरणों के स्तर को सुधारने के लिए करना चाहिए। चुने हुए कृषि फीडरों के दूरस्थ छोरों पर विद्युत गुणवत्ता एवं वोल्टेज की वितरण कम्पनियां निगरानी रखेंगी।

3. वितरण कम्पनियां समय से मीटर पठन, बिल प्रेषण, राजस्व संग्रहण और आपूर्ति निकाय की मरम्मत और रख-रखाव हेतु वांछित श्रम शक्ति के पुनरावलोकन एवं सुझाव हेतु एक वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करे।

4. वितरण कम्पनियों को अपने वर्तमान उपभोक्ता शिकायत निवारण के निकाय का पुनरावलोकन करना चाहिए और उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समस्याओं को निर्दिष्ट समय में समाधान हेतु समय सारणी बनाना चाहिए। इन बिन्दुओं पर वितरण कम्पनियां कार्यवाही कर एवं तीन माह की अवधि के लिए अनुपालना आयोग को प्रस्तुत करें।

5. वितरण कम्पनियां एक आंकड़ों का आधार (डाटा बेस) तैयार करें ताकि अगली टेरिफ याचिका के समय, टेरिफ विनियमों के अनुसार वांछित सूचना प्रदान की जा सके।

6. वितरण कम्पनियां आर.वी.पी.एन.एल. के साथ थोक प्रदाय अनुबंध तीन माह के अंदर-अंदर कर ले।

7. वितरण कम्पनियां दोषपूर्ण रुके हुए मीटर का पता लगने के दो माह में उसे बदल दे। उपभोक्ता को औसत उपभोग आधार पर, दो से अधिक बिल जारी नहीं किए जायेंगे। यदि वितरण कम्पनियां किसी भी कारण से रुके हुए/दोषपूर्ण मीटर को दो माह में नहीं बदल पाती है, तो वितरण कम्पनियां उपभोक्ता को औसत आधार पर जारी, तीसरे एवं तदुपरान्त तब तक जारी बिलों की पूर्ण राशि में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा, जब तक कि मीटर को बदल नहीं दिया जावे। यह निर्देश 1 जुलाई, 2001 से प्रभावी होगा।

8. वितरण कम्पनियां नवीन सम्बन्धों की आवश्यकता के अतिरिक्त, अगले तीन साल तक प्रतिवर्ष 2 लाख इलैक्ट्रोनिक मीटर उपलब्ध कराने का प्रावधान करे जिससे पुरानी सभी कमी पूरी की जा सके तथा सभी नये व सभी कृषि कनेक्शन मीटर के साथ ही दिये जायें। सभी मीटर, मीटर-बक्सों के साथ दिये जावें एवं जहां भी आवश्यकता हो, ऐसी उच्च स्तरीय सर्विस लाइनों के साथ दिया जावें जो छेड़-छाड़ निरोधक हो।

9. आयोग द्वारा निर्धारित समस्त अभिदान राशि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2002 की समाप्ति तक कर दी जानी चाहिए। यदि इस राशि में कोई कमी होती है, तो वितरण कम्पनियां अपने पूर्व एवं वर्तमान बकायों की वसूली के प्रयासों में सुधार करें। यदि अंतिम उपाय ऋण ही रहता है तो सरकार को इस ऋण की लागत के भार को वहन करना चाहिए जिससे ऋण की लागत उपभोक्ताओं पर नहीं पड़े।

10. एच.टी. उपभोक्ताओं के मामलों में स्थिर शुल्क की गणना उनकी बिलिंग मांग के आधार पर की जायेगी, एल.टी. घरेलू व अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसकी गणना गत वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर होगी। नये उपभोक्ताओं हेतु प्रथम 6 माह तक स्थिर शुल्क उस श्रेणी की न्यूनतम दरों के आधार लगाया जा सकता है। तत्पश्चात् 6 महीनों के औसत उपभोग के आधार पर लगायें जावें।

11. वितरण कम्पनियां द्वारा सोलर हीटिंग सिस्टम काम में लेने पर जो छूट दी जाती है इसे समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा रहा है एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह जारी रहनी चाहिए।

12. भविष्य में इण्डस्ट्रियल एरिया या इण्डस्ट्रियल एरिया के बाहर स्ट्रीट लाइटनिंग उपभोगित ऊर्जा का शुल्क, सार्वजनिक प्रकाश हेतु निर्धारित दर से लिया जायेगा।

13. वितरण कम्पनियां बढ़ी हुई आवश्यक सुरक्षा राशि उपभोक्ताओं को सूचित कर सकता है, परन्तु किरायेदारों के अतिरिक्त उन उपभोक्ताओं से यह राशि वितरण कम्पनी नहीं वसूल करेंगी, जो एक वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक समय से बिल के भुगतान के बारे में दोषी न रहे हों। दोषी उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई सुरक्षा राशि, वित्तीय वर्ष में केवल एक बार मांगने का ही वितरण कम्पनी को अधिकार होगा।

14. कृषि उपभोक्ताओं को जारी सभी नये सम्बन्ध केवल मीटर श्रेणी में होंगे। वर्तमान फ्लेट रेट उपभोक्ता भी तीन वर्ष अवधि के अन्दर मीटर श्रेणी में परिवर्तित कर देने चाहिए।

15. वितरण कम्पनी प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी जैसे घरेलू, शहरी और ग्रामीण, अघरेलू, कृषि और उद्योग का सैम्पल साइज का चुनाव करके विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करें ताकि सांख्यिकीय के स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार इन प्रतिनिधि सैम्पलों से वितरण कम्पनियों की आपूर्ति के पूरे क्षेत्र के तकनीकी और अतकनीकी लॉसेस का निर्धारण उचित रूप से सही किया जा सके एवं वितरण कम्पनी के क्षेत्र में औसत वार्षिक फ्लेट रेट वाली, अनमीटर्ड ऊर्जा आपूर्ति की भी गणना हो सके। यह अध्ययन तीन वर्ष तक जारी रखा जाये, जिससे इसमें विभिन्न कारकों के आधार पर मौसमी और वार्षिक परिवर्तनों के प्रभावों का अंकन किया जा सके, पर ऐसे अध्ययन की प्रारम्भिक रिपोर्ट आयोग को अगले दर सूची प्रस्ताव के पहले 2001 में उपलब्ध कराई जाये।

16. वितरण कम्पनी द्वारा टी. एण्ड डी. हानियों में 5.4 प्र.श. की कमी का लक्ष्य 31 मार्च, 2002 तक प्राप्त किया जायेगा एवं 2001-02 अवधि से प्रारम्भ कर 5

वर्ष की समयावधि के अन्त तक ये हानियां 20 प्र.श. के स्तर तक नीचे लायी जावे। इस उद्देश्य के लिए वितरण कम्पनी इस आदेश से एक मास की अवधि में एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।

17. वितरण कम्पनी प्रत्येक राजस्व वृत के 11 के.वी. के सभी फीडरों से प्रसारित ऊर्जा को नापे एवं आपूरित/बिल करी हुई ऊर्जा का आकलन हो। एक समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारियों का निर्धारण हो ताकि आपूरित ऊर्जा और बिल करी ऊर्जा के अन्तराल को कम किया जा सके। इस अंकेक्षण की तिमाही रिपोर्ट, वांछित सूचनाओं के साथ आयोग को भेजी जावे।

18. वितरण कम्पनी को पावर कट/लोड शेडिंग की अग्रिम योजना बनानी चाहिए जिससे ऊर्जा की कमी का भार सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से पड़े सिवाय सशस्त्र सेनाओं, जलदाय और रेलवे के।

19. वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सुधार एवं अनुरक्षण हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम को रुपये 174 लाख के विरुद्ध 2100 लाख, जोधपुर वितरण निगम को रुपये 1097 लाख के विरुद्ध 1400 लाख एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम को रुपये 2110 लाख स्वीकृत किये जाते हैं। यह राशि वितरण कम्पनी निर्धारित कार्यों पर खर्च करेगा और अगले टेरिफ प्रस्ताव के समय इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी।

20. वितरण कम्पनी को परिसम्पत्तियों की पंजिका को तैयार करना चाहिए, जिसमें कि श्रेणीवार परिसम्पत्तियों का विवरण हो एवं यह सूचना अगले टेरिफ दाखिल करने से पूर्व आयोग को प्रस्तुत करे।

21. वितरण कम्पनी को लेनदारियों को समयावधि अनुसार दर्शाना चाहिए एवं साथ ही ऐसी राशियां जिन्हें न्यायालय द्वारा लम्बित रखा गया है, अथवा जिनकी वसूली न्यायालय द्वारा रोक दी गई है, अलग-अलग स्पष्ट दर्शायी जाये।

22. उपभोक्ताओं से पिछली अवधि के लिए भी वितरण कम्पनी, मूल्य परिवर्तनशीलता एवं ईंधन प्रभार के रूप में अलग से वसूल नहीं करेगी, क्योंकि इसका समायोजन आर.वी.पी.एन. के थोक प्रदाय टेरिफ में किया जा रहा है।

23. स्थिर सेवा शुल्क व मीटर किराया को समाप्त किया जाता है एवं अनुमोदित टेरिफ में स्थिर शुल्क में इनका समायोजन करता है। मात्र सी.टी.पी.टी. सैट, बाह्य सी.टी. बाह्य पी.टी. एवं टाइम स्विच पर किराया उपभोक्ताओं द्वारा देय होगा।

24. पावर कट या ऊर्जा के प्रयोग पर प्रतिबन्धों की अवधि पर, सभी एच.टी. उपभोक्ताओं को, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, मासिक औसत पावर कट एवं

प्रतिबंधों के आधार पर स्थिर शुल्क व न्यूनतम बिलिंग में समानुपातिक छूट दी जाये।

25. एच.टी. उपभोक्ताओं के मामले में, संबंधित माह में रिकार्ड करी गई वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो, उपभोक्ता की बिलिंग मांग (बिलिंग डिमाण्ड-बी.डी) होगी।

26. अगर औसत पावर फैक्टर 0.95 (95 प्रतिशत) से अधिक है, तो 95 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 1 प्रतिशत सुधार के लिए ऊर्जा शुल्क में 1 प्रतिशत छूट प्रोत्साहन के रूप में देने का प्रावधान होगा। वर्तमान श्रेणियों के अतिरिक्त, सम्बद्ध भार 25 एच.पी. से ऊपर के किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए यह प्रावधान होगा कि औसत पावर फैक्टर अगर 90 प्रतिशत से कम है तो प्रत्येक 1 प्रतिशत की कमी के लिए उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क का 1 प्रतिशत प्रभार शुल्क के रूप में वसूला जावेगा। यह प्रोत्साहन व नई श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर संशोधित प्रभार, आदेश के तीन माह बाद प्रभावी होंगे।

27. तीन अश्व शक्ति से अधिक के सभी नये कृषि संबंधों में एवं 25 अश्व शक्ति से अधिक संबंध भार वाले सभी श्रेणियों के उपभोक्ता यथोचित शन्ट कैपेसीटर सूचना मिलने के तीन माह की अवधि के अन्दर लगायेंगे। कृषि उपभोक्ताओं सहित, जो भी उपभोक्ता, दी गई अवधि में शन्ट कैपेसीटर लगाने या कैपेसीटर को क्रियाशील बनाये रखने में दोषी होता है, उसे संबंधित दोषपूर्ण अवधि में, बिल करी गई राशि की 2 प्रतिशत राशि प्रभारस्वरूप चुकानी होगी।

28. भविष्य में रेलवे द्वारा कोई सुरक्षा राशि देय नहीं होगी।

29. सीज़नल उद्योगों के मामले में, गैर सीजन की अवधि में, जो एक वर्ष में 4 माह से अधिक न होगी, स्थिर शुल्क एवं न्यूनतम बिलिंग, सामान्य निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत होगा।

30. ऐसे घरेलू परिसर में जहां परिवार के सदस्य किसी व्यवसाय या उद्योग को, बिना किसी व्यक्ति को नौकरी में रखे हुए, चला रहे हैं, घरेलू दर से बिल किये जायेंगे।

31. वर्तमान प्रचलित विद्युत आपूर्ति की टेरिफ से सम्बन्धित पुस्तिका, इस आदेशानुसार, 15 अप्रैल, 2001 तक संशोधित की जायेगी एवं "विद्युत आपूर्ति की टेरिफ" उपयुक्त रूप से हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में संशोधित कर, नाम मात्र के मूल्य पर सामान्य जन हेतु विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।

परिशिष्ट "ब"

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर)

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश एवं झुंझुनूं वृत में उनकी अनुपालना रिपोर्ट

क्र.सं.	दिशा निर्देश	झुंझुनूं वृत में किये गये प्रयास
1	2	3
1.	चुने हुए कृषि फीडरों के दूरस्थ छोरों पर विद्युत गुणवत्ता एवं वोल्टेज की डिस्काम निगरानी रखेगा ?	झुंझुनूं वृत में ऐसे कुछ फीडरों का चयन कर लिया गया है तथा शीघ्र जिन पर मीटर लगाये जा रहे हैं।
2.	उपभोक्ताओं को समस्याओं को निर्दिष्ट समय में समाधान सुनिश्चित करने हेतु डिस्काम को समय सारणी बनानी चाहिये।	झुंझुनूं वृत में इस हेतु प्रत्येक माह की 10 तारीख को सहायक अभियन्ता स्तर पर तथा प्रत्येक माह की 20 तारीख को वृत कार्यालय में समस्या समाधान शिविर आयोजित किये जा रहे हैं।
3.	डिस्काम दोषपूर्ण एवं रुके हुए मीटर का पता लगने के दो माह में बदल देना चाहिये।	झुंझुनूं वृत में माह अक्टूबर, 2001 तक 16841 मीटर बदले जा चुके हैं शेष रहे 22190 दोषपूर्ण मीटर शीघ्र बदल दिये जायेंगे।
4.	डिस्काम को अगले 3 साल तक प्रतिवर्ष दो लाख इलैक्ट्रोनिक मीटर उपलब्ध कराने का प्रावधान रखना चाहिये जिससे सभी कृषि कनेक्शन मीटर व मीटर बाक्स के साथ दिये जाय जिससे छेड़छाड़ निरोधक हो सके।	निगम स्तर पर इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
5.	डिस्काम उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई आवश्यक सुरक्षा राशि किरायेदारों के अतिरिक्त उन उपभोक्ताओं से वसूल नहीं करेगा जो एक वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक समय से बिल का भुगतान में दोषी रहे हो।	झुंझुनूं वृत में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

1	2	3
6.	डिस्काम में सभी कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को तीन वर्ष की अवधि में मीटर श्रेणी में परिवर्तित कर देना चाहिये।	झुंझुनूं वृत्त में माह अक्टूबर, 01 तक 163 शहरी क्षेत्र के तथा 907 ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के फ्लेट से मीटर श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। शेष रहे उपभोक्ताओं को भी नियामक आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार परिवर्तित कर दिया जावेगा।
7.	नियामक आयोग ने डिस्काम को टी एण्ड डी हानियों में 5.4 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य दो वर्षों के लिये निर्धारित किया है। (31.3.02 तक) तथा 5 वर्ष की समयावधि के अंत तक में हानियां 20 प्रतिशत के स्तर तक नीचे लाई जानी चाहिये।	झुंझुनूं वृत में टी एण्ड डी. हानि अप्रैल 01 में 30.76 प्रतिशत था जो माह सितम्बर, 01 में 20.63 प्रतिशत में तथा माह सितम्बर, 01 तक प्रोग्रेसिव 24.34 प्रतिशत रहे।
8.	पावर कट या ऊर्जा के प्रयोग पर प्रतिबंधों की अवधि पर सभी एच.टी. उपभोक्ताओं को औसत पावर कट व प्रतिबंधों के आधार पर स्थित शुल्क व न्यूनतम बिलिंग में समानुपातिक छूट दी जावे।	निगम स्तर पर सभी एच.टी. उपभोक्ता को पावर कट या ऊर्जा के प्रयोग पर प्रतिबंध होने पर छूट देने हेतू उप मुख्य अभियन्ता (टीएमवी) अजमेर को आदेश संख्या अज. 64 द्वारा अधिकार दे दिये गये हैं।
9.	अगर औसत पावर फैक्टर 0.95 से अधिक है तो प्रत्येक अधिक 0.01 सुधार के लिए ऊर्जा शुल्क में 1 प्रतिशत छूट प्रोत्साहन के रूप में देने का प्रावधान होगा।	झुंझुनूं वृत में इस प्रकार के उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है।
10.	ऐसे घरेलू परिसर में जहां परिवार के सदस्य किसी व्यवसाय या उद्योग को बिना किसी व्यक्ति को नौकरी में रखे हुए चला रहे हैं, घरेलू दर से बिल किये जावेंगे।	निगम स्तर पर पूर्व में टेरिफ शिड्यूल डी.एस/एल.टी.-1 नोट (4) में दिशा निर्देश पूर्व में ही दे दिये गये हैं तथा झुंझुनूं वृत में इस निर्देशों की पालना की जा रही है।

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-99 की सूची) परिशिष्ट "अ"

खारची विद्युत उपखण्ड में कृषि उपभोक्ताओं के मांग पत्र जमा एवं उनके जारी विद्युत संबंध की सूचना

क्र.सं.	आवेदक का नाम	श्रेणी	मांग-पत्र की जमा तिथि	कनैक्शन जारी की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मूलकंवर / फतेसिंह	कृषि	28.9.98	आपसी विवाद के कारण कनैक्शन जारी नहीं किया
2.	बस्तीमल / रामचन्द	कृषि	9.10.98	कनैक्शन लेने के इच्छुक नहीं। नोटिस नहीं लिया
3.	श्री हीराराम / मनाजी	कृषि	22.01.2000	उपरोक्तानुसार
4.	श्री सौभाग्यसिंह / छैल सिंह	कृषि	20.4.2000	उपरोक्तानुसार
5.	श्री भोगड़ासिंह / घोकलसिंह	कृषि	2.5.2000	30.7.2001 आपसी विवाद
6.	श्री नैनाराम / पिथाराम	कृषि	24.7.2000	30.7.2001
7.	श्री पेमाराम / जीवाराम	हरा चारा	22.1.2001	30.7.2001 आपसी विवाद
8.	श्री मांगीलाल / तुलसा राम	हरा चारा	4.1.2001	आपसी विवाद
9.	श्री जोराराम / पताजी	हरा चारा	22.1.2001	आपसी विवाद
10.	श्री धूलसिंह / पूरणसिंह	सामान्य	5.2.2001	30.7.2001
11.	श्री मोहन सिंह / जुझारसिंह	सामान्य	14.2.2001	30.7.2001
12.	श्रीमती अणची / टीकाराम	अ.ज्ञा.	14.2.2001	26.7.2001
13.	श्री दलाराम / टीकमराम	अ.ज्ञा.	14.2.2001	26.7.2001
14.	श्री नैनाराम / पनाजी	सामान्य	15.2.2001	30.7.2001
15.	श्री हीराराम / रलाजी	अ.ज्ञा.	28.2.2001	28.7.2001

1	2	3	4	5
16.	श्री देवाराम / नवलजी	अजा.	2.3.2001	आपसी विवाद
17.	श्री आशाराम / राजाराम	अजा.	2.3.2001	30.7.2001
18.	मोटाराम / मानाराम	अजा.	7.3.2001	30.7.2001
19.	श्री गणपत सिंह / मोतीसिंह	अजा.	7.3.2001	30.7.2001
20.	श्री देवीसिंह / उदयसिंह	अजा.	7.3.2001	30.7.2001
21.	श्री मूलाराम / दोलाजी	अजा.	8.3.2001	29.10.2001
22.	श्री पूनमचन्द / नैनाराम	अजा.	13.3.2001	29.10.2001
23.	श्री गजेसिंह / डूंगरसिंह	अजा.	13.3.2001	
24.	श्री गजेसिंह / डूंगरसिंह	अजा.	13.3.2001	
25.	श्री हरिसिंह / गिरधारी सिंह	अजा.	13.3.2001	
26.	श्री प्रेमसिंह/वरदसिंह	अजा.	13.3.2001	
27.	श्री मंगलसिंह/रामसिंह	अजा.	13.3.2001	
28.	श्रीमती अलोलकंवर/शेरसिंह	अजा.	13.3.2001	
29.	श्री शेरसिंह/बिशनसिंह	अजा.	13.3.2001	
30.	श्री पुर्वाराम/रामाजी	अजा.	13.3.2001	
31.	श्री घीसाराम/नवलराम	अजा.	13.3.2001	
32.	श्री प्रकाशचन्द/रामप्रताप	अजा.	20.3.2001	
33.	श्री भानाराम/सुखाराम	अजा.	20.3.2001	
34.	श्री खेसाराम/भानाराम	अजा.	23.3.2001	
35.	श्री ढगलराम/चेनाराम	कृषि	23.3.2001	
36.	श्री सुखसिंह/चिमनसिंह	कृषि	24.3.2001	

1	2	3	4	5
37.	श्री अमरसिंह/अचलसिंह	कृषि	27.3.2001	
38.	श्री भीकाराम/दोलाराम	कृषि	28.3.2001	
39.	श्री ताराचन्द/रामचन्द्र	कृषि	28.3.2001	
40.	श्री घीसूलाल/चेनाराम	कृषि	30.3.2001	
41.	श्री जबरसिंह/केसरसिंह	कृषि	16.4.2001	
42.	श्री पुखाराम/जेठाराम	कृषि	11.4.2001	
43.	श्री रामलाल/नेनाजी	कृषि	21.4.2001	
44.	श्री भंवरलाल/खीवाराम	कृषि	21.4.2001	
45.	श्री देवाराम/भाकरराम	कृषि	21.4.2001	
46.	श्री मोहबलसिंह/केसरसिंह	कृषि	6.6.2001	
47.	श्री प्रेमसिंह/कल्याणसिंह	कृषि	2.8.2001	
48.	श्री विशनसिंह/सोहनसिंह	कृषि	14.9.2001	
49.	श्री पुखाराम/घनाजी	कृषि	15.10.2001	
50.	श्री देवाराम/घीसाराम	कृषि	15.10.2001	

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-108 का विवरण)

परिशिष्ट-1

प्रश्न—बिन्दु संख्या 1 के साथ संलग्न

जवाब—अकाल राहत कार्य सम्वत 205 अन्तर्गत ग्राम खेलनिया के स्वीकृत कार्यों का विवरण.

क्र.सं.	कार्य का नाम	श्रम	सामग्री	योग
1.	ग्रेवल रोड नहर झोटकिया वाया गोविन्दपुरा	620000/-	208000/-	828000/-
2.	आंगनबाड़ी भवन डाबला	75950/-	119050/-	195000/-
3.	आंगनबाड़ी भवन बाजोलिया	75950/-	119050/-	195000/-
4.	पुलिस उप अधीक्षक निवास बाउण्डरीवाल	169000/-	168000/-	337000/-
5.	सार्वजनिक तालाब डाबला	200000/-		200000/-
6.	रपटा ग्रेवल रोड झोटकिया वाया गोविन्दपुरा	52500/-	52500/-	105000/-
7.	सार्वजनिक नाड़ी भाटकानाड़ा	150000/-		150000/-

बिन्दु संख्या-2 के साथ संलग्न

क्र.सं.	कार्य का नाम	देय राशि			अग्रिम राशि			विशेष राशि
		श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग	
1.	ग्रेवल नहर झोटंकिया	306860	100926	407786	306860	83200	390060	17726
2.	आंगनबाड़ी भवन डाबला	75000	105707	180707	75000	85294	160294	20413
3.	आंगनबाड़ी भवन बाजोलिया	74960	120141	19510	74960	72647	147607	47494
4.	पुलिस उप अधीक्षक बाउण्डरीवाल	167405	168316	335781	167905	118180	285585	50196
5.	सार्वजनिक तालाब डाबला	106920	—	106920	106920	—	106920	—
6.	रतदा ग्रेवल रोड	36600	55105	91705	36600	21000	57600	34105
7.	सार्वजनिक नाड़ी भाटकांनाड़ा	45480	—	45480	45480	—	45480	—

ह०/-

जिला कलक्टर, टोंक

परिशिष्ट-23

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-109 का विवरण)

सम्वत 2056

क्र.सं.	नाम विभाग	कुल कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि (राशि लाखों में)	स्वीकृत श्रमिक
1.	पंचायत समिति गढ़ी	236	279.41	9309
2.	सा. नि. विभाग	20	114.21	5050
3.	सिंचाई विभाग	14	19.50	616
4.	वन विभाग	2	4.39	390
	योग	272	417.51	15365

सम्वत 2057

क्र.सं.	नाम विभाग	कुल कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि (राशि लाखों में)	स्वीकृत श्रमिक
1.	पंचायत समिति गढ़ी	36	49.41	1580
2.	सा. नि. विभाग	29	39.58	2340
3.	सिंचाई विभाग	9	9.65	365
4.	वन विभाग	3	4.72	120
5.	शिक्षा विभाग (लोक जुम्बिस)	5	1.64	150
	योग	92	105.00	4540

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-113 की सूची)

जिला बाड़मेर की परियोजनाओं में स्वीकृत पद के विरुद्ध पंचायत समितिवार कार्यरत/रिक्त पदों की स्थिति

बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्र.सं.	बाल विकास परियोजना का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	चौहटन	1	1	—
2.	सिवाना	1	1	—
3.	शिव	1	—	1
4.	बालोतरा	1	—	1
5.	बायतू	1	—	1
6.	बाड़मेर	1	1	—
7.	धोरीमन्ना	1	1	—
8.	सिणधरी	1	—	1
सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी				
1.	चौहटन	—	—	—
2.	सिवाना	—	—	—
3.	शिव	1	—	1
4.	बालोतरा	2	1	1
5.	बायतू	1	—	1
6.	बाड़मेर	2	—	2
7.	धोरीमन्ना	2	1	1
8.	सिणधरी	2	—	2
कार्यालय सहायक				
1.	उप निदेशक कार्यालय बाड़मेर	1	—	1
वरिष्ठ लिपिक				
1.	चौहटन	1	—	1
2.	सिवाना	1	—	1
3.	शिव	1	—	1
4.	बालोतरा	1	1	—

1	2	3	4	5
5.	बाड़मेर	1	1	—
6.	धोरीमन्ना	1	—	1
7.	सिणधरी	1	—	1
कनिष्ठ लिपिक				
1.	चौहटन	1	—	1
2.	सिवाना	1	1	—
3.	शिव	2	2	—
4.	बालोतरा	3	3	—
5.	बायतू	2	2	—
6.	बाड़मेर	3	3	—
7.	धोरीमन्ना	3	3	—
8.	सिणधरी	3	3	—
पर्यवेक्षक				
1.	चौहटन	5	5	—
2.	सिवाना	6	5	1
3.	शिव	7	6	1
4.	बालोतरा	10	8	2
5.	बायतू	7	5	2
6.	बाड़मेर	10	8	2
7.	धोरीमन्ना	10	5	5
8.	सिणधरी	10	5	5
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
1.	चौहटन	1	1	—
2.	सिवाना	1	1	—
3.	शिव	2	2	—
4.	बालोतरा	3	3	—
5.	बायतू	2	2	—
6.	बाड़मेर	3	3	—
7.	धोरीमन्ना	3	3	—
8.	सिणधरी	3	1	2
उप निदेशक कार्यालय बाड़मेर		1	1	—

परिशिष्ट-25

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-117 की सूची)

जयपुर से केकड़ी वाया मालपुरा जाने वाली बसों की समय-सारणी

क्र.सं.	मार्ग	जयपुर से प्रस्थान समय
1	2	3
1.	जयपुर-बांसवाड़ा	05.00
2.	जयपुर-सांवरियाजी	06.00
3.	जयपुर-केकड़ी	06.30
4.	जयपुर-कोटा (वाया केकड़ी)	06.45
5.	जयपुर-केकड़ी	07.00
6.	जयपुर-केकड़ी	07.45
7.	जयपुर-केकड़ी	08.30
8.	जयपुर-बड़ी सादड़ी	09.15
9.	जयपुर-केकड़ी	09.45
10.	जयपुर-केकड़ी	10.15
11.	जयपुर-ब्यावर (वाया केकड़ी)	10.20
12.	जयपुर-केकड़ी	10.45
13.	जयपुर-भीलवाड़ा (वाया केकड़ी)	11.00
14.	जयपुर-केकड़ी	12.00
15.	जयपुर-शाहपुरा	12.30
16.	जयपुर-देवली केकड़ी	13.00
17.	जयपुर-शाहपुरा	13.30
18.	जयपुर-केकड़ी बोराड़ा	14.00
19.	जयपुर-देवली	14.30
20.	जयपुर-सांपला	15.30
21.	जयपुर-केकड़ी	16.00
22.	जयपुर-केकड़ी	17.00
23.	जयपुर-केकड़ी	18.00
24.	जयपुर-मालपुरा छटीयाली	19.00
25.	जयपुर-केकड़ी	20.00
26.	जयपुर-उदयपुर वाया केकड़ी	21.00
27.	जयपुर-उदयपुर वाया केकड़ी	22.00

परिशिष्ट-26

(अतारांकित प्रश्न संख्या-122 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

गत दस वर्षों में (1990-91 से 2000-2001 तक भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र.सं	विधान सभा क्षेत्र	क्र.उ.म.स. का नाम	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	विवरण	जुड़ने वाले ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 1990-91									
1.	भिनाय	केकड़ी	स./स. जड़ाना से सरवाड़	1.50	3.00	1.50	2.62	पूर्ण	जड़ाना
2.	भिनाय	केकड़ी	स./स. रेणघाटी से हीरापुरा	2.00	3.60	2.00	3.27	पूर्ण	हीरापुरा
3.	भिनाय	केकड़ी	स/स. उदयगढ़खेड़ा बस स्टेण्ड से हीरापुरा	2.00	3.91	1.50	3.61	पूर्ण	उदयगढ़खेढ़ा
4.	भिनाय	बिजयनगर	स/स देवलिया से ईटड़िया	1.50	3.72	1.50	3.35	पूर्ण	ईटड़िया
5.	भिनाय	बिजयनगर	स/स. विश्राम बाड़ी से करांटी	1.50	3.00	1.50	2.47	पूर्ण	करांटी
6.	भिनाय	बिजयनगर	स/स भिनाय बुबकिया	1.50	2.00	1.50	1.86	पूर्ण	बुबकिया
			योग	10.00	19.23	9.50	17.18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 1991-92									
7.	भिनाय	केकड़ी	स./स. शोकलिया से पीपरोली	1.00	2.00	0.80	1.96	पूर्ण	पीपरोली
8.	भिनाय	बिजयनगर	स./स. चापानेरी से नानंसी खुरथल	5.00	2.25	5.00	2.15	पूर्ण	नानंसी
			योग	6.00	4.25	5.80	4.11		
वर्ष 1992-93									
	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
वर्ष 1993-94									
	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
वर्ष 1992-93									
9.	भिनाय	केकड़ी	स./स. बावड़ी से शेरगढ़	5.00	7.50	2.30	7.20	अपूर्ण	शेरगढ़
10.	भिनाय	केकड़ी	स./स. एस. एच. 26 से शोकलिया	1.20	6.75	1.20	5.41	पूर्ण	शौकलिया
11.	भिनाय	केकड़ी	स/स. जड़ाना से सरवाड़	3.50	18.75	3.20	15.78	पूर्ण	जडाना
12.	भिनाय	केकड़ी	स./स. शोकलिया से पीपरोली	4.00	21.17	3.00	12.86	पूर्ण	पीपरोली
13.	भिनाय	केकड़ी	स./स. सापन्दा से केकड़ी	4.75	25.94	4.65	24.66	पूर्ण	सापंदा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	भिनाय	केकड़ी	स./स. बरौल चौकी से बरौल गांव	2.00	11.00	1.80	7.68	पूर्ण	बरौल
15.	भिनाय	बिजयनगर	स./स. बगराई से नानंसी	5.50	16.00	5.50	15.75	पूर्ण	नानंसी
16.	भिनाय	बिजयनगर	स./स. नानंसी से खुरथल	5.00	24.00	4.90	19.56	पूर्ण	खुरथल
17.	भिनाय	बिजयनगर	स./स. एस. एच. 4 से हियालियां	2.00	8.50	2.00	6.65	पूर्ण	हियालियां
			योग	32.95	139.61	28.55	115.55		
वर्ष 1995-96									
	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
वर्ष 1996-97									
	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
वर्ष 1997-98									
18.	भिनाय	केकड़ी	स./स. स्यार से बड़ला	5.00	50.35	4.50	50.32	पूर्ण	बड़ला
			योग	5.00	50.35	4.50	50.32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 1998-99									
19.	भिनाय	केकड़ी	स./स. टांटोटी से कैंबानिया	6.0	45.62	5.75	39.47	पूर्ण	कैंबानिया
20.	भिनाय	केकड़ी	स./स. कोटड़ी से भगवन्तपुरा	2.80	10.16	2.77	10.00	पूर्ण	भगवन्तपुरा
			योग	8.80	55.78	8.52	49.47		
वर्ष 1999-2000									
21.	भिनाय	केकड़ी	स./स. मोतीपुरा कैंबानिया रोड से गुदलिया	1.50	9.48	1.50	7.28	पूर्ण	गुदलिया
22.	भिनाय	बिजय नगर	स./स. खेड़ी	0.80	6.50	0.725	3.22	पूर्ण	खेड़ी
			योग	2.30	15.98	2.23	10.50		
वर्ष 2000-2001									
	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
			महायोग	63.75	285.20	59.10	247.13		

परिशिष्ट-27

(अतारांकित प्रश्न संख्या-123 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

जिला : श्रीगंगानगर

फसल का नाम : कपास (आवक क्विंटल में)

क्र.सं.	नाम मण्डी	आवक			
		सितम्बर, 2000	सितम्बर, 2001	अक्टूबर, 2000	अक्टूबर, 2001
1.	अनूपगढ़	447	62	4172	4300
2.	गजसिंहपुर	3789	40	13756	3415
3.	धड़साणा	85	0	2297	1836
4.	जैतसर	289	28	3831	2570
5.	केशरीसिंहपुर	8034	376	13427	2300
6.	पदमपुर	7951	121	34358	3273
7.	रायसिंहनगर	1209	96	11540	3955
8.	रावला	0	4	2029	1170
9.	रिडमलसर	524	138	1684	1083
10.	श्रीगंगानगर अनाज	22075	3948	50620	11535
11.	श्रीकरणपुर	345	6	13125	3529
12.	श्री विजयनगर	257	3	3676	1945
13.	सादुलशहर	3594	296	15016	2221
14.	सूरतगढ़	110	10	3036	1418
	योग जिला	48709	5128	172567	44550

जिला : श्रीगंगानगर

फसल का नाम : नरमा (आवक क्विंटल में)

क्र.सं.	नाम मण्डी	आवक			
		सितम्बर, 2000	सितम्बर, 2001	अक्टूबर, 2000	अक्टूबर, 2001
1.	अनूपगढ़	289	18	28199	14410
2.	गजसिंहपुर	834	19	14229	4426
3.	घड़साणा	0	0	37187	4656
4.	जैतसर	186	1	11272	3564
5.	केशरीसिंहपुर	4727	392	16455	6000
6.	पदमपुर	2047	154	27001	4991
7.	रायसिंहनगर	312	45	16870	3415
8.	रावला	0	1	13788	1302
9.	रिडमलसर	99	74	1898	1223
10.	श्रीगंगानगर अनाज	11315	3954	72442	19763
11.	श्रीकरणपुर	566	0	18720	7035
12.	श्री विजयनगर	81	1	21495	9485
13.	सादुलशहर	1735	178	19000	2657
14.	सूरतगढ़	53	3	16723	3236
	योग जिला	22244	4840	315279	86163

जिला : हनुमानगढ़

फसल का नाम : कपास (आवक क्विंटल में)

क्र.सं.	नाम मण्डी	आवक			
		सितम्बर, 2000	सितम्बर, 2001	अक्टूबर, 2000	अक्टूबर, 2001
1.	भादरा	0	11	275	66
2.	गोलूवाला	2193	49	10136	926
3.	हनुमानगढ़	5422	890	33225	8437
4.	नोहर	88	21	500	110
5.	पीलीबंगा	1644	275	12911	3793
6.	रावतसर	374	383	4007	1104
7.	संगरिया	2636	93	11407	537
	योग	12357	1722	72461	14973

जिला : हनुमानगढ़

फसल का नाम : नरमा (आवक क्विटंल में)

क्र.सं.	नाम मण्डी	आवक			
		सितम्बर, 2000	सितम्बर, 2001	अक्टूबर, 2000	अक्टूबर, 2001
1.	भादरा	0	0	0	0
2.	गोलूवाला	216	7	12395	1194
3.	हनुमानगढ़	3500	1696	68829	21191
4.	नोहर	0	0	0	0
5.	पीलीबंगा	1391	269	42510	7651
6.	रावतसर	79	197	20983	4398
7.	संगरिया	978	74	28298	1114
	योग	6164	2243	173015	35548